ARCHIVES.

INDIAN STANDARDS INSTITUTION LIBRARY
239583/1
Date
17-5-72
NEW DELHI

डा. के. एल. राव, केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री, भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता का विमोचन करते हुए। (दाईं ओर बैठे) राष्ट्रीय निर्माण संहिता की निदेशन-समिति के अध्यक्ष मे. ज. हरकीरत सिंह।

ARCHIVES.

2/3

INDIAN STANDARDS INSTITUTION LIBRARY
239583/1
Date 17-5-72
NEW DELHI

वार्षिक रिपोर्ट

चौबीसवीं

अप्रैल 1970 - मार्च 1971

भारतीय मानक संस्था

सदस्यों के लिए निःशुल्क

मूल्य रु० 5·00

विषय-सूची

प्रस्तावना	5
भाग 1 सिंहावलोकन	9
भाग 2 विभागीय रिपोर्ट	52
0. भूमिका	52
1. कृषि और खाद्य उत्पाद विभाग	56
2. रसायन विभाग	59
3. सिविल इन्जीनियरी विभाग	62
4. उपभोक्ता उत्पाद विभाग	64
5. विद्युत-तकनीकी विभाग	65
6. समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबन्दी विभाग	67
7. मशीनी इन्जीनियरी विभाग	69
8. संरचना और धातु विभाग	71
9. वस्त्रादि विभाग	74
10. संस्था की कार्यसमिति (ई सी) के अधीन काम करने वाली विषय समितियाँ	76
11. सांख्यिकी विभाग	77
12. अनुसंधान तथा अन्वेषण	79
भाग 3 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलाप	81
1. अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ)	81
2. अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी कमीशन (आई ई सी) ...	111
भाग 4 परिशिष्ट	131
क. 1970-71 में प्रकाशित तथा प्रेस को भेजे गए भारतीय मानक ...	131
ख. 1970-71 में जारी किए गए लाइसेंस	176
ग. 1970-71 वर्ष का परीक्षित लेखा	196
घ. भारतीय मानक संस्था के प्रमुख अधिकारी	206
भारतीय मानक संस्था — सामान्य जानकारी	210

यह रिपोर्ट संस्था की कार्यसमिति की ओर से महापरिषद की अगली वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाएगी ।

मुख्यालय

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 1
टेलीफोन : 27 01 31 (20 लाइनें) तार का पता : मानकसंस्था

शाखा कार्यालय

	तार का पता :	मानकसंस्था टेलीफोन
ओ-18, न्यू सिविल हास्पिटल एनेक्सी, असरवा	अहमदाबाद 16	—
एफ ब्लाक, यूनिटी बिल्डिंग, नरसिंहराज स्क्वायर	बंगलोर 2	2 76 49
नावेल्टी चैम्बर्स, ग्रांट रोड	बम्बई 7	37 97 29
5 चौरंगी ऐप्रोच	कलकत्ता 13	23-08 02
5-9-201/2-ए (दूसरी मंजिल), चिरागअली लेन	हैदराबाद 1	5 34 35
117/418 बी, सर्वोदय नगर	कानपुर 5	82 72
54 जनरल पैटर्स रोड	मद्रास 2	8 72 78

आभार-प्रदर्शन

भारतीय मानक संस्था को समीक्षागत वर्ष में अपने तमाम सदस्यों, अन्य संगठनों तथा उसके कार्य से सम्बद्ध अनेक व्यक्तियों से जो विशिष्ट तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उसके लिए संस्था उनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रदर्शन करती है। इसी बहुमूल्य सहयोग और सहायता के आधार पर संस्था मानकीकरण और किस्म-नियंत्रण के माध्यम से देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अपना योगदान करने में सफल हो सकी।

जिस रूप में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने संस्था की गतिविधियों में रुचि दिखाई है उससे इस बात का यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि तेजी से विकासमान देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्त्व के बारे में चेतना बढ़ रही है।

संस्था को भरोसा है कि आगे भी उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, अनुसंधान, टेक्नोलाजी, विज्ञान, सरकार, उपभोक्ता और खरीदार-वर्ग के सम्बन्धित विभिन्न हितों से उसी रूप में सहायता तथा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

प्रस्तावना

महानिदेशक द्वारा

वर्ष 1970-71 की समाप्ति के साथ ही देश के आयोजनाबद्ध औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मानकीकरण और किस्म-नियंत्रण लागू करने की दिशा में संगठित रूप से किये जाने वाले प्रयत्नों का चौबीसवाँ वर्ष पूरा हो गया। इस वर्ष भारतीय मानकों का निर्धारण तथा प्रतिपालन, भा. मा. संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के चालन, मानक इंजीनियरों के प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी गतिविधियों को मिला कर संस्था के बहुविध कार्यकलापों में सुनिश्चित् प्रगति होती रही।

समुद्री, माल परिवहन और पैकेजबंदी उद्योगों के क्षेत्र में मानकीकरण का कार्य चलाने के लिए एक नई विभाग परिषद स्थापित की गई। इस विभाग का कार्य होगा, देश में जलयानों और जलयान-निर्माण उपकरणों के निर्माण से सम्बन्धित भारतीय मानक निर्धारित करना और परिवहन लागत कम करने के उद्देश्य से माल-परिवहन के लिए धारक-वहन पद्धति (कन्टेनराइजेशन) के लिए सुविधाएँ जुटाना तथा उसे लोकप्रिय बनाना।

31 मार्च 1971 को लागू कुल भारतीय मानकों की संख्या 6 300 से भी अधिक हो गई। ये भारतीय मानक विभिन्न उद्योगों के महत्त्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित हैं। इस अवधि की एक और महत्त्वपूर्ण बात दिसम्बर 1970 में भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता का उन्मोचन है। यह संहिता योजना आयोग के अनुरोध पर संस्था द्वारा तैयार की गई थी और इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन में डिजाइन और निर्माण तकनीकों की दिशा में प्रचलित नवीनतम प्रवृत्तियों का समावेश किया गया है। इसके द्वारा विभिन्न भागों तथा स्थानीय निकायों की निर्माण संहिताओं तथा उपविधियों को युक्ति-संगत बनाने तथा एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यह आशा की जाती है कि अगले दो दशकों में भारत की नागरिक जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, इसलिए उस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक भवनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह अत्यन्त आवश्यक है कि भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और अधिकतम बचत की व्यवस्था की जाए। भवन निर्माण गतिविधियों के बढ़ने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए वास्तुगत नियंत्रण भी आवश्यक होगा। संस्था ने सम्मेलनों, बैठकों तथा गोष्ठियों का आयोजन करके केन्द्रीय और राज्य सरकारों सहित विभिन्न निर्माण एजेन्सियों द्वारा इस संहिता के अनुपालन की दिशा में गहन प्रयत्न भी किए।

इस वर्ष की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है आग द्वारा न गर्माए जाने वाले दाब-धारकों सम्बन्धी संहिता का पूर्ण होना तथा उसका उन्मोचन। इस संहिता के लिए तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्ति लगभग 8 वर्षों से कार्य करते आ रहे थे। इस संहिता में लोहस् और अलोहस् धातुओं के गलन-वेल्डकृत आग द्वारा न गर्माए जाने वाले दाब-धारकों के डिज़ाइन, गढ़ाई, निर्माण सम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षाएँ और परीक्षण तथा प्रमाणन सम्बन्धी अपेक्षाएँ दी गई हैं। यह अनुमान किया जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 64 किग्रा बल प्रति वर्ग सेन्टीमीटर के दाब रेटिंग पर काम करने वाले सामान्य कार्यों वाले आग द्वारा न गर्माए जाने वाले दाब-धारकों की माँग 2·6 करोड़ रुपये तक की होगी और इस दाब सीमा से ऊपर दाब पर काम करने वाले दाब-धारकों की माँग 50 करोड़ रुपये की होगी। इसमें ताप विनिमय-यंत्रों जैसे विशेष कार्यों के लिए उद्दिष्ट दाब-धारकों की माँग सम्मिलित नहीं है। ब्वायलरों और दाब-धारकों का उत्पादन तथा उपयोग करने वाला उद्योग बहुत बड़ा है और उसकी अनेक शाखाएँ भी हैं और प्रत्यक्ष रूप से यह अनिवार्य है कि उनके निर्माण में कुछ अंशों तक मानकीकरण का समावेश भी हो।

केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्पर्क स्थापित किए गए तथा इस बात की सदा सतर्कता रखी गई कि उन्होंने भारतीय मानकों के प्रतिपालन सम्बन्धी जो निर्णय लिए हैं उनका पालन हुआ है या नहीं। परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों और उद्योगों द्वारा अपने कार्यों के लिए 81 प्रतिशत भारतीय मानक ग्रहण किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों ने भी अपने उत्पादन और क्रय-कार्यक्रमों में विशिष्ट भारतीय मानकों के प्रतिपालन के लिए कदम उठाए। गत वर्ष भारतीय मानकों के प्रतिपालन के लिए प्रभावी कदम उठाने की दिशा में जो विभिन्न विषयों पर उद्योगपरक सम्मेलनों के आयोजित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया था वह जारी रहा और होज़री-उद्योग में मानकीकरण सम्बन्धी एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई। यह योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उत्पादकों को मानकीकरण के लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावपूर्ण साधन है। वर्ष के अन्त तक 2 661 लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे जिनके अधीन 440 करोड़ रुपए के मूल्य के वार्षिक उत्पादन पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाई गई। इस योजना के अधीन विभिन्न उपभोक्ताओं से सीधे सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न वस्तुओं सहित 57 नई वस्तुओं पर मुहर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

सन् 1965 में इस्पात और इस्पात की वस्तुओं के प्रमाणन की जो योजना लागू की गई थी वह अब पिटवाँ मिश्र इस्पात की वस्तुओं पर भी लागू कर दी गई है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष इन वस्तुओं से सम्बन्धित लाइसेंस स्वीकृत किये जाएँगे। सरकारी और निजी क्षेत्रों के और अनेक बहुत से संगठनों ने भा. मा. संस्था की मुहर लगी वस्तुओं को अपनी खरीद में तरजीह देने का फैसला किया है।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना में हुई प्रगति का यह परिणाम हुआ कि मुख्यालय और शाखा-कार्यालयों में भा. मा. संस्था में परीक्षण के लिए आने वाले काम की मात्रा काफी बढ़ी है अब तक लगभग 60 लाख रुपये के मूल्य का परीक्षण-कार्य किया जा चुका है। जिन अनेक डीज़ल इंजिन निर्माताओं के आवेदन-पत्र भा. मा. संस्था में पंजीकृत हो चुके हैं, उनको प्रमाणन मुहर लगाने के लाइसेंस स्वीकृत करने की दिशा में सुविधाएँ देने के उद्देश्य से डीज़ल इंजिनों के परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ भा. मा. संस्था प्रयोगशाला में बढ़ा दी गई हैं; इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए अन्य अनेक प्रयोग-शालाओं को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है।

भारतीय उद्योगों में संयंत्रगत मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संस्था ने कल्याण, भद्रावती, कानपुर, फरीदाबाद और हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 32 संगठनों के 106 व्यक्तियों को मानकीकरण पद्धतियों और तकनीकों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण कार्य 1963 में शुरू हुआ था और अब तक इसका बहुविध विकास हो चुका है। इसके अधीन अब तक 549 संगठनों के 820 तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इन संगठनों को संयंत्रगत मानकीकरण से अनेक लाभ भी प्राप्त हो चुके हैं।

एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को प्रशिक्षित मानक इंजीनियरों की कमी की समस्या हल करने की दिशा में सहायता देने के उद्देश्य से संस्था ने केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। सन् 1970 में 15 सप्ताह के इस कार्यक्रम में श्रीलंका, कीनिया, मलयेशिया, थाईदेश और संयुक्त अरब गणराज्य के 8 तकनीकी व्यक्तियों ने भाग लिया और 1971 में श्रीलंका, कीनिया, अदन, ज़ाम्बिया, घाना और संयुक्त अरब गणराज्य के 10 व्यक्तियों ने इस प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठाया।

शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक मानकों के उपयोग को दृष्टि में रखते हुए चंडीगढ़, जोधपुर और तिरुचिरापल्ली में अल्पकालीन परिचयात्मक और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह था कि तकनीकी शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय मानकों से अवगत कराया जाए और भारत में उपलब्ध अनुभव तथा भारतीय मानकों के आधार पर पाठ्य-पुस्तकें तथा संदर्भ साहित्य तैयार कराया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) की परिषद के निर्णय के अनुसार देश में 'विश्व मानक दिवस' 14 अक्टूबर 1970 को 12 महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में मनाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सम्वर्द्धन के साधनस्वरूप मानकीकरण को सर्व-साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस अवसर पर प्रतिदिन के जीवन में मानकीकरण के महत्त्व पर गोष्ठियाँ, वार्ताएँ, सामूहिक वाद-विवाद तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं। तेरहवाँ भारतीय मानक सम्मेलन दिसम्बर 1970 में इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालॉजी पवाई, बम्बई, में हुआ। जिसके लिए अतिथि रूप में अखिल भारतीय निर्माता संगठन

ने कार्य किया । इस सम्मेलन में एक सामान्य और 6 तकनीकी सत्र हुए थे । ये सत्र मानकीकरण और किस्म-नियंत्रण के परिपेक्ष्य में देश के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सामयिक विषयों पर थे । इस सम्मेलन में पूरे देश भर के विभिन्न आर्थिक हितों के लगभग 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में राष्ट्र के श्रम और सामग्री सम्बन्धी साधनों का अभीष्ट रूप से उपयोग करने तथा उनके विभिन्न लाभ उठाने के उद्देश्य से देश में मानक आन्दोलन को बढ़ावा देने की महत्ता पर जोर दिया गया ।

संस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी कमीशन (आई ई सी) के कार्य में पूर्ववत् सक्रिय रूप से भाग लेती रही । विकसित तथा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी स्थापित किए गए और उनको अपने यहाँ मानकीकरण गतिविधियाँ प्रारम्भ करने तथा उनके संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की गई । घाना की राष्ट्रीय मानक संस्था को भारतीय मानकों का एक पूरा सेट भेंट में दिया गया ।

भा. मा. संस्था जनवरी 1972 में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करेगी । इसलिए इसकी रजत जयंती उपयुक्त रूप से मनाने के लिए योजना तैयार करने के लिए कदम उठाए गए । यह प्रस्ताव किया गया है कि सन् 1972 वर्ष को 'भारतीय मानक वर्ष' घोषित किया जाए और देश के आयोजित विकास तथा निर्यात व्यापार के संवर्धन में मानकीकरण और किस्म-नियंत्रण के योगदान की ओर लोगों का ध्यान दिलाने की दृष्टि से देश के विभिन्न केन्द्रों में राज्य, प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और बैठकों का आयोजन किया जाए ।

जनवरी 1971 में 15 वर्ष तक संस्था की महानिदेशक के रूप में सेवा करने के पश्चात् डा. ए. एन. घोष ने अवकाश ग्रहण किया । संस्था की कार्य-समिति ने विभिन्न दिशाओं में मानकीकरण के विकास में डा. घोष द्वारा किए गए योगदान के विषय में अपनी सराहना व्यक्त की ।

भाग एक

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन के अन्तर्गत अप्रैल 1970 से मार्च 1971 तक की अवधि में संस्था की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रकाशित मानक

31 मार्च 1971 को समाप्त वर्ष में 648 भारतीय मानक छपे; गतवर्ष 605 मानक छपे थे। इस वर्ष 577 मानक प्रेस को भेजे गए। इसके अतिरिक्त 14 वर्तमान मानक निरस्त हुए। 31 मार्च 1971 को कुल 6 312 भारतीय मानक लागू थे; इनमें जो मानक प्रेस में थे वे भी शामिल हैं और जो रद्द हो चुके थे घटा दिए गए हैं। गतवर्ष 31 मार्च 1970 तक इसी प्रकार कुल 5 749 भारतीय मानक लागू थे।

संस्था ने इस वर्ष 577 नवीन भारतीय मानकों के अतिरिक्त 169 लागू मानकों के पुनरीक्षित संस्करण भी प्रकाशित किए। इस प्रकार 1970-71 में जारी किए गए कुल भारतीय मानकों की संख्या 746 हो गई; पिछले वर्ष यह संख्या 756 थी।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना

समीक्षागत वर्ष में भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना में पर्याप्त प्रगति हुई। इस वर्ष 359 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए और योजना के अधीन मुहर लगाए गए वार्षिक माल का मूल्य बढ़कर 440 करोड़ रुपए हो गया।

कार्य-प्रगति — पिछले 15 वर्षों की अवधि में भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना की प्रगति आकृति 1 में दिए ग्राफ में देखी जा सकती है। स्वीकृत लाइसेन्सों की संख्या में वृद्धि, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और प्रमाणन मुहर योजना द्वारा होने वाली आय के पिछले तथा इस वर्ष के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं:

	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 1971	**31 मार्च 1970**
क) वर्ष में स्वीकृत नए लाइसेंस	359	352
ख) योजना प्रारम्भ होने से लेकर अब तक दिए गए कुल लाइसेंस	2 661	2 302

	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 1971	31 मार्च 1970
ग) कुल लागू लाइसेंसों की संख्या	1 916	1 729
घ) लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए वर्ष में प्राप्त आवेदन-पत्र	632	590
ङ) योजना प्रारम्भ होने से लेकर अब तक प्राप्त कुल आवेदन-पत्र	5 175	4 542
च) वर्ष में आए आवेदन-पत्रों में लाइसेंस स्वीकृति के लिये पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या	399	220
छ) लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए पड़े हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	1 250	1 271
ज) विभिन्न कारणों से बन्द किये गए आवेदकों के मामलों की संख्या	1 264	969
झ) प्रमाणन मुहर योजना द्वारा कुल आय, रुपयों में	28·48 लाख	22·17 लाख
ट) वर्ष भर में मुहर लगाये गये माल का कुल मूल्य, रुपयों में	440 करोड़ (लगभग)	430 करोड़ (लगभग)

इस वर्ष 57 नई वस्तुओं पर संस्था की मुहर लगनी प्रारम्भ हुई। इनमें उपभोक्ताओं की रुचियों से सम्बन्धित निम्नलिखित वस्तुएं उल्लेखनीय हैं:

'ब्रांडी, गलतियाँ सुधारने का फ्लूड, का चाभ मिट्टी के टाइल, अधोत्वच् टीके लगाने की सुइयाँ, पेंट मिटाने वाले रसायन, जोड़े हुए मिट्टी पलटने के हल, स्वचल गाड़ियों के लिए सुवाह्य जैक, रम, सीलबन्द करने की मोम, घुलनशील काफी-चिकोरी पाउडर, मुहर लगाने की स्याही, छात्रोपयोगी सूक्ष्मदर्शी, टम्बलर स्विच, सम्पीड़ित गैस सिलिंडरों के वाल्व फिटिंग, और ह्विस्की।'

समीक्षागत वर्ष के लाइसेंसधारियों और उनको स्वीकृत लाइसेंसों के अधीन आने वाली वस्तुओं के नाम परिशिष्ट 'ख' में दिए गए हैं।

लाइसेंस स्वीकृति के लिए पड़े आवेदन-पत्र — 31 मार्च 1971 को कुल 1 250 आवेदन-पत्र लाइसेंस स्वीकृति के लिए पड़े हुए थे, इनमें से 399 वे थे जो 1970-71 की अवधि में प्राप्त हुए थे। कुल पड़े हुए आवेदन-पत्रों में से 139 ऐसे थे जिन पर संस्था को कार्यवाही करनी थी और 1 111 ऐसे थे जिन पर आवेदकों को स्वयं को ही कार्यवाही करनी थी। पड़े हुए आवेदन-पत्रों पर जो काम संस्था को करने थे उनमें प्रारम्भिक निरीक्षण करना, बानगियों का परीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण योजनाओं का पूरा

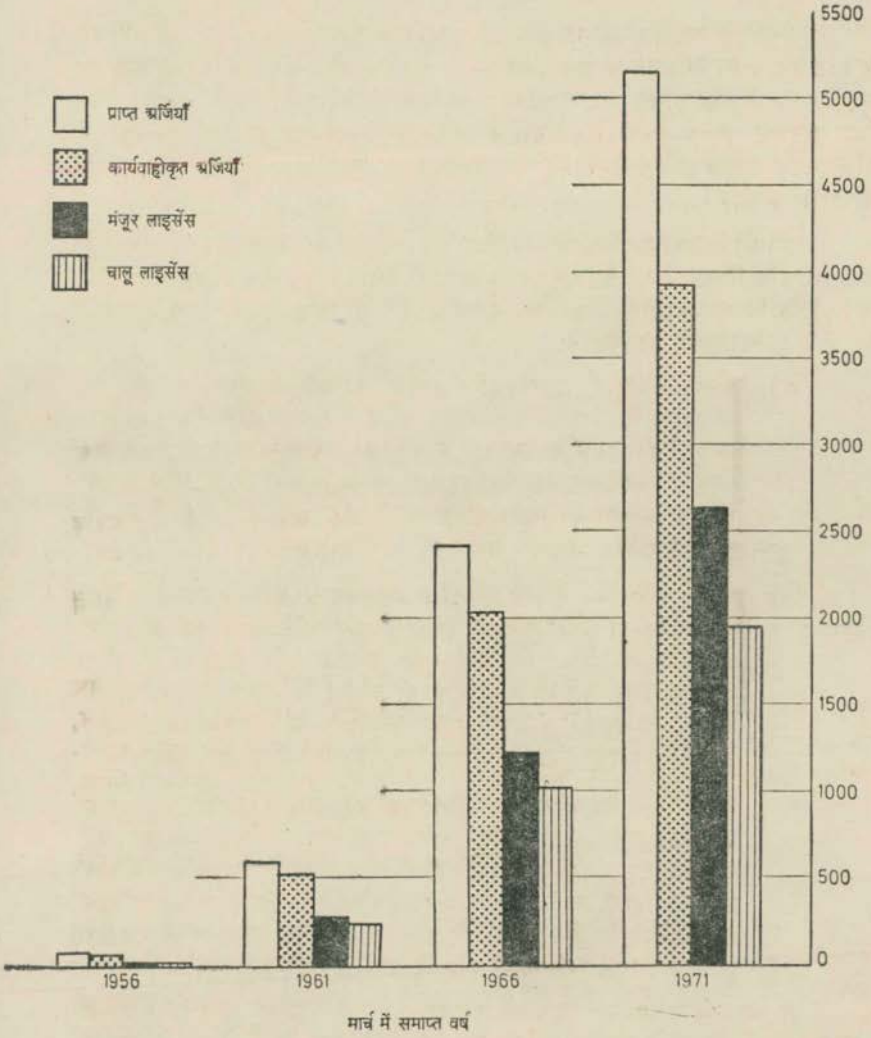

आकृति 1 भा. मा. संस्था प्रमाणन गुहर योजना की प्रगति

करना और मुहर लगाने की फीस की दर निर्धारित करना, आते हैं। जो कार्यवाही आवेदकों द्वारा की जानी है उसमें परीक्षण सुविधाएँ पूरी करना, मुहर लगाने की फीस की स्वीकृति देना, परीक्षण के लिए भा. मा. संस्था को बानगियाँ भेजना, इत्यादि आते हैं।

गैर-लागू लाइसेंस — 31 मार्च 1971 को कुल 745 लाइसेंस लागू नहीं थे इनमें से 172 वे थे जो 1970-71 की अवधि के थे। ये लाइसेंस अनेक कारणों से लागू नहीं रह गए जैसे फर्म के बन्द होना, फर्म के परिसर के नाम में परिवर्तन होना (जिसके लिए नया लाइसेंस जरूरी होता है), वित्तीय कठिनाइयाँ, योजना पर अमल करने में कठिनाइयाँ, असन्तोषजनक काम, भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित माल के लिए आर्डर की कमी, इत्यादि।

प्रमाणन योजना का विकास — औद्योगिक वस्तुओं पर प्रमाणन मुहर लगाने के काम का अधि-विकास करने के लिए दृढ़ता के साथ प्रयत्न किए गए। यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ये प्रयत्न कुछ नए क्षेत्रों में भी किए जाएँगे। कुछ ऐसे क्षेत्रों का नीचे उल्लेख किया जा रहा है:

क) **मिश्र इस्पात** — इस्पात और इस्पात की बनी वस्तुओं पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने की योजना 1965 में इस्पात की विभिन्न संरचना वस्तुओं को इसके अधीन लाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। भा. मा. संस्था के कहने पर भारतीय सरकार ने यह योजना पिटवाँ मिश्र इस्पात की बनी वस्तुओं पर भी लागू कर दी है और आशा की जाती है कि इन वस्तुओं के लिए लाइसेंस अगले वर्ष जारी होने लगेंगे।

ख) **डीजल इंजिन** — डीजल इंजिनों के प्रमाणन की माँग पूरी करने के लिए भा. मा. संस्था प्रयोगशाला में परीक्षण सुविधाएँ बढ़ाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए अन्य अनेक प्रयोगशालाओं को भी मान्यता प्रदान की गई है। इससे भा. मा. संस्था के पास जो बहुत से डीजल इंजिन उत्पादकों के आवेदन-पत्र पंजीकृत पड़े हुए हैं उनको लाइसेंस स्वीकृत करने के कार्य में सुविधा होगी।

ग) **उर्वरक** — खाद और उर्वरक विशेषज्ञों की स्थायी समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादकों से कहा है कि वे उर्वरकों पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने की सम्भावना पर विचार करें। विभिन्न उत्पादकों द्वारा इस विषय में पूछ-ताछ की गई है और उनको सम्बन्धित ब्यौरे दे दिए गए हैं। आशा की जाती है कि इस योजना के अधीन उर्वरकों से सम्बन्धित अनेक लाइसेंस अगले वर्ष स्वीकृत किये जाएँगे।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर को मान्यता — केन्द्र सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों की ओर से उनके क्रय-संगठनों को इस बात के आदेश तो हैं ही कि वे अपनी खरीद में, जहाँ भी उपलब्ध हों, संस्था के मुहर लगे माल को तरजीह दें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित संगठनों ने भी संस्था की मुहर को मान्यता प्रदान की:

क) मैसूर सरकार ने यह निर्णय किया है कि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की शराबें उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी शराब की भट्टियों और कारखानों को चाहिए कि वे शराबों पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने का लाइसेंस ले लें।

ख) महाराष्ट्र सरकार ने सभी प्रकार की भरी जाने वाली शराबों, जैसे ब्रांडी, ह्विस्की, रम, जिन, अँगूर की शराबें और बियर (जिसके अधीन विभिन्न छापे वाली बियर आदि हैं) का राज्य भर में आयात तथा बिक्री का निषेध कर दिया है जब तक कि उन पर तत्सम्बन्धी भारतीय मानक विशिष्टि के अनुरूप होने के प्रमाणस्वरूप भा. मा. संस्था की मुहर न लगी हो।

ग) महाराष्ट्र सरकार के भवन और संचार विभागों के मुख्य इंजीनियरों ने निर्णय किया कि यथासम्भव भवन-निर्माण में उपयोग के लिए सामग्री वही ली जाए जिस पर भारतीय मानक संस्था की मुहर लगी हुई हो।

घ) दक्षिण रेलवे के स्टोर नियंत्रक ने भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित काँच के शीशों की खरीद को तरजीह देने का निर्णय किया है।

ङ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता ने यह निर्णय किया है कि किसानों को इंजिन और पम्पों के सेट खरीदने के लिए पैसे देते समय वे यह चाहेंगे कि किसान सिर्फ वही वस्तुएं खरीदें जिन पर भा. मा. संस्था की मुहर लगी हुई हो।

च) भारत के औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), बम्बई, ने वित्तीय सहायता की माँग करने वाली औद्योगिक ईकाइयों से जानकारी प्राप्त करने वाले फार्म में एक मद यह भी शामिल कर दी है कि उत्पादक यह जानकारी दें कि वे अपनी वस्तुओं पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने का लाइसेंस लेने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

भारतीय मानकों में संशोधन — भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर के काम को शीघ्रता से बढ़ाने के उद्देश्य से, लेकिन किसी प्रकार माल की किस्म पर असर न आने देते हुए, संस्था के महानिदेशक ने भा. मा. संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपनियम (4) के अधीनं प्राप्त शक्तियों के अनुसार निम्नलिखित भारतीय मानकों के उपबंधों में कुछ संशोधन परीक्षार्थ रूप में किए हैं :

क) IS : 10-1964 चाय की प्लाइवुड की पेटियाँ

ख) IS : 578-1964 जूतों के लिए पूर्ण क्रोम का ऊपरी चमड़ा

ग) IS : 1786-1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए इस्पात की छड़ें

घ) IS : 1875-1970 गढ़ी चीजों के लिए कार्बन-इस्पात के बिलेट, ब्लूम, सिल्लियाँ और छड़ें

ङ) IS ; 2037-1962 ट्रेसिंग कपड़ा

च) IS : 2226-1962 जड़े प्रकार के मिट्टी पलटने के हल

छ) IS : 2818-1964 भारतीय हेसियन

ज) IS : 3309-1965 घुलनशील काफी-चिकोरी पाउडर

झ) IS : 3390-1965 पारे वाले रक्तचापमापी

ट) IS : 3706-1966 फाउंटेन पेन

ठ) IS : 3989-1967 अपसारण द्वारा ढले (बने) हुए लोहे के स्पीगाट और साकेट वाले मल, गंदगी और संवातन पाइप

ड) IS : 4465-1967 चपटी इस्पात हील्डों के लिए धातु के हील्ड फ्रेम

भारतीय मानक के रूप में विदेशी मानक की मान्यता — भा. मा. संस्था के महानिदेशक ने प्राप्त शक्तियों के अधीन फेड्रल विशिष्टि सं० एल एल एल-पी 400 ए को IS : 5757-1970 चीड़ के तेल की भारतीय मानक विशिष्टि के रूप में मान्यता प्रदान की ।

परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता — भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना के अधीन निम्नलिखित बाहरी प्रयोगशालाओं को उनके आगे लिखी वस्तुओं की बानगियों के परीक्षण के लिए मान्यता प्रदान की गई:

क्रमांक	प्रयोगशाला का नाम	मान्यता की वस्तु/परीक्षण
1.	मेसर्स स्टील रोलिंग मिल्स आफ हिन्दुस्तान प्रा० लि०, कलकत्ता, की परीक्षण प्रयोगशालाएँ	इस्पात और इस्पात की बनी वस्तुएँ
2.	किंग इंस्टीट्यूट, मद्रास	खाद्य पदार्थों का जीवाणु वैज्ञानिक विश्लेषण
3.	यूनिवर्सल रिसर्च एण्ड एनालिटिकल लेबोरेट्रीज़ (यू ए एल), बम्बई	औषधियाँ, औषध पदार्थ, शृंगार प्रसाधन, रसायन, खनिज, अयस्क, धातु, मिश्र धातुएँ, खली, उर्वरक, खाद्य, मसाले, रंग रोगन, वस्त्रादि, साबुन, प्रक्षालक पदार्थ, पानी, इत्यादि ।
4.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था, (दक्षिण प्रदेश केन्द्र), बंगलौर	आइस-क्रीम, दूध का पाउडर (खालिस और मक्खनिया) और संघनित दूध
5.	कागज शिल्प संस्था, सहारनपुर	कागज और कागज की बनी वस्तुएँ
6.	मैसूर पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, हेब्बल, बंगलौर	पशु आहारों पर रोग विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य परीक्षण

क्रमांक	प्रयोगशाला का नाम	मान्यता की वस्तु/परीक्षण
7.	एसोसिएटेड मैनेजमेंट एण्ड कार्गो कंट्रोलर्स, कलकत्ता	धातुओं, अयस्कों, खनिजों और तत्सम्बन्धी पदार्थों के रसायनिक परीक्षण
8.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मद्रास	ट्विस्ट ड्रिल और डीजल इंजिन
9.	इटालैब प्रा० लि०	बिस्कुट, कीटनाशक, मुर्गे-मुर्गियों के चारे और पशुओं के आहार, काफी का चूर्ण, आईस-क्रीम, शराब और स्पिरिट, रंजकों से बनी हुई स्याहियाँ और फैरो-गेलो टैनेट स्याहियाँ, ताम्र सल्फेट तथा अन्य अकार्बनिक रसायन तथा अम्ल, साबुन, रोगाणुनाशक द्रव, कार्बनिक रसायन, एल्युमिनियम अयस्कों और खनिजों का रसायनिक विश्लेषण ।

भा. मा. संस्था प्रयोगशाला

समीक्षागत वर्ष में प्रयोगशाला ने अपने कार्यकलाप के 9 वर्ष पूरे कर लिए । यह प्रयोगशाला भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप तैयार मुहर लगे माल तथा भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना के अधीन लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए माल का परीक्षण करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। यह प्रयोगशाला विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की बनी वस्तुओं के परीक्षण के लिए साज-सामान से सुसज्जित है और मुहर लगे माल के उत्पादन में किस्म-नियंत्रण लागू करने की दिशा में तथा परीक्षण में अनावश्यक विलम्ब दूर करने में सहायता देती है । इसके अतिरिक्त मुख्यालय में डाक्टरी तापमापियों के परीक्षण के लिए एक तापमापी प्रयोगशाला भी कार्य कर रही है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शाखाओं में भी प्रयोगशालाओं ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ।

प्रयोगशाला सुविधाओं का विकास — प्रतिवर्ष इस बात के प्रयत्न किए गए हैं कि प्रयोगशालाओं में परीक्षण की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से उपलब्ध साधनों के अधीन सुविधाएँ जुटाई जाएँ । समीक्षागत वर्ष में प्रयोगशाला में पदार्थों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित नए उपकरण लगाए गए:

1. मोटर परीक्षण सेट के साथ काम आने वाली तापमापक युक्ति
2. सूक्ष्मता ग्रेड वाले वोल्टमापी और एममापी
3. प्रतिदीप्त ट्यूबों के परीक्षण के लिए तत्सम्बन्धी धारास्थिरक (बैलास्ट)
4. तापस्थापी भट्टी

5. अनम्यकृत पी वी सी पाइपों के लिए आघात परीक्षण मशीन (भा. मा. संस्था की वर्कशाप में तैयार की गई)
6. विकृत छड़ों पर नमन परीक्षण के लिए सहायक अंग (भा. मा. संस्था में डिजाइनकृत)
7. समगतिगामी तनाव परीक्षण मशीन
8. आल-कट-मशीन

प्रयोगशाला की परीक्षाक्षमता में काफी वृद्धि हो चुकी है और इस अवधि में नीचे दी विशिष्टियों सहित 42 नई विशिष्टयों के अधीन परीक्षण का कार्य उठाया जा चुका है:

1. IS : 1739-1968 सूती हील्ड
2. IS : 2650-1964 बम्बई हलवा
3. IS : 3669-1966 गढ़ाई के लिए मेलामीन फार्माल्डिहाइड सामग्री
4. IS : 4449-1967 ह्विस्की
5. IS : 4465-1967 इस्पात के चपटे सिरों के लिए धातु के हील्ड लगे फ्रेम
6. IS : 5129-1962 घूमने वाले शैफ्टों की तेलसील इकाइयाँ
7. IS : 5281-1969 फेनीट्रोथीयोन पायसनीय तेज द्रव
8. IS : 5410-1969 सीमेन्ट पेंट
9. IS : 5513-1966 विकाट उपकरण

शाखा कार्यालयों की प्रयोगशालाएँ — भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना की प्रगति के परिणामस्वरूप परीक्षण कार्य भी बढ़ गया है। उसको यथाशीघ्र निपटाने की दृष्टि से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की शाखा कार्यालयों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

काम की प्रगति — इस अवधि में, जिसे नीचे दिखाया गया है, मुख्यालय और शाखा कार्यालयों की प्रयोगशालाओं में काम की पर्याप्त प्रगति हुई है:

	1970-71 में	1969-70 में	प्रयोगशालाओं की स्थापना से अब तक
क) प्राप्त नमूने	8 637	5 622	34 162
ख) परीक्षण किये गए नमूने	8 106	5 737	32 699
ग) वापस लिए गए नमूने	120	126	745

	1970-71 में	1969-70 में	प्रयोगशालाओं की स्थापना से अब तक
घ) सम्बन्धित भारतीय मानक विशिष्टियाँ	42	47	444
ङ) किए गए परीक्षण कार्य का मूल्य, लगभग	602 697·00 रु०	551 145·00 रु०	2 951 807·00 रु०

भा. मा. संस्था प्रयोगशाला में प्रारम्भ से लेकर अब तक किए गए कार्य की प्रगति आकृति 2 में ग्राफ द्वारा दिखाई गई है।

अन्वेषण कार्य — भा. मा. संस्था की मुख्यालय की प्रयोगशाला में मानकीकरण से सम्बन्धित 23 अन्वेषण समस्याओं को लिया गया, इनमें से निम्नलिखित समस्याओं सहित 20 पर कार्य पूरा हो चुका है:

1. जलसह बनाने वाले योगिकों पर प्रवेश्यता परीक्षण का अध्ययन
2. ट्रेस करने वाले कपड़े पर स्याही करने और रबड़ से मिटाने सम्बन्धी परीक्षण
3. फाउन्टेन पेनों का ज्वलनशीलता-परीक्षण
4. स्थायीत्व का अध्ययन करने की दृष्टि से अल्ट्रा-वायलेट किरणों के आगे ड्राइंग स्याहियों का रखना
5. वस्त्रादि करघे के सहायक अंगों की कठोरता

डीजल इंजनों का परीक्षण — भा. मा. संस्था परीक्षण योजना के अधीन डीजल इंजिनों के परीक्षणों के लिए सुविधाएँ बढ़ाने के विषय में कार्यवाही की गई। योजना यह है कि 3 बानगियों का परीक्षण साथ-साथ करने के लिए 3 परीक्षण-बेड स्थापित किए जाएँ। भा. मा. संस्था की मुहर लगे डीजल इन्जिनों की प्रत्याशित माँग के अनुसार अभी केवल 10 हा. पा. तक के रेटिंग वाले डीजल इन्जिनों के परीक्षण के लिए सुविधाएँ जुटाने की योजना है। इन सुविधाओं में वृद्धि, यदि आवश्यक हुआ तो, एक अतिरिक्त डाइनैमोमीटर लगाकर कर ली जाएगी। इस प्रयोगशाला की स्थापना में परामर्शदाता के रूप में भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के अतंदर्हन इन्जीनियरी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एम. आर. के. राव की सेवाएँ प्राप्त की गई हैं।

भा. मा. संस्था प्रयोगशाला में कर्मचारियों को प्रशिक्षण — भा. मा. संस्था प्रयोगशाला में समीक्षागत वर्ष में भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना के अधीन राज्य सरकारों और लाइसेंसधारियों को अपने माल के परीक्षण में सहायता करने के उद्देश्य से 12 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्राप्त अनुभव के आधार पर उत्पादों के परीक्षण के लिए योजना बनाने, उपकरणों के चुनाव, प्रयोगशालाओं की स्थापना, इत्यादि में विभिन्न उद्योगों को सहायता दी गई है। विभिन्न राज्य सरकारों के लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, किस्म प्रमाणन केन्द्रों और उद्योग विभागों की प्रयोगशालाओं को साज-सामान से सुसज्जित करने में भी सहायता दी गई।

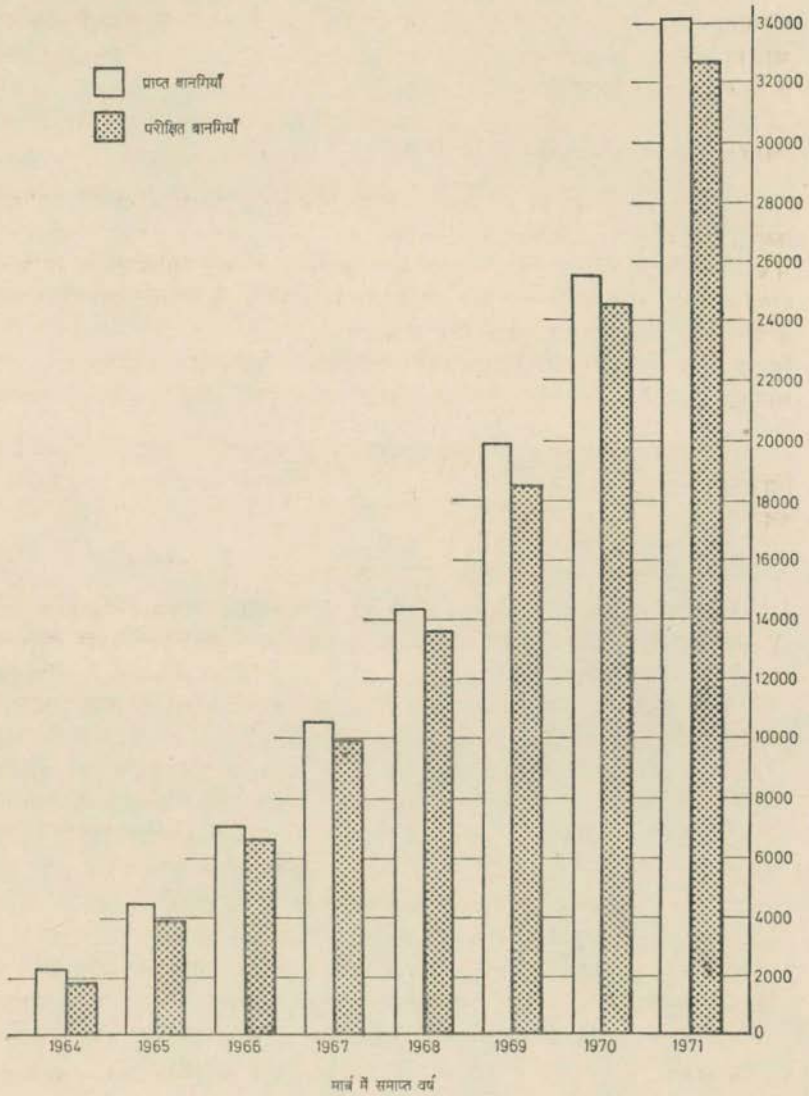

आकृति 2 भा. मा. संस्था प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षण कार्य की प्रगति

विशिष्ट उपकरणों की गढ़ाई — कुछ परीक्षणों के लिए ऐसे विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो बाजार में नहीं मिलते । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भा. मा. संस्था ने विशिष्टियों में निर्धारित परीक्षण पद्धतियों के अनुरूप कुछ उपकरणों के डिजाइन तैयार कराए तथा उनको गढ़कर तैयार किया ।

भारतीय मानकों का प्रतिपालन

भारतीय मानकों का अवग्रहण — समीक्षागत अवधि में देश की औद्योगिक और क्रय रीतियों में भारतीय मानकों के प्रतिपालन पर गम्भीर ध्यान दिया गया । इस दिशा में यह देखने के लिए कि भारतीय मानकों के प्रतिपालन की दिशा में केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनका प्रतिपालन किया जाता है, संस्था के प्रतिपालन विभाग द्वारा क्रमबद्ध रूप से प्रयत्न किए गए तथा उस पर लगातार निगाह रखी गई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों और उद्योगों द्वारा 81 भारतीय मानकों का अवग्रहण किया गया।

भारतीय मानकों के प्रतिपालन सम्बन्धी सिफारिशें — समीक्षागत वर्ष में विभिन्न संगठनों ने कुछ विशेष भारतीय मानकों के प्रतिपालन की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

	संगठन	भारतीय मानक	कार्यवाही
1.	दि मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती	सभी भारतीय मानक	इन्होंने सूचित किया है कि उनकी कम्पनी में प्रयुक्त विभिन्न कच्चे मालों और प्रचालन सामग्रियों के भारतीय मानकों की विशिष्टियों का पहले से ही पालन किया जा रहा है । उनकी क्रय प्रश्नावलियों में तत्सम्बन्धी भारतीय मानक विशिष्टियों का भी उल्लेख किया जाता है ताकि सप्लायर अपना माल उनके अनुरूप दे सकें ।
2.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०, नई दिल्ली	पम्प	इन्होंने सूचित किया है कि वे तत्सम्बन्धी भारतीय मानक विशिष्टि का पालन कर रहे हैं ।
3.	पेट्रोलियम, रसायन, खाद्य और धातु मंत्रालय, (पेट्रोलियम और	IS : 5521-1969 शीरा भरने की इस्पात की टंकियां	शीरे की टंकियां बनाने के लिए लोहे और इस्पात की सामग्रियों के लिए मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध हितों को यह परामर्श दिया है

	संगठन	भारतीय मानक	कार्यवाही
	रसायन विभाग), भारत सरकार		कि वे देखें कि चीनी फैक्टरियों/ शराब के कारखानों में शीरा भरने के लिए लगाई जाने वाली नई टंकियाँ अथवा वर्तमान टंकियों की जगह लगाई जाने वाली टंकियाँ तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और इस बात के प्रतिपालन के लिए इस्पात की माँग (इंडेंट) भरते समय राज्य अधिकारियों को प्रतिज्ञा के रूप में वचन दिए जाने चाहिए।
5.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० (नंगल यूनिट), नया नंगल (पंजाब)	सभी भारतीय मानक	सूचित किया है कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी सामग्री अथवा वस्तुएँ सप्लाई की जाएँ, भा. मा. संस्था की मुहर लगी हुई हों।
6.	कार्यकारी इंजीनियर, आयोजन विभाग 2, नेफा (शिलांग)	पालीथीन पाइप और फिटिंग	सूचित किया है कि खरीदा जाने वाला माल भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप होगा।
7.	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), भारत सरकार	IS : 4878-1968 सिनेमा इमारतों को बनाने के लिए इमारती उपविधि संहिता	मंत्रालय ने सभी राज्य-सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों (स्थानीय स्वायत प्रशासन विभाग) से कहा है कि IS: 4878-1968 में दी गई एकीकृत उपविधियों का पालन किया जाए।
8.	स्टोर नियंत्रक, विशाखापतनम पोर्टट्रस्ट, विशाखापतनम	सभी भारतीय मानक	सूचित किया है कि वस्तुओं की खरीदारी में भा. मा. संस्था की मुहर लगी वस्तुओं को तरजीह दी जाएगी।
9.	महाराष्ट्र सरकार, भवन और संचार विभाग, बम्बई	भवन-निर्माण सामग्री	राज्य के भवन और निर्माण विभागों के सभी कार्यकारी इन्जीनियरों को निर्माण कार्य के लिए भा. मा. संस्था की मुहर

संगठन	भारतीय मानक	कार्यवाही
		लगी निर्माण सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
10. दि आल इन्डिया ग्रेफाइट क्रूसीबल मैन्यू० एसोसिएशन, राजमहेन्द्री 3 (आ. प्र.)	IS : 1748-1961 ग्रेफाइट घड़ियाओं के माप	एसोसिएशन की महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया है कि घड़ियाएँ बनाने में भारतीय मानक में दी गई मापों को ग्रहण किया जाए।

टेण्डर सूचनाओं की समीक्षा — यह देखने के लिए कि विभिन्न संगठन जो भारतीय मानकों के अवग्रहण का निर्णय लेते हैं उनका उपर्युक्त रूप से पालन होता है या नहीं, भा. मा. संस्था दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित टेण्डर सम्बन्धी सूचनाओं की समीक्षा का कार्य करती रही, और यदि कोई ऐसे मामले मिलें जिनमें तद्विषयक भारतीय मानक उपलब्ध तो थे परन्तु सरकारी क्रय-अधिकारियों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विद्युत बोर्डों, इत्यादि के द्वारा उनका उल्लेख भूल से अथवा अन्य किसी कारण से नहीं किया गया था, तो उनको माँगकर्ता की निगाह में लाया गया। समीक्षागत अवधि में ऐसे बहुत से संगठनों ने ऐसी बातें जो ध्यान में लाई गई थीं, उत्तर में प्रायः यही सूचित किया कि वे भारतीय मानकों के आधार पर ही माल स्वीकार करेंगे।

उत्पादकों/उपभोक्ताओं द्वारा मानकों का अवग्रहण — भारतीय मानकों के अनुरूप सामान तैयार करने वाले उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के विषय में उपयुक्त जानकारी प्रदान कराने की दृष्टि से संस्था ने अनेक विषयों और वस्तुओं से सम्बन्धित 560 भारतीय मानकों, रीति संहिताओं और परीक्षण-पद्धतियों के सम्बन्ध में प्रश्नावलियाँ भेजी थीं और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं से इस प्रकार जो सूचना भा. मा. संस्था निदेशालय को प्राप्त हुई वह माँग आने पर वितरण करने के लिए रख ली गई है।

भा. मा. संस्था की मुहर लगे माल को प्राथमिकता — स्टोर नियंत्रक, कलकत्ता कारपोरेशन की ओर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने अपने टेण्डर फार्म में निम्नलिखित वाक्य सम्मिलित कर लिया है:

> "भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर लगी वस्तुओं को खरीदारी में प्राथमिकता दी जाएगी। टेण्डर भेजने वालों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनके पास आवश्यक भा. मा. संस्था का लाइसेंस है या नहीं, इसी के आधार पर उनके माल की खरीदारी को प्राथमिकता दी जा सकेगी।"

कम्पनी मानकीकरण

सन् 1963 से भा. मा. संस्था भारतीय उद्योगों में संगठित रूप से संयंत्रगत मानकीकरण रीतियों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास करने के लिए मानकीकरण

पद्धतियों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पनी मानकीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम—सन् 1970-71 में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

	कार्यक्रम	स्थान और अवधि	गठनकर्त्ता/ आयोजनकर्ता	भाग लेने वाले	
				प्रशिक्षार्थी	संगठन
1.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कल्याण, 4-6 मई 1970	सेंचुरी रेयन, कल्याण	23	1
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	भद्रावती, 25-27 अगस्त 1970	दि मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती	41	1
3.	सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	कानपुर, 14 अक्टूबर-18 नवम्बर 1970	कानपुर उत्पादकता परिषद, कानपुर	11	6
4.	सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरीदाबाद, 2 नवम्बर-9 दिसम्बर 1970	मानक इंजीनियर संस्थान (दिल्ली प्रखण्ड)	13	11
5.	सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	हैदराबाद, 23 नवम्बर-30 दिसम्बर 1970	मानक इंजीनियर संस्थान (हैदराबाद प्रखण्ड)	18	13

इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित संगठनों ने भाग लिया:

1. सेंचुरी रेयन, कल्याण
2. मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती
3. मयूर मिल्स कं० लि०, कानपुर
4. कानपुर वूलन मिल्स कं० लि०, कानपुर
5. टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कानपुर
6. एल्गिन मिल्स कं० लि०, कानपुर
7. गवर्नमेंट स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर
8. उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर
9. हिन्दुस्तान ब्राउन बावेरी लि०, फरीदाबाद
10. कालकाजी कम्प्रेशर वर्क्स, फरीदाबाद
11. एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेण्ट्स मैन्यू० (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली
12. जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, नई दिल्ली
13. हिसार टेक्सटाइल मिल्स, हिसार
14. अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि०, फरीदाबाद

कम्पनी	प्राप्त लाभ
7. सेंचुरी रेयन, कल्याण (जारी)	भण्डारण के समय निरीक्षण आदि विषयक अपेक्षाएँ दी गईं। इन मानकों ने खरीदारी और उत्पादन के कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करने तथा प्रकारों की संख्या निम्नलिखित रूप में घटाने में प्रभावी योग दिया:

	से	में
वी-बेल्ट	165	98
दाब मापक	32	7
संरचना इस्पात	81	42
औजार चार्ट	60	33

विकासशील देशों के लिए मानक इन्जीनियरों का प्रशिक्षण

केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम — एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को अपने यहाँ अनुभवी मानक इंजीनियरों की कमी को दूर करने में सहायता देने की दृष्टि से संस्था केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही। यह कार्यक्रम 15 सप्ताह का होता है जिसके दौरान इसमें भाग लेने वालों को मानकीकरण के सिद्धान्तों और उसके पद्धति-विज्ञान के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है।

1970 में केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जनवरी से 2 मई 1970 तक चला, इसमें श्रीलंका, कीनिया, मलयेशिया, थाईदेश और संयुक्त अरब गणराज्य के 8 व्यक्तियों ने भाग लिया। 1971 का कार्यक्रम 11 जनवरी 1971 से प्रारम्भ हुआ और इसमें श्रीलंका, अदन, कीनिया, जाम्बिया, घाना और संयुक्त अरब गणराज्य के 10 व्यक्तियों ने भाग लिया।

शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय मानकों की उपयोगिता

संस्था ने इस वर्ष भी अध्यापकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, विभिन्न संस्थाओं में विशिष्ट प्रलेखों का वितरण और मानकों के प्रदर्शन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय मानकों के उपयोग संवर्धन सम्बन्धी कार्य जारी रखा।

समीक्षागत वर्ष में विषय परिचय और समीक्षागत कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

स्थान और दिनांक	भाग लेने वाले	संस्थान
चंडीगढ़ 12-14 अगस्त 1970	पालीटेकनीकों के अध्यापक	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के संस्थान

स्थान और दिनांक	भाग लेने वाले	संस्थान
जोधपुर 16-17 जनवरी 1971	पालीटेकनीकों और इंजीनियरी महाविद्यालयों के अध्यापक	राजस्थान के संस्थान
तिरुचिरापल्ली 22-24 मार्च 1971	इन्जीनियरी महविद्यालयों और पालीटेकनीकों के अध्यापक	केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के संस्थान

अब तक इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लगभग 100 संस्थानों को लिया जा चुका है और इन कार्यक्रमों में अब तक 400 से अधिक तकनीकी अध्यापक भाग ले चुके हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों को उनके अपने क्षेत्र से सम्बन्धित भारतीय मानकों का परिचय दिया जाए जिससे वे छात्रों के अध्यापन के समय उनका उपयोग कर सकें। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम को गहन रूप से लागू करने से छात्रों को भारतीय मानकों के विषय में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी और वे स्नातक स्तर तक की विद्या प्राप्त करने के पश्चात् उद्योगों में प्रवेश करने पर उनको लागू करना प्रारम्भ कर देंगे। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों ने अध्यापकों और भा. मा. संस्था के बीच प्रारम्भिक संवाद के रूप में एक बहुमूल्य माध्यम का काम किया। भाषणों के उपरान्त संगठित समूह-चर्चाओं में विभिन्न महत्त्वपूर्ण अंगों पर विचारविमर्श हुए जिनमें मानकों के परिपूरक रूप में आवश्यक संदर्भ-सामग्री सम्बन्धी प्रकाशनों, शिक्षा के क्षेत्रों में अध्यापकों द्वारा भाग लेने के लिए आयोजित की जाने वाली विशिष्ट गोष्ठियों के लिए विषयों, विशिष्ट मानकों पर समीक्षाओं और किसी विषय के सभी पक्षों पर मानक निर्धारण के लिए क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया।

पुस्तकालय तथा सूचना सेवा

समीक्षागत वर्ष में संस्था के मुख्यालय तथा शाखा कार्यालय के पुस्तकालय चंदा देने वाले तथा समिति सदस्यों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने का कार्य पूर्ववत् करते रहे। भारतीय मानकों तथा तकनीकी विषयों पर प्राप्त होने वाले पूछताछ के मामलों की संख्या इस वर्ष कई गुना बढ़ गई। नई दिल्ली मुख्यालय के पुस्तकालय में भारतीय तथा विदेशी मानकों के विषय में औसतन प्रतिदिन 20 से अधिक मामले निपटाए गए।

1970-71 की अवधि में मुख्यालय के पुस्तकालय में 14 341 मानक तथा अन्य प्रकाशन आए और इस वर्ष पत्रिकाओं के 260 जिल्दबंधे खंड प्राप्त हुए। सदस्यों को उनके अपने क्षेत्रों में ही सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के पुस्तकालयों तथा हैदराबाद, कानपुर और बंगलौर की सूचना यूनिटों को समृद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने विशिष्ट विषयों पर ग्रन्थसूचियाँ भी तैयार कीं

जिससे भा. मा. संस्था निदेशालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा अन्य सदस्यों को पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। मार्च 1971 को समाप्त वर्ष में इस प्रकार की 88 ग्रन्थसूचियाँ तैयार की जा चुकी थीं। संस्था के सदस्यों को पुस्तकालय द्वारा जारी की गई निम्नलिखित मासिक सूचनावलियाँ काफी रोचक पाईं और इनका वितरण सम्बद्ध व्यक्तियों तथा संगठनों को भी किया गया:

क) भा. मा. संस्था पुस्तकालय को प्राप्त विदेशी मानकों की सूची, और

ख) मानकीकरण पर प्रकाशित वर्तमान सूचनाओं की सूची।

निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समीक्षागत वर्ष की अवधि में पुस्तकालय का तुलनात्मक कार्य प्रस्तुत किया गया है:

	1969-70	1970-71
1. पुस्तकालय में उपलब्ध मानक विशिष्टियों, तकनीकी प्रकाशनों, इत्यादि की संख्या	204 268	218 609
2. वर्ष की अवधि में आगत और उपचारित प्रकाशनों की संख्या	15 533	14 341
3. वर्ष की अवधि में आगत तकनीकी पत्रिकाओं की संख्या	492	498
4. तैयार की गई पुस्त-सूचियों की संख्या	89	88
5. पुस्तकालय में आने वाले वाचकों की संख्या	1 650	2 100
6. पढ़ने के लिए दिए गए प्रकाशनों की संख्या	50 000	50 000

सदस्यता

31 मार्च 1971 को संस्था के चंदादायी सदस्यों की संख्या 3 934 हो गई, 31 मार्च 1970 को यह संख्या 3 891 थी। सारणी 1 में विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है।

चंदादायी सदस्यों से 1970-71 में 18·5 लाख रुपया चंदा प्राप्त हुआ जबकि 1969-70 में यह राशि 17·5 लाख रुपया थी।

सन् 1951 से लेकर अब तक के चंदादायी सदस्यों की संख्या आकृति 3 में ग्राफ द्वारा दिखाई गई है।

प्रचार

भारतीय मानकों के व्यापक प्रतिपालन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारतीय मानक संस्था ने देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मानक आन्दोलन को बढ़ाने के लिए गहन प्रयत्न करने जारी रखे। समीक्षागत वर्ष में भा. मा. संस्था की गतिविधियों का प्रचार करने, भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के समुन्नयन और भारतीय मानकों और सर्वसाधारण के बीच किस्म के विषय में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रचार सम्बन्धी विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया गया।

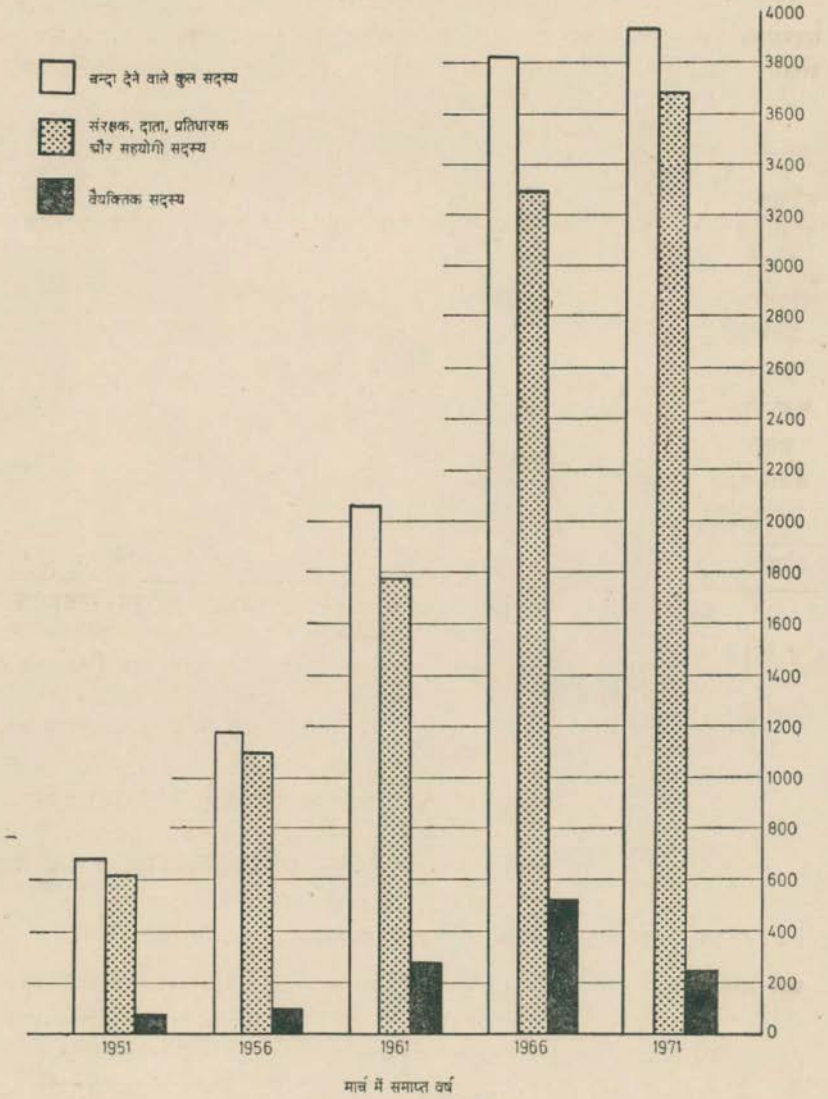

आकृति 3 पिछले वर्षों में संस्था की सदस्यता

सारणी 1 सदस्यता-विवरण (1970-71)
(31 मार्च 1971 तक)

सदस्यता क्षेणी	सदस्यों की संख्या		कमी			बढ़ती			शुद्ध बढ़ती/कमी
	1 अप्रैल 1970	1 अप्रैल 1971	त्याग पत्र	अवधि व्यतीत	जोड़	नए सदस्य	सदस्यता नवीकरण	जोड़	
संरक्षक (पैट्रन)	3	3	—	—	—	—	—	—	—
दाता (डोनर) सदस्य	31	44	—	3	3	15	1	16	+13
प्रतिधारक (सस्टेनिंग) सदस्य	1 993	1 958	52	102	154	116	3	119	—35
सहयोगी सदस्य	1 584	1 679	50	190	240	327	8	335	+95
वैयक्तिक सदस्य	280	250	20	72	92	62	--	62	—30
जोड़	3 891	3 934	122	367	489	520	12	532	+43

क) **प्रेस नोट** — प्रकाशित भारतीय मानकों, प्रचारित किए गए मानकों के मसौदों और संस्था की अन्य महत्वपूर्ण गतियों के सम्बन्ध में तकनीकी तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रचारण के लिए प्रेस नोट जारी किए गए। समीक्षागत वर्ष में इस प्रकार के कुल 691 प्रेस नोट प्रचारित किए गए।

ख) **विज्ञापन अभियान** — उपभोक्ताओं और निर्माताओं के संदर्भ में भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के महत्त्व को अधिकाधिक प्रचारित करने के उद्देश्य से विज्ञापन अभियान अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में जारी रखा गया।

ग) **रेडियो द्वारा प्रचार** — आकाशवाणी की वाणिज्य प्रसार सेवाओं के माध्यम द्वारा भा. मा संस्था की गतिविधियों, विशेष रूप से भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना को प्रचारित करने की दृष्टि से नीचे दिए ब्यौरों के साथ विभिन्न भाषाओं में रेडियो वार्ताएं प्रसारित की गई :

क्रम संख्या	केन्द्र	भाषा
1.	दिल्ली	हिन्दी
2.	बम्बई-पूना-नागपुर	मराठी
3.	कलकत्ता	बंगाली
4.	मद्रास-तिरुचिरापल्ली	तमिल

घ) **प्रेस सम्मेलन** — तेरहवें भारतीय मानक सम्मेलन, भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता के विमोचन तथा आग द्वारा सीधे न गर्माए जाने वाले दाब पात्रों की संहिता के उन्मोचन जैसे विभिन्न अवसरों पर भा. मा. संस्था की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से प्रेस-सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

ङ) **विशेष परिशिष्ट** — विशिष्ट अवसरों पर अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा विशेष परिशिष्ट जारी किए गए।

च) **पैम्फ्लेट** — निम्नलिखित पैम्फ्लेट अंग्रेजी में प्रकाशित किए तथा महत्त्वपूर्ण अवसरों पर वितरित किए गए:

1) तकनीकी शिक्षा में संदर्भ के लिए भारतीय मानक-संरचना सामग्रियों और वस्तुओं की परीक्षण-पद्धतियाँ,

2) समुद्री उपकरणों और सहायक अंगों सम्बन्धी भारतीय मानक, और

3) मशीनी औजारों और छोटे औजारों के उद्योग सम्बन्धी भारतीय मानक।

छ) **प्रदर्शनियाँ** — अपनी विभिन्न गतिविधियों के प्रचार के उद्देश्य से संस्था ने देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में आयोजित अनेक प्रदर्शनियों में भाग लिया; इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं०	प्रदर्शनी का नाम	संगठनकर्ता	स्थान	अवधि
1.	कांग्रेस प्रदर्शनी	—	बंगलौर	4 अप्रैल 1970 से डेढ़ महीने के लिए
2.	उपभोक्ता मार्गदर्शक प्रदर्शनी	कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी	बम्बई	18-20 अप्रैल 1970
3.	औद्योगिक प्रदर्शनी	अखिल मैसूर लघु-उद्योग संघ और अखिल भारतीय उत्पादनकर्ता संगठन	बंगलौर	17-26 अक्टूबर 1970
4.	सांख्यिकी प्रदर्शनी	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	नई दिल्ली	16-28 नवम्बर 1970
5.	उपभोक्ता मार्गदर्शक प्रदर्शनी	कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी	बम्बई	25 दिसम्बर 1970 से 2 जनवरी 1971
6.	विज्ञान प्रदर्शनी	दिल्ली प्रशासन	नई दिल्ली	26-28 दिसम्बर 1970

क्रम सं०	प्रदर्शनी का नाम	संगठनकर्ता	स्थान	अवधि
7.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत	मद्रास	29 दिसम्बर 1970 से 15 जनवरी 1971
8.	अखिल भारतीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी	—	मद्रास	29 दिसम्बर 1970 से डेढ़ महीने के लिए
9.	शोरगुल द्वारा विकार	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	नई दिल्ली	19-21 मार्च 1971

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी — भा. मा. संस्था ने भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा कुवालालम्पूर, सिंगापुर और सुवा (फिजी) में आयोजित भारतीय प्रदर्शनी में भाग लिया।

इस प्रदर्शनी में भारत के औद्योगिक विकास में मानकीकरण का योगदान विशेष रूप से प्राचीन तथा आधुनिक भारत में मानकीकरण भा. मा. संस्था और निर्यात संवर्द्धन, भा. मा. संस्था और विकासशील देश और भा. मा. संस्था और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) के सन्दर्भ में मानकीकरण-चित्रों, चार्टों तथा लेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया।

ज) **रेडियो प्रसारण, फीचर और भेंट-वार्ताएं** — समीक्षागत वर्ष में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से नीचे जिनके विवरण दिए हैं, कार्यक्रम प्रसारित किए गए:

तिथि	विषय	वार्ताकार	केन्द्र	भाषा
25 अप्रैल 1970	भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता	राष्ट्रीय निर्माण संहिता की मार्गदर्शन-समिति के अध्यक्ष मेजर-जनरल हरकीरत सिंह के साथ हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, के विशेष सम्वाददाता श्री डब्ल्यू. एस. टाइटस द्वारा भेंटवार्ता	नई दिल्ली	अंग्रेजी

तिथि	विषय	वार्ताकार	केन्द्र	भाषा
14 अक्टूबर 1970	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण (विश्व मानक दिवस के अवसर पर)	तत्कालीन केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्री और भारतीय मानक संस्था के सभापति श्री दिनेश सिंह	नई दिल्ली	अंग्रेजी
12 दिसम्बर 1970	तेरहवाँ भारतीय मानक सम्मेलन	भा. मा. संस्था के भूतपूर्व महानिदेशक डा. ए. एन. घोष	बम्बई	अंग्रेजी
19 दिसम्बर 1970	मेरी दृष्टि में मानकीकरण के मूल्यवान तत्त्व	सामूहिक चर्चा	बम्बई	अंग्रेजी

झ) **घाना को भारतीय मानकों की भेंट** — भारतीय मानक संस्था एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को उनकी मानकीकरण गतिविधियों के आयोजन में सहायता देने के उद्देश्य से उनकी राष्ट्रीय मानक संस्थाओं को भारतीय मानकों के पूरे सेट भेंट में देती रही है। 9 जून 1970 को भारत में घाना के कार्यकारी उच्च कमिश्नर श्री डब्ल्यू. असोर-ब्राउन के माध्यम से भारतीय मानकों का एक पूरा सेट घाना को नई दिल्ली में भेंट किया गया।

अब तक इस प्रकार भारतीय मानकों के पूरे सेट 10 देशों अर्थात् ईरान, मलयेशिया, थाईदेश, ईराक, फिलिप्पाइन, सीरिया, दक्षिणी वियतनाम, जार्डन, हिन्देशिया और घाना को भेंट किए जा चुके हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) को भारतीय मानकों की भेंट — खाद्य और खाद्य उत्पादों से सम्बन्धित भारतीय मानकों का एक पूरा सेट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन को रोम स्थित अपने कार्यालय में सन्दर्भ-कार्य तथा उपयोग के लिए भेंट रूप में दिया गया।

खाद्य तथा कृषि संगठन के स्थानीय प्रतिनिधि श्री के. के. पी. एन. राव ने इन भारतीय मानकों के सेट भा. मा. संस्था के महानिदेशक श्री एस. के. सेन से 5 फरवरी 1971 को प्राप्त किए।

ट) **ख्यातनामा व्यक्तियों का संस्था में आगमन** — समीक्षागत वर्ष में विभिन्न विद्यालयों के अनेक तकनीकी संस्थाओं के छात्रदल संस्था का मुख्यालय देखने के लिए आये। इसके अतिरिक्त भारत और विदेश के अनेक व्यक्ति संस्था में पधारे, इनमें से निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं:

श्री साबाँ गाजिओग्लू,
इस्तंबूल उद्योग और व्यापार मन्डल,
इस्तंबूल

श्री नासत सिरमान,
इस्तंबूल उद्योग और व्यापार मन्डल,
इस्तंबूल

श्री इहसान एराज़,
इस्तंबूल उद्योग और व्यापार मण्डल,
इस्तंबूल

श्री मुस्तफा कोपूज़,
इस्तंबूल स्टाक एक्सचेंज,
इस्तंबूल

श्री अहमत अहयाम अकतन,
अंकारा व्यापार मण्डल,
अंकारा

श्री इकमेल दिरिकर,
अंकारा व्यापार मण्डल,
अंकारा

श्री वी. शंकर,
अध्यक्ष,
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद,
कलकत्ता

श्री जे. ए. बोसर्ट,
कनाडा मानक संघ,
कनाडा

श्री डब्ल्यू. असोर-ब्राउन,
घाना के कार्यकारी उच्च कमिश्नर,
नई दिल्ली

इंस्टीट्यूशन आफ इन्जीनियरस (भारत) के परिषद सदस्य,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रशिक्षार्थी
नई दिल्ली

श्री महेश्वर प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्रालय,
नई दिल्ली

डा. भट्ट,
एशिया और सुदूरपूर्व का आर्थिक कमीशन (इकाफे)

श्री उलुर बिलजेन,
निदेशक राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग,
तुर्की मानक संस्थान,
अंकारा

श्री एडमण्ड आयटन,
नेसिनल डी पेसास संस्थान,
एमेडीडस,
राय डी जनेरो,
ब्राजील

डा. एस. आर. मुखर्जी,
सदस्य,
राष्ट्रीय कृषि आयोग

श्री के. के. पी. एन. राव,
स्थानीय प्रतिनिधि,
खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ),
नई दिल्ली

श्रीमती सिसली कादियान तथा दल,
वीमैन्स म्यूचुअल ऐड सोसाइटी,
नई दिल्ली

श्री अशोक मित्रा,
सचिव,
योजना आयोग,
नई दिल्ली

श्री ए. आर. कालिन्स,
निदेशक,
कंस्ट्रकशन इन्डस्ट्रीज़ रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन एसोसिएशन,
6 स्टोरीज़ गेट, लन्दन, एस. डब्ल्यू

श्री ताकले हाइमानोत ऐबे,
यूथोपियाई दूतावास,
नई दिल्ली

भारत में विश्व मानक दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) की परिषद के निर्णय के परिपालनार्थ 14 अक्टूबर 1970 में समस्त विश्व में 'विश्व मानक दिवस' मनाया गया। सन् 1946 की इसी दिन संयुक्त राष्ट्र मानक समन्वयकारी समिति ने आई एस ओ की स्थापना करने का निर्णय किया था।

विश्व मानक दिवस समारोह उत्सव का उपयोग जनता में राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक जीवन में मानकीकरण की संधारणा और उसके प्रभाव के संवर्धन के लिये किया गया। विश्व मानक दिवस समारोह का विषय था 'राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास तथा अधिकाधिक अन्तराष्ट्रीय सहयोग के साधन के रूप में मानकीकरण'।

भारत में समारोह — भारत में विश्व मानक दिवस निम्नलिखित स्थानों में मनाया गया:

क) नई दिल्ली
ख) बम्बई
ग) कलकत्ता
घ) मद्रास
ङ) बंगलौर
च) अहमदाबाद
छ) जमशेदपुर
ज) हैदराबाद
झ) कानपुर
ट) रांची
ठ) कटक
ड) जयपुर

गोष्ठियाँ, वार्ताएं और प्रदर्शनियाँ — उपरिलिखित सभी स्थानों में सम्मेलनों, गोष्ठियों सामूहिक चर्चा तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों में सार्वजनिक जीवन के जिन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया उनमें उल्लेखनीय हैं तमिलनाडु के राज्यपाल, महाराष्ट्र के नागरिक विकास मंत्री, आन्ध्र प्रदेश के वाणिज्य और निर्यात संवर्द्धन मन्त्री और कलकत्ता के महापौर। इन अवसरों पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोत्साहन के लिये मानकीकरण तथा किस्म नियन्त्रण की महत्ता पर वार्ताएँ हुईं। अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युततकनीकी कमीशन (आई ई सी) और भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन के रूप में भा. मा. संस्था की योग दिलाने वाली प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं। इन समारोहों के पहले 13 अक्टूबर 1970 को दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में प्रेस सम्मेलन भी हुए।

सन्देश — इस अवसर पर अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमन्त्री, औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री तथा भा. मा. संस्था के सभापति के सन्देश प्राप्त हुए।

रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण — आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से 14 अक्टूबर 1970 को भारत के औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार के केन्द्रीय मन्त्री तथा भा. मा. संस्था के सभापति श्री दिनेश सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण नामक विषय पर एक वार्ता प्रसारित की। अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास रेडियो केन्द्रों सहित अन्य केन्द्रों से भी वार्ताएँ तथा फीचर प्रसारित किये गए। इसके अतिरिक्त इन समारोहों के विषय में समाचारपत्रों में भी उपयुक्त चर्चा हुई। दिल्ली में हुए समारोहों को दूरदर्शन से भी प्रसारित किया गया।

विशेष परिशिष्ट — इस अवसर पर 11 समाचारपत्रों ने विशेष परिशिष्ट निकाले। इसके अतिरिक्त इस अवसर के लिये तैयार किया गया एक विशेष विज्ञापन भी

राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों में दिया गया जिसमें विश्व मानक दिवस का चिन्ह भी अंकित था। उक्त अवसर पर भा. मा. संस्था से जाने वाली सभी चिट्ठियों पर विश्व मानक दिवस की छाप लगाते हुए फ्रैंकिंग की गई।

मुख्यालय में 'खुला दिवस' — उस दिन संस्था में 'खुला दिवस' मनाया गया। लोग मानक प्रदर्शनी हाल और भा. मा. संस्था की प्रयोगशालाएँ देखने के लिये आमंत्रित किए गए और 700 से अधिक व्यक्ति देखने के लिये आए।

आई एस आई बुलेटिन का विशेषांक — आई एस आई बुलेटिन का अक्टूबर 1970 अंक विश्व मानक दिवस के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया।

सहयोगकारी संगठन — विभिन्न स्थानों पर समारोहों का आयोजन करने में निम्नलिखित संगठनों ने सहयोग दिया:

क) मानक इन्जीनियर संस्थान
ख) इंस्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (भारत)
ग) भारत का इन्जीनियरी निरीक्षण संस्थान
घ) क्रय संघों का राष्ट्रीय संघ
ङ) मद्रास और हैदराबाद प्रबन्ध संघ
च) मद्रास उत्पादकता परिषद
छ) उपभोक्ता संघ
ज) टेक्सटाइल संघ (भारत)
झ) अहमदाबाद इन्जीनियर संघ

तेरहवाँ भारतीय मानक सम्मेलन

सामान्य — तेरहवाँ भारतीय मानक सम्मेलन बम्बई में 13 से 20 दिसम्बर 1970 को हुआ। उद्घाटन, सामान्य तथा तकनीकी सत्रों में उपस्थित लोगों की संख्या उत्साहवर्द्धक थी।

उद्घाटन — सम्मेलन का उद्घाटन 13 दिसम्बर 1970 को महाराष्ट्र के मुख्य-मन्त्री श्री वी. पी. नायक द्वारा सम्पन्न हुआ। औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार के तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री तथा भा.मा. संस्था के सभापति श्री दिनेश सिंह ने अध्यक्षता की। इस उत्सव में विख्यात श्रोताओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, जिनमें सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि, स्थानीय उद्योगपति, व्यापारिक, केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के अफसर, प्रमुख नागरिक तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित थे।

प्रतिनिधियों का पंजीकरण — सम्मेलन में भाग लेने के लिये कुल 947 प्रति-निधियों ने अपना पंजीकरण कराया जिनमें 50 महिलाएँ भी थीं। बालाजू यंत्रशाला (प्रा०) लि०, बालाजू, काठमाँडू (नेपाल) के एक प्रतिनिधि ने भी सम्मेलन में सपत्नीक भाग लिया।

सामान्य सत्र — सम्मेलन के कार्यक्रम में 'विकासशील अर्थव्यवस्था में मानक इन्जीनियरों का योग' नामक विषय पर एक सामान्य सत्र भी रखा गया था। विख्यात व्यक्तियों ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर भाषण दिये। इन भाषणों के बाद सामान्य रूप से विचार-विनिमय भी हुआ। इस विषय में लोगों ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और इस सत्र में लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तकनीकी सत्र और तकनीकी निबन्ध — सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित 6 तकनीकी सत्र हुए:

क) सड़क पर सुरक्षा और मानकीकरण
ख) रेडीमेड कपड़ों और होज़री के सामान का मानकीकरण
ग) निर्यात संवर्द्धन और मानकीकरण
घ) इमारतों में विद्युत संस्थापनों का मानकीकरण
ङ) पेट्रोल रसायनिक उद्योग के विकास के साधन-स्वरूप मानकीकरण
च) वस्तु-प्रकार युक्तिकरण द्वारा बचत

इन तकनीकी सत्रों में 87 तकनीकी निबन्ध प्रस्तुत किए गए और उन पर विचार-विमर्श हुआ।

सम्मेलन की अवधि में प्रचार — सम्मेलन के अवसर पर आकाशवाणी के केन्द्रों से वार्ताओं और सामूहिक चर्चाओं, प्रेस सम्मेलनों और 13 समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं द्वारा निकाले गए विशेष परिशिष्टों के माध्यम से भा. मा. संस्था की गतिविधियों का गहन रूप से प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के तकनीकी सत्रों मे हुए विचार-विमर्शों को देश के अनेक पत्रों ने भली प्रकार प्रकाशित किया। अनेक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में मानकीकरण के महत्त्व, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा भारतीय मानकों के प्रतिपालन के विषय में सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई।

फिल्म न्यूज़रील — 25 दिसम्बर 1970 को एक वृत्तचित्र सं० 1158 देश भर के सिनेमा हालों में प्रदर्शित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन के उद्घाटन-सत्र तथा भा. मा. संस्था की प्रदर्शनी और प्रयोगशालाओं के अनेक दृश्य थे।

के. एल. मुद्गिल पुरस्कार

तेरहवें भारतीय मानक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बम्बई में ही के. एल. मुद्गिल पुरस्कार वितरण समिति के निर्णय के अनुसार वर्ष 1970 के लिये 1 000·00 रु० के मूल्य के दो पुरस्कार क्रमशः मेजर-जनरल हरकीरत सिंह, जनरल मैनेजर, शाहाबाद हैवी इन्जीनियरिंग, दि एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०, शाहाबाद (मैसूर राज्य) को और श्री एस. के. सेन, महानिदेशक, भा. मा. संस्था को मानकीकरण के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिये प्रदान किये गए।

संस्था की फेलोशिप

तेरहवें भारतीय मानक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विभाग परिषदों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों और तकनीकी विषय समितियों तथा परामर्श समितियों के अध्यक्षों को जिनकी संख्या 32 थी, संस्था की फेलोशिप प्रदान की गई। ये अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मानकीकरण के क्षेत्र में माननीय सेवाओं के उपरान्त अवकाश ग्रहण कर चुके थे अथवा 10 वर्ष या उससे अधिक से काम करते आ रहे थे।

फेलोशिप प्रदान करने की परम्परा 1966 से आरम्भ हुई थी और अब तक 358 ऐसे विशेषज्ञों को फेलोशिप प्रदान की जा चुकी है।

वित्त

वर्ष 1970-71 की अवधि में संस्था की आय सभी साधनों, जैसे भारत सरकार द्वारा अनुदान, सदस्यों से चन्दा, मानकों की बिक्री और प्रमाणन मुहर शुल्क से कुल मिलाकर 12 114 683 रु० की हुई और खर्च 12 125 400 रु० रहा। संस्था के वर्ष 1970-71 के आय-व्यय के पूरी तरह आडिट किए हुए ब्यौरे-लेखे परिशिष्ट 'ख' में दिये गए हैं।

अप्रत्यक्ष योगदान

समीक्षागत वर्ष की अवधि में ऊपर बताए गए आय-व्यय के अतिरिक्त संस्था को कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी योग प्राप्त हुआ है। सरकारी तथा निजी संगठनों के समिति सदस्यों ने भारतीय मानक संस्था की समितियों की बैठकों में देश तथा विदेश में भाग लेने के लिए काफी धन व्यय किया है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों ने बिना कोई शुल्क लिए परीक्षण-कार्य तथा परीक्षण के लिए बानगियां प्रदान की हैं। समीक्षागत वर्ष में इस प्रकार के समस्त अप्रत्यक्ष योग का मूल्य अनुमान से लगभग 11 लाख रुपए होगा।

महापरिषद और कार्यकारी तथा वित्त समितियों की बैठकें

संस्था की महापरिषद की 26वीं बैठक 21 मार्च 1971 को केन्द्रीय औद्योगिक विकास मन्त्री तथा भा. मा. संस्था के सभापति श्री मोइनुल हक चौधरी की अध्यक्षता में हुई। 31 मार्च 1972 को समाप्य वर्ष की अवधि के लिए श्री जहाँगीर जे. गांधी तथा श्री डी. सी. कोठारी संस्था के उपसभापति चुने गए। इस वर्ष कार्यकारी तथा वित्त समितियों में से प्रत्येक की चार-चार बैठकें हुईं।

संस्था के कर्मचारी

समीक्षागत वर्ष में संस्था के कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

क्रम सं०	नाम	पद	विवरण
1)	डा. ए. एन. घोष	महानिदेशक	60 वर्ष की निवृत्ति अवस्था हो जाने पर 9 जनवरी 1971 को लगभग 15 वर्ष तक भा. मा. संस्था की सेवा करने के उपरान्त अवकाश ग्रहण किया ।
2)	श्री एस. के. सेन	उपमहानिदेशक	क) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये गए कार्य के फलस्वरूप 31 जुलाई 1970 तक ईरान में मानक इंजीनियर (मानकीकरण कार्यक्रम का विस्तार) के रूप में कार्य किया जिसके बाद वे भारत लौट आए । ख) 10 जनवरी 1971 से उपमहानिदेशक के पद से महानिदेशक के रूप में पदोन्नति हुई ।
3)	श्री हरबंस लाल	सचिव	भा. मा. संस्था से नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्य (एन ई एस एन) के केन्द्रीय स्टोर संगठन में स्टोर सलाहकार के रूप में गए । भा. मा. संस्था में उनको अपने कार्य भार से 5 अप्रैल 1970 को मुक्त किया गया ।
4)	श्री डी. एस. अहलूवालिया	उपनिदेशक	जापान सरकार द्वारा टोकियो में आयोजित औद्योगिक मानकीकरण और किस्म-नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । यह प्रशिक्षण कोलम्बो योजना तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 4 जनवरी 1971 से 29 मार्च 1971 तक रहा ।

31 मार्च 1971 को संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या 1 128 थी, जिसमें 248 अफसर और 880 कर्मचारी थे ।

शाखा कार्यालय

संस्था के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर और बंगलौर स्थित शाखा कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योग व्यापार और वाणिज्य के साथ सम्पर्क स्थापित किये रहे तथा उनके द्वारा इस दिशा में इन क्षेत्रों में मानकीकरण और किस्म-नियन्त्रण को प्रोत्साहन देने, विभिन्न क्षेत्रों में मानकों सम्बन्धी चेतना जाग्रत करने, भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर योजना को आगे बढ़ाने और भारतीय मानकों के प्रतिपालन में सहायता देने जैसे सभी कार्य पूर्ववत् चलते रहे।

शाखा कार्यालयों की उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ नीचे पैराग्राफों में दी जा रही हैं।

बंगलौर — समीक्षागत वर्ष में जबकि इस शाखा कार्यालय के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हुआ, इसने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नैगमिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ भारतीय मानकों के व्यापक रूप से अपनाए जाने तथा संस्था की गतिविधियों को अधिकतर समर्थन प्राप्त कराने के उद्देश्य से सम्पर्क स्थापित किए।

विशेष आन्दोलन इस बात के लिए चलाए गए कि उस क्षेत्र के उद्योग अपने उत्पादन और क्रय कार्यक्रमों में भारतीय मानकों का अधिक से अधिक प्रतिपालन करें और मैसूर राज्य के तकनीकी संस्थान अपने तकनीकी कार्यक्रम में भारतीय मानकों का शिक्षा की दृष्टि से उपयोग कर सकें। इस सम्बन्ध में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 70 औद्योगिक इकाइयों में हमारे निरीक्षक गए और 15 तकनीकी संस्थानों से सम्बन्ध स्थापित किए गए। इनसे उत्साहवर्द्धक उत्तर प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त बंगलौर तथा उसके आसपास के 8 तकनीकी संस्थानों के तकनीकी शिक्षकों के लिए परिचय तथा समीक्षा कार्यक्रम बंगलौर में 5-6 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया, जिसमें 40 व्यक्तियों ने भाग लिया।

बंगलौर शाखा कार्यालय के क्षेत्रों में आयोजित इन गोष्ठियों और संगोष्ठियों में संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें उन्होंने भा. मा. संस्था का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तथा भारतीय मानकों के अधिकाधिक प्रतिपालन का समर्थन किया।

शाखा कार्यालय ने अप्रैल 1970 में आयोजित कांग्रेस प्रदर्शनी में भाग लिया। शाखा कार्यालय ने अखिल भारतीय निर्माता संगठन और अखिल मैसूर लघु-उद्योग संघ द्वारा अक्टूबर 1970 में गठित उद्योगिक प्रदर्शनी में भी भाग लिया।

भारतीय मानक संस्था और मानक इन्जीनियर संस्थान, दोनों के सम्मिलित तत्वावधान में 14 अक्टूबर 1970 को विश्व मानक दिवस मनाया गया।

पहले वर्ष में भारतीय मानकों की बिक्री 24 063·32 रु० की हुई।

बम्बई — समीक्षागत वर्ष की अवधि में बम्बई शाखा कार्यालय में सभी गतिविधियाँ विशेष रूप से भारतीय मानकों के प्रतिपालन की गतिविधि की गति यथावत् बनी रही। उद्योग और राज्य-सरकारों के साथ स्थापित अच्छे सम्बन्ध दृढ़तर हुए। इस वर्ष की शाखा कार्यालय की प्रमुख महत्त्वपूर्ण घटनाएँ निम्नलिखत रहीं:

दिसम्बर 1970 में बम्बई में होने वाला तेरहवाँ भारतीय मानक सम्मेलन जिसके अथिति रूप में अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने कार्य किया और 14 अक्टूबर 1970 को आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह।

समीक्षागत वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दो ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनके द्वारा सभी दिशाओं में, अधिकांश रूप से इमारती सामग्री और भारत में बनने वाली विदेशी शराबों के क्षेत्र में भारतीय मानकों के प्रतिपालन को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। राज्य के भवन और संचारण विभाग ने यह निर्णय किया कि जहाँ तक सम्भव हो महाराष्ट्र राज्य में सरकारी इमारतों के निर्माण में केवल भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित भवन सामग्री को ही काम में लाया जाए। राज्य के गृह-विभाग ने यह अधिसूचित किया कि महाराष्ट्र राज्य में भारत में बनने वाली विदेशी किस्म की शराबों का निर्माण, वितरण और उनकी बिक्री तब तक न हो सकेगी जब तक कि उन पर भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर न लगी हो। सरकारी इमारतों में भवन सामग्री के उपयोग के संबंध में ऐसे ही प्रस्ताव पर गुजरात सरकार भी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसके पश्चात् अप्रैल 1971 में इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया।

भारत सरकार द्वारा स्थापित श्रम और रोजगार विभाग की वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर, बिजली मिस्त्री, इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाली व्यवसाय-समितियों ने यह निर्णय किया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रमों में तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों का सीधे रूप से उल्लेख किया जाए।

अनेक इन्जीनियरों और गैर-इंजीनियरी नवीन वस्तुओं के विषय में भा. मा. संस्था की मुहर लगाने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। सर्जीकल औजारों और अस्पताली उपकरणों के क्षेत्र में अधोत्वच् सुईयों के बारे में लाइसैंस स्वीकृत करने से इस कार्य को एक नई दिशा मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र में द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सिलिन्डरों के लिए पहला लाइसेंस बम्बई के एक बड़े निर्माता को स्वीकृत किया गया और उन सिलिन्डरों के लगातार परीक्षणों के लिए प्रबन्ध किए गए। 31 मार्च 1971 को लागू लाइसेन्सों की संख्या 350 से बढ़कर 388 हो गई।

लदानपूर्व निरीक्षण और किस्म-नियन्त्रण अधिनियम के अधीन निर्यात के क्षेत्र में केबलों और कंडक्टरों, इस्पात की बनी वस्तुओं, कीटनाशकों, इत्यादि के निर्यात-निरीक्षण में सहायता की गई। कुछ फैक्टरियों का इस बात के लिए भी निरीक्षण किया गया कि वे निर्यात योग्य माल तैयार करने में सक्षम हैं या नहीं।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अधीन शाखा कार्यालय की रसायन प्रयोगशाला ने 195 बानगियों का परीक्षण किया। इस अवधि में अल्प वोल्टता केबलों के परीक्षण करने वाली विद्युत प्रयोगशाला ने भी कार्य प्रारम्भ कर दिया।

इस वर्ष की अवधि में भारतीय मानकों की बिक्री 2·45 लाख रुपयों की हुई। इसके अतिरिक्त लगभग 23 400·00 रु० के मूल्य के विदेशी मानकों की भी बिक्री हुई।

इस वर्ष चार दाता सदस्यों को मिलाकर विभिन्न श्रेणियों के 133 नए सदस्य बनाए गए। पश्चिमी क्षेत्र की भा. मा. संस्था डाइरेक्टरी को अद्यतन बनाने की दृष्टि से एक परिशिष्ट प्रकाशित किया गया।

कलकत्ता — 1970-71 का विशिष्ट कार्य रहा—भारतीय मानकों के गहन-रूप से प्रतिपालन की दिशा में आयोजनबद्ध विकास। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्न लिखित बातों पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय-गतिविधियाँ, क्षेत्र-गतिविधियाँ और मन्तव्य ज्ञान-गतिविधियाँ, इन तीन दिशाओं में कार्य किया गया :

क) भारतीय मानकों के अपनाने में अनुभव की गई कठिनाइयाँ
ख) विदेशी सहयोग से चलने वाली ईकाइयों द्वारा किस सीमा तक भारतीय मानकों का उपयोग किया जा रहा है
ग) वे क्षेत्र जिनमें अभी भारतीय मानक नहीं निर्धारित किए गए
घ) किस सीमा तक बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा भारतीय मानक अपनाए गए हैं
ङ) कच्चा माल जुटाने और परिक्षण वस्तुएँ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ
च) जनता में व्याप्त मानक सम्बन्धी चेतना का स्तर

इस अवधि में 62 कार्यालय-गतिविधियाँ, 9 क्षेत्र-गतिविधियाँ और 3 मन्तव्य-ज्ञान-गतिविधियाँ सम्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त 115 टेन्डरों की भी जाँच की गई। इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के लिए विशिष्ट समस्याएँ सामने आईं। बिहार और उड़ीसा सरकारों के उद्योग निदेशालयों के सहयोग से माल बनाने वाली ईकाइयों में व्याप्त मानक सम्बन्धी चेतना का स्तर ज्ञात करने की दृष्टि से वहाँ जाकर सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों का एक और उद्देश्य भी था, उनके उत्पादन पैमाने से निरपेक्ष आवश्यकता पड़ने पर उनको तकनीकी सहायता प्रदान करना। इन सर्वेक्षणों की उपयुक्तता को देखते हुए बिहार, उड़ीसा और असम राज्य में इनकी माँग बढ़ती गई है और निकट सम्पर्क रखने तथा उत्तरवर्ती कार्यवाही पूरी करने के उद्देश्य से बिहार और उड़ीसा सरकारें भा. मा. संस्था के शाखा कार्यालय खोलने में सहायता देने को तैयार हो गई हैं।

इस बात के लिए भी गहन प्रयत्न किए गए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की चुनी हुई क्रय-एजेन्सियों से सम्पर्क स्थापित करके उनसे अपने क्रय-कार्यक्रम के अधीन

टेन्डर सूचनाओं में एक उपयुक्त तरजीही उपबन्ध सम्मिलित करने के लिये कहा जाए। इसके अधीन अन्य अनेक में से निम्नलिखित संगठन भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुएँ खरीदने और उपर्युक्त तरजीही उपबन्ध देने को तैयार हो गये हैं:

क) पर्यवेक्षक, सरकारी लेखन सामग्री और प्रकाशन विभाग, बिहार सरकार, पटना

ख) कलकत्ता निगम, कलकत्ता

ग) उद्योग निदेशक, नागालैंड सरकार, कोहिमा

घ) इन्डियन इलेक्ट्रिकल मैन्यू० एसोसिएशन, कलकत्ता

ङ) मुख्य इन्जीनियर, लोक निर्माण विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

च) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, कलकत्ता

छ) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप, उड़ीसा

ज) इन्डियन आयल कार्पोरेशन, कलकत्ता

झ) कलकत्ता मेट्रोपोलिटन आर्गेनाइजेशन, कलकत्ता

ट) स्टोर नियन्त्रक, दक्षिण रेलवे

ठ) मुख्य इन्जीनियर, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता

भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने यह निर्णय किया है कि गड़बड़ मिलों को सहायता तथा पुनरोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करते समय भारतीय मानकों के परिपालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मुख्य इन्जीनियर, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने भा. मा. संस्था के कलकत्ता शाखा कार्यालय के निदेशक सहित एक छोटी-सी समिति बनाई है। यह समिति समय-समय पर इस बात का मूल्यांकन करेगी कि स्टोर सम्बन्धी जरूरतों के लिए भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुओं की खरीदारी के निर्णय को कहाँ तक पूरा किया जा सका है और स्टोर सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की इस प्रकार की खरीद के रास्ते में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं।

भारतीय मानकों तथा भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना के प्रभावपूर्ण ढंग से परिपालन की दिशा में उद्योगों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

क) कलकत्ता में होज़री की वस्तुओं के मानकीकरण पर सम्मेलन — यह सम्मेलन पश्चिम बंगाल होज़री निर्माता संघ द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन में विचार-विमर्श से भारतीय मानकों के अनुरूप सूत खरीदने के सम्बन्धी इन ईकाइयों की कठिनाइयों का पता चला;

तदनुसार संघ ने टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई, को इन कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से ज्ञापन भेजा।

ख) कलकत्ता में जूट उद्योग में सांख्यिकीय किस्म-नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम — यह कार्यक्रम 31 अगस्त से 5 सितम्बर 1970 तक रहा। इसमें 24 जूट शिल्पी तथा संकाय सदस्यों ने भाग लिया, इनमें प्रमुख डा. टी. राधाकृष्णन और डा. आर. के. मुखर्जी थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों को भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना का प्रभावपूर्ण रूप से पालन करने की दिशा में सहायता प्राप्त हुई।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अधीन अन्य नई वस्तुओं के लिए लाइसेंस दिए जाने शुरू हुए, इनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:

संपीडित गैस सिलिन्डरों के लिए वाल्व फिटिंग, कढ़वाँ रीति से बने हुए एल्युमीनियम के बट कब्जे, बैरलदार चटखनियाँ, जस्ता चढ़े टेक-तार, वार्निश, विद्युत कार्यों के लिए वार्निश चढ़े सूती कपड़े और टेप, आग बुझाने के हाइड्रैंट, 50-मिमी नली छेद वाले गैस चालित रिले, खब्बा बल रस्से, लकड़ी के समतल दरवाजों के पल्ले, इत्यादि। इस वर्ष की अवधि में 137 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और 94 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

निर्यात के लिए जूट और जूट से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में योजना के अधीन अनिवार्य मुहर लगाने का काम भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद के निर्णय के अनुसार हटा लिया गया और यह कार्य निर्यात निरीक्षण एजेन्सी को सौंप दिया गया। इसके बाद ही सम्भरण और निपटान के महानिदेशक के इस निर्णय के आधार पर कि भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित बी-ट्विल बोरे ही खरीदे जाएँ, 56 में से 47 जूट मिलों ने भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अधीन लाइसेंस लेना स्वीकार कर लिया।

शाखा कार्यालय की प्रयोगशाला हटाकर 12 रोडन स्ट्रीट, कलकत्ता ले जायी गई जहाँ पर पहले की अपेक्षा अधिक स्थान था और अधिक परीक्षण वस्तुएँ जुटाई जा सकीं। वर्ष की अवधि में भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अधीन जिन नई वस्तुओं के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे उनसे प्राप्त बानगियों सहित 2 514 बानगियों के परीक्षण किए गए।

कुछ प्रकाशनों, जिनमें 'मीट्रिक चेन्ज इन इंडिया', 'नेशनल बिल्डिंग कोड' इत्यादि महँगे प्रकाशन भी आते हैं की बिक्री के संवर्धन के लिए किए गए प्रयत्नों का अच्छा परिणाम निकला और भारतीय मानकों की कुल बिक्री 1 90 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 2·13 लाख रुपये की हुई। इसके अतिरिक्त लगभग 51 000·00 रु० की लागत के विदेशी मानकों की भी बिक्री की गई।

94 नए सदस्य बनाए गए, जिनमें 6 दाता, 12 प्रतिधारक, 61 सहयोगी और 15 वैयक्तिक सदस्य थे। इस प्रकार इनसे तथा नवीनकृत सदस्यताओं से जो धन प्राप्त हुआ उससे निर्धारित 5·6 लाख रुपये के लक्ष्य का 96 प्रतिशत पूरा किया जा सका।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए प्रचार के विभिन्न माध्यमों जिनमें अखबारों में दिए गए निबन्ध, वार्ताएँ, इत्यादि भी शामिल हैं, का उपयोग किया गया।

हैदराबाद — राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, औद्योगिक संगठनों तथा अन्य निकायों में भारतीय मानकों के प्रतिपालन को प्रोत्साहन दिलाया गया और आंध्र प्रदेश के उद्योगों में इसके लिए शाखा कार्यालय द्वारा गठित क्वालिटी सर्विस यूनिट के माध्यम से भी काम किया गया। सर्जरी के उपकरणों, पशु-आहारों, राष्ट्रीय निर्माण संहिता, इत्यादि से सम्बन्धित मानकों के प्रतिपालन के लिये एक अभियान चलाया गया और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के निर्माताओं और संगठित उपभोक्ताओं से उनको अपनाने के लिए निवेदन किया गया।

शाखा कार्यालय ने निम्नलिखित सहित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया:

क) इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) की आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद द्वारा चालित प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख) लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित उत्पादकता गोष्ठी

ग) इंडियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० द्वारा आयोजित रसायन उद्योगों के लिए उत्पादन और प्रबन्ध तकनीक।

शाखा कार्यालय की ओर से आंध्र प्रदेश के इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माता संघ के सहयोग से बिजली के पुर्जों के उद्योगों में भारतीय मानकों के उपयोग पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में सभी महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माताओं और तकनीकी संगठनों के 30 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोष्ठी द्वारा भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को उनके निर्माण के क्षेत्र से सम्बन्धित मानकों की अद्यतन जानकारी प्रदान की गई।

शाखा कार्यालय ने बंगलौर शाखा कार्यालय के साथ मिलकर बंगलौर में तकनीकी अध्यापकों के लिए एक अन्तर्शाखा सहयोगात्मक परिचय कार्यक्रम भी चलाया।

शाखा कार्यालय की ओर से एक कम्पनी मानकीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 13 औद्योगिक ईकाइयों के 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस वर्ष 26 नए चन्दादायी सदस्य बनाए गए। अपने माल पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने का लाइसेंस लेने के लिए 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इनमें से 17 को नए लाइसेंस मंजूर किए गए। वर्ष भर में कुल 25 335·00 रु० के भारतीय मानकों की बिक्री हुई। लदानपूर्व निरीक्षण और किस्म-नियंत्रण अधिनियम के अधीन विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले 191 000·00 रु० के माल का लदान से पूर्व निरीक्षण किया गया।

कानपुर — विभिन्न माध्यमों द्वारा भा. मा. संस्था के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न किए गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों, निगमित निकायों तथा अन्य प्राधिकरणों से अपने खरीद कार्यक्रमों में भारतीय मानकों को अपनाने के लिए निवेदन किए गए जिनसे उत्साह-वर्धक उत्तर प्राप्त हुए। भा. मा. संस्था तथा अन्य संगठनों द्वारा निम्नलिखित सहित अनेक गोष्ठियाँ तथा संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं जिनमें तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों तथा अन्य साहित्य का प्रदर्शन किया गया:

क) उद्योग में वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रादेशिक श्रम संस्थान, कानपुर द्वारा 23-24 अप्रैल 1970 को कानपुर में आयोजित

ख) उत्पादन अच्छी किस्म का तथा विश्वसनीय बनाने के लिये प्रबन्ध, कानपुर उत्पादकता परिषद द्वारा 7-8 सितम्बर 1970 को कानपुर में आयोजित

ग) औद्योगिक विकास में सहायक रूप में मानकीकरण, भा. मा. संस्था कार्यालय द्वारा 'विश्व मानक दिवस' के अवसर पर 14 अक्टूबर 1970 को कानपुर में आयोजित

घ) प्रतापगढ़, गोंडा और बहराइच में उद्योग निदेशालय, फैजाबाद के उच्च क्षेत्रीय अफसर द्वारा आयोजित औद्योगिक विकास गोष्ठियाँ

ङ) आठवीं अखिल मध्य प्रदेश लघु उद्योग गोष्ठी, मध्य प्रदेश उद्योग निदेशालय द्वारा जबलपुर में 27-28 दिसम्बर 1970 को आयोजित

च) विद्युत सुरक्षा, 26-28 अगस्त 1970 को भारत के उर्वरक निगम में आयोजित

छ) कम्पनी मानकीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, भा. मा. संस्था द्वारा कानपुर उत्पादकता परिषद के सहयोग से 14 अक्टूबर से 18 नवम्बर 1970 तक आयोजित

ज) 12 जुलाई 1970 को भा. मा. संस्था द्वारा आयोजित कानपुर चमड़ा निर्माताओं का मिलन-समारोह जिसमें केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एस आई आर), मद्रास के निदेशकों डा. वाई. नायुडम्मा प्रमुख अतिथि थे

समीक्षागत वर्ष में भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अधीन 68 नए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें वेस्ट सूती धागे, मैगनीशियम सल्फेट और ऊनी कम्बलों के लिए पहले-पहल आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। चमड़े के तलों, फुल-क्रोम चमड़े के उपल्लों, संवातन पंखों और बियर सहित अनेक वस्तुओं के लिए 30 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

वर्ष की अवधि में चन्दा देने वाले 41 नए सदस्य बनाए गए और 36 783·31 रु० के भारतीय मानकों की बिक्री हुई।

मद्रास—वर्ष की अवधि में शाखा कार्यालय में भारतीय मानकों के प्रतिपालन सम्बन्धी गतिविधियों को सुदृढ़ किया गया; निम्नलिखित परिणाम उल्लेखनीय हैं:

क) तमिलनाडु सरकार के उद्योग और व्यापार विभाग के विशेष सचिव इस बात के लिए सहमत हुए कि भारतीय मानकों के प्रतिपालन सम्बन्धी पुराने आदेशों को फिर लागू किया जाए और विभागों में स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जाए।

ख) कोचीन पत्तन ट्रस्ट के स्टोर नियंत्रक इस बात के लिए सहमत हो गए कि टेण्डर नोटिसों में भारतीय मानकों का उल्लेख किया जाए, सारी खरीद भारतीय मानकों के अनुसार की जाए और भा. मा. संस्था की मुहर लगे माल को प्राथमिकता दी जाए।

ग) तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स (उच्च दबाव ब्वायलर संयंत्र), तिरुचिरापल्ली के स्टोर नियंत्रक दोनों ने यह मान लिया है कि अपने खरीद कार्यक्रमों में भारतीय मानकों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तथा भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे।

घ) तमिलनाडु सरकार के कृषि निदेशक ने पूरे वर्ष के लिए पादप संरक्षक रसायन की खरीद के लिए टेण्डर केवल भा. मा. संस्था के वैध लाइसेंस-धारी उत्पादकों से ही मँगाए। विभाग ने एक और परिपत्र जारी किया कि कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त फव्वारों (स्प्रयेर) पर भी भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर योजना लागू की जानी चाहिए।

ङ) कृषि कालेज और अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर, के संकाय अध्यक्ष ने भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप रसायन प्रयोगशालाओं के लिए काँच के सामान और प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण की 1971-72 वर्ष की पूर्ति के लिए रेट संविदा के आधार पर टेण्डर मँगाए।

च) मैसूर राज्य के आबकारी कमिश्नर ने मैसूर राज्य के सभी शराब के कारखानों और भट्टियों को यह आदेश जारी किए हैं कि वे सभी अल्कोहली पेयों पर भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर का लाइसेंस प्राप्त करें। इस आदेश के परिणामस्वरूप मैसूर राज्य की लगभग सभी ईकाइयों ने अपनी शराबों पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन-पत्र दिए। 17 लाइसेंस मंजूर किए जा चुके हैं और लगभग इतने ही आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

छ) मद्रास निगम के कमिश्नर इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वे अपने खरीद कार्यक्रमों में भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे और अपने टेण्डर नोटिसों में इस सम्बन्ध में एक उप-वाक्य रख देंगे।

ज) केरल सरकार के उद्योग निदेशक ने केरल में लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र में एक उपवाक्य रखा है जिसमें यह जानकारी माँगी गई है कि तत्सम्बन्धी इकाई द्वारा निर्मित वस्तु के लिए कोई भारतीय मानक विशिष्टि है या नहीं, और यदि है तो क्या उनका उत्पादन उस विशिष्टि के अनुरूप होगा ?

तमिलनाडु में तकनीकी अध्यापकों के लिए भारतीय मानकों का परिचयात्मक और समीक्षा कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की इकाइयों पर एक गोष्ठी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (उच्च दबाव व्हायलर संयंत्र), तिरुचिरापल्ली, के सहयोग से प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली, में 22 से 24 मार्च 1971 को आयोजित की गई, इसमें 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पालीटेकनिकों के प्रिंसिपलों के लिए अनेक किस्म सुधार कार्यक्रम तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा आयोजित किए गए। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में एक दिन तकनीकी शिक्षा में भारतीय मानकों के योग पर निबन्ध पढ़ने तथा चर्चा के लिए रखा गया।

दस्तकारों की प्रशिक्षण योजना और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए भारत के श्रम और रोजगार विभाग द्वारा स्थापित मद्रास व्यवसाय समिति के सदस्य के रूप में शाखा कार्यालय द्वारा मिस्त्री (मोटर गाड़ी) मिस्त्री (डीज़ल), मिस्त्री (अर्थ मूविंग मशीन) के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की गई। इन व्यवसायों में संदर्भ के लिए आवश्यक भारतीय मानकों के विषय में जानकारी भी प्राप्त कराई गई।

मद्रास शाखा कार्यालय के अधीन क्षेत्र में भा. मा. संस्था प्रमाणन योजना की गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। लक्ष्य से 72 लाइसेंस अधिक, इस प्रकार 8 प्रतिशत अधिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए। समीक्षागत अवधि में कुल 78 नए लाइसेंस जारी किए गए और इस प्रकार कुल चालू लाइसेंसों की संख्या इस क्षेत्र में 282 हो गई। इस योजना के अधीन अनेक नई वस्तुओं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंगनीशियम कार्बोनेट, बर्तनों में भरने वाले पानी के लिए अनम्यकृत पी वी सी के पाइप, विद्युत तार नालियाँ, और अल्कोहली शराबों के लिए पहली बार लाइसेंस स्वीकृत किए गए। डीजल इंजनों के लिए 5 और कीटनाशक फव्वारों के लिए 7 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

समीक्षागत वर्ष में शाखा कार्यालय की प्रयोगशाला में 700 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। और जिन लक्षणों के लिए ये परीक्षण किए गए उनकी संख्या 3 800 थी। बिजली की वस्तुओं जैसे केबलों और चालकों के परीक्षण के लिए सुविधाएँ भी बढ़ायी गई।

मद्रास में स्थापित होने वाले इलेक्ट्रानिक्स और उपकरण उद्योगों के कार्यात्मक औद्योगिक केन्द्रों के लाभ के लिए एक सहयोगात्मक व्यवस्था के अधीन मद्रास में प्रस्तावित भा. मा. संस्था क्षेत्रीय प्रयोगशाला में इलेक्ट्रानिक्स और उपकरणों के क्षेत्र

में परीक्षण वस्तुएँ जुटाने के लिए तमिलनाडु सरकार और भा. मा. संस्था के बीच एक प्रस्ताव पर बात हो रही थी। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के परामर्श से इस प्रस्ताव के प्रशासकीय और वित्तीय प्रश्नों पर विचार किया जा रहा था।

इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आयोजित प्रदर्शनियों में भी शाखा कार्यालय ने भाग लिया जिसका उद्देश्य यह था कि संस्था की विभिन्न गतिविधियों को सबके समक्ष रखा जाए, भारतीय मानकों से सम्बद्ध जानकारी प्रसारित की जाए तथा मानकीकरण का संदेश सब तक पहुंचाया जाए। शाखा कार्यालय के अनेक अधिकारियों ने विभिन्न गोष्ठियों में भाग लिया और विभिन्न मंचों से मानकीकरण तथा भा. मा. संस्था के कार्यों से सम्बन्धित तत्कालीन विषयों पर वार्ताएँ प्रस्तुत कीं। भा. मा. संस्था की गतिविधियाँ प्रस्तुत करते हुए अनेक लेख और निबन्ध विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराये गए।

एक उल्लेखनीय घटना 14 अक्टूबर 1970 को मनाया गया विश्व मानक दिवस थी। यह दिवस मानक इंजीनियरी संस्थान (मद्रास क्षेत्र), इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियरिंग इन्स्पेक्शन (भारत), मद्रास प्रबन्धक संघ, मद्रास उत्पादकता परिषद, मद्रास प्रांतीय उपभोक्ता संघ और नेशनल एसोसिएशन आफ परचेजिंग एक्ज़ीक्यूटिव्ज़ के सक्रिय सहयोग से मनाया गया था। इस समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल श्री उज्जल सिंह ने किया। इसके अधीन 'दैनिक जीवन में मानक' नामक विषय पर एक गोष्ठी भी की गई। इस समारोह में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसको समाचारपत्रों, आकाशवाणी और फिल्म विभाग द्वारा पर्याप्त रूप से प्रचारित किया गया। कुछ समाचारपत्रों ने विशेष परिशिष्ट भी निकाले। राजा जी हाल में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें आई एस ओ, आई ई सी और भा. मा. संस्था की गतिविधियों और भा. मा. संस्था द्वारा प्रमाणित चुनी हुई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया।

अपने चंदादायी सदस्यों को भारतीय मानकों के अनुरूप तैयार माल की उपलब्धि के विषय में नियमित रूप से सेवाएँ और भारतीय मानकों के प्रतिपालन की दिशा में अन्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से दक्षिण क्षेत्र के चंदादायी सदस्यों की एक निदेशिका तैयार करने का कार्य भी इस समीक्षागत वर्ष में उठाया गया। आशा की जाती है, यह निदेशिका शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी।

भारतीय मानकों और विदेशी मानकों की बिक्री इस वर्ष क्रमशः 124 755·00 रुपये और 14 980·00 रुपये की हुई।

अड्यार स्थित टेक्नोलोजिकल इंस्टीच्यूट के परिसर में प्राप्त भूमि पर मद्रास शाखा कार्यालय के भवन और प्रयोगशाला के निर्माण के लिए विस्तृत नक्शे और लागत अनुमान तैयार किए गए। 31 मार्च 1971 तक शाखा कार्यालय की भवन निधि समिति की सहायता से 100 051·00 रुपया जमा किया जा चुका था।

विदेशों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण

मानकीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के उद्देश्य से संस्था मानकीकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे मानकीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई एस ओ), अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी कमीशन (आई ई सी) तथा राष्ट्रीय मण्डल मानक सम्मेलन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही । संस्था दूसरे देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, के मानक निकायों के साथ सौहार्दपूर्ण तथा सहकारितापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के भी गहन प्रयत्न करती रही।

समीक्षागत वर्ष में संस्था आई एस ओ की 105 समितियों और आई ई सी की लगभग सभी समितियों में सक्रिय रूप से कार्य करती रही। आई ई सी की बिजली के पंखों सम्बन्धी तकनीकी समिति (आई ई सी/टी सी 43) का अध्यक्ष भारतीय ही है। इसके अतिरिक्त भारत के हितों से सम्बन्धित निम्नलिखित 17 तकनीकी समितियों, उपसमितियों तथा कर्मीदलों के सचिवालय भी संस्था के पास हैं:

1. आई एस ओ/टी सी 50 लाख
2. आई एस ओ/टी सी 56 अभ्रक
3. आई एस ओ/टी सी 88 माल उठाने-धरने से सम्बन्धित चित्रात्मक चिह्न
4. आई एस ओ/टी सी 113 खुली नालियों में पानी के बहाव का माप
5. आई एस ओ/टी सी 12/उ स 1 इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में मानों का अंतर्परिवर्तन
6. आई एस ओ/टी सी 34/उ स 7 मसाले
7. आई एस ओ/टी सी 34/उ स 8 उत्तेजक खाद्य पदार्थ
8. आई एस ओ/टी सी 17/क द 2 इस्पात का वर्गीकरण तथा नामकरण
9. आई एस ओ/टी सी 17/ क द 8 गर्म रोल्ड इस्पात खण्डों के माप
10. आई एस ओ/टी सी 54/क द 7 खस का तेल
11. आई एस ओ/टी सी 113/क द 1 खुली नालियों में पानी के बहाव का माप, वेग क्षेत्रफल पद्धति द्वारा
12. आई एस ओ/टी सी 113/क द 2 खुली नालियों में पानी के बहाव का माप, बाँध, नाली (वेयर) और छोटी नालियों द्वारा
13. आई एस ओ/टी सी 113/क द 3 खुली नालियों में पानी के माप सम्बन्धी शब्दावली
14. आई एस ओ/टी सी 113/क द 4 खुली नालियों में पानी के बहाव माप-डाइल्यूशन प्रणाली द्वारा

15. आई एस ओ/टी सी 113/क द 5 खुली नालियों में पानी के बहाव का माप — बहाव नापने के औजार तथा उपकरण
16. आई एस ओ/टी सी 113/क द 6 खुली नालियों में पानी के बहाव का माप — तलछट परिवहन
17. आई ई सी/टी सी 43 बिजली के पंखे

अंकारा में सितंबर 1970 में हुई आई एस ओ महासभा की बैठकों में भा. मा. संस्था के तत्कालीन महानिदेशक डा. ए. एन. घोष, भा. मा. संस्था के महानिदेशक श्री एस. के. सेन और टेक्सटाइल विभाग परिषद के अध्यक्ष श्री हर्षवदन मंगलदास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। डा. ए. एन. घोष ने आई एस ओ की आयोजना समिति (प्लैको) की बैठक में भाग लिया और सितम्बर 1970 में हुई आई एस ओ विकास समिति (डेवको) की बैठक में डा. घोष और श्री सेन दोनों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष औद्योगिक सेवा कार्यक्रम के अधीन इस्पात और इस्पात की वस्तुओं के मानकीकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय टेक्नोलाजी एवं मानकीकरण अनुसंधान संस्थान (इन्डीटेकनोर) को सहायता देने के उद्देश्य से अप्रैल-मई 1970 में एक महीने के लिए भा. मा. संस्था के उपमहानिदेशक श्री बी. एस. कृष्णामाचार की सेवाएं चिली सरकार को उपलब्ध की गईं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन के निमंत्रण पर भा. मा. संस्था के उपमहानिदेशक श्री बी. एस. कृष्णामाचार ने एडिस अबाबा, यूथोपिया में नवम्बर 1970 में एक सप्ताह के लिए आयोजित अंग्रेजी भाषी अफ्रीकी देशों के मानकीकरण के कार्य में रत व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण वर्कशाप में भी भाग लिया।

भाग दो

विभागीय रिपोर्ट

भूमिका

0.1 रिपोर्ट के इस भाग में संस्था के विभिन्न विभागों तथा प्रभागों द्वारा मानक निर्धारण के सम्बन्ध में 1970-71 में किए गए तकनीकी कार्य का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

इस भाग में विभागों द्वारा सम्पन्न समस्त कार्यों अथवा विचाराधीन विषयों का विस्तारपूर्वक विवरण देने का प्रयत्न नहीं किया गया बल्कि हर क्षेत्र में अपेक्षाकृत रूप में जो अधिक महत्वपूर्ण विकास हुए हैं उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। इस वर्ष प्रकाशित तथा प्रेस को भेजे गए मानकों की पूरी सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

0.2 मानकों का निर्धारण — समीक्षागत वर्ष में 577 नए मानक ग्रहण किए तथा प्रकाशन के लिए भेजे गए; 108 मानकों के पुनरीक्षण तैयार किए गए (देखिए परिशिष्ट 'क'); मानक निर्धारण के लिए 195 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए और 127 प्रस्ताव (जिसमें से कुछ पिछले वर्ष प्राप्त हुए थे) स्वीकार किए गए और अगली कार्यवाही के लिए विभिन्न समितियों को भेजे गए।

1951 से लेकर अब तक भारतीय मानकों की वृद्धि आकृति 4 में ग्राफ द्वारा दिखाई गई है।

0.3 संस्था की तकनीकी समितियाँ और उनकी सदस्यता — 31 मार्च 1971 को संस्था में 1837 समितियाँ मानक निर्धारण का काम कर रही थीं जिनके विशेषज्ञों की संख्या 23 690 थी। ये विशेषज्ञ मानक निर्धारण के लिए निर्माताओं, उपभोक्ताओं अनुसंधान और तकनीकी संगठनों, सरकारी विभागों, और खरीदारों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1970-71 में मानक-निर्धारण कार्य के लिए समितियों की 814 बैठकें हुईं।

1951 से लेकर अब तक संस्था की समितियों की संख्या में वृद्धि का क्रम उनकी सदस्यता और उनके कार्य आकृति 5 और 6 में दिखाये गए हैं।

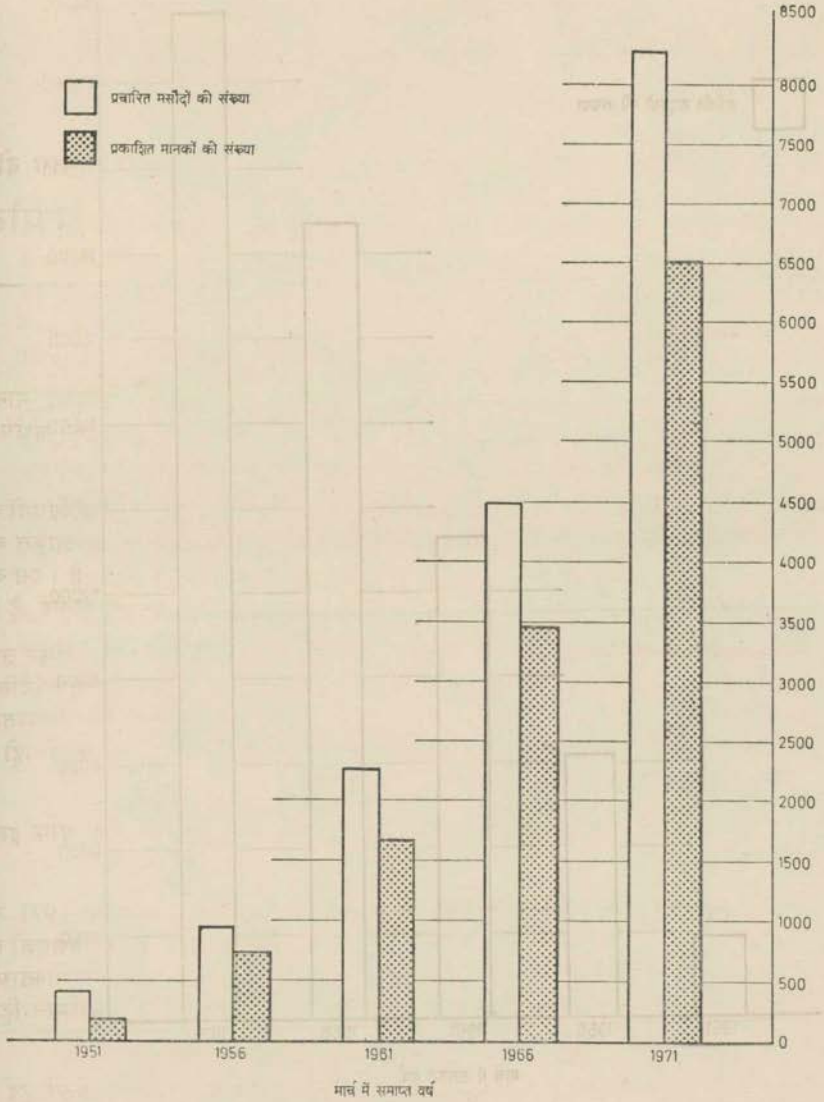

आकृति 4 भारतीय मानकों की संख्या में वृद्धि

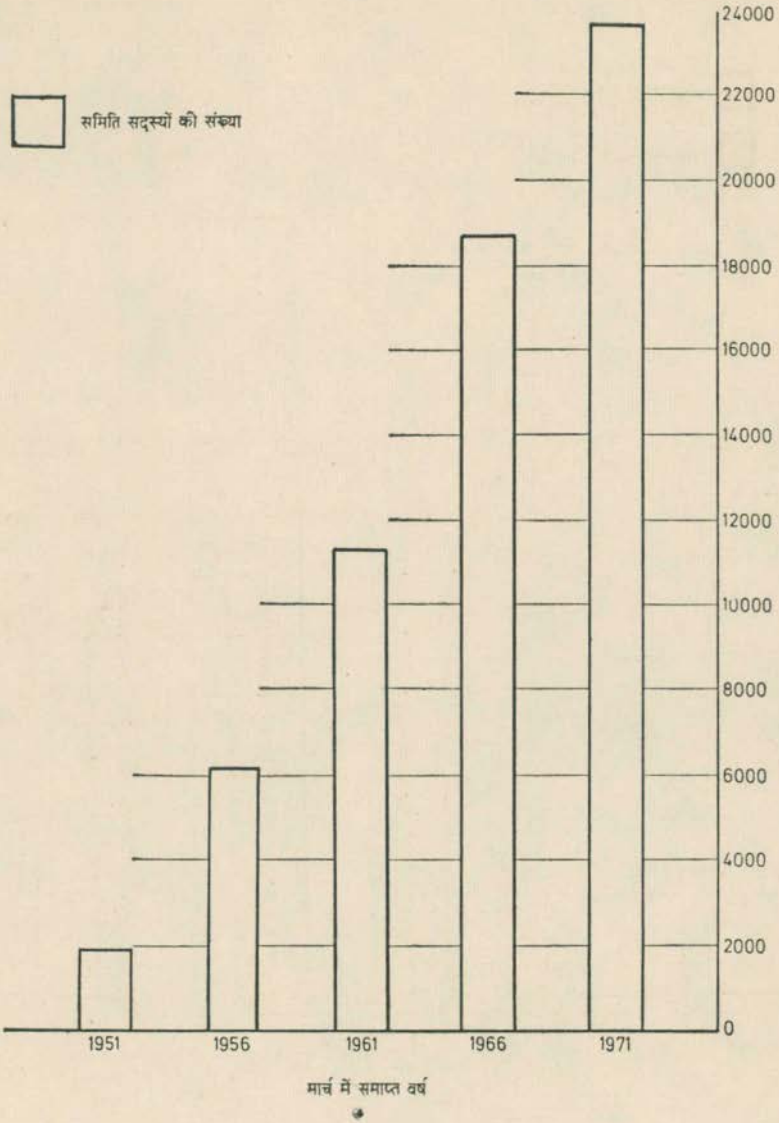

आकृति 5 समिति सदस्यों की संख्या में वृद्धि

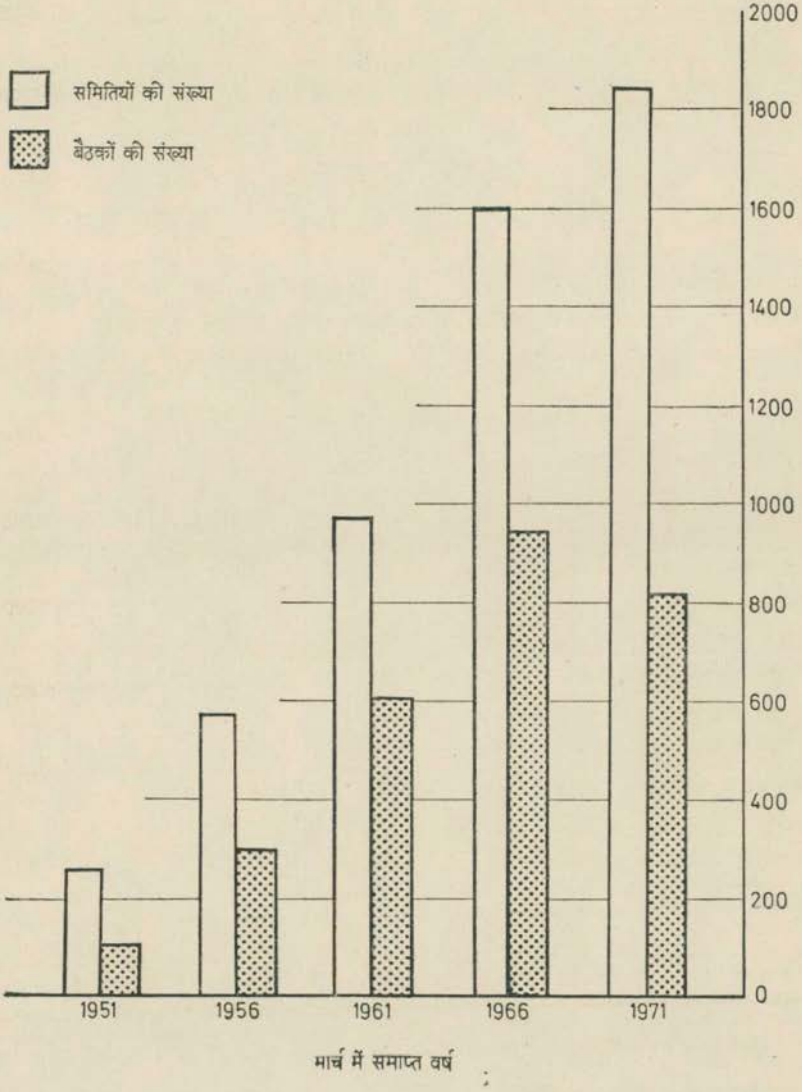

आकृति 6 समितियों और उनके कार्यकलापों में वृद्धि

0.4 कार्य का लेखा-जोखा — संस्था के विभिन्न विभागों और प्रभागों से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में जानकारी सामूहिक रूप में सारणी 1 में दी हुई है।

सारणी 1 भारतीय मानक संस्था में तकनीकी विभागों तथा अनुभागों के कार्य का लेखा-जोखा

(1970-71 वर्ष के लिए)

(1970-71 में प्रकाशित तथा प्रकाशनाधीन मानकों के विवरण परिशिष्ट 'क' में देखिए)

विभाग अथवा प्रभाग	समितियों की संख्या	बैठकों की संख्या	प्रकाशित और प्रकाशनाधीन नए अथवा पुनरीक्षित मानक	भारतीय मानकों के मसौदे	प्रचारित मानकों के मसौदे	लिए गए नए विषय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कृषि तथा खाद्य उत्पाद	140	83	70	57	85	46
रसायन	402	186	143	38	116	—
सिविल इन्जीनियरी	293	131	124	44	91	—
उपभोक्ता उत्पाद	94	54	71	23	66	—
विद्युत तकनीकी	146	65	71	51	98	36
समुद्री नौभार वहन और पैकेजबन्दी	17	5	—	—	2	—
मशीनी इन्जीनियरी	278	93	141	37	149	10
संरचना और धातु	328	76	75	30	72	32
वस्त्रादि (टेक्सटाइल्स)	109	93	50	27	74	—
विविध	30	28	1	—	7	3
कुल योग	1 837	814	746	307	760	127

1. कृषि और खाद्य उत्पाद

1.1 समीक्षागत वर्ष में कृषि और खाद्य उत्पाद विभाग परिषद ने कृषि निवेश, पशु पालन और प्रक्रमित खाद्य उद्योगों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों पर भारतीय मानक निर्धारित किए।

क) **कृषि मशीनरी** — खेती में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने तथा खेती के औजारों को अन्तर्विनिमय बनाने के उद्देश्य से गार्डों, अनाज मड़ाई की मशीनों की छुरियों और उत्क्रमणीय पाँचों (शावेल) के बारे में भारतीय मानक निर्धारित किए गए। खरीद और परीक्षण अधिकारियों को खेती के औजारों की सही-सही परख करने में सहायता देने की दृष्टि से वायु के पर्दे लगे बीज साफ करने के यन्त्रों और बीज एवं उर्वरक ड्रिलों के विषय में परीक्षण संहिता को अन्तिम रूप दिया गया।

ख) **कीटनाशक दवाएँ** — अनाजों तथा खाद्य उत्पादों में कीटनाशक दवाओं के अवशिष्टांश की मात्रा ज्ञात करने सम्बन्धी नए क्षेत्र में काम शुरू किया गया और डी डी टी, पैराथियोन और मालाथियोन की मात्रा आँकने की पद्धतियों को अन्तिम रूप दिया गया। ये भारतीय मानक देश के विभिन्न परीक्षण संगठनों में प्राप्त किए गए वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं।

ग) **पशु आहार** — मुर्गियों के आहार के पूरक के रूप में प्रयुक्त खनिज मिश्रणों के लिए एक विशिष्ट को अन्तिम रूप दिया गया और प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त पशुओं के आहारों पर काम शुरू करके नई बात की गई। गिनी पिग, चूहों और मूसों के आहारों की विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिया गया है।

घ) **मुर्गी पालन का सामान** — अन्डे सेने के यन्त्रों और चोंच कुन्द करने के औजारों पर काम पूरा कर लिया गया।

ङ) **खाद्य पदार्थों में पड़ने वाली वस्तुएं** — अनेक सहयोगपरक अन्वेषणों के पश्चात् खाद्य रंगों में रंजकों की मात्रा निकालने की पद्धति सम्बन्धी एक भारतीय मानक तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त जिलेटिन, अगर, सोडियम टारट्रेट और कैल्शियम प्रापियोनेट जैसे खाद्य पदार्थों में पड़ने वाली वस्तुओं के लिए भी भारतीय मानक तैयार किए गए इन मानकों से देश में उत्पादन में मार्गदर्शन तथा विभिन्न खाद्य प्रक्रमण ईकाइयों को खरीदारी में सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

च) **खाद्य सम्बन्धी सफाई** — ठन्डे पेयों और आइसक्रीम की वर्तमान निर्माता ईकाइयों की सफाई सम्बन्धी स्थितियाँ सुधारने की दृष्टि से इन उद्योगों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

छ) **फल और सब्जियाँ** — निर्यातकों और खेती करने वालों के लाभ के लिए हरे केलों के भंडारण और परिवहन की मार्गदर्शिका तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त आगे बताए अनेक विषयों पर भी भारतीय मानक तैयार किए गए : माँस की बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धति; प्रयोगशाला में प्रयुक्त पशुओं का प्रजनन, देखभाल, प्रबन्ध और आवास; मछली उद्योग में सफाई रखने सम्बन्धी मार्ग-दर्शिकाएँ; डेरी उत्पाद; इत्यादि।

1.2 जैसा निम्नलिखित विवरण से प्रकट है विभाग द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानकों को देश के विभिन्न अधिकरणों द्वारा अच्छा स्वागत हुआ है:

क) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन गजट अधिनियम का इस सम्बन्ध में एक मसौदा शीघ्र ही जारी किया जाएगा कि तार रंजक और तैयार रंग सिर्फ भा. मा. संस्था प्रमाणन चिह्न लगने के बाद ही बिक सकेंगे। इस प्रकार के विधान से प्रक्रमित खाद्य पदार्थ, पेय, मिठाई, इत्यादि अब की अपेक्षा अधिक खतरा रहित हो सकेंगे।

ख) भारत में बनने वाली विदेशी किस्म की शराबों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ह्विस्की, ब्रांडी, जिन, रम और बियर जैसी उन शराबों की बिक्री निषिद्ध कर दी है जिन पर भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर न लगी हो।

ग) पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु-मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किया है कि चीनी मिलों में जो भी नई भंडार टंकियाँ लगाई जाएँ अथवा पुरानी के स्थान पर नई लगाई जाएँ, 'शीरे के भंडारण की इस्पात की टंकियाँ भारतीय मानक विशिष्ट' के अनुरूप होनी चाहिए।

घ) भारत सरकार के उद्योग परामर्शदाता ने कृषि चकतियों के निर्माताओं को हिदायत दी है कि वे इसके लिए भारतीय मानक विशिष्टियों का पालन करें।

ङ) सभी ट्रैक्टर निर्माताओं को परिपत्र जारी करके बताया गया है कि वे खेती के ट्रैक्टरों के त्रिक-बिन्दु जोड़ और पावर टेक आफ शैफ्टों सम्बन्धी भारतीय मानकों को अपनाएँ।

1.3 कृषि और खाद्य उत्पाद परिषद की सोलहवीं बैठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. बी. पी. पाल की अध्यक्षता में 23 फरवरी 1971 को नई दिल्ली में हुई।

परिषद ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से चाय विषय समिति, कृ खा वि प 16 और कहवा और कोकोआ उत्पाद विषय समिति, कृ खा वि प 29 को मिलाकर एक नई समिति उद्दीपक खाद्य पदार्थ विषय समिति, कृ खा वि प 39 बना दी।

परिषद ने भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए 41 नए विषयों का अनुमोदन किया।

1.4 समीक्षागत वर्ष में कृषि और उत्पादन परिषद ने 70 भारतीय मानक निर्धारित किए तथा प्रेस को भेजे। इनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी हुई है।

2. रसायन विभाग

2.1 पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की माँग और देश के तेल क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा में तथा उसी के अनुरूप उसकी सफाई की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। अन्य क्षेत्र जिसमें संगत रूप से वृद्धि और विस्तार हुआ है कोयला और लिग्नाइट है। ये उद्योगों के लिए मूलभूत ईंधन और कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। जैसी कि समस्त संसार में प्रवृत्ति है, भारतीय कार्बनिक रसायन उद्योग भी अल्कोहल अथवा तारकोल जैसी रूढ़ कच्ची सामग्रियों का उपयोग छोड़ता हुआ पेट्रोरसायन आधार की ओर बढ़ रहा है। अतः न केवल इस क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों के संवर्धन बल्कि विकास की गति के साथ चल पाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम, कोयला और व्युत्पन्न उत्पादों की एक स्थायी कार्य समिति स्थापित की गई।

2.2 समीक्षागत वर्ष में निर्धारित भारतीय मानकों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:

IS : 1413-1970 वनस्पति के गोल डिब्बे

इस मानक के पुनरीक्षित संस्करण में निर्माण की नवीनतम तकनीकी रीतियाँ जैसे मोड़दार जोड़ सम्मिलित करने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं। मानक में जैसी चद्दरों का उपयोग निर्दिष्ट है उससे पतली टिन की चद्दरों का उपयोग भी विहित किया गया है। बशर्ते की कार्यप्रदता परीक्षणों के अनुरूप बैठती हो। विभिन्न मात्राओं के टिन लेपन वाली टिन चद्दरों से बने धारकों में वनस्पति भरने के सम्बन्ध में गहन अन्वेषण के फल स्वरूप यह पाया गया कि विद्युत विश्लेषी गुण वाली टिन की चद्दर में 11 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से लेपन पर्याप्त होता है। इन अन्वेषणों द्वारा प्राप्त परिणाम भी इस भारतीय मानक में एक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए जा रहे हैं।

IS : 1615-1970 हिमालय देवदार का तेल

इस मानक द्वारा देवदार की लकड़ी के मध्य भाग की छीलन में से तेल प्राप्त करने में सहायता मिली है और यह तेल अभी तक जिस देवदार के तेल का आयात होता था, उसकी जगह इस्तेमाल होने लगा है। इस मानक के प्रकाशन से भारत इस तेल की गुण सम्बन्धी अपेक्षाओं के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय सिफारिश के निर्धारण का प्रस्ताव रखने की स्थिति में हो सका।

IS : 1638-1969 जूतों के साइज और फिटिंग (पहला पुनरीक्षण)

समस्त जूतों के लिए अपेक्षित यह एक मूलभूत भारतीय मानक है। इस पुनरीक्षण में जूतों के साइजों और फिटिंग के बारे में पूर्ण संशोधन कर दिया गया है। पुराने मानक में तीन फिटिंग दिए गए थे। अब इस संस्करण में उनके स्थान पर अंग्रेजी साइज पैमाने के अनुसार वयस्कों के साँचे के पाँच फिटिंग और अन्य के लिए चार

फिटिंग दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्माताओं और निर्यातकों के मार्ग दर्शन के लिए मर्दों के साँचों के पाँच साइजों और अन्य के साँचों के चार साइजों की पेरिस प्वाइंट साइज पैमाने में नाप बताने वाली मानक सारणियाँ भी दी गई हैं। यह आशा की जाती है कि जूता उद्योग जो इस समय अंग्रेजी साइजों का पालन कर रहा है धीरे-धीरे युक्ति-संगत मीटरी साइज अपनाने की दिशा में सेमी पैमाने की साइजों या कोई अन्य प्रणाली अपना सकेगा। यह भी आशा की जाती है कि इस मानक से जूता उद्योग को 'यूरोप्वाइन्ट' अथवा 'मान्डो प्वाइन्ट' जैसी कोई अंतर्राष्ट्रीय साइज वाले पैमाने की पद्धति अपनाने में सहायता मिल सकेगी। आशा है कि आई एस ओ स्तर पर ये पद्धतियाँ अपना ली जाएँगी।

IS : 5182-1970 वायु दूषण की मापन की पद्धतियाँ : भाग 3

वायु दूषण के मापन के क्षेत्र में यह मानक एक प्रवर्तक कार्य है और अब तक किसी भी अन्य मानक निकाय द्वारा कोई भी राष्ट्रीय मानक नहीं प्रकाशित किया गया। इस मानक को तैयार करते समय परमाणु शक्ति आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेन्सी द्वारा की गई सिफारिशों का यथेष्ट ध्यान रखा गया है और भा. भा. परमाणु अनुसंधान केन्द्र इस मानक पद्धति का उपयोग परिवातीय वायु में न्यूक्लाइडों की संख्या निर्धारित करने के लिए पहले से ही करता आ रहा है। लेखन में समरूपता बनाए रखने तथा विवादों को दूर रखने के उद्देश्य से इस मानक में विशिष्ट रेडियो धार्मिता के लिए वायु को मांनिटर करने की सिफारिशी पद्धति दी गई है।

IS : 5557-1969 औद्योगिक और सुरक्षा बूट, रबड़ के घुटनों तक के

इस मानक के तैयार करने में बनाने की सामग्री और समग्र रूप से बूट के सम्बन्ध में कार्यपरक तथा भौतिक अपेक्षाओं पर विशेष रूप से बल दिया गया है। स्टाइल का प्रश्न निर्माता पर छोड़ दिया गया है और संश्लिष्ट तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार की रबड़ के उपयोग की छूट दे दी गई है। इन बूटों से बिजली के शॉक से बचाव अवश्य नहीं हो सकता है। यह आशा की जाती है कि इस मानक के अनुसार बने बूटों से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों के पाँव में लगने वाली चोटों की संख्या में कमी आ सकेगी। तीन टाइप निर्धारित किए गए हैं। टाइप 1 के बूट इंजीनियरी वर्कशापों, चर्मकर्मशालाओं और इमारती उद्योगों में भारी ड्यूटी के लिए हैं। टाइप 2 के बूट तेल, ग्रीज़, इत्यादि से सने फर्श पर जैसे गराजों में काम करने के लिए हैं और टाइप 3 के बूट खान उद्योग में जहाँ पाँव के पंजे का बचाव बहुत आवश्यक है, काम करने के लिए हैं।

IS : 5570-1969 नमक लगी बकरे की खालें

नमक लगी हुई बकरे की खालें बड़ी मात्रा में देश के बाहर भेजी जाती हैं। ये खालें काफी लम्बे अर्स तक रखी जाती हैं। इसलिए इनमें फफूंदी लगने की आशंका नहीं होनी चाहिए। आशा की जाती है कि इस मानक की सहायता से उद्योग अपने आयात-कर्ताओं को एक समान किस्म का माल भेजने में सफल हो सकेगा।

IS : 5686-1970 तिलहनों के धरने उठाने और भंडारण की रीति संहिता

यह मानक तिलहनों को धरने उठाने और भंडारण की सही विधियां निर्धारित करता है और इस रूप में इसका पर्याप्त राष्ट्रीय महत्व है। आवश्यक एहतियात न लेने से तिलहन काफी खराब हो जाते हैं और इस प्रकार तेल उत्पन्न करने वाली सामग्री में और भी कमी हो जाती है।

IS : 5696-1970 छूट्टा खनिज वूल (रॉक वूल और स्लैग वूल)

सभी प्रकार के खनिज वूल उत्पाद छूट्टा रॉक वूल और स्लैग वूल से तैयार होते हैं। इनका उपयोग जहाँ बड़ी मात्रा में रोधन की जरूरत होती है, भराई के लिए किया जाता है और आम तौर पर हाथ से बँधाई में इसका उपयोग होता है। खनिज वूल का निर्माण और उसकी खपत बढ़ती जा रही है और आशा है कि इस मानक के द्वारा निर्माता सही किस्म का माल तैयार कर सकेंगे।

IS : 5818-1970 खाद्य डिब्बों के लिए लैकर और अलंकारी फिनिश

यह मानक खाद्य पदार्थ बन्द करने के लिए प्रयुक्त डिब्बों पर पेंट के लैकर के सम्बन्ध में विशिष्टि सीमाएँ निर्धारित करता है और इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मानक है। इस मानक में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, जैसे 'प्रक्रमित खाद्य पदार्थ, मछली, सब्जी, इत्यादि के लिए विभिन्न लैकरों की सिफारिश की गई है। मानक में यह भी उपबन्ध रखा गया है कि निर्माता केवल निरापद और अनुमत मिश्रक पदार्थों का ही इस्तेमाल करें ताकि विषैलापन न प्रभावित कर सके।

IS : 5852-1970 जूतों के लिए बचाव वाली इस्पात की टोपियां

यह मानक जूता उद्योग में जूते के टो को मजबूत बनाने के लिए व्यवहृत इस्पात की टोपियों के विषय में है। ये टोपियाँ जूते पहनने वाले के जूते का पंजों पर बचाव करती हैं। अभी तक ये इस्पात की टोपियाँ विदेशों से आती थीं। इस मानक से देशी निर्माताओं को ये टोपियाँ जूता निर्माताओं की आवयश्कता के अनुरूप तैयार करने में सहायता मिलेगी।

IS : 5868-1969 चमड़े की बानगी लेने की पद्धति

इस मानक में बानगी लेने का पैमाना भौतिक और रसायनिक परीक्षणों के लिए, परीक्षण खण्ड काटने के स्थान और विशिष्ट मानक के अनुरूप होने के लिए कसौटियाँ दी गई हैं और इस रूप में यह एक बुनियादी मानक हैं। इससे इस धन्धे को एक ऐसा प्रलेख प्राप्त होगा जिससे उसे एक-सी बानगी लेने की योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थान से लिए गए चमड़े के टुकड़ों के परिक्षण से प्राप्त परिणामों का मिलान करने में अभी हाल तक इस धंधे के लोगों को इस मामले में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि परीक्षण के लिए किन भागों से बानगी ली जानी चाहिए, इस बारे में कोई राष्ट्रीय मानक नहीं था।

IS : 5931-1970 निम्नतापी द्रवों के लिए सुरक्षा संहिता

इलेक्ट्रानिकी, चिकित्सा-उपचार, इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक अनुसंधान के विकास के साथ निम्नतापी द्रवों का व्यवहार सामान्य होता जा रहा है। इस विषय पर न किसी पुस्तक में विधिवत् जानकारी उपलब्ध है और न कोई राष्ट्रीय मानक ही है। इस संहिता द्वारा अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निम्नतापी द्रवों को धरने उठाने वाले व्यक्तियों का इस द्रव के स्पर्श अथवा उसके प्रत्यक्ष प्रभाव से जो प्रायः बड़ा दारुण और अपरिहार्य होता है, बचाव हो सकेगा।

IS : 5985-1971 बोरा बन्द उर्वरकों के धरने उठाने और भंडारण की रीतिसंहिता

उर्वरकों का उत्पादन और उनकी खपत धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है लेकिन उर्वरकों की माँग फसली होती है इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक गोदामों में रखने पड़ते हैं। भंडारण में उनकी खास तौर से देखभाल भी करनी होती है क्योंकि उनमें अधिकाँश आर्द्रता-ग्राही और/या संक्षारक होते हैं। इस मानक से इस प्रकार भंडारण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

2.3 भारतीय मानक निर्धारण के लिए 17 नए विषय लिए गए।

2.4 रसायन विभाग परिषद की स्थायी कार्यसमिति की 29वीं बैठक 17 जुलाई 1970 को हुई। रसायन विभाग परिषद की 23वीं बैठक 25 फरवरी 1971 को हुई।

2.5 समीक्षागत वर्ष में रसायन विभाग परिषद ने 143 भारतीय मानक निर्धारित किए तथा प्रेस को भेजे। इनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी हुई है।

3. सिविल इंजीनियरी विभाग

3.1 समीक्षागत वर्ष में सिविल इन्जीनियरी से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय मानक प्रकाशित किए गए और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मानकों के मसौदों तथा विषयों पर काफी काम किया गया।

3.2 प्रकाशित मानकों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मानकों का उल्लेख किया जा सकता है : IS : 5477 (भाग 4)-1971 जलाशयों की समाई निर्धारित करने की कसौटियाँ : भाग 4 बाढ़ पर भंडारण; IS : 5611-1970 मल निथारने के कुंडों, वैकल्पिक प्रकार के, की रीति संहिता; IS : 5620-1970 अल्प जल वेग खिसकवाँ फाटकों की डिजाइन की कसौटियाँ; IS : 5816-1970 कंक्रीट सिलेन्डरों की तोड़क तनाव सामर्थ्य परीक्षण पद्धति; IS : 5822-1970 जल वितरण के लिए वेल्डकृत इस्पात के पाइप डालने की रीति संहिता; IS : 5892-1970 कंक्रीट के चल मिश्रण यन्त्र और विलोडन यन्त्रों की विशिष्टि; IS : 5968-1970 सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था की योजना और विन्यास की मार्गदर्शिका; IS : 6060-1971 फैक्टरी इमारतों में दिवस रोशनी की व्यवस्था संहिता; IS : 6061 (भाग 1)-1971 कड़ियों और चिनाई चौकों से छत और फर्श बनाने की रीति संहिता; IS : 6063-1971 स्टैंडिंग वेव पलूम उपकरण द्वारा

खुली नालियों में पानी के बहाव की मापन पद्धति; IS : 6065 (भाग 1)-1971 नदी घाटी योजनाओं के भूवैज्ञानिक तथा भूतकनीकी नक्शे तैयार करने सम्बन्धी सिफारिशें; IS : 6066-1971 नदी घाटी योजनाओं में चट्टानी नीवों के मसाले द्वारा दाब भरने की रीति संहिता; IS : 6073-1971 आटोक्लेवकृत प्रबलित कोशीय कंक्रीट के फर्शों और दीवारों की सिल्लियों की विशिष्टि; IS 6074-1971 होटल, रेस्ट्राँ तथा अन्य भोजन व्यवस्थाओं की कार्यपरक अपेक्षाओं की रीति संहिता।

3.3 समीक्षागत अवधि में तैयार किए गए भारतीय मानकों के मसौदों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं: जलाशयों से वाष्पीकरण की मात्रा निकालने की पद्धति, इ वि प 48 (1813); भूमिगत जलाशयों और तैराई तालाबों को जलरोक बनाने की रीति संहिता, इ वि प 41(1761); उच्च अक्षांसों और अधोशून्य ताप क्षेत्रों में जल वितरण तथा जल निकास की रीति संहिता, इ वि प 24 (1838); धातु के रोलिंग शटर और रोलिंग जालियों (ग्रिल) की विशिष्टि, इ वि प 11 (807); इमारती उद्योग में छूटों के लिए माड्यूलगत समन्वय क्रियाओं सम्बन्धी सिफारिशें, इ वि प 10 (1607); पूर्वढली दोहरे वक्र वाली शेल इकाइयों द्वारा छतों और फर्शों के डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता, इ वि प 13 (1904);

3.4 नदी घाटी योजनाओं के लिए मानक निर्धारण का काम पूर्ववत संतोषजनक रूप से जारी रहा और अब तक 69 भारतीय मानक प्रकाशित (प्रकाशनाधीन मानकों को मिलाकर) किए जा चुके हैं।

3.5 भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता 1970—इस अवधि में हुए कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात 22 दिसम्बर 1970 के नई दिल्ली में हुए एक समारोह में भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता 1970 का विमोचन थी। यह विमोचन केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री तथा भा. मा. संस्था की सिविल इन्जीनियरी विभाग परिषद के अध्यक्ष श्री के. एल. राव के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ।

मध्याह्न में लोक निर्माण विभाग के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय निर्माण संहिता के सम्बन्ध में एक प्रतिपालन सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय और राज्य निर्माण विभाग पूरी की पूरी राष्ट्रीय निर्माण संहिता का पालन करें और वर्तमान लोकनिर्माण विभाग की विशिष्टियों, संहिताओं तथा निर्देशिकाओं के स्थान पर इसी का उपयोग करें। यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए इसमें कुछ उपयुक्त संशोधन भी किए जा सकते हैं। सम्मेलन में यह भी तय पाया गया कि लोकनिर्माण विभाग तथा अन्य निर्माण विभाग अपने-अपने एक कक्ष स्थापित करें जो इस राष्ट्रीय निर्माण संहिता के आधार पर निदेशिकाओं और विशिष्टियों के दुहराने का कार्य उठाएँ और उपलब्ध भारतीय मानकों के प्रकाश में उनको अद्यतन बनाए रखें।

इस संहिता की प्राप्ति और उसकी महत्ता का प्रचार करने तथा उसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक गहन कार्यक्रम तैयार किया गया है, इसका प्रचार विशेष रूप से स्थानीय निकायों के स्तर पर होना चाहिए जिससे वे अपने वर्तमान समय से पिछड़े हुए उपनियमों के स्थान पर नए उपनियम ग्रहण कर सकें।

3.6 इमारती स्थायी कार्य समिति की बैठक 3 अप्रैल 1970 को उपाध्यक्ष श्री सी. पी. मलिक के सभापतित्व में हुई। इस बैठक में नए संचरना इन्जीनियरी विभाग की स्थापना के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। इमारती स्थायी कार्यसमिति ने कई विषय समितियों का पुनर्गठन किया और अनेक विषयों का भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए अनुमोदन किया।

3.7 बहुधन्धी नदी घाटी योजनाओं सम्बन्धी स्थायी कार्यसमिति की बैठक 27 मार्च 1971 को अपने उपाध्यक्ष श्री वाई. के. मूर्ति के सभापतित्व में हुई। कार्यसमिति ने अपने अधीन सभी 19 विषय समितियों की सदस्यता की समीक्षा की और उनका पुनर्गठन किया। कार्यसमिति ने छह विषय समितियों के अध्यक्ष पदों की भी समीक्षा की और नदी घाटी योजनाओं से सम्बन्धित भारतीय मानकों के प्रभावपूर्ण प्रतिपालन के उपायों पर विचार किया।

3.8 समीक्षागत वर्ष की अवधि में सिविल इन्जीनियरी विभाग परिषद द्वारा 24 भारतीय मानक निर्धारित किए तथा प्रेस को भेजे गए। उनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

4. उपभोक्ता उत्पाद विभाग

4.1 समीक्षागत वर्ष में सर्जरी औजारों और चिकित्सा साधनों के क्षेत्र में तथा सामान्य उपभोक्ता पदार्थों के क्षेत्र में कार्य की अच्छी प्रगति रही। इस वर्ष कुल 75 भारतीय मानक जिनमें 63 पहले वर्ग के और 12 दूसरे वर्ग के विषयों में से हैं प्रकाशित किए गए।

4.2 जहाँ तक सर्जरी तथा चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का सम्बन्ध है इन मानकों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है: विकलांगता सर्जरी में प्रयुक्त, औजार और उपकरण (अत्यावश्यक बनावटी अंग, और घुटने और टखने के जोड़ों इत्यादि) और स्त्री रोग विज्ञान सम्बन्धी उपकरण (गर्भाशयमापी, योनि स्पेकुलम, योनि अग्र-रिट्रैक्टर, इत्यादि)।

4.3 खेल के सामान की विषय समिति, उ उ वि प 4, ने अन्य विषयों के साथ स्कूल में दौड़ मार्ग तथा मैदान के साज-सामान नामक वर्ग के लिए मानक निर्धारित किए जिनकी बड़ी आवश्यकता थी। कटलरी विषय समिति ने दैनिक उपयोग की महत्त्वपूर्ण वस्तुओं जैसे सेफ्टी रेजर और सेफ्टी रेजर ब्लेडों के बारे में मसौदे तैयार किए। इन मसौदों में दिए उपबन्धों की ओर देश के अनेक निर्माताओं और तमाम उपभोक्ताओं का ध्यान गया और उन्होंने इसमें रुचि प्रकट की। उपभोक्ता सामान के बन्धक (फासनर्स) विषय समिति ने स्टेशनरी की कागज की क्लिपों और पिनों के बारे में मानक जारी किए। इन वस्तुओं के मानकीकरण की आवश्यकता एक लम्बे अर्से से अनुभव की जा रही थी। बर्तन विषय समिति, उ उ वि प 5, ने दो और मदों अर्थात् घोल कटोरों और स्पंज कटोरों के मानक निर्धारित किए। ये मदें अस्पताली बर्तनों के अधीन आती हैं।

4.4 उपभोक्ता उत्पाद विभाग परिषद की सातवीं बैठक 19 मार्च 1971 को बम्बई में हुई। रक्षा मंत्रालय (डी जी आई) के ब्रिगे. भूपिन्दर सिंह को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। विभाग परिषद ने एक और दूरगामी निर्णय लिया जिसके द्वारा निम्नलिखित दो स्थायी कार्य समितियाँ स्थापित कीः

क) चिकित्सा उपकरणों की स्थायी कार्य समिति, और

ख) उपभोक्ता उत्पादों की स्थायी कार्य समिति।

विभाग परिषद ने संस्था की कार्यकारी समिति से अपना नाम बदल कर 'चिकित्सा उपकरण और उपभोक्ता उत्पाद' कर देने की सिफरिश की।

4.5 भारतीय गृह-विज्ञान संघ का दसवाँ द्विवार्षिक सम्मेलन 24 से 27 अक्टूबर 1970 को नागपुर में हुआ था। विचार-विमर्श का विषय था 'राष्ट्र की सेवा में गृह-विज्ञान की भूमिका'। संघ से प्राप्त निमंत्रण पर श्री ए. बी. राव ने भा. मा. संस्था की ओर से भाग लिया और 'उत्पादों का मानकीकरण तथा उपभोक्ताओं के मध्य प्रचार' नामक विषय पर वार्ता प्रस्तुत की। इस वार्ता में विभिन्न गृह-विज्ञान संस्थाओं ने गृह-विज्ञान शिक्षण में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताप्रधान शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से रुचि व्यक्त की। इस सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री की सूचियाँ वितरित की गई हैं।

4.6 चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में भा. मा. संस्था ने जो कार्य सम्पन्न किया उसमें संस्था का यह सौभाग्य रहा कि देश भर के सर्जनों ने भाग लिया और इस प्रकार विभिन्न मानक निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण जिसकी मानक निर्धारण में अत्यन्त महत्ता होती है उपलब्ध हो सका। चिकित्सा उपकरण के मानकीकरण के कार्य में केन्द्र सरकार के अस्पतालों के 25 सर्जन, सुरक्षा से 15 सर्जन, आंध्र प्रदेश से एक, प० बंगाल से पाँच, तमिलनाडु से सात, गुजरात से दो, केरल से दो और बिहार तथा दिल्ली से एक-एक सर्जन इस कार्य में संस्था के साथ हैं। इस कार्य में देश भर के सर्जनों के सहयोग की बात इसी से स्पष्ट है। समितियों में स्थानीय स्वायत प्रशासन संस्थाओं, गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों के कुछ सर्जन तथा प्राइवेट सर्जन भी सदस्य रूप में कार्य कर रहे हैं।

4.7 समीक्षागत अवधि में उपभोक्ता उत्पाद विभाग परिषद द्वारा निर्धारित किए गए तथा प्रेस को भेजे गए भारतीय मानकों की सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

5. विद्युत तकनीकी विभाग

5.1 समीक्षागत वर्ष की अवधि में विद्युत तकनीकी विभाग परिषद के कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई।

इस वर्ष 61 भारतीय मानक प्रकाशित हुए अथवा प्रेस में थे, 7 वर्तमान भारतीय मानक दुहराए गए; 77 मानकों के मसौदों को प्रकाशन के लिए अंतिम रूप दिया

गया; 98 मानकों के मसौदे सम्बद्ध हितों को सम्मतियों के लिए प्रचारित किए गए और अनेक विषयों पर प्रारम्भिक मानक मसौदे भी तैयार किए गए। इस वर्ष विषय समितियों, उपसमितियों और पैनलों की 80 बैठकें हुईं। एक दिशंचालक साधन विषय समिति ने एक नए क्षेत्र समेकित परिपथ और माइक्रो इलेक्ट्रानिकी पर काम शुरू किया। ये विषय सामयिक महत्व के हैं। खास तौर से संचार-प्रणाली सुरक्षा और कंप्यूटर।

परिषद की अधीनस्थ समितियों ने जटिल तकनीकी वाली अनेक नई से नई वस्तुओं पर भी काम शुरू किया।

5.2 प्रकाशित अथवा प्रेस को भेजे गए भारतीय मानकों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

क) **ज्वालासह उपकरण**

1. IS : 5571-1971 खतरनाक क्षेत्रों के लिए बिजली के सामान के चुनाव सम्बन्धी मार्गदर्शिका
2. IS : 5572 (भाग 1)-1970 विद्युत संस्थापनों के लिए खतरनाक क्षेत्रों का वर्गीकरण : भाग 1 गैसों और भापों वाले क्षेत्र
3. IS : 5780-1970 प्रकृत्या निरापद विद्युत उपकरण और परिपथ

ख) **केबल चालक और वाइंडिंग के तार**

1. IS : 1554 (भाग 1)-1964 पी वी सी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल: भाग 1 1100 वोल्टता और उतने तक कार्याकारी वाले (पुनरीक्षित)
2. IS : 1554 (भाग 2)-1970 पी वी सी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल : भाग 2 कार्याकारी वोल्टता 3·3 किवो से 11 किवो तक के लिए
3. IS : 5819-1970 उच्च वोल्टता पी वी सी केबल के सिफारिशी शार्ट सर्किट रेटिंग
4. IS : 5959 (भाग 2)-1970 पाली इथाइलीन रोधित और पी वी सी खोलदार (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल: भाग 2 कार्यकारी वोल्टता 3·3 किवो से 11 किवो तक के लिए

इन विशिष्टियों का महत्त्व सीसा के खोलदार केबलों के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में स्पष्ट होगा।

5.3 समीक्षागत अवधि में तैयार किए गए मानकों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

क) **बाधा शामक साधन** — बाधा शामक साधनों के लिए चार मानकों के मसौदे तैयार किये गए हैं। टी वी प्रसारणों में वृद्धि तथा समुन्नत संचार और घरेलू

प्रसारण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बाधारहित श्रवण का महत्त्व स्वीकार किया गया और इस दिशा में ये मानक मसौदे अत्यन्त लाभदायक होंगे।

ख) **भाप टरबाइनों सम्बधी मानकों के मसौदे**

ग) **स्वचल गाड़ियों का बिजली का सामान** — स्वचल गाड़ियों की सामने की बत्तियों की विशिष्टि का पुनरीक्षण इस दृष्टि से किया गया कि उसमें वर्तमान आंग्ल-अमरीकी टाइप के साथ ही संक्षिप्त कट-आफ वाली योरोपीय टाइप की डिप-किरणपुंज जिससे बत्ती में चकाचौंध लगभग नहीं के बराबर रह जाती है, सम्मिलित कर दी जाए।

घ) **पावर ट्रांसफार्मरों में भार देने की मार्गदर्शिका**

5.4 विद्युत तकनीकी विभाग परिषद की वार्षिक बैठक 9 फरवरी 1971 को हुई। इसके पहले उसी दिन विद्युत तकनीकी विभाग परिषद की स्थायी कार्यसमिति की बैठक हो चुकी थी। इन बैठकों में अधीनस्थ विभिन्न विषय समितियों की सदस्यता एवं गतिविधियों की समीक्षा करने के अतिरिक्त भारतीय मानकों के प्रतिपालन और प्रमाणन चिह्न सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया। विभिन्न विषय समितियों के कार्यक्रमों में दिए गए अनेक विषयों का भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए अनुमोदन किया गया।

5.5 विद्युत तकनीकी विभाग परिषद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दाब विद्युत क्रिस्टलों और चुम्बकीय पदार्थों के बीच कोई सामान्यता न होने के कारण दाब विद्युत और चुम्बकीय पदार्थ विषय समिति, वि तावि प 41, को तोड़कर दाब विद्युत क्रिस्टलों और चुम्बकीय पदार्थों से सम्बन्धित दो नई विषय समितियाँ बनाना स्वीकार किया। यह विभाजन इस काम को संगत आइ इ सी समितयों; आइ इ सी/टी सी 49 और आई इ सी/टी सी 51 के अनुरूप बनाने की दृष्टि से भी किया गया।

5.6 विद्युत तकनीकी विभाग परिषद जो अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी) की भारतीय राष्ट्रीय समिति भी है, इस हैसियत से इस संगठन की विभिन्न समितियों की बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेती रही। भारत के हित से सम्बन्धित आई ई सी समितियों की गतिविधियों का विस्तृत लेखा-जोखा इस रिपोर्ट के भाग 3 में दिया गया है।

5.7 समीक्षागत वर्ष में विद्युत तकनीकी विभाग परिषद द्वारा 61 भारतीय मानक निर्धारित किए तथा प्रेस को भेजे गए। उनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

6. समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबन्दी विभाग

6.1 समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबन्दी विभाग संस्था का नवा तकनीकी विभाग है जिसका उद्घाटन संसदीय मामलों, जहाजरानी तथा परिवहन विभाग के केन्द्रीय मंत्री श्री के. रघुरामय्या द्वारा दिल्ली में 5 दिसम्बर 1970 को किया गया था।

नए विभाग के तकनीकी विचार-विमर्श के मध्य भारतीय जहाजरानी निगम लि०, बम्बई के श्री सी. पी. श्रीवास्तव इस विभाग परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

6.2 यह विभाग परिवहन के तीन विभिन्न पक्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से स्थापित किया गया है:

क) जहाजरानी उद्योग जो आयात और निर्यात व्यापार के मध्य एक प्रमुख कड़ी है, से सम्बन्धित विषय;

ख) जहाजी माल धरने-उठाने के सामान और माल के परिवहन के दौरान खतरों के सहित रेल, सड़क, समुद्र और वायु द्वारा अपने समस्त पक्षों सहित धारकबन्द परिवहन (कंटेनराइजेशन); और

ग) प्रमुख धारक और उपभोक्ता तथा परिवहन पैकेज।

इस प्रकार के यौगिक विभाग का कार्य चलाने के लिए परिषद ने दो स्थायी कार्य समितियों, स्थायी कार्य समिति, पैकेजबन्दी और स्थायी कार्य समिति समुद्री एवं नौभार परिवहन, की स्थापना की। परिषद ने मेटल बॉक्स कम्पनी ऑफ इंडिया, कलकत्ता के श्री ए. रे. और भारतीय जहाजरानी निगम लि०, बम्बई के श्री. वी. के. गुप्ता को इन कार्यसमितियों का क्रमशः उपाध्यक्ष नियुक्त किया।

6.3 परिषद ने सर्वप्रथम निम्नलिखित चौदह विषय समितियाँ स्थापित कीं:

1. जलयान निर्माण, स नौ पै वि 1
2. पत्तन निमित्त जहाज और मछली मारने के जलयान, स नौ पै वि 2
3. समुद्री इंजीनियरी, स नौ पै वि 3
4. समुद्री औजार और बचाव उपकरण, स नौ पै वि 4
5. पैलेट, स नौ पै वि 5
6. औद्योगिक ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रेलर, स नौ पै वि 6
7. समुद्री मालधारक, स नौ पै वि 7
8. प्लास्टिक धारक, स नौ पै वि 11
9. धातु धारक, स नौ पै वि 12
10. काँच धारक, स नौ पै वि 13
11. कागज और नम्य पैकेजबन्दी, स नौ पै वि 14
12. कीटनाशक धारक, स नौ पै वि 15
13. लकड़ी और लकड़ी की बनी वस्तुओं के धारक, स नौ पै वि 16
14. नौभार अंकन, स नौ पै वि 17

6.4 स्थायी कार्य समिति पैकेजबंदी, की पहली बैठक 25 फरवरी 1971 को नई दिल्ली में हुई। उसमें उसने अपने अधीन विषय समितियों की सदस्यता की समीक्षा का। श्री ए. रे. ने विभिन्न समितियों के अध्यक्षों से निवेदन किया कि वे अपने क्षेत्रों में शब्द-सूचियाँ, पैकेजबंदी संहिताएँ और भरे पैकजों के व्यवहार परीक्षणों से सम्बन्धित मानक तैयार करने पर विशेष रूप से ध्यान दें।

7. मशीनी इन्जीनियरी विभाग

7.1 समीक्षागत वर्ष में मशीनी इंजीनियरी विभाग की गतिविधियों में प्रगति की पूर्ववत् गति बनी रही। विभाग अपनी समितियों के गहन प्रयत्नों के फलस्वरूप इंजीनियरी उद्योग के विस्तृत क्षेत्र के लिए उसकी बढ़ती हुई राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विषयों से सम्बन्धित मानकों की व्यवस्था कर सका।

7.2 वर्ष 1970-71 के अंत में 112 भारतीय मानक या तो छप चुके थे अथवा प्रकाशनाधीन थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान 12 मानक दुहराए गए। 132 मानकों के मसौदों को प्रकाशन के लिए अंतिम रूप दिया गया और 145 मानकों के मसौदों को सम्मतियाँ प्राप्त करने के लिए प्रचारित किया गया। इस अवधि में 91 विषयों पर प्रारम्भिक मसौदे भी तैयार किए गए।

7.3 इस वर्ष जिन विषयों पर कार्य किया गया उनमें ये उल्लेखनीय हैं : मशीन औजार और छोटे औजार, गियर, रसायन इंजीनियरी, इंजीनियरी मापविज्ञान, समुद्री इंजीनियरी और जलयान निर्माण, गैस सिलेन्डर, हाथ के औजार, प्रशीतन, कम्प्रेसर, खनन सामान, पम्प, चूड़ीदार कीलक और रिवेट, उठाने वाली चेन और सम्बद्ध फिटिंग, तार के रस्से और तार की बनी चीजें, ऋतुविज्ञान सम्बन्धी उपकरण, चाक्षुप तथा गठित औजार, पदार्थ धरना-उठाना और सिलाई की मशीनें तथा हल्की इंजीनियरी की वस्तुएँ।

7.4 इस वर्ष प्रकाशित भारतीय मानकों में 'IS : 2825-1970 आग द्वारा न गर्माए जाने वाले दाब पात्रों की संहिता' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संहिता का बिक्री के लिए विमोचन 9 मार्च 1971 को एक विधिवत् समारोह में हुआ था। यह संहिता आग द्वारा न गर्माए जाने वाले अचल दाब पात्रों पर लागू होती है जैसे रसायनिक रिएक्टर, पैट्रोलियम भंजक (कैकिंग) ईकाइयाँ, डाइजेस्टर, ताप विनिमेयक, सिझाने वाले पात्र, वैकुअम पैन, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 और गैस सिलिण्डर नियम 1940 के अधीन न आने वाले वैकुअम सेपेरेटर। इस संहिता में इन उपकरणों की सुरक्षापूर्ण और सुयोग्य डिजाइन, निर्माण, प्रतिस्थापन, निरीक्षण और प्रमाणन सम्बन्धी न्यूनतम इंजीनियरी अपेक्षाओं के आधार पर लौह और अलौह धातुओं से बनने वाले गलन वेल्डकृत दाब पात्रों के निर्माताओं, वैधानिक अधिकारियों और उपयोग-कर्ताओं के लिए मार्गदर्शन सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री दी गई है।

7.5 इस वर्ष दुहराए गए मानकों में कुछ निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं : इस्पात की गोल कड़ीदार चेन (बिजली द्वारा वेल्डकृत) ग्रेड 40 घिर्री ब्लाक और उठाने के अन्य साधनों के लिए अशांकित और अनशांकित भारवाही चेन; उठाने के साधनों के लिए अशांकित और अनशांकित भारवाही चेनें; इस्पात की गोल कड़ीदार चेन (बिजली द्वारा बट वेल्डकृत) ग्रेड 30; इन्जीनियरों के लिए इस्पात के मीटरी पैमाने, सामान्य कार्यों के लिए मीटरी पैमाने, ड्राफ्टिंग मशीनों पर प्रयुक्त मीटरी पैमाने; सर्वेक्षण की मीटरी चेनें; रोकड़ बक्से, और मशीनी बेवेल प्रोट्रैक्टर।

7.6 मशीनी इन्जीनियरी विभाग परिषद की 20वीं बैठक 28 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में श्री बी. डी. केलकर की अध्यक्षता में हुई।

परिषद ने दस विषय समितियों की सदस्यता की समीक्षा की और उनको पूर्ण रूप से प्रतिनिधि बनाने के उद्देश्य से उनकी सदस्यता में कुछ परिवर्तनों के अधीन अगले तीन सालों के लिए उनका पुनर्गठन किया। परिषद ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर के श्री के. एल. बक्शी और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और उत्पादन के निदेशक श्री टी. वी. शंकरन को क्रमशः गियर विषय समिति (इ वि प 59) और वायुयान और अन्तरिक्ष यान विषय समिति (इ वि प 74) का अध्यक्ष नियुक्त किया।

परिषद ने भारतीय मानकों के प्रतिपालन पर विशेष बल दिया और इच्छा प्रकट की कि उन मानकों का प्रतिपालन केवल सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही न किया जाए बल्कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के निर्माता फर्मों द्वारा भी हो। परिषद ने सिफारिश की कि निर्माता संगठनों द्वारा मानकों के प्रतिपालन का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए।

औजारों और औजार जुटाने के क्षेत्र में मानकीकरण के कार्य के पुनर्गठन पर दुबारा विचार-विमर्श हुआ और परिषद ने सिफारिश की कि इस बात की संभावना पर विचार किया जाए कि क्या यह कार्य संस्था में एक पूरे विभाग के अधीन गठित किया जा सकता है।

परिषद ने निम्नलिखित विषय समितियाँ और उनसे आई एस ओ तकनीकी समितियाँ समुद्री, नौ भारवहन और पैकेजबन्दी विभाग नामक नए विभाग को स्थानांतरित कर दी जाएः

क) समुद्री माल अंकन विषय समिति, इ वि प 37
ख) जलयान निर्माण विषय समिति, इ वि प 56
ग) सामग्री धरने-उठाने सम्बन्धी विषय समिति, इ वि प 65
घ) समुद्री इन्जीनियरी विषय समिति, इ वि प 67
ङ) समुद्री यंत्र और सुरक्षा सहायक साधन विषय समिति, इ वि प 68

7.7 समीक्षागत वर्ष की अवधि में 23 विषय समितियों, 72 उपसमितियों और पैनलों की बैठकें हुईं। सतरह नए विषय समितियों द्वारा उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित किए गए।

7.8 समीक्षागत वर्ष की अवधि में मशीनी इन्जीनियरी विभाग द्वारा 124 भारतीय मानक निर्धारित किए अथवा प्रेस को भेजे गए। इनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी है।

8. संरचना और धातु विभाग

8.1 समीक्षागत वर्ष में संरचना और धातु विभाग ने अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर भारतीय मानक निर्धारित किए तथा अनेक नए विषयों पर कार्य प्रारम्भ किया। 75 भारतीय मानकों पर जिनमें वर्तमान 19 भारतीय मानकों के पुनरीक्षण भी शामिल हैं कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त 72 मानकों के मसौदे तकनीकी सम्मतियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से प्रचारित किए गए। विषय समितियों, उपसमितियों और पैनलों की 78 बैठकें हुईं।

8.2 प्रकाशन के लिए तैयार किए गए प्रकाशनों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

IS : 5651-1970 वायुचालित औजारों के लिए इस्पात की विशिष्टि — इस मानक में गढ़ाई द्वारा वायुचालित औजार बनाने के लिए छड़ों (वैल्लित या गढ़ी हुई) के रूप में प्रयुक्त औजारों की मिश्र इस्पातों के बारे में अपेक्षाएँ दी गई हैं।

IS : 6051-1970 एल्युमिनियम और उसकी मिश्रधातुओं की पदनाम संहिता — विभिन्न देशों में एल्युमिनियम और उसकी मिश्रधातुओं के पदनामन के लिए जिन विभिन्न प्रणालियों का अनुसरण हो रहा है उनका अध्ययन करके इन मिश्रधातुओं के पदनामन की अंकीय प्रणाली विकसित की गई है। एल्युमिनियम मिश्रधातु के पिटवाँ रूपों के पदनामन के लिए एक पाँच अंकीय प्रणाली और बुनियादी इंगटों और ढली वस्तुओं के लिए चार अंकीय प्रणाली ग्रहण की गई है। इस मानक में दी गई प्रणाली से न केवल मिश्रधातुओं के टाइपों का संकेत मिलता है बल्कि इसके द्वारा मिश्रधातुओं की कोटियों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास किया गया है। भविष्य में उद्योग द्वारा जो नई मिश्रधातुएँ निकाली जाएँगी उन पर भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा।

IS : 5902-1970 वायुयान कार्यों के ठंडे गढ़े रिवेटों के लिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु की रिवेट सामग्री की विशिष्टि — यह मानक वायुयान उद्योग में प्रयुक्त एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु की वस्तुओं के विषय में तैयार किए गए मानक शृंखला में से एक है और इसमें ठंडी गढ़ाई द्वारा रिवेट बनाने के लिए रिवेट सामग्री तैयार करने के लिए एल्युमिनियम का एक ग्रेड और एल्युमिनियम मिश्रधातु के चार ग्रेड निर्धारित किए गए हैं। इसमें मिश्रधातुओं को दिए जाने वाले विभिन्न ताप उपचार दिए गए हैं और विभिन्न ग्रेडों का तनन सामर्थ्य दिया गया है।

IS : 5853-1970 एल्युमिनियम के उत्पादन में उपयोग के लिए बाक्साइट की विशिष्टि — इस मानक में एल्युमिनियम के उत्पादन में उपयोग होने वाले बाक्साइट

का वर्गीकरण उसकी रसायनिक रचना के आधार पर दिया गया है। यह मानक सरकार को एल्युमिनियम उद्योग के भावी आयोजन और विकास में सहायता प्रदान करेगा।

IS : 5893-1970 एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग के लिए क्रियोलाइट की विशिष्टि— एल्युमिनियम के विद्युतविश्लेषण अवचय के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों में क्रियोलाइट सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अभी तक इस वस्तु का देश में आयात होता आ रहा था। एल्युमिनियम उद्योग के विकास और उसमें क्रियोलाइट की बढ़ती हुई माँग की दृष्टि से इस मानक द्वारा इस वस्तु के देश में उत्पादन को, जो प्रारम्भ हो चुका है, सहायता मिलेगी।

IS : 5743-1970 ताँबे की मास्टर मिश्रधातुओं की विशिष्टि— ताँबे की मास्टर मिश्रधातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिश्रधातुओं के निर्माण में मिश्रक तत्त्व का समावेश करने के लिए होता है। इस विस्तृत भारतीय मानक में इस उद्योग में जिन 15 ताँबे की मास्टर-मिश्रधातुओं का व्यापक रूप से उपयोग होता है उनकी संरचना दी गई है। इस मानक में IS : 2313-1963 में दिए गए फास्फर-ताँबे के दो ग्रेडों और IS : 4077-1967 में दिए गए ताँबा-निकेल के एक ग्रेड को भी रख लिया गया है।

IS : 6170-1971 प्लैटीनम घड़िया और ढक्कन की विशिष्टि— विभिन्न प्रयोगशालाओं में विभिन्न रूपों और समाइयों वाली तमाम घड़ियाओं का उपयोग होता है। इस मानक के द्वारा घड़ियाओं की समाइयों को युक्तिसंगत बनाने और प्लैटीनम घड़ियाओं और उनके ढक्कनों में न्यूनतम शुद्धता लाने में सहायता मिलेगी। घड़ियाओं और ढक्कनों की ऊंचाई, व्यास और तोल के बारे में छूटें भी इस मानक में दी गई हैं।

IS : 6018-1971 प्लैटीनम, प्लैटीनम-रहोडियम उत्प्रेरक जालियाँ— प्लैटीनम, प्लैटीनम-रहोडियम की उत्प्रेरक जालियाँ अधिकांश रूप में उर्वरक उद्योग में नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में अमोनियम के ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम आती हैं। इस मानक में प्लैटीनम का एक ग्रेड और प्लैटीनम-रहोडियम मिश्रधातु के तीन ग्रेड निर्धारित किए गए हैं। शुद्धता, माप, तोल, छेद-आकार और फिनिश सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप होने पर ही ये जालियाँ अधिकतम कार्यप्रद और उपयुक्त अवधि तक चलने वाली हो सकेंगी।

IS : 5954-1970 दाँतों की श्वेत स्वर्ण मिश्रधातु की विशिष्टि— दंत सामग्री के बारे में प्रकाशित मानकों की सिरीज़ में से यह एक मानक है और इसमें स्वर्ण मिश्रधातु के दो ग्रेड, कठोर ऊंचे प्रतिबल पर काम करने के लिए क्राउन और इनले के लिए और अति कठोर-आंशिक रूप से दाँतों के ढाँचों और दाँतों के ढांचे के आधार के लिए पूर्ण रूप से लिए गए हैं।

IS : 5898-1970 ताँबा और ताँबा मिश्रधातु की खुली ठोस वेल्डिंग छड़ें और इलेक्ट्रोड— वायुयान के पुर्जों तथा लोह और अलोह धातु की वस्तुओं की गढ़ाई के लिए

टंग्स्टन निष्क्रिय गैस (टी आई जी) और धातु निष्क्रिय गैस (एम आई जी) आर्क वेल्डिंग विधियाँ खूब लोकप्रिय हो रही हैं। यह मानक उस सिरीज़ के मानकों में से है जो इन दोनों वेल्डिंग विधियों में उपयोग के लिए पूरक छड़ों और खुले इलेक्ट्रोडों के बारे में हैं। इन मानकों का उद्देश्य यह है कि गढ़ाई उद्योग को स्वीकार्य पूरक धातु के उत्पादन में देशी निर्माताओं को सहायता प्रदान की जा सके।

IS : 822-1970 वेल्डों के निरीक्षण की विधि संहिता — देश की गढ़ाई ईकाइयों के वेल्डिंग सुपरवाइजरों और वेल्डिंग इन्जीनियरों के लिए यह विधि संहिता एक सामान्य गाइड के रूप में उपयोग की जानी चाहिए। इस मानक में निर्दिष्ट अधिकांश निरीक्षण अपेक्षाएँ गलन वेल्डकृत गढ़ाई में काम आ सकती हैं।

IS : 5905-1970 लोहा और इस्पात पर स्प्रेकृत एल्युमिनियम और जस्ता लेपन विशिष्टि — 25 से 75 माइक्रोमीटर मोटे कठोर एनोडी लेपन घर्षण प्रतिरोधी सतहों पर घर्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से वायुयान उद्योग में व्यापक रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस मानक में इन लेपनों की मोटाइयाँ और कठोरताएँ निर्धारित की गई हैं। अन्य अपेक्षाएँ जैसे घर्षण प्रतिरोधिता और ब्रेकडाउन वोल्टता भी दी गई हैं।

IS : 6005-1970 लोहा और इस्पात के फास्फेटीकरण की रीति संहिता — लोहे और इस्पात के संक्षारण से बचाव के लिए फास्फेटीकरण और उसके बाद के सीलिंग काफी कम खर्च सिद्ध हुए हैं और विभिन्न उद्योग इसे सुविधापूर्वक अपना सकते हैं। फास्फेटीकरण का उपयोग अधिकाँश रूप में चढ़े रंग-रोगन को दीर्घकालीन बनाने में किया जाता है। यह संहिता इस विषय पर लाभदायक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई है।

IS : 5555-1970 धातुओं के परिवातीय संक्षारण के क्षेत्रीय अध्ययन के संचालन के लिए रीति संहिता — संक्षारण की समस्या उद्योग के लिए सर्वदा ही प्रमुख रही है। इसका उद्देश्य यह है कि यह संहिता संक्षारण और संदूषण के आँकड़े इकट्ठा करने और विभिन्न परिवातीय स्थितियों के अधीन उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए धातु और मिश्रधातुओं को खुले में रख कर परीक्षण करने के लिए नियमित और एक समान विधियाँ उपलब्ध करें।

8.3 इस अवधि में दुहराए गए भारतीय मानकों में उल्लेखनीय हैं: IS : 648-1970 चुम्बकीय परिपथों के लिए अनओरियंटेड बिजली वाली इस्पात की पट्टियाँ; IS : 2073-1970 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मशीनकृत पुर्जों के उत्पादन के लिए कार्बन इस्पात की काली छड़ें; IS : 1467-1970 फेरो टंग्स्टन; IS : 1469-1970 फेरो मॉलिब्डीनम; IS : 2024-1970 सिलिको क्रोमियम; IS : 2391-1970 फाउंड्री निकेल; IS : 3989-1970 अपकेन्द्रण द्वारा ढले लोहे के साकेट और स्पीगाट वाले मल, गंदे पानी और संवातनप इप और सहायक सामान; IS : 210-1970 भूरे ढलवाँ लोहे की वस्तुएँ; IS : 1028-1970 सिलिकॉन इस्पातों की मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए ढके इलेक्ट्रोड; IS : 1978-1971 लाइन पाइप; IS : 1573-1970 लोहे और इस्पात पर जस्ते का

विद्युतलेपन; और IS : 1771-1970 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए चाँदी का विद्युतलेपन।

8.4 सम्मतियों के लिए प्रचारित भारतीय मानकों के मसौदों में उल्लेखनीय हैं : अल्पताप गैस सिलिंडरों के निर्माण के लिए गर्म रोल्ड इस्पात की चद्दरें, सं धा वि प 5 (1217); स्वचल गाड़ियों की भूरे लोहे की ढली वस्तुएँ, सं धा वि प 9 (1249); धातुओं की कटाई और वेल्डिंग सम्बन्धी शब्दावली, सं धा वि प 14 (1208); लिफ्ट सिचाई कार्यों के लिए वेल्डकृत इस्पात की नालियाँ, सं धा वि प 22 (1253); इस्पात की विकार्बनीकृत गहराई नापने की पद्धति, सं धा वि प 27 (1122); वेल्डन द्वारा उत्पादित ई सी ग्रेड की एल्युमिनियम छड़ें, सं धा वि प 10 (1262); स्वचल गाड़ियों में उपयोग के लिए अनोडीकृत एल्युमिनियम, सं धा वि प 23 (1127); कैडमियम धातु, सं धा वि प 12 (1199); बेयरिंग बनाने के उपचारित सीसा आधारित प्रतिघर्षी धातु, सं धा वि प 12 (1176); और पीतल की वस्तुओं पर गर्म कलई करने की रीति संहिता, सं धा वि प 28 (1136)।

8.5 संरचना और धातु विभाग परिषद की स्थायी कार्य समिति की सातवीं बैठक 4 सितम्बर 1970 को हुई थी। कार्य समिति ने भारतीय मानक निर्धारण के 16 नए विषयों का अनुमोदन किया और 14 विषय समितियों की सदस्यता की समीक्षा की और चार विषय समितियों के नये अध्यक्ष नामांकित किए।

8.6 संरचना और धातु विभाग परिषद की तेरहवीं बैठक 27 फरवरी 1971 को हुई। विभिन्न विषय समितियों की गतिविधियों की समीक्षा करने के अतिरिक्त परिषद ने भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए 14 विषयों का अनुमोदन किया।

8.7 समीक्षागत वर्ष की अवधि में संरचना और धातु विभाग द्वारा निर्धारित तथा प्रेस को भेजे गए भारतीय मानकों की सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

9. वस्त्रादि विभाग

9.1 समीक्षागत वर्ष की अवधि में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित 50 भारतीय मानकों पर प्रकाशन के लिए कार्य किया, इनमें कुछ वर्तमान भारतीय मानकों के पुनरीक्षण भी शामिल हैं।

9.2 प्रकाशित भारतीय मानकों में विशेष रूप से निम्नलिखित हैं:

IS : 177-1970 सूती जीन की विशिष्टि — यह भारतीय मानक 1951 में प्रकाशित हुआ और 1965 में दुहराया गया। जब यह पता लगा कि कई प्रकार की जीनों की बनावट की विधियों में आंशिक समानता है और तोल तथा टूटन सामर्थ्य के विषय में कुछ असंगतियाँ हैं तो इसका पुनरीक्षण किया गया। इनकी पूरी तरह जाँच पड़ताल की गई और प्रकारों की संख्या घटा कर पाँच कर दी गई। इन्हीं प्रकारों से सभी खरीदारों का काम निकलने लगा। इस पुनरीक्षित संस्करण में किसी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने की दृष्टि से फिनिश की हर अवस्था में कपड़े की तोल अलग-अलग दी गई है।

IS : 5874-1970 विस्कोस रेयन के धागों के ग्रेड निर्धारण की विशिष्टि — यह विशिष्टि किसी भी राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा प्रकाशित मानकों में एक है और इस दृष्टि से अनुपम है। इस मानक में खरीदारों को अपने कार्यों के लिए आवश्यक प्रकार का धागा खरीदने में सहायता देने की दृष्टि से विस्कोस रेयन के कते धागों के विभिन्न ग्रेडों की परिभाषा प्रस्तुत की गई है।

IS : 5884-1970 रोएँ वाली (टफ्टदार) ऊनी कालीनें — भारत में टफ्टदार ऊनी कालीनें अभी हाल ही में बनने लगी हैं और इस समय इसका काफी मात्रा में निर्यात भी होता है। यह आशा की जाती है कि इस मानक के प्रतिपालन से अच्छी किस्म की टफ्टदार ऊनी कालीनों के निर्यात के लिए साख अच्छी बन सकेगी। इस मानक में लम्बाई, चौड़ाई, पाइलों की लम्बाई उनकी सघनता, टफ्टों की बँधाई और रंग के पक्केपन सम्बन्धी अपेक्षाएँ दी गई हैं।

IS : 5756-1970 कालीनों के पैक करने की संहिता — इस मानक में देश के भीतर बिक्री तथा बाहर के बाजारों को निर्यात करने में इस महँगी चीज को खराब होने से बचाने के उद्देश्य से हाथ से बनने वाली तथा टफ्टदार कालीनों को पैक करने की विधि विस्तारपूर्वक दी गई है। इसकी महता इसी से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जितनी कालीनें बनती हैं उनके 90 प्रतिशत का निर्यात हो जाता है जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रु० होती है।

IS : 5910-1970 ऊन की बारीकी के ग्रेड

IS : 5911-1970 ऊन की पोनियों की बारीकी के ग्रेड

ऊन और ऊन की पोनियों के ग्रेड के बारे में काफी भ्रांति है कि इससे क्वालिटी और ग्रेड दोनों का बोध होता है। यहाँ यह प्रयत्न किया गया है कि ऊन या ऊन की पोनियों, ग्रेड के ऊन की बारीकी के आधार पर परिभाषित करके इस भ्रांति को दूर किया जाए। IS : 5910 और IS : 5911 में देशी और आयातकृत ऊन और देशी और आयातकृत ऊन से बनी पोनियों के विभिन्न ग्रेडों के रेशों के व्यास अलग-अलग दिए गए हैं।

IS : 834-1970 होज़री के लिए सूती खुदरंग धागा—यह मानक सर्वप्रथम 1967 में प्रकाशित हुआ था। और भारत सरकार की टेक्सटाइल समिति के निरीक्षण विनियमों में दी अपेक्षाओं और इस मानक के व्यवहार की अवधि में प्राप्त सम्मतियों के अनुसार ढालने की दृष्टि से इसका पुनरीक्षण किया गया है। आशा है कि अगर पुनरीक्षित मानक में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप धागा खरीदा जाएगा तो खरीदारों की अधिकांश शिकायतें अपने आप दूर हो जाएँगी।

IS : 3022-1965 सूती और रेशमी करघों में उपयोग के लिए पूर्णतः धातु के बने रीड

IS : 4465-1970 चपटे इस्पात के हील्डों के लिए धातु के हील्ड फ्रेम

IS : 3368-1970 तार और चपटे इस्पात के हील्डों के लकड़ी के हील्ड फ्रेम

IS : 3523-1970 रिंग कताई फ्रेमों के लिए धातु के ट्रैवेलर

वस्त्रादि मिलों के सहायक सामान तथा मशीनी पुर्जों सम्बन्धी इन भारतीय मानकों के प्रकाशन से आशा की जाती है कि मिलों में और कुशलतापूर्वक काम होने की दिशा में निर्माताओं को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

IS : 2910-1971 पटसन के चौड़े करघों के लिए शटल

IS : 2784-1971 स्वत: नाल-परिवर्ती पटसन करघों के लिए शटल

IS : 1186-1971 हेसियन और सैकिंग करघों के लिए शटल

IS : 5944-1971 पटसन करघों पर शटलों में उपयोग के लिए सहायक सामान

महत्त्वपूर्ण वस्त्रादि सहायक साधनों में से एक शटल भी है क्योंकि कपड़े के उत्पादन में करघे के काम पर शटल का बड़ा प्रभाव होता है। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए ऊपर दी शटल सम्बन्धी भारतीय मानक विशिष्टियों को दुहराया गया है। तथा पटसन करघों के सहायक सामान की विशिष्ट तैयारी की गई है।

9.3 होज़री मानकों से सम्बन्धित क्षेत्रीय सम्मेलन — भा. मा. संस्था समय-समय पर भारतीय मानकों के प्रतिपालन के संवर्द्धन तथा मानकीकरण से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से सम्मेलनों का आयोजन करती रही है। इस उद्देश्य से दक्षिण भारत मिल-मालिक संघ के सहयोग से होज़री उद्योग सम्बन्धी मानकों पर एक सम्मेलन 23 मार्च 1971 को कोयम्बटूर में किया गया। सम्मेलन में तीन निबंध प्रस्तुत किए गए तथा उन पर विचार-विमर्श हुआ। ये निबन्ध सूती होज़री धागा के निर्माताओं तथा उसके उपयोगकर्ताओं के आगे आने वाली समस्याओं और होज़री वस्तुओं की गुणवत्ता बनाये रखने तथा लागत घटाने में भारतीय मानकों के योगदान से सम्बन्धित थे।

सम्मेलन में प्रमुख होज़री धागा सप्लायरों, सूती होज़री निर्माताओं, अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न संगठनों के लगभग 140 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में अनेक रचनात्मक तथा उपयोगी सिफारिशें की गईं जिन पर बाद में भा. मा. संस्था, दक्षिण भारत मिल मालिक संघ, दक्षिण भारत होज़री निर्माता संघ तथा अन्य सम्बद्ध संगठनों को कार्यवाही करनी थी।

इस अवधि में तैयार किए गए तथा प्रेस में भेजे गए 50 भारतीय मानकों की सूची परिशिष्ट 'क' में दी है।

10. संस्था की कार्य समिति (ई सी) के अधीन काम करने वाली विषय समितियाँ

10.1 प्रलेखन (डाक्यूमेण्टेशन) (का स 2) — प्रलेखन विषय समिति की 25वीं बैठक 20 अप्रैल 1970 को हुई। समिति ने रोमन वर्णमाला वाली पत्र-पत्रिकाओं के नामों के

शब्दों की संक्षिप्तियों की भारतीय मानक मार्गदर्शिका सम्बन्धी मसौदे (IS : 18 का पुनरीक्षण) को प्रकाशन के लिए अंतिम रूप दिया और आगे बताए चार मानकों के मसौदों को प्रचार के लिए अनुमोदित किया: (क) प्रलेख: का स 2 (72) फोटोग्राफी प्रिंटों (काले और सफेद) के धरने-उठाने और संग्रहण की भारतीय मानक मार्गदर्शिक, (ख) प्रलेख: का स 2 (71) पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण क्षेत्र, हाशियों और टाइप आकारों की भारतीय मानक मार्गदर्शिका, भाग 1 अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकें, (ग) प्रलेख : का स 2 (74) पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण क्षेत्र हाशियों और टाइप आकारों की मार्गदर्शिका, भाग 2 हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें, और (घ) प्रलेख: का स 2 (73) पाठ्य-पुस्तकों के पृष्ठ के लिए टाइप का चुनाव और विन्यास की भारतीय मानक मार्गदर्शिका।

विषय समिति के पुस्तकालय फार्मों और अभिलेखों के मानकीकरण के लिए एक पैनेल नियुक्त किया और एक नए विषय 'सावधिक प्रकाशनों की आवृति सम्बन्धी प्रतीक' का अनुमोदन किया।

10.2 किस्म-नियंत्रण और औद्योगिक सांख्यिकी विषय समिति — विषय समिति की सातवीं बैठक 30 और 31 दिसम्बर 1970 को हुई। समिति ने सार्थकता सम्बन्धी सांख्यिकीय परीक्षणों के मसौदे को अंतिम रूप दिया। समिति ने उत्पादन की अवधि में सांख्यिकी किस्म-नियंत्रण की भारतीय मानक पद्धतियाँ प्रलेख: का स 3 (133 और 134) के मसौदे को सम्मतियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रचारित करने के लिए अनुमोदित किया। समीक्षागत वर्ष में परीक्षण पद्धतियों की परिशुद्धता सम्बन्धी भारतीय मानक मार्गदर्शिका [IS : 5420 (भाग 1)-1969] प्रकाशित हुई।

10.3 कार्य अध्ययन विषय समिति (का स 9)— कार्य अध्ययन समिति की दूसरी बैठक 3 फरवरी 1971 को हुई। इस बैठक में कार्य अध्ययन शब्दावली सम्बन्धी भारतीय मानक को प्रकाशन के लिए अंतिम रूप दिया गया। समिति ने निर्णय किया कि मिश्रितकार्य विश्लेशण की शब्दावली सम्बन्धी भारतीय मानक का मसौदा तैयार किया जाए।

11. सांख्यिकी विभाग

11.1 समीक्षागत वर्ष की अवधि में विभाग द्वारा किए गए कार्य का महत्त्वपूर्ण अंग है सांख्यिकी किस्म-नियन्त्रण सम्बन्धी दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; इनमें से एक साइकिल उद्योग से सम्बद्ध लघु उद्योग विकास संगठन के अधिकारियों के लिए था और दूसरे पटसन उद्योग के भा. मा. संस्था लाइसेंसधारियों के लाभ के लिए। यह बात अधिकाधिक अनुभव की जा रही है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उद्योगों को संतोषजनक किस्म का एक स्तर का सामान किफायती मूल्य पर उपलब्ध कर सकने में काफी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की बानगी लेने की पद्धतियों तथा नियन्त्रण चार्टों और औद्योगिक सांख्यिकी सम्बन्धी अनेक बुनियादी भारतीय मानक तैयार करने के कार्य में व्यस्त रहा। ऊष्मासहों की बानगी लेने की योजना की जो पहले सिफारिश की गई थी उसको अधिक व्यवहारिक

और प्रतिपालनयोग्य बनाने की दृष्टि से उसमें संशोधन करने के लिए व्यापक आँकड़े इकट्ठा करने तथा उनके विश्लेषण का भी कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग ने भा. मा. संस्था के कर्मचारियों द्वारा ली गई विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का अध्ययन, छपाई के लिए कागज का विश्लेषण इत्यादि जैसे विशिष्ट अध्ययन और अन्वेषण कार्य किए।

11.2 भारतीय मानक मसौदों में जहाँ भी संभव हो सांख्यिकी किस्म-नियन्त्रण सम्बन्धी संधारणाओं का समावेश करने की दृष्टि से इस वर्ष 583 भारतीय मानकों के मसौदों का अध्ययन किया गया और उनमें से 199 में समावेश के लिए सांख्यिकीय दृष्टि से बानगी लेने की सर्वांगपूर्ण योजनाओं की सिफारिशें की गई जिनमें अधिकांश सिफारिशें तत्सम्बन्धी विषय समितियों द्वारा स्वीकार कर ली गई। इस सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय भारतीय मानक निम्नलिखित हैं:

IS : 5434-1969 समुद्री उपयोग के लिए बोतलों के अलोहमिश्रधातु के ट्रैप की विशिष्टि

IS : 5552-1970 वारफेरिन, तकनीकी की विशिष्टि

IS : 5579-1970 नियोन परीक्षण साधनों की विशिष्टि

IS : 5595-1970 उपाड़ने की छेनियों की विशिष्टि

IS : 5730-1970 वाष्पशील संक्षारण निरोधक पाउडर की विशिष्टि

11.3 भा. मा. संस्था की प्रमाणन मुहर योजना के अधीन लाइसेंस की स्वीकृति जाँच के लिए सांख्यिकी विभाग को भेजी गई 47 नेमी परीक्षण योजनाओं की जाँच की गई। विभिन्न लाइसेंसधारियों से नेमी निरीक्षण सम्बन्धी जो आँकड़े सिफारिशकृत योजना के अनुसार इकट्ठे हुए उनका सांख्यिकीय दृष्टि से यह देखने के लिए विश्लेषण किया गया कि मुहर लगा माल तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के अनुरूप है या नहीं अथवा परीक्षण तथा निरीक्षण जितनी बार करने की सिफारिश की गई है वह पर्याप्त है या नहीं।

11.4 निम्नलिखित अन्वेषण कार्य सहित मानकीकरण के बहुउद्देश्य पहलुओं से सम्बद्ध आँकड़ों पर व्यापक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण कार्य किया गया:

क) जलसह कागज, वनस्पति तेल, भुना चिकोरी पाउडर, गेहूं का चोकर, तम्बाकू और भुनी पिसी काफी जैसे उत्पादों की विशिष्टि सीमाओं का मूल्यांकन;

ख) छोटे औजारों, टायर धागा, टायर डोरी और टायर कपड़ों, और कच्ची रबड़ जैसे उत्पादों की बानगी लेने सम्बन्धी मानक तैयार करने के लिए आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण;

ग) पटसन हेसियन की टूटन सामर्थ्य जैसे लक्षणों के माध्यम के लिए अधिकतम अनुमत घटबढ़ निश्चित करना; और

घ) मक्का स्टार्च जैसे उत्पादों के लिए सिफारिशकृत बानगी लेने के पैमान की उपयुक्तता की जाँच ।

11.5 इसके अतिरिक्त मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई एस ओ) और अन्य विदेशी मानक निकायों के बानगी लेने विषयक शब्दावली और बेंजोल, चमड़ा, द्रव हैलोजेनीकृत हाइड्रोकार्बन, चाय, हरी काफी, लोहा और मैंगनीज़ अयस्क इत्यादि की बानगी लेने सम्बन्धी बुनियादी मानकों के प्रस्तावित मसौदों में सुधार की दृष्टि से सुझाव और तकनीकी सम्मतियाँ भेजी गई ।

12. अनुसंधान तथा अन्वेषण

12.1 कृषि तथा खाद्य उत्पाद विभाग — समीक्षागत वर्ष में इस विभाग द्वारा अनुसंधान और अन्वेषण के सम्बन्ध में इन विषयों पर कार्य हुआ : खाद्य रंगों में रंजकों का परिमाण निकालने की पद्धति; पावरोटी के खमीर की सुयोग्यता परखने की श्रेष्ठतर पद्धति, उसकी खमीर उठाने की शक्ति तथा उठ आने की क्षमता के संदर्भ में; प्रोटीन कार्यकुशलता अनुपात निकालने की पद्धति; पैकिंग और भंडारण की विभिन्न स्थितियों में मक्का फ्लेक की नमी ग्रहण करने की शक्ति; विभिन्न भंडारण स्थितिओं और धारकों में रखे जाने पर मालाथियोन तकनीकी की अम्लता में वृद्धि; खाद्य मांड़ों में निरापद रखने के लिए सीसा और ताँबा जैसी भारी धातुओं की अधिकतम अनुमत सीमाएँ; तम्बाकू उत्पादों में निकोटिन और क्लोराइड की मात्रा; और सद्यः उपलब्ध घोलकों की सहायता से खलियों में अपरिष्कृत तेल की मात्रा निकालना ।

रसायन विभाग — समीक्षागत अवधि में किया गया अनुसंधान और अन्वेषण कार्य इन विषयों से सम्बन्धित था : रबड़ के द्रवचालित ब्रेक कपों का किस्म आकलन; लीनालूल, टाल्यूडाइन और एनीसिडीन, एल्युमिनों-फेरिक, सोडियम ट्राइफास्फेट और ट्राइसोंडियम फास्फेट; काली जलसह ड्राइंग स्याही में पक्के पड़ने की परीक्षण पद्धति, रंगोन जलसह ड्राइंग स्याही का त्वरित समय पचन परीक्षण; ड्रम वाली मशीनों के लिए सभी मौसमों वाली काली डुप्लीकेटिंग स्याहियों में बारीकी, गाढ़ापन और कार्यप्रदता परीक्षण; दो सिलेंण्डर वाली रोटरी मशीनों की डुप्लीकेटिंग स्याही की पिसाई की बारीकी; और त्वचा क्रीमों की ताप स्थिरता । निम्नलिखित परीक्षण के लिए सहयोगात्मक अन्वेषणात्मक अन्वेषण कार्य किए गए : साइकिल के रबड़ के ट्यूबों के फटने की सामर्थ्य निकालना; प्राकृतिक रबड़ों का नम्यता-धारण सूचक और श्यानता-धारण सूचक; बेरियम सल्फाइड के जल-घुलनशील अंश और अम्ल-घुलनशील अंश; डीजल ईंधनों के सीटेन अंक; गैसोलीन की आक्टेन संख्या; और वनस्पति तेलों के रंग मान । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खस के नमूने फ्रांस, नीदरलैण्ड, ब्रिटेन और भारत की प्रयोगशालाओं को एस्टर मान, कार्बोनिल मान और ध्रुवर्ण घूर्णन के परीक्षण के लिए भेजे गए और लाखदाने के नमूने फ्रांस, अमेरिका और भारत की प्रयोगशालाओं को विरंजन योग्यता तथा विरंजन अंक निकालने के उद्देश्य से वितरित किए गए ।

सिविल इन्जीनियरी विभाग — अनुसंधान और अन्वेषण कार्य इन विषयों पर जारी रहा : इमारती चूने में मैगनीशियम की मात्रा की अनुमत सीमाओं के दुहराने; वेग वंटन पर और इसी से स्राव गुणांक पर तलछट का प्रभाव; वेग क्षेत्रफल पद्धति द्वारा बहाव मापन में अशुद्धि निकालने के लिए आँकड़े इकट्ठे करने सम्बन्धी हिदायतें; खुली नालियों में बहाव पर तलछट चालन (ड्रैग से) द्वारा तलछटी बनाने के प्रभाव का अध्ययन; बुलबुला मापक के उपयोग, रेशे के हार्डबोर्डों में खम तथा ऐंठन पड़ने और ब्लाकबोर्डों के मध्यभागों के परिरक्षक उपचार के सम्बन्ध में अन्वेषण। धारामापियों की रेटिंग पर तलछट के प्रभाव, नहरों में स्राव मापन के लिए कम से कम ऊर्ध्वधिरों की संख्या और नाव के संदर्भ में धारामापी की स्थिति के अध्ययन पर कार्य इस वर्ष पूर्ण हो गया।

संरचना और धातु विभाग — फाउंड्रियों में उपयोग के लिए डेक्स्ट्रिन की विस्कोसिता और पी एच मान निकालने के लिए अन्वेषण कार्य जारी कराया गया। कुछ संगठनों द्वारा IS : 4269-1967 फाउंड्रियों में उपयोग के लिए डेक्स्ट्रिन की विशिष्टि के अनुरूप भेजे गए, डेक्स्ट्रिन के नमूनों के आधार पर परीक्षण पूर्ण कर लिए गए और प्राप्त परिणामों को फाउंड्रियों विषय समिति सं. धा. वि. प. 17 द्वारा भारतीय मानक के पुनरीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मदों पर कार्य चल रहा था:

क) फाउंड्री रेत नियंत्रण के लिए मानक रेत की तैयारी, और
ख) ढली वस्तुओं में इस्पात के वेल्डों के संदर्भ रेडियोग्राफों का उत्पादन।

टेक्सटाइल विभाग — 'IS : 4665 चपटे इस्पात के हील्डों के लिए धातु के हील्ड फ्रेमों की विशिष्टि' के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में बेकार किए गए आयातित हील्ड फ्रेमों से बने स्टेव और हील्डवाही छड़ों के कटवाँ एल्युमिनियम के सेक्शनों की कतरनों के नमूनों का परीक्षण उनकी रसायनिक रचना और ब्रिनेल कठोरता की मात्रा (केवल एल्युमिनियम के लिए) निकालने के लिए किया गया। 'IS : 6001-1971 फ्लायर तकुओं' के बारे में आवश्यक जानकारी का समावेश करने के उद्देश्य से देशी और आयातित फ्लायर तकुओं के नमूनों के विभिन्न भागों की रसायनिक रचना तथा ब्रिनेल कठोरता की मात्रा निकालने के लिए परीक्षण किया गया।

भाग तीन

अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप

1. अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ)

1.1 31 मार्च 1971 को आई एस ओ की 138 तकनीकी समितियों में से भारतीय मानक संस्था 107 तकनीकी समितियों की सक्रिय सदस्य और 28 अन्य समितियों का सामान्य सदस्य थी। इनमें से संस्था को 4 तकनीकी समितियों, 5 उपसमितियों और 7 कर्मीदलों के सचिवालय मिले हुए थे।

1.2 आई एस ओ महासभा — महासभा की बैठक अंकारा में 21-25 सितम्बर 1971 को श्री एफ. ए. संटर के सभापतित्व में हुई। इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व टैक्सटाइल विभाग परिषद के अध्यक्ष श्री हर्षवदन मंगलदास, भा. भा. संस्था के तत्कालीन महानिदेशक डा. ए. एन. घोष और महानिदेशक श्री एस. के. सेन ने किया। डा. फ्राँसिस लाके (सं. रा. अमेरिका) को 1 जनवरी 1971 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आई एस ओ का अध्यक्ष चुना गया। ब्राजील, जर्मनी, भारत, रूमानिया और सोवियत यूनियन के सदस्य निकाय 1 जनवरी 1971 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आई एस ओ परिषद के सदस्य चुने गए।

1.3 आई एस ओ आयोजन समिति — आयोजन समिति तकनीकी समितियों के ढांचे के भीतर होने वाले आई एस ओ के तकनीकी काम का आयोजन करने और आई एस ओ को अनुमोदन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस समिति की बैठक श्री एल. लुडविग(जर्मनी)की अध्यक्षता में 15 सितम्बर 1970 को अंकारा में हुई। तत्कालीन महानिदेशक डा. ए. एन. घोष ने बैठक में भाग लिया। समिति ने परिषद के अनुमोदन के लिए कुछ विषयों जैसे कपड़ों की साहजें, निर्माण कार्य और फोटोग्राफी से सम्बन्धित आई एस ओ तकनीकी समितियों के शीर्षकों और विषय क्षेत्रों के संशोधन हेतु अनेक प्रस्तावों पर विचार किया तथा आवश्यक सिफारिशें कीं। इसने कृषि मशीनों और ट्रैक्टरों, मांड़, तेल-बर्नरों और तत्सम्बन्धी साज-सामान विषय समितियों के सचिवालयों के वितरण के विषय में कुछ सिफारिशें कीं।

1.4 आई एस ओ विकास समिति — आई एस ओ विकास समिति की बैठक 24 सितम्बर 1970 को श्री आर. फ्रंतार (फ्राँस) की अध्यक्षता में हुई। संस्था के तत्कालीन महानिदेशक डा. ए. एन. घोष और महानिदेशक डा. एस. के. सेन ने बैठक में भाग लिया। बैठक में मानकीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण और प्रशिक्षण के प्रादेशिक पक्ष-सहित

अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया। विकासशील देशों से प्राप्त होने वाले मानकीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर विचार करके उनमें आवश्यक काट-छाँट करने और उस सम्बन्ध में विकास समिति को सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य और भारत (अध्यक्ष) सहित एक कर्मीदल स्थापित किया गया।

1.5 आई एस ओ तकनीकी समितियाँ — आई एस ओ की जिन तकनीकी समितियों, उपसमितियों और कर्मीदलों के काम में भारत की रुचि है उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

आई एस ओ/टी सी 2 पट्टे ढेबरियाँ और सहायक सामान (सचिवालय : जर्मनी)— आठवीं बैठक, 1-4 जून 1970 म्यूनिख (जर्मनी)। भारत की ओर से संस्था के उपनिदेशक (मशी. इंजी.) श्री एस. चन्द्रशेखरन् ने भाग लिया। स्प्लिट पिनों, समान्तर और गावदुम पिनों और क्लेविस पिनों सम्बन्धी आई एस ओ रिकमेंडेशनों के प्रस्तावित मसौदों को अन्तिम रूप दिया गया। टैपिंग पेचों के मशीनी गुणधर्म निर्धारित किए गए और वर्तमान टार्कनुमा इस्पात के षट्भुज ढेबरियों के आई एस ओ रिकमेंडेशन के प्रस्तावित मसौदे को स्वीकार किया गया। पतली ढेबरियों के मापों और साथ ही मशीनी-गुणधर्मों को आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा तैयार करने की दृष्टि से अन्तिम रूप दिया गया। इस्पात संरचनाओं के काबलों, ढेबरियों और वाशरों और लकड़ी के पेचों के विषयों को नव गठित कर्मीदल को अध्ययन के लिए सौंप दिया गया।

आई एस ओ/टी सी 5 पाइप और फिटिंग (सचिवालय : स्विट्जरलैंड) — निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्राप्त हुए और भारत का अनुमोदन आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय को सूचित किया गया:

क) सं० 2034 द्रव परिवहन के लिए प्लास्टिक सामग्री के पाइप (बाहरी व्यास और सांकेतिक दाब भाग 1 मीटरी सिरीज (आई एस ओ/आर 161 का पुनरीक्षण)

ख) सं० 2035 अवदाब के लिए छल्लेनुमा प्रतिस्थापी सीलिंग जोड़ों के लिए अनम्यकृत पी वी सी गढ़े फिटिंगों के दाब प्रतिरोध परीक्षण

ग) सं० 2037 पाइप और फिटिंग-खाद्य उद्योग के लिए स्टेनलेस इस्पात की नलियाँ

घ) सं० 2043 अवदाब के लिए छल्लेनुमा प्रतिस्थापी सीलिंग जोड़ों के लिए अनम्यकृत पी वी सी के गढ़े फिटिंगों के लिए भट्टी परीक्षण

ङ) सं० 2044 दाब पाइपों में उपयोग के लिए अनम्यकृत पी वी सी के इंजेक्शन गढ़े घोलक वेल्डकृत साकेट फिटिंगों के लिए जलीय भीतरी दाब परीक्षण

च) सं० 2045 प्रत्यास्थ सीलिंग छल्लेनुमा जोड़ों वाली अनम्यकृत पी वी सी दाब नलियों के इकहरे साकेट फिटिंग — न्यूनतम गहराई

छ) सं० 2048 प्रत्यास्थ सीलिंग छल्लेनुमा जोड़ों वाली अनम्यकृत पी वी सी दाब नलियों के लिए दोहरे साकेट फिटिंग — न्यूनतम गहराई

ज) सं० 2056 पाइप और फिटिंग इंजेक्शन गढ़े पी वी सी फिटिंग-विकाट मृदुकारी ताप निकालना — परीक्षण पद्धति

झ) सं० 2084 सामान्य उपयोग के लिए पाइप लाइनों के फ्लैंजों के अनुरूप माप

आई एस ओ/टी सी 5/उ स 1 गैस लिस्ट नालियाँ तथा अन्य इस्पात के पाइप (सचिवालय : स्विट्जरलैंड) — तेरहवीं बैठक, 7-9 अक्टूबर 1970, मेड्रिड (स्पेन)।

निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों पर पुनरीक्षण के लिए विचार किया गया:

क) आई एस ओ/आर 134 सामान्य कार्यों के लिए बिना पेंच वाली इस्पात की नलियाँ

ख) आई एस ओ/आर 64 इस्पात की नलियाँ — बाहरी व्यास

ग) आई एस ओ/आर 221 इस्पात की नलियाँ — मोटाई

घ) आई एस ओ/आर 336 वेल्डकृत या सीवन रहित सादी और इस्पात की नलियाँ — प्रति इकाई माप और भार सम्बन्धी सामान्य सारणी

ङ) आई एस ओ/आर 559 वेल्डकृत या सीवन रहित गैस, पानी और मल निकास के लिए इस्पात के पाइप

च) आई एस ओ/आर 560 ठंडी खिंची परिशुद्धता वाली इस्पात की नलियाँ, मीटरी सिरीज प्रति मीटर भार और माप

छ) आई एस ओ/आर 285 इस्पात के पाइप बट वेल्डिंग मोड़ (90° और 180°)

ज) आई एस ओ/आर 1165 द्रवों के परिवहन के लिए प्लास्टिक के पाइप — अनम्यकृत पी वी सी के पाइप—चादर की 16 मिमी तक की मोटाई पर छूट

झ) आई एस ओ/आर 1128 इस्पात की नलियाँ — बट वेल्डिंग मोड़ 5 डी (90° और 180°)

ट) आई एस ओ/आर 1129 ब्वायलर नलियाँ — माप, छूट और प्रति लम्बाई इकाई रूढ़ भार

ठ) आई एस ओ/आर 1127 स्टेनलेस इस्पात की नलियाँ—माप छूट और प्रति लम्बाई इकाई रूढ़ भार। बैठक में निम्नलिखित दो प्रलेखों को अंतिम रूप दिया गया:

1.) प्रलेख 5/1 एन 143 व्यापारिक किस्म की सीवनरहित सादे सिरों वाली नलियाँ अमिश्रित इस्पात की बनी और बिना किस्म सम्बन्धी अपेक्षाओं वाली

2) प्रलेख 5/1 एन 144 व्यापारिक किस्म की वेल्डकृत सादे सिरों वाली नलियाँ अमिश्रित इस्पात की बनी और बिना किस्म सम्बन्धी अपेक्षाओं वाली

आई एस ओ/टी सी 5/उ स 2 ढलवाँ लोहे के पाइपों के फिटिंग और उनके जोड़ (सचिवालय : फ्रांस)— दाब पाइप लाइन के लिए तन्य ढलवाँ लोहे के पाइपों, फिटिंगों और सहायक सामान का आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा प्राप्त हुआ और भारत की ओर से उसका अनुमोदन किया गया। गंदे पानी और सफाई के ढलवाँ लोहे के पाइप के फिटिंगों के आई एस ओ रिकमेंडेशन सं० 1670 का मसौदा (आई एस ओ/आर 531 का अनुशेष) आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय से प्राप्त हुआ।

आई एस ओ/टी सी 5/उ स 3 अलोह धातुओं के पाइप (सचिवालय: फ्रांस)—आई एस ओ रिकमेंडेशन सं० 2016 ताँबे की नलियों के शिरा टाँका फिटिंग—साकेट और ग्राह्य सिरों, के माप का मसौदा आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय से प्राप्त हुआ था और भारत की ओर से उसका अनुमोदन किया गया। गोल सेक्शन वाली ताँबे की नलियाँ—माप, मीटरी सिरीज सम्बन्धी आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा उपसमिति के सचिवालय से प्राप्त हुआ।

आई एस ओ/टी सी 6 कागज, गत्ता और गूदा (सचिवालय : फ्रांस)—छठवीं बैठक 2 अक्टूबर 1970, लंदन। इस तकनीकी समिति की बैठक के पूर्व आई एस ओ/टी सी 6/उ स 2 गूदे और गत्ते की परीक्षण पद्धति और गुण विशिष्ट और आई एस ओ/टी सी 6/उ स 5 गूदे की परीक्षण पद्धतियाँ और गुण विशिष्ट की बैठकें हो चुकी थी। मुख्य निर्णय निम्नलिखित के विषय में लिए गए:

क) आई एस ओ/आर 269 पत्र व्यवहार के लिफाफों का पुनरीक्षण

ख) उनके प्रशासन और कागज उद्योग के पारस्परिक हितों सम्बन्धी प्रश्नों पर पुनः अध्ययन

ग) मापक यन्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय अंशांकन के लिए एक कर्मीदल की स्थापना

आई एस ओ/टी सी 8 जलयान निर्माण व्यौरे (सचिवालय : नीदरलैंड)—सातवीं बैठक, अक्टूबर 1970, लंदन। भारत की ओर से श्री एस. परमानन्दन् और श्री के. एस. सुब्रमनियम् ने भाग लिया। बैठक में समिति ने निम्नलिखित को अन्तिम रूप दिया:

क) वर्तमान 12 कर्मीदलों और 10 विज्ञ दलों को मिलाकर भारत के सुझाव के अनुसार 14 उपसमितियों में पुनर्गठित करना; उनके विस्तृत विषय-क्षेत्र उनके सामने दिए हैं:

	सचिवालय
उ स 1 जलयान का ढाँचा, ढाँचे के फिटिंग और डेक का साज सामान	ब्रिटेन
उ स 2 उठाने के गियर और सहायक सामान	ब्रिटेन
उ स 3 जलयान पेंच प्रोपेलर	फ्रांस

	सचिवालय
उ स 4 सुरक्षा उपकरण	ब्रिटेन
उ स 5 मशीनरी और पाईपिंग	फ्रांस
उ स 6 नौचालन अस्थायी रूप से टी सी 8 का सचिवालय काम करेगा कर्मीदल चुम्बकीय कुतुबनुमा	ब्रिटेन
उ स 7 भीतरी नौचालन	रूस
उ स 8 जलयान के पार्श्व रोशनदान (स्कुटल)	नीदरलैंड
उ स 9 जीवन नौकाएँ तथा जीवन रक्षा साज-सामान	जापान
उ स 10 डेक मशीनादि	इटली
उ स 11 शब्दावली, प्रतीक, ड्राइंग, इत्यादि	भारत
उ स 12 प्रयुक्त नौभार के सम्बन्ध में जलयान मालकक्ष और डेक	नीदरलैंड
उ स 13 जलयान के स्थान सम्बन्धी माप समंजन	ब्रिटेन
उ स 14 याच	फ्रांस

ख) इन उपसमितियों का कार्यक्रम तथा विभिन्न उपसमितियों के अधीन आने वाले मानक निर्धारण सम्बन्धी विषयों की सूची

ग) इन 14 उपसमितियों को चलाने के लिए सचिवालयों का नियतन

घ) विभिन्न कर्मीदलों और अध्ययन दलों के अधीन विभिन्न अवस्थाओं में तैयार हो रहे तथा वर्तमान आई एस ओ रिकमेंडेशनों का अध्ययन और नवगठित उपसमितियों को उनका हस्तांतरण

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत ने निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों को मिलाकर 'पाइप लाइन और संवातन प्रणाली की संस्थापन योजनाओं में उपयोग के लिए रूढ़ प्रतीक, प्रलेख : आई एस ओ/टी सी 8/उ स 11 (सचि०-1)1' तैयार कर लिया है:

आई एस ओ/आर 644 जलयानों में संवातन प्रणालियों की संस्थापन योजनाओं में उपयोग के लिए रूढ़ चिह्न

आई एस ओ/आर 538 जलयानों में पाइपलाइन प्रणालियों की संस्थापन योजनाओं में उपयोग के लिए रूढ़ चिह्न

आई एस ओ/आर 784 जलयानों में सेनीटरी प्रणालियों की संस्थापन योजनाओं में उपयोग के लिए रूढ़ चिह्न

यह प्रस्तावित मसौदा आई एस ओ/टी सी 8/उ स 11 के 'पी' तथा 'ओ' सभी सदस्यों को सम्मतियों के लिए प्रचारित कर दिया गया है।

आई एस ओ/टी सी 11 ब्वायलर और दाब पात्र (सचिवालय : सं. रा. अ.) — पाँचवीं बैठक,13-23 अप्रैल 1970, स्टाकहोम। भारत का प्रतिनिधित्व सर्वश्री एस. सी. दे, बी. आर. रामप्रसाद, एन. घोष तथा एम. वी. पाटनकर ने किया। दाब पात्रों के प्रलेख को आई एस ओ रिकमेंडेशन के मसौदे के रूप में प्रचारित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया। यह तय किया गया कि आई एस ओ/आर 831 अचल ब्वायलरों के निर्माण नियम, को अद्यतन बनाने के लिए दुहराने का काम शुरू किया जाए। यह भी तय किया गया कि भविष्य में ब्वायलरों और दाब पात्रों सम्बन्धी आई एस ओ प्रलेखों के पुनरीक्षण तैयार करने में ऑस्टिनाइटी इस्पातों को भी लिया जाए।

क्रमिक निर्मित दाब पात्रों के क्षेत्र में काम करने के लिए एक नई उपसमिति आई एस ओ/टी सी 11/उ स 4 क्रमिक निर्मित दाब पात्र, स्थापित की गई।

आई एस ओ/टी सी 12 राशियाँ, इकाइयाँ, प्रतीक, परिवर्तन गुणक तथा परिवर्तन सारणियाँ (सचिवालय : डेनमार्क) — आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय द्वारा प्रचलित निम्नलिखित दो प्रलेख आई एस ओ सदस्यों-निकायों द्वारा बहुमत से स्वीकार कर लिए गए:

क) आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा सं० 2180, आई एस ओ/आर 31 की सामान्य भूमिका-राशियों, इकाइयों और प्रतीकों से सम्बन्धित सामान्य सिद्धांत

ख) आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा संख्या 2188 आयामरहित पैरामीटर

आई एस ओ/टी सी 12/उ स 1 ईकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में मानों के अन्तर्परिवर्तन की पद्धति (सचिवालय : भारत) — इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी में अन्तर्परिवर्तन की विधि से सम्बन्धित चौथा प्रस्तावित मसौदा (प्रलेख 12/1 एन 31) आई एस ओ/टी सी 12 के सदस्यों से प्राप्त सम्मतियों के आधार पर उपयुक्त रूप से संशोधित कर लिया गया है। इस प्रलेख का संशोधित संस्करण आई एस ओ/टी सी 12 के सचिवालय को भेजा गया था जो आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय को रिकमेंडेशन सं० 2337 के मसौदे के रूप में प्रचारित किए जाने के लिए भेज दिया गया।

आई एस ओ/टी सी 12/उ स 2 विभिन्न उद्योगों में इकाइयों, अपवर्त्यों और उप-अपवर्त्यों के उपयोग के सामान्य नियम (सचिवालय : डेनमार्क) — सचिवालय ने आई एस ओ/आर 1000 — अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाइयों के उपयोग और अं. प्र. की इकाइयों के अपवर्त्यों और उपअपवर्त्यों के चुनाव के नियम, का पुनरीक्षित संस्करण आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा (प्रलेख 12/2 एन 62) तैयार किया है। इस मसौदे पर स्टाकहोम में 1 से 3 जून 1971 को होने वाली उपसमिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

आई एस ओ/टी सी 17 इस्पात (सचिवालय : ब्रिटेन) — दसवीं बैठक 1-5 जून 1970, एडिनबर्ग (स्काटलैण्ड)। भारत की ओर से सर्वश्री जी. एस. मूर्ति,

बी. एस. कृष्णामाचार, उपमहानिदेशक भा. मा. संस्था, डा. यू. एन. भरानी और डा. आर. के. दत्त ने भाग लिया। बैठक में जिन महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए उनमें ये सम्मिलित हैं : एस आई इकाइयों का ग्रहण, दो नई उप-समितियों : (क) रेल की पटरियाँ और उनके बंधक (फासनर), और (ख) इस्पात की ड्राप और दाब द्वारा गढ़ी वस्तुओं की माप सम्बन्धी प्रस्तावित मसौदे, संपूर्ति सम्बन्धी बानगी देने और सामान्य तकनीकी स्थितियाँ, गर्म रोल्ड इस्पात के सेक्शनों के माप, दाब वर्तनों के लिए इस्पात, और आई एस ओ/टी सी 17 का भविष्य का कार्यक्रम। समांतर फ्लैंज धरनी और खम्भे के सेक्शन सम्बन्धी प्रस्तावित मसौदे आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदों के रूप में अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिए गए।

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 1 इस्पात का रसायनिक और स्पेक्ट्रोरसायनिक विश्लेषण (सचिवालय : इटली) — पाँचवीं बैठक, 18-19 मई 1970, रोम (इटली)। भारत की ओर से श्री आर. के. दत्त ने भाग लिया। इस बैठक में इस्पात में फासफोरस और सिलिकॉन (स्पेक्ट्रोफोटोमीटरी पद्धति), क्रोमियम (विभवमापी पद्धति) और अल्प कार्बन की मात्रा निकालने के आई एस ओ के प्रस्तारित मसौदों पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 2 इस्पातों का वर्गीकरण और पदनाम (सचिवालय : भारत) — इस वर्ष कोई बैठक नहीं हुई। सचिवालय द्वारा इस्पातों के वर्गीकरण सम्बन्धी प्रलेख तैयार किया और उपसमिति के सदस्यों को प्रचारित किया गया।

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 4 ताप उपचारित इस्पात, मिश्र इस्पात और सहज कट्य इस्पात (सचिवालय : प० जर्मनी) — बारहवीं बैठक, 26-29 अक्टूबर 1970, टोकियो। बैठक में ताप उपचारित, इस्पात, क्रीप प्रतिरोधी इस्पात और विद्युत वेल्डकृत गोल कड़ी वाली चेनों के इस्पात के प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 6 इस्पात की मशीनी परीक्षण पद्धति (सचिवालय: ब्रिटेन) — छब्बीसवीं बैठक, 19-21 जनवरी 1971, डुसेल्डर्फ (जर्मनी)। निम्नलिखित आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया:

क) प्रतिबल मापक तकनीक से अरीय भार विश्रांति परीक्षण मशीन द्वारा अरीय भार विश्रांति परीक्षण मशीन का चल भार अंशांकन

ख) इस्पात के कठोरता पैमानों की तुलना,

ग) भंग परीक्षण के लिए परीक्षण खण्ड अक्ष की पहिचान

आई एस ओ/टी सी 17/ उ स 7 मशीनी परीक्षण और रसायनिक परीक्षण के अतिरिक्त परीक्षण पद्धति (सचिवालय : फ्रांस) — तीसरी बैठक, 28 और 29 मई 1970, कूरबेवोय (फ्रांस)। निम्नलिखित आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया:

क) ताप उपचारणीय अमिश्रित और अल्प मिश्र संरचना इस्पातों के डिकार्बनीकरण की गहराई निकालना

ख) सतह तापन के उपरांत कठोरीकरण की प्रभावी गहराई निकालना

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 9 कलई की चद्दरें और काली चद्दरें (सचिवालय : ब्रिटेन) — आठवीं बैठक, 7-9 अक्टूबर 1970, पेरिस। बैठक में निम्नलिखित आई एस ओ प्रस्तावों पर विचार किया गया:

क) शीत अवचायित टीन की चद्दरें और शीत अवचायित काली चद्दरें : भाग 2 कॉयल, का तीसरा आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा, आई एस ओ/टी सी 17/कर्मीदल 9 (सचिवालय : 39) 126

ख) टीन की चद्दरों और काली चद्दरों की पैकिंग सम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षाओं का पहला आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा

आई एस ओ/टी सी 17 उ स 10 दाब-पात्रों के लिए इस्पात (सचिवालय : प० जर्मनी) — तीसरी बैठक, 2 जून 1970, एडिनबर्ग। इस बैठक में दाब-पात्रों के इस्पात के आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर सदस्य देशों से प्राप्त सम्मतियों पर विचार किया गया और तकनीकी समिति आई एस ओ/टी सी 17 के विचारार्थ उपसमिति की सिफारिशें तैयार की गईं :

आई एस ओ/टी सी 17/उ स 11 इस्पात की ढली वस्तुएँ (सचिवालय : फ्रांस) — पहली बैठक, 25-26 मार्च 1971, पेरिस। सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए ढलवाँ इस्पातों से सम्बन्धित प्रथम आई एस ओ प्रस्तावित मसौदे पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 18/उ स 1 रसायनिक विश्लेषण पद्धतियाँ (सचिवालय : बेल्जियम) — चौथी बैठक, 21-22 अक्टूबर 1970, मिलान (इटली)। भारत ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में जस्ता मिश्रधातुओं में ताँबा जटिलतामापी द्वारा मैगनीशियम के निर्धारण के साथ जस्ता मिश्रधातुओं, सीसा और कैडमियम के ध्रुवलेखीय निर्धारण सम्बन्धी आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों के साथ रसायनिक और स्पेक्ट्रोलेखी विश्लेषण के लिए नमूने छाँटने और तैयार करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

जस्ता मिश्रधातुओं में सिलिकॉन और ताँबा निर्धारण के आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा प्राप्त हुआ। ताँबा निर्धारण के मसौदे का सम्मतियों के साथ भारत की ओर से अनुमोदन किया गया।

आई एस ओ/टी सी 20 वायुयान (सचिवालय : ब्रिटेन) — निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदे इस समिति के विचाराधीन हैं:

क) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1540 वायुयान की विद्युत प्रणाली के लक्षण

ख) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1965 वायुयान के एल्युमिनियम के बिजली के केबलों पर लगाने के एल्युमिनियम के अंत्य सिरे

ग) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1966 बिजली के केबलों के चपटा कर बनाए गए जोड़

घ) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2032 वायुयान के लिए ताप प्रतिरोधी तार मसौदा

ङ) आई एस ओ/टी सी 20 (सचिवालय : 733) 1201 ई नियंत्रण केबल फिटिंगों का मानक तैयार करने की दिशा में ब्रिटेन की प्रगति की रिपोर्ट

च) आई एस ओ/टी सी 20 (सचिवालय : 734) 1202 ई वायुयान नियंत्रण केबल सिरों के कनेक्शनों सम्बन्धी ब्रिटेन द्वारा प्रदत्त जानकारी

आई एस ओ/टी सी 22 स्वचल गाड़ियाँ (सचिवालय : फ्रांस) — 1970 में कोई बैठक नहीं हुई। इस अवधि में भा. मा. संस्था की रुचि वाले निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे जारी किए गए:

क) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1723 वाणिजीय अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए 24 वोल्ट के बिजली के सामान वाले प्राइम मूवर और टोकृत गाड़ियाँ

ख) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1724 गाड़ियों, विशेष रूप से प्राइवेट मोटरकार और हल्के ट्रेलरों या कारवाँ के लिए 6-12 वोल्ट के बिजली के साज-सामान वाली गाड़ियों के बिजली के कनेक्शन,

ग) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2088 (आई एस ओ रिकमेंडेशन आर-512 का पुनरीक्षण मोटर गाड़ियों में ध्वनि संकेतन साधन — ध्वनि सम्बन्धी मानक और तकनीकी विशिष्टियाँ

आई एस ओ/टी सी 22 टी कृषि ट्रैक्टर (सचिवालय : फ्रांस) — आठवीं बैठक, 1 से 6 जून 1970, मास्को (रूस)। भारत की ओर से सर्वश्री पी. जान जकरिया और आर. एम. सिंह ने भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित प्रलेखों पर विचार किया गया:

क) त्रिक् बिन्दु लगाव
ख) द्रुत कपलर
ग) वर्तमान प्रकार के पावर टेक-आफ शैफ्टों का अध्ययन
घ) ट्रैक्टरों की इंजन पावर
ङ) सुरक्षा कैब और सुरक्षा फ्रेम
च) ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच मशीनी कनेक्शन

आई एस ओ आयोजन समिति की सिफारिश पर आई एस ओ परिषद ने यह तय किया कि आई एस ओ/टी सी 22 टी कृषि ट्रैक्टर और आई एस ओ/टी सी 23 कृषि मशीन को मिलाकर आई एस ओ/टी सी 23 कृषि ट्रैक्टर और मशीन, नामक एक तकनीकी समिति बना दी जाए। उसका सचिवालय फ्रांस को दिया जाए। भारत इस समिति का सक्रिय सदस्य है।

आई एस ओ/टी सी 24 चलनियाँ, छनाई और अन्य आकारमापी पद्धतियाँ (सचिवालय : जर्मनी) — आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2194 औद्योगिक कार्यों के लिए तार की जालियाँ और चद्दर की जालियाँ, छिद्रों के सांकेतिक माप, सम्मतियों के लिए प्राप्त हुआ।

आई एस ओ/टी सी 24/उ स 3 औद्योगिक जालियों की सतह (सचिवालय : जर्मनी) — निम्नलिखित दो नए कर्मीदल स्थापित किए गए:

क द 1 तार की जालियाँ

क द 2 चद्दर की जालियाँ

आई एस ओ/टी सी 24/उ स 4 छनाई के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों द्वारा आकारमापन (सचिवालय : सं. रा. अ.) — निम्नलिखित तीन नए कर्मीदल स्थापित किए गए:

क द 1 तलछटन और वर्गीकरण

क द 2 सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापन और गिनाई

क द 3 विशिष्ट सतह का मापन

आई एस ओ/टी सी 25 ढलवाँ लोहा (सचिवालय : ब्रिटेन) — पाँचवीं बैठक, 16-17 सितम्बर 1970, लंदन। औस्टिनाइटी ढलवाँ लोहे सम्बन्धी दूसरा आई एस ओ प्रस्तावित मसौदा और आई एस ओ/आर 944 पलहिटी वर्ध्य ढलवाँ लोहा और आई एस ओ 1083 गोलाभ अथवा ग्रंथिल ग्रेफाइट ढलवाँ लोहा सम्बन्धी ब्रिटेन के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 25/क द 2 गोलाभ ग्रेफाइट ढलवाँ लोहा (सचिवालय : फ्रांस) — आई एस ओ/आर 1083 ग्रंथिल ग्रेफाइट ढलवाँ लोहे के लिए गोलाभ ग्रेफाइट प्रकाशित किया गया।

आई एस ओ/टी सी 26 ताँबा और ताँबा मिश्रधातु —(सचिवालय: जर्मनी)— आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय से निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे सम्मतियों के लिए प्राप्त हुए:

सं 2237 ताँबा, मिश्र ताँबा तथा ताँबा मिश्रधातु — शब्दावली और परिभाषाएं: भाग 1 सामग्री (आई एस ओ/आर 197 का पुनरीक्षण)

सं० 2310 विद्युत अपघटनी सख्त पिच ताँबा परिष्करणशाला आकृतियाँ (आई एस ओ/आर 431 का पुनरीक्षण)

सं० 2311 विद्युत अपघटनी कैथोड ताँबा

दो आई एस ओ प्रस्तावित मसौदे : (क) आक्सीजनरहित विद्युत अपघटनी ताँबा परिष्करण आकृतियाँ, और (ख) उच्च चालकता वाले चाँदी पड़े ताँबा परिष्करण-शाला आकृतियाँ आई एस ओ/टी सी 26 के सचिवालय से प्राप्त हुए ।

आई एस ओ/टी सी 30 बन्द नालियों में द्रव-बहाव की माप, और टी सी 30 कार्य चालक दल (सचिवालय : फ्रांस) — कार्यचालक दल की बैठक 2-3 अप्रैल 1970 बुडापेस्ट । मसौदा सं० आई एस ओ/आर 2186 प्राथमिक और द्वितीय एक लीमेंटों के बीच दाब संकेत पारेषण के कनेक्शन — कार्यचालक दल के परामर्श पर प्रचारित किया गया । समिति ने कुछ कर्मीदलों, पदनामों को दुबारा संदर्भ संख्याएँ दीं और निम्न-लिखित नए कर्मीदल स्थापित किए:

क) आई एस ओ/टी सी 30/उ स 2/क द 3 प्राथमिक एलीमेंट संस्थापन (सचिवालय : फ्रांस)

ख) आई एस ओ/टी सी 30/उ स 2/क द 7 दाब ट्रांसड्यूसरों के द्वितीयक साधन (सचिवालय : नियुक्ति होनी है)

ग) आई एस ओ/टी सी 30/उ स 2/क द 14 अशुद्धि आकलन (सचिवालय : ब्रिटेन)

आई एस ओ/टी सी 33 ऊष्मासह (सचिवालय : ब्रिटेन) — निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्राप्त हुए:

क) सं० 2245 आकृति वाले रोधनकारी ऊष्मासह उत्पाद — वर्गीकरण

ख) सं० 2246 गहरी आकृति वाले रोधनकारी ऊष्मासह उत्पाद — निर्माण विधियों का नामकरण ।

आई एस ओ/टी सी 33/क द 2 ऊष्मासह की भौतिक परीक्षण पद्धतियाँ (सचिवालय : ब्रिटेन) — दसवीं बैठक, 23-24 सितम्बर 1970, लंदन ।

निम्नलिखित प्रलेखों का आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदों के रूप में अनुमोदन किया गया:

संपीड़न में क्रीप निकालने की पद्धति; गहरी आकृति वाले ऊष्मासह रोधनकारी उत्पादों में गर्म करने पर माप सम्बन्धी स्थायी परिवर्तन निकालना; और आकृति वाले रोधनकारी ऊष्मासह उत्पादों में माप सम्बन्धी स्थायी परिवर्तन की मात्रा निकालना ।

आई एस ओ/टी सी 33/क द 3 माप (सचिवालय : ब्रिटेन) — सातवीं बैठक, 25 सितम्बर 1970, लंदन । निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया:

सामान्य कार्यों के लिए ईंटों के माप; कनवर्टर के अस्तर के लिए ऊष्मासह ईंटें चेकर ई टें; घुमने सीमेंट भट्ठों के लिए ऊष्मासह ईंटों की नाप; इस्पात की ढली

वस्तुओं के लिए ऊष्मासह ईंटें और विद्युत आर्क भट्टी की छत के लिए प्रयुक्त ऊष्मासह ईंटें

आई एस ओ/टी सी 33/क द 6 बानगी लेना (सचिवालय : फ्रांस) — तीसरी बैठक, 23-24 जून 1970, कूरबेवाय (फ्रांस), और चौथी बैठक 1-2 दिसम्बर 1970, कूरबेवाय (फ्रांस)। इन बैठकों में ऊष्मासह ईंटों की बानगी लेने के नियमों पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 34 कृषि खाद्य उत्पाद (सचिवालय : हंगरी) —आठवीं बैठक, 29 सितम्बर 1970, अंकारा (तुर्की)। समिति ने यह तय किया कि आई एस ओ/टी सी 34 का वर्तमान रूप बदलना जल्दबाजी होगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रलेखों पर विचार किया गया:

क) कृषि खाद्य उत्पादों में विषैले पदार्थों की मात्रा निकालना

ख) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्ल घुलनशील राख की मात्रा निकालना

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 3 फल सब्जियाँ और उनसे बने पदार्थ (सचिवालय : पोलैंड) — दसवीं बैठक 8-16 मार्च 1971, पेरिस (फ्रांस)। भारत की ओर से निर्यात निरीक्षण निदेशालय, विदेश व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली, के उपनिदेशक श्री एम. के. बी. भटनागर ने बैठक में भाग लिया। जो महत्त्वपूर्ण प्रलेख विचार-विमर्श के लिए रखे गए उनमें प्रमुख हैं:

क) सौगंधिक तेल, वाष्पशील अम्लता, राख की क्षारीयता, बेंजोइक अम्ल, सार्बिक अम्ल, गन्धक डाइआक्साइड, क्लोराइड की मात्रा, लोहा, ताँबा और सीसा

ख) कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए राख करने की पद्धति

ग) नींबू जाति के फलों के छिलकों में सोडियम के डाइफिनाइल, आर्थोफिनाइल, फेनोल, आर्थोफिनाइल फेनेट के अवशिष्टांश

घ) प्याज, नींबू जाति के फलों, टमाटर, आड़ू, लहसुन और बिलबेरियों के भंडारण की मार्गदर्शिका

ङ) कच्चे केलों के पकने की स्थितियाँ,

च) अधिक ऊँचाई पर फल और सब्जियों के भंडारण के लिए समांतर पटफल की धारक और सड़क परिवहन गाड़ियों में फलों और सब्जियों के समांतर पटफल के पैकेटों की व्यवस्था

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 4 अनाज और दलहन (सचिवालय : हंगरी) — नवीं बैठक, 21-23 सितम्बर 1970, अंकारा (तुर्की)। निम्नलिखित विषयों को लिया गया:

क) अनाज, दलहन, ज्वार-बाजरा, आदि और अन्य खाद्यानों का नामकरण

ख) अनाजों के गिरने की संख्या निकालना

ग) अनाजों का भंडारण, अंतर्निहित तथ्य

घ) अनाजों का भंडारण, भंडारण तकनीक के अनिवार्य तत्त्व और

ङ) अनाजों और दलहनों का भंडारण। रीढ़ वाले तथा बिना रीढ़ वाले जीवों द्वारा आक्रमण के रूप में भंडारण और परिवहन पर प्रभावकारी तत्त्व

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 5 दूध और दूध के पदार्थ (सचिवालय : नीदरलैंड) — छठवीं बैठक, 4 सितम्बर 1970, दि हेग। समिति ने इन विषयों पर काम किया : मक्खन की वसा का अपवर्तन अंक और अम्ल मान; दूध की वसा; सुखाए हुए और मीठाकृत-संघनित दूध में वसा की मात्रा (रोज-गाटलिब)। पनीर, उपचारित पनीर के उत्पादों (एस बी आर) और मट्ठे के पनीर (आर जी) में वसा की मात्रा; मीठेकृत संघनित दूध में सुक्रोज की मात्रा; सुखाए दूध में वसा की मात्रा (आर जी); मक्खन में नमक की मात्रा; पनीर और उपचारित पनीर उत्पादों में साइट्रिक मात्रा, सूखे दूध में जीवाणु मुहल्लों की गणना; दूध और दूध उत्पादों में कालीफार्म गणना केसीन का जीवाणु वैज्ञानिक विश्लेषण। इसके अतिरिक्त दूध के पाउडर के घुन (कीड़ों) के विषय पर विचार-विमर्श हुआ।

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 7 मसाले (सचिवालय : भारत) — सातवीं बैठक, 27 मई-2 जून 1970, पेरिस। भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार श्री एस. के. बेडेकर की अध्यक्षता में। भा. मा. संस्था के डा. हरिभगवान सचिव थे। निम्नलिखित कार्य किया गया:

क) उपसमिति ने छह प्रस्तावित मसौदों को आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदों के रूप में कार्य किए जाने के लिए अन्तिम रूप दिया (1) नामकरण, दूसरी सूची; (2) विश्लेषण के लिए पीस कर नमूने तैयार करने की पद्धति; (3) पिसाई की बारीकी की डिग्री निकालने की पद्धति; (4) गर्द की मात्रा निकालना; (5) केसर की विशिष्टि; और (6) पिसी मिर्च की विशिष्टि

ख) उपसमिति में काली मिर्च में पिपरीन की मात्रा निकालने; सुखाई प्याज; सुखाई लहसुन; हल्दी; सूखी पिपरमिट और अजमोद बीज पर भी चर्चा की गई।

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 7/क द 5 ऐन्द्रिक मूल्यांकन (सचिवालय : जर्मनी) — दूसरी बैठक, 1 जून 1970, पेरिस। निम्नलिखित के बारे में प्रारम्भिक बातचीत हुई : (1) स्कोविल सूचकांक निकालना, (2) तेज गन्ध वाले उत्पादों का परीक्षण, और (3) कमरे के ताप पर गंध की जाँच।

आई एस ओ/टी सी 34/उ स 8 उत्तेजक खाद्य पदार्थ (सचिवालय : भारत) — पाँचवीं बैठक, 25 सितम्बर 1970, अंकारा। डा. डी. एस. भाटिया की

अध्यक्षता में। चाय बोर्ड के डा. के. के. मित्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भा. मा. संस्था के श्री ई. एन. सुन्दर ने सचिव का कार्य किया। निम्नलिखित प्रलेखों पर अगली कार्यवाही के लिए विचार किया गया:

क) काली चाय की विशिष्टि
ख) छोटे धारकों की विशिष्टि
ग) चाय स्वादकारियों की शब्दावली और व्यापारिक शब्दावली
घ) ऐन्द्रिक परीक्षण के लिए चाय का पानी तैयार करना
ङ) कोको फलियों की विशिष्टि

आई एस ओ/टी सी 37 शब्दावली (सिद्धान्त और समन्वयन) (सचिवालय : आस्ट्रेलिया) — विशेष रूप से वर्गीकृत पारिभाषिक शब्दावली में उपयोग के लिए कोश चिह्नों की आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा आई एस ओ परिषद को भेजने के लिए अनुमोदित किया गया। भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंग संहिता का प्रथम प्रस्तावित मसौदा [आई एस ओ/टी सी 37(सचिवालय : 116) 186] सम्मतियों के लिए प्राप्त हुआ और अनुमोदित किया गया।

तकनीकी समितियों के निम्नलिखित तीन कर्मीदलों का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था अतः उन्हें तोड़ दिया गया:

क द 1 शब्दावली के सिद्धांत
क द 2 मार्गदर्शक
क द 3 शब्दावलियों का विन्यास

आई एस ओ/टी सी 38 टेक्सटाइल (सचिवालय : ब्रिटेन) छठवीं बैठक 1 और 4 जून 1970, लंदन। भारत का प्रतिनिधि नहीं था। इन विषयों पर कार्यक्रम में सम्मिलित करने के उद्देश्य से विचार किया गया : वस्त्रों की दहनशीलता; ऊन के परीक्षण के लिए आई डब्ल्यू टी ओ पद्धतियाँ; कपड़े के अर्जों का युक्तिकरण; बुनियादी शब्दावली, प्रतीक और संक्षिप्तियाँ, और प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रेशों का वर्गीकरण; और रंग मापन। निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशन की जिनका प्रकाशन पाँच-छह वर्ष पहले हुआ था, समीक्षा की गई:

आई एस ओ/आर 105/1	वस्त्रादि के रंग के पक्कापन के परीक्षण
आई एस ओ/आर 105/2	वस्त्रादि के रंग के पक्कापन के परीक्षण, द्वितीय सिरीज़
आई एस ओ/आर 105/3	वस्त्रादि के रंग के पक्कापन के परीक्षण, तृतीय सिरीज़
आई एस ओ/आर 135	ऊनी रेशे के माप, प्रक्षेप सूक्ष्मदर्शी पद्धति
आई एस ओ/आर 138	युनिवर्सल धागा गणना पद्धति

आई एस ओ/आर 220 परीक्षण के लिए बिना धुनी रुई की बानगी लेने की पद्धति

आई एस ओ/आर 270 अलग-अलग रेशों की लम्बाई की नाप द्वारा रेशों की लम्बाई निकालना

आई एस ओ/आर 271 वस्त्र रेशों, धागों और अन्य ऐसी ही वस्तुओं की नापों के पदनामन के लिए टेक्स प्रणाली का प्रतिपालन

निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय से सम्मतियों के लिए प्राप्त हुए:

सं० 1957 मशीन निर्मित टेक्सटाइल फर्श बिछावनों पर भौतिक परीक्षण के लिए बानगी लेने तथा नमूने काटने की विधि

सं० 1958 गलीचे के प्रति इकाई क्षेत्र रोओं (पाइल) के धागे की संहति निकालने की परीक्षण पद्धति

सं० 1959 गलीचे की नापी सतह के रोओं के घनत्व और नापे रोओं के आयतन का अनुपात निकालने की पद्धति

सं० 1968 रस्सों और रस्सियों सम्बन्धी शब्दावली

सं० 1969 तीन लड़ वाली पालीइथाइलीन की एक लड़ वाले रस्से

सं० 1970 आठ लड़ के बटे सन और सनई के रस्से

सं० 1973 टेक्सटाइल रेशे का लम्बाईपरक घनत्व निकालना

सं० 2060 पैकेजों का धागा — लम्बाईपरक घनत्व निकालना (प्रति लम्बाई इकाई संहति) — स्कीन पद्धति

सं० 2061 टेक्सटाइल्स — धागों की बटन निकालने की पद्धति

सं० 2062 टेक्सटाइल्स — पैकेजों का धागा — एक लड़ का टूटन भार और टूटन प्रलम्बन निकालने की पद्धति

सं० 2075 जाली की आकृति अनुसार कटाई — कटाई दर निकालना

सं० 2076 मनुष्य निर्मित धागों के वर्गगत नाम

सं० 2094 टेक्सटाइल फर्श बिछावन — चल प्रभारन में मोटाई की क्षति निकालना

सं० 2095 गलीचे की पीठ पर से फाड़े जा सकने वाले रोओं (पाइल) की प्रतिइकाई क्षेत्रफल संहति निकालना

सं० 2181 आई एस ओ रिकमेंडेशन आर 105/1 और आर 105/4 टेक्सटाइल रंग के पक्कापन के परीक्षण का संशोधन

सं० 2182 टेक्सटाइल्स के रंग के पक्केपन के परीक्षण — छठवीं सिरीज़

आई एस ओ/टी सी 38/उ स 4 टेक्स प्रणाली का प्रतिपालन — (सचिवालय : नीदरलैण्ड) — छठवीं बैठक, 1 जून 1970, लंदन। भारत का कोई प्रतिनिधि

नहीं था। व्यापार और उद्योग में टेक्स प्रणाली के प्रतिपालन पर विचार किया गया और अनेक देशों में इस दिशा में की गई प्रगति का विवरण देने के बाद उसके संवर्द्धन के लिए व्यवस्था की गई। उपरिलिखित प्रस्ताव के प्रतिपालनार्थ उसकी 2 और 3 अवस्थाओं के लिए 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1974 तक की अवधि सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

आई एस ओ/टी सी 38/उ स 10 टाँके, सीवन और सिलाइयाँ (सचिवालय : ब्रिटेन)—पहली बैठक, 5 जून 1970, लंदन। बैठक में टाँकों, सीवन और सिलाइयों की वर्गीकरण-योजना तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रलेखों पर विचार किया गया:

क) बी. एस. 3870 : 1965 ब्रिटिश मानक संस्था द्वारा जारीकृत टाँकों, सीवन और सिलाइयों की अनुसूची

ख) फेडरल मानक सं. 751 ए टाँके, सीवन और सिलाइयाँ, सामान्य सेवा प्रशासन, सं. रा. अ. की फेडरल सप्लाई सेवा द्वारा जारीकृत

ग) टाँकों, सीवन और सिलाइयों का मानक (54-जी पी-एल ए) कनाडी सरकार विशिष्टि बोर्ड द्वारा जारीकृत

आई एस ओ/टी सी 38/उ स 12 गलीचों और अन्य फर्श बिछावनों का वर्गीकरण और परीक्षण पद्धतियाँ (सचिवालय : ब्रिटेन) — दूसरी बैठक, 25 सितम्बर 1970, अंकारा (तुर्की)। भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

आई एस ओ/टी सी 38/उ स 12/क द 3 हाथ से बने गलीचों के परीक्षण (सचिवालय : ईरान)—दूसरी बैठक, 21 और 22 सितम्बर 1970, अंकारा (टर्की)। भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

आई एस ओ/टी सी 38/उ स 13 ओढ़ने के कम्बल (सचिवालय : आस्ट्रेलिया)—पहली बैठक, 3 जून 1970, लंदन। बैठक में जानकारी सम्बन्धी लेबल लगाने, तुलनापरक परीक्षण और प्रमाणन मुहर योजना इत्यादि के लिए उपयुक्त गुणधर्मों और लक्षणों की परीक्षण पद्धतियों के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 41/उ स 1 वी-नुमा पट्टे और खाँचदार गिर्रियाँ (सचिवालय : फ्रांस)—पहली बैठक, 12-14 अक्टूबर 1970, लंदन। भारत की ओर से इस बैठक में डनलप इण्डिया लि० के औद्योगिक उत्पाद के सेवा और विकास प्रबन्धक और गिर्री और पट्टा विषय समिति के अध्यक्ष श्री एन. वी. कृष्णमूर्ति ने भाग लिया।

पट्टों के खाँचों की रूपाकृतियों, स्वचल उद्योगों के पट्टों (माप), स्वचल वाहन उद्योग के वी पट्टों का विश्रांति परीक्षण, कृषि मशीनों के पट्टे और वी-पट्टों की परीक्षण शक्ति की विशिष्टियों के प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया। यह तय किया गया कि 'शब्दों और परिभाषाओं' पर एक नया प्रस्तावित मसौदा उपसमिति के विचारार्थ जर्मनी द्वारा तैयार किया जाएगा।

आई एस ओ/टी सी 43 ध्वानिकी (सचिवालय : ब्रिटेन) — इस समिति की पिछली बैठक में जो मई 1969 में स्ट्रेसा में हुई थी, यह तय किया गया था कि आई एस ओ/टी सी 43 के अधीन दो समितियाँ अर्थात् उ स 1 शोर और उ स 2 भवन ध्वानिकी, पूर्ण तकनीकी समितियाँ हो जायेगी और उनका निम्नलिखित दायित्व होगा:

आई एस ओ/टी सी 43/उ स 1 शोर (तकनीकी समिति की हैसियत में)

क) भाषण श्रव्यमापी के स्तर,

ख) ध्वानिक स्तरों के लिए तरजीही संदर्भ राशियाँ, और

ग) जन समुदाय की प्रतिक्रिया के संदर्भ में शोर का मूल्यांकन।

आई एस ओ/टी सी 43/उ स 2 भवन ध्वानिकी (तकनीकी समिति की हैसियत में)

क) इमारतों में प्रयुक्त सामग्री द्वारा बहाव प्रतिरोधिता ज्ञात करना,

ख) वायुवाहित और आघात ध्वनि संचरण का मौके पर तथा प्रयोगशाला में मापन,

ग) फर्श की फिनिशों द्वारा आघात ध्वनि संचरण में क्षति, और

घ) खिड़कियों और दरवाजों का ध्वनि-रोधन।

आई एस ओ/टी सी 44 वेल्डिंग (सचिवालय : फ्रांस) — सातवीं बैठक, 6-9 जुलाई 1970, कूरबेवॉय (फ्रांस)। भारत का प्रतिनिधित्व सर्वश्री आर. घोष और पी. एस. विश्वनाथ ने किया। निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रलेखों पर आई एस ओ रिकमेंडेशन तैयार करने के उद्देश्य पर विचार किया गया तथा अनुमोदन किया गया : मृदु इस्पात तथा अल्प मिश्र इस्पातों की हाथ द्वारा मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए ढके इलेक्ट्रोडों की पहिचान; ढके इलेक्ट्रोडों की कार्य-कुशलता, धातु प्राप्ति और धातु निक्षेप गुणक निकालने की परीक्षण पद्धति; इस्पात गलन वेल्डकृत बट जोड़ों के बिम्ब गुण-वत्ता सूचकों का रेडियोलेखी निरीक्षण; एल्युमिनियम और उसकी मिश्रधातुओं के गलन वेल्डकृत बट जोड़ों का एक्सरे द्वारा निरीक्षण; साज-सामान के अंशांकन के लिए सन्दर्भ ब्लाक; वेल्डिंग के रेग्यूलेटर; गैस वेल्डिंग के होज; और धातु वेल्डिंग के क्षेत्र में अपेक्षाओं का समीकरण।

आई एस ओटी सी 44/उ स 3 इलेक्ट्रोड और पूरक सामग्री (सचिवालय: फ्रांस) — बैठक, 19-21 जनवरी 1970, कूरबेवॉय (फ्रांस)। निम्नलिखित विषयों के प्रस्तावों का आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों के रूप में अनुमोदन किया गया: मृदु इस्पात और अल्प मिश्र इस्पात की हाथ द्वारा आर्क वेल्डिंग के ढके इलेक्ट्रोडों के प्रतीकों की संहिता; ढके इलेक्ट्रोडों की कार्यकुशलता, धातु प्राप्ति तथा निक्षेप गुणांक निकालने की परीक्षण पद्धति; और पीतल की झलाई की पूरक धातु की परीक्षण पद्धति।

आई एस ओ/टी सी 44/उ स 5 वेल्डों का परीक्षण और निरीक्षण (सचिवालय : इटली) — पाँचवीं बैठक, 3-5 मार्च 1970,जेनोआ (इटली)। वेल्डरों की अर्हताओं की रिकमेंडेशन तैयार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 44/उ स 8 गैस वेल्डिंग का सामान (सचिवालय : जर्मनी) — बैठक, 24-26 मार्च 1970, बर्लिन (जर्मनी)। गैस सिलेण्डरों के रेग्यूलेटरों, वेल्डिंग और कटाई के ब्लो पाइपों और होज़ों के आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर विचार-विमर्श।

आई एस ओ/टी सी 44/उ स 10 वेल्डिंग के क्षेत्र में अपेक्षाओं का समीकरण (सचिवालय : जर्मनी) — पहली बैठक, 13-15 जनवरी 1971, बर्लिन (जर्मनी)। वेल्डिंग कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने सम्बन्धी प्रस्तावित मसौदों पर चर्चा की गई।

आई एस ओ/टी सी 45 रबड़ (सचिवालय : ब्रिटेन) — अठारहवीं बैठक, 1-10 अक्टूबर 1970। इस बैठक में 19 देशों के 200 प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान और विकास बोर्ड तथा अंतर्राष्ट्रीय संश्लिष्ट रबड़ उत्पादक संस्था के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। भारत की ओर से श्री ललितमोहन जमुनादास और श्री एन. वी. कृष्णमूर्ति ने भाग लिया। आगे बताए विभिन्न विषयों से सम्बन्धित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के 20 मसौदे आई एस ओ परिषद को प्रकाशन के लिए भेजे गए: कच्ची रबड़, प्राकृतिक रबड़, स्टाइरीन बुटाडीन रबड़, लचकीली कोषीय सामग्री, रबड़ और प्लास्टिक लगे कपड़े, हौज़, जूते की विशिष्टियाँ और परीक्षण पद्धतियाँ। आई एस ओ रिकमेंडेशनों के 19 मसौदे मतदान के लिए भेजने का निर्णय किया गया। इनमें प्राकृतिक रबड़ की विशिष्टियाँ, शब्दावलियाँ, होज़ और वलकनीकृत रबड़, पोलीक्लोरोप्रीन रबड़, लचकीली कोषीय सामग्री इत्यादि की परीक्षण-पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। अनेक प्रलेखों का आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों के रूप में प्रचारण के लिए निर्णय किया गया।

आई एस ओ/टी सी 46 प्रलेखन (सचिवालय : जर्मनी) — निम्नलिखित दो आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्रचारित किए गए:

क) पुस्तकालयों, सूचना और प्रलेखन केन्द्रों की डायरेक्टरियाँ; और

ख) लिखित प्रलेखों में अनुभागी संख्या देना।

आई एस ओ/टी सी 46/क द 1 पुस्तकों में अन्तर्राष्ट्रीय मानक संख्यांकन (सचिवालय : ब्रिटेन) — चौथी बैठक, 22-24 जून 1970, ओसलो। निम्नलिखित दो मसौदों पर विचार किया गया:

क) पुस्तकों में संख्यांकन की अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, और

ख) अन्तर्राष्टीय मानक क्रम संख्या।

आई एस ओ/टी सी 46/क द 4 प्रलेखन के लिए स्वचालित यंत्र (सचिवालय : स्वीडन) — पहली बैठक, 27-29 मई 1970, स्वीडन। बैठक में चुम्बकीय टेप पर ग्रन्थ सूची, सूचना-अंकन के आई एस ओ प्रस्तावित मसौदे पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 46/उ स 1 प्रलेखों की प्रतियाँ निकालने सम्बन्धी उपसमिति (सचिवालय : फ्रांस) — निम्नलिखित तीन प्रलेख प्रचारित किए गए:

क) माइक्रोकापियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन,

ख) समाचारपत्रों के माइक्रो-फिल्म बनाने सम्बन्धी तकनीकी अपेक्षाएँ, और

ग) पुरालेखसंग्रहण के लिए समाचारपत्रों के माइक्रो-फिल्म टारगेट।

आई एस ओ/टी सी 55 कटी हुई लकड़ी और कटे टुकड़े (सचिवालय: रूस) — बैठक, 28 सितम्बर 1970, अंकारा। निम्नलिखित दो उपसमितियाँ स्थापित की गईं:

उ स 4 कटे टुकड़े

उ स 5 चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियाँ

आई एस ओ मसौदा संख्या 2055 — नुकीली पत्ती वाली लकड़ी के कटे मापक, मोटाई और चौड़ाई के सांकेतिक माप। प्रथम समूह सिरीज़ को प्रचारित किया गया।

आई एस ओ/टी सी 56 अभ्रक (सचिवालय : भारत) — वर्ष 1970 में कोई बैठक नहीं हुई। फिर भी समीक्षागत वर्ष की अवधि में मस्कोवाइट अभ्रक के खण्डों, पट्टियों और परतों के दृश्य वर्गीकरण के आई एस ओ रिकमेंडेशन को आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय को तकनीकी समिति के सक्रिय सदस्यों को अन्तिम मतदान के लिए और सभी आई एस ओ निकायों को सम्मतियों के लिए प्रचारित करने के उद्देश्य से भेजा गया।

आई एस ओ/टी सी 59 भवन निर्माण (सचिवालय : फ्रांस) — बैठक 8-9 जुलाई 1970, लंदन। इस बैठक में विभिन्न उपसमितियों की समीक्षा की गई।

आई एस ओ/टी सी 59/उ स 1 माड्यूलगत समन्वयन (सचिवालय : स्वीडन) — बैठक, 7-9 जुलाई 1970, लंदन, कर्मीदल 1 तरजीही माप, स्थापित किया गया।

निम्नलिखित रिकमेंडेशन प्राप्त हुई:

क) आई एस ओ/आर 1006 माड्यूलगत समन्वयन बुनियादी माड्यूल,

ख) आई एस ओ/आर 1040/1 माड्यूलगत समन्वयन — क्षैतिज बहुमाड्यूल,

ग) आई एस ओ/आर 1040/2 माड्यूलगत समन्वयन — क्षैतिज बहुमाड्यूल,

घ) आई एस ओ/आर 1789 माड्यूलगत समन्वयन — रिहायशी इमारतों की मंजिलों की ऊँचाइयाँ और कमरों की ऊँचाइयाँ,

ङ) आई एस ओ/आर 1790 माड्यूलगत समन्वयन — क्षैतिज नियंत्रक समन्वयकारी मापों की संदर्भ रेखाएँ, और

च) आई एस ओ/आर 1791 माड्यूलगत समन्वयन — शब्दावली।

आई एस ओ/टी सी 59/उ स 3 स्थापत्य और भवन ड्राइंग (सचिवालय : फ्रांस) — निम्नलिखित कर्मीदल स्थापित किए गए:

क द 1 सामान्य नियम (सचिवालय : ऐफ्नोर)

क द 2 प्रबलित कंक्रीट के रचक अंगों, तत्त्वों और संरचनाओं की ड्राइंग (सचिवालय : नार्वे)

क द 3 ढाँचों और संरचना चौखटों (पैनलों और संरचनाओं के बीच जड़तों सहित) (सचिवालय : अनियत)

क द 4 पानी के पाइप — गर्माने के — संवातन (सचिवालय : अनियत)

क द 5 नगर आयोजन (सचिवालय : अनियत)

आई एस ओ/टी सी 67/उ स 5 खोल देने की नली और ड्रिल पाइप (सचिवालय : फ्रांस) — चौथी बैठक, 1-2 अक्टूबर 1970, कूरबेवॉय (फ्रांस)। इस बैठक में ड्रिल पाइप और खोल देने वाली नलियों और लाइनों सम्बन्धी दो प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया।

आई एस ओ/टी सी 69 सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग (सचिवालय : फ्रांस) — नवम्बर 1970 में आई एस ओ/टी सी 69 की निम्नलिखित बैठकें हुईं:

आई एस ओ/टी सी 69 सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग (सचिवालय : फ्रांस)	5वीं बैठक, 16, 18 और 19 नवम्बर 1970	कूरबेवॉय
आई एस ओ/टी सी 69/क द 1 शब्दावली और प्रतीक (सचिवालय : फ्रांस)	दूसरी बैठक, 16 नवम्बर 1970	,,
आई एस ओ/टी सी 69/क द 2 आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण (सचिवालय : बेल्जियम)	दूसरी बैठक, 17 नवम्बर 1970	,,
आई एस ओ/टी सी 69/क द 3 मानकीकरण में सांख्यकीय पद्धतियों का उपयोग (सचिवालय : फ्रांस)	पहली बैठक, 18 नवम्बर 1970	,,

पिछली बैठक में टी सी 69 ने यह तय किया कि क द 1, 2 और 3 को उठा कर उपसमिति 1, 2 और 3 कर दिया जाए। इसमें केवल परिवर्तन यही किया जाए कि उपसमिति 2 का शीर्षक बदल कर 'सांख्यिकीय आंकड़ों की व्याख्या' कर दिया जाए।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो कर्मीदल भी स्थापित किए गए:

टी सी 69/क द ए लक्षण नियंत्रण (सचिवालय : ब्रिटेन)

टी सी 69/क द बी परीक्षण पद्धतियों की परिशुद्धता (सचिवालय : फ्रांस)

भारत की ओर से आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 1786 सांख्यिकीय शब्दावली और प्रतीक, शब्दावली और प्रतीकों की दूसरी सिरीज़ का अनुमोदन किया गया। भारत ने टी सी 69 के सचिवालय द्वारा भेजे गए निम्नलिखित प्रलेखों पर सम्मतियाँ भी भेजीं:

आई एस ओ/टी सी 69 (सचिवालय : 73) 130 परीक्षण पद्धति के परिणामों के सांख्यिकीय उपचार देने वाले प्लास्टिक सम्बन्धी रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशनों के मसौदे

आई एस ओ/टी सी 69 (सचिवालय : 74) 131 परीक्षण परिणामों का सांख्यिकीय उपचार

आई एस ओ/टी सी 69 (सचिवालय : 78) 135 परिणामों का प्रस्तुतीकरण

आई एस ओ/टी सी 69 (सचिवालय : 7) 11 विश्वसनीयता सम्बन्धी शब्दावली

आई एस ओ/टी सी 71 कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट (सचिवालय : आस्ट्रिया) — आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2059 कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट, सम्मतियों के लिए प्रचारित किया गया।

आई एस ओ/टी सी 72 टेक्सटाइल मशीनादि और सहायक यंत्र (सचिवालय : स्विट्जरलैण्ड) — आई एस ओ के केन्द्रीय सचिवालय से निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे सम्मतियों के लिए प्राप्त हुए:

सं० 2012 सेक्शनल बाना तैयार करने की शंकु उपयोजक मशीन — अधिकतम उपयोज्य चौड़ाई

सं० 2013 बाना तैयार करने की बुनाई मशीनों के लिए सेक्शनल कड़ियाँ — आकृति और स्थितियों के अनुरूप संतुलनकारी परिवर्तन

सं० 2065 टेप धागों के लिए बेलनाकार नलियाँ

सं० 2090 धागा लपेटने (आर पार लपेटे) के शंकु — शंकु 3°31′ का आधा कोण

सं० 2104 रिंग कताई और रिंग दोहराई फ्रेमों के तकुओं के मापक (आई एस ओ/आर 94-1959 का पुनरीक्षण)

सं० 2105 मनुष्य निर्मित रेशों के खिचवाँ लपेटन यंत्रों के लिए नलियाँ

सं० 2152 'सी' ट्रैवेलरों (उत्क्रमणीय) के रिंग कताई और रिंग बटाई फ्रेमों के रिंग (आई एस ओ/आर 95-1959) का पुनरीक्षण)

सं० 2153 'सी' ट्रैवेलरों (अनुत्क्रमणीय) के रिंग कताई और रिंग बटाई फ्रेमों के रिंग (आई एस ओ/आर 96-1959 का पुनरीक्षण)

सं० 2154 वर्स्टेड और ऊनी कार्डिंग मशीन — कार्यकारी चौड़ाई (आई एस ओ/आर 342-1963 का पुनरीक्षण)

सं० 2187 कताई तैयारी मशीनादि, कताई और बटाई मशीनादि — पारिभाषिक शब्दावली

सं० 2205 कताई मशीनों के लिए ड्राफ्टिंग व्यवस्था — शब्दावली

आई एस ओ/टी सी 72/उ स 1 कताई तैयारी, कताई और बटाई मशीनादि (सचिवालय: स्विट्जरलैण्ड) — नवीं बैठक, 28 और 29 अक्टूबर 1970, मिलान (इटली)। यह निर्णय किया गया कि निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदों को प्रचारित किया जाए:

क) कताई और बटाई के लिए प्लास्टिक ट्रैवेलर, और

ख) मीटरी कार्ड गेज।

समिति ने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया:

क) काननुमा ट्रैवेलरों के रिंग कताई और रिंग दोहराई फ्रेमों के रिंग (आई एस ओ/आर 97-1959 का पुनरीक्षण);

ख) रिंग कताई और रिंग दोहराई तकुओं की नलियाँ — गावदुम 1 : 38 और 1 : 40 (आई एस ओ/आर 368-1964 का पुनरीक्षण);

ग) रिंग-कताई, बटाई और बटाई तकुओं की नलियाँ — गावदुम 1 : 64;

घ) कताई मशीनों के ऊपरी रोलरों के व्यास और ढकरे वाली चौड़ाइयाँ (और निचले रोलरों के व्यास (आई एस ओ/आर 98-1959 का पुनरीक्षण);

ङ) कताई मशीनों के निचले रोलर, और

च) टेक्सटाइल मशीनादि की अंकन-पट्टियों के लिए बुनियादी प्रतीक।

समिति ने निम्नलिखित निर्णय किए:

क) आई एस ओ/आर 343-1963 रिंग कताई और रिंग दुहराई तकुओं की बाने

की नलियाँ (इंच माप, गावदुम 1 : 64) को रद्द किया जाए क्योंकि यह रिकमेंडेशन पुराना पड़ गया है, और

ख) खुले सिरे वाली कताई की मशीनों के लिए बेलनाकार नलियों पर काम प्रारम्भ किया जाए ।

आई एस ओ/टी सी 73 उपभोक्ता प्रश्न (सचिवालय : फ्रांस) — ग्यारहव पूर्ण सत्र 22-23 सितम्बर 1970 की अवधि में इसकी सिफारिश पर आई एस ओ परिषद ने एक परिषद प्रमाणन समिति (सर्टिको) स्थापित की । नई समिति का विषय-क्षेत्र और कार्यक्रम उसकी पहली बैठक में तैयार किया जाएगा ।

आई एस ओ/टी सी 77 ऐस्बेस्टास सीमेण्ट की बनी वस्तुएँ (सचिवालय: स्विट्ज़रलैण्ड) — निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे सम्मतियों के लिए प्राप्त हुए:

सं० 1695 ऐस्बेस्टास सीमेण्ट के दाब पाइप (आई एस ओ/आर 160 का पुनरीक्षण)

सं० 1696 ऊष्मा रोधक ऐस्बेस्टास चौके

आई एस ओ/टी सी 79 हल्की धातुएं और उनकी मिश्रधातुएँ (सचिवालय : फ्रांस)—निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित नौ आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्राप्त हुए और भारत की ओर से सम्मतियों सहित अनुमोदित किए गए: रिवेट के तारों और रिवेटों के लिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातुओं के कर्तन परीक्षण, विकर्स और ब्रिनेल कठोरता परीक्षण; रोल्ड और कढवाँ उत्पादों के लिए मशीनी गुणधर्मों संबंधी सीमाएँ; आक्साइड लेपनों (गुरुत्वमापी पद्धति) की संहति के माप; हल्के सेक्शन वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा आक्साइड लेपनों का अविनाशात्मक मापन; रंगीन ऐनोडीकरण— रंगीन एनोडीकृत एल्युमिनियम का प्रकाश पर रंग का पक्कापन निकालना; एल्युमिनियम और एल्युमिनियमकृत मिश्रधातुओं के ऐनोडीकरण पर पूर्व अम्ल अभिक्रिया के साथ रंगकारी ड्राप परीक्षण द्वारा अवशोषक शक्ति की क्षति का मूल्यांकन ।

आगे लिखे चार आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों को भारत की ओर से सम्मतियों सहित अनुमोदित किया गया: टेम्पर पदनामन पद्धति; रेल ढली सन्दर्भ परीक्षण छड़ों के मशीनी गुणधर्म; नमूनों और परीक्षण नमूनों का चुनाव; और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातुओं के रेत ढले परीक्षण नमूनों के मशीनी गुणधर्म ।

आई एस ओ/टी सी 79/उ स 14 रसायनिक और स्पेक्ट्रोरसायनिक विश्लेषण पद्धतियाँ (सचिवालय : इटली) — दसवीं बैठक, 7-10 अप्रैल 1970, कूरबेवॉय (फ्रांस)। बैठक में भारत की ओर से कोई नहीं था । निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदों पर विचार किया गया: जस्ते की मात्रा निकालना (आणविक अवशोषण पद्धति) मैगेनीशियम की मात्रा निकालना (आणविक अवशोषक और जटिलतामापी पद्धतियाँ),

और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातुओं में क्रोमियम की मात्रा निकालना (स्पेक्ट्रोफोटोमापी पद्धति); और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम मिश्रधातुओं में विरल मिट्टी मैंगनीज़ और जिरकोनियम (स्पेक्ट्रोफोटोमापी पद्धति) की मात्रा निकालना।

आई एस ओ/टी सी 81 कीटनाशकों के सामान्य नाम (सचिवालय : ब्रिटेन) — नवीं बैठक, 10-13 नवम्बर 1970, लंदन। निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशन प्रकाशन के लिए स्वीकृत किए गए:

क) ऐसे कीटनाशकों की दूसरी सूची जिनके लिए सामान्य नामों की अपेक्षा नहीं है, आई एस ओ/आर 1105 के रूप में प्रकाशित किया गया।

ख) नामों की पहली पन्द्रह सूचियों को मिलाकर पिछली दो पूरक सूचियों के साथ क्रमश: आई एस ओ/आर 1750, 1792 और 1801 के रूप में प्रकाशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त समिति ने कीट - नियन्त्रक रसायनों और पादप वृद्धि नियंत्रक पदार्थों के सामान्य नाम चुनने के सिद्धांतों पर भी काम किया।

आई एस ओ/टी सी 87 कार्क (सचिवालय : पुर्तगाल) — बैठक 14-16 अक्टूबर 1970, लिसबन। परिषद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्रकाशन के लिए भेजे गए:

क) आई एस ओ/आर 2030 दानेदार कार्क — कण आकार परीक्षण

ख) आई एस ओ/आर 2066 शुद्ध प्रसृत कार्क के चौके — नमी की मात्रा निकालना

ग) आई एस ओ/आर 2067 दानेदार कार्क — बानगी लेना

आई एस ओ/टी सी 89 लकड़ी तथा अन्य लिग्नो-सेल्यूलोज़ी रेशे वाले पदार्थों से बने बोर्ड (सचिवालय : जर्मनी) — निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे सम्मतियों के लिए प्राप्त हुए:

क) सं० 1954 प्लाईवुड, सामान्य कार्यों के लिए परतदार प्लाईवुड — माप और छूटें (भारत की ओर से अनुमोदित)

ख) सं० 2074 प्लाईवुड — शब्दावली

आई एस ओ/टी सी 91 सतह सक्रियकारक पदार्थ (सचिवालय : फ्रांस)— समिति ने सतह सक्रियकारक पदार्थों का और शब्दावली सम्बन्धी आई एस ओ रिकमेंडेशनों के दो मसौदे सदस्य निकायों को मतदान के लिए भेजने की दृष्टि से तैयार किए। एक आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा साबुनों में अल्प ग्लीसरोल की मात्रा निकालने और 4 मसौदे सतह सक्रियकारक पदार्थों के विश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में हैं।

आई एस ओ/टी सी 92 इमारती सामग्री और संरचनाओं पर अग्नि परीक्षण (सचिवालय : ब्रिटेन) — आई एस ओ/आर 834 के पुनरीक्षण का मसौदा विचाराधीन है।

आई एस ओ/टी सी 96/उ स 1 क्रेनों और खुदाई मशीनों सम्बन्धी मूलभूत सूचना (सचिवालय : ब्रिटेन) — चौथी बैठक, 26-28 अक्टूबर 1970, मास्को। क्रेन के ढाँचों पर वायु का प्रभाव, क्रेनों के लिए उपयुक्तता सम्बन्धी अपेक्षाएँ और उपयोग आवृत्ति और भार मात्रा के आधार पर क्रेनों के वर्गीकरण की पद्धतियों पर चर्चा की गई।

आई एस ओ/टी सी 96/उ स 2 शब्दावली (सचिवालय : रूस)—पहली बैठक, 27-28 अक्टूबर 1970, मास्को। क्रेन शब्दावली सम्बन्धी रूसी प्रलेख पर चर्चा हुई।

आई एस ओ/टी सी 96/उ स 3 क्रेनों के लिए इस्पात के रस्सों का चुनाव (सचिवालय : ब्रिटेन)— चौथी बैठक 29-30 अक्टूबर 1970, मास्को। तार के रस्सों के वर्गीकरण और चुनाव तथा उनकी अस्वीकृति और बदलने की कसौटियों के विषय पर चर्चा की गई।

आई एस ओ/टी सी 96/उ स 4 परीक्षण विधियाँ (सचिवालय : रूस) — दूसरी बैठक, 29-30 अक्टूबर 1970, मास्को। क्रेनों की परीक्षण संहिता विधि सम्बन्धी आई एस ओ के प्रस्तावित मसौदे पर चर्चा की गई।

आई एस ओ/टी सी 98 आगारों की डिजाइन के आधार (सचिवालय : पोलैंड)— बैठक, 11 सितम्बर 1970, वार्सा। रिहायशी और सरकारी इमारतों में फर्श पर रखे गए भार के आई एस ओ रिकमेंडेशन का मसौदा सं० 2103 सम्मतियों के लिए प्राप्त हुआ।

निम्नलिखित प्रस्तावित मसौदे विचाराधीन थे:

क) आगारों के बचाव के सत्यापन सम्बन्धी सामान्य सिद्धांत

ख) आगारों पर भूकंप-शक्तियों की डिजाइन परखने की पद्धति

ग) आगारों पर कार्यकारी शक्तियों के वर्गीकरण एवं समूह

घ) उत्पादन इमारतों और गोदामों में फर्श पर जमाए भार की मात्रा निकालने सम्बन्धी नियम

सचिवालय ने प्रस्ताव किया कि निकट भविष्य में वायु आगारों और बर्फ भार की समस्याओं को भी उठाया जाएगा।

आई एस ओ/टी सी 102/उ स 1 अयस्क लोहे की बानगी लेना (सचिवालय : जापान) — छठवीं बैठक, 28 सितम्बर-2 अक्टूबर 1970, ओटावा (कनाडा)। भारत की ओर से 3 व्यक्तियों के शिष्टमंडल ने भाग लिया; ये सदस्य थे श्री आर. आर. बहल,

अध्यक्ष भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, डा. बी. एन. सिंह, निदेशक (संख्यिकी) भा. मा. संस्था और श्री एस. आर. प्रभु, इटैलैब टोकियो (जापान) लि०। अयस्क लोहे में नमी की मात्रा निकालना, गुण विभिन्नता; बानगी लेने की परिशुद्धता, बानगी लेने में अभिनति और मशीन द्वारा बानगी की बारी उठाने सम्बन्धी आई एस ओ प्रस्तावों पर विचार किया गया और सचिवालय से निवेदन किया गया कि बैठक में किए गए निर्णयों के आधार पर प्रस्तावित मसौदों को संशोधित किया जाए और उनको आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदों के रूप में उपचारित करने के लिए अगली कार्यवाही की जाए। उपसमिति ने सदस्य निकायों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य के परिणामों के सामन्वयन के लिए एक कर्मीदल आई एस ओ/टी सी 102/उ स 1/क द 1 स्थापित किया।

आई एस ओ/टी सी 102/उ स 2 अयस्क लोहे का रसायनिक विश्लेषण (सचिवालय : प० जर्मनी) — पाँचवीं बैठक, 20-23 मई 1970, रोम। भारत की ओर से श्री आर. के. दत्त ने भाग लिया। बैठक में अयस्क लोहे में एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गन्धक की मात्रा के विश्लेषण सम्बन्धी आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जटिलता यौगिक मापी पद्धति द्वारा मात्रा निकालने और गन्धक की गुरुत्वमापी पद्धति द्वारा मात्रा निकालने के लिए कर्मीदल स्थापित किए गए। भारत को इनका सदस्य बनाया गया।

आई एस ओ/टी सी 102/उ स 3 अयस्क लोहे का भौतिक परीक्षण (सचिवालय : सं. रा. अ.) — पाँचवीं बैठक, 21-25 सितम्बर 1970, ओटावा (कनाडा)। भारत की ओर से श्री आर. आर. बहल, डा. बी. एन. सिंह और श्री एस. आर. प्रभु, इटैलैब (जापान) टोकियो लि० ने भाग लिया। अवचायकता, राशि घनत्व और टम्बलर परीक्षण सम्बन्धी आई एस ओ प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया। सदस्य देशों से प्रार्थना की गई कि वे अपने देशों में अन्वेषण तथा परीक्षण कार्य कराएँ। इन अन्वेषण कार्यों के समन्वयन के लिए उपसमिति ने एक परीक्षण दल आई एस ओ/टी सी 102/उ स 3/क द 1 स्थापित किया।

आई एस ओ/टी सी 102/उ स 4/क द 1 अयस्क लोहे का आकार निर्धारण के लिए परीक्षण दल (सचिवालय : ब्रिटेन) — दूसरी बैठक, 7-9 दिसम्बर 1970, लंदन। भारत की ओर से इटैलैब (जापान) लि० टोकियो के श्री एस. आर. प्रभु ने भाग लिया। अन्य बातों के अतिरिक्त कर्मीदल ने अयस्क लोहे की हाथ से छनाई के सामान्य सिद्धांतों, चिपकने वाले अयस्कों और निश्चित आकार वाली तथा अल्प आकार बानगियों को विभक्त करने की पद्धतियों पर विचार किया।

आई एस ओ/टी सी 107 धात्विक तथा अन्य अकार्बनिक लेपन (सचिवालय : इटली) — आगे बताए विषयों से सम्बन्धित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्राप्त हुए और भारत की ओर से उनका अनुमोदन किया गया: लोहे और इस्पात पर बिजली द्वारा जस्ता और कैडमियम लेपन; टिन; धात्विक और अकार्बनिक लेपनों की मोटाई नापने सम्बन्धी शब्दों की परिभाषाएँ; विद्युत लेपन तथा तत्सम्बन्धी विधियों सम्बन्धी शब्दावली; शब्दों का सामान्य वर्गीकरण और सतह उपचार तथा धात्विक लेपन।

आई एस ओ/टी सी 110 औद्योगिक ट्रक (सचिवालय : फ्रांस) — आई एस ओ केन्द्रीय सचिवालय द्वारा निम्नलिखित प्रलेख सभी सदस्य निकायों को प्रचारित किए गए:

क) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2163 पहियों और छोटे पहियों (कास्टर) सम्बन्धी शब्दावली,

ख) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2175 औद्योगिक पहिये — माप और सांकेतिक भार क्षमता, और

ग) आई एस ओ रिकमेंडेशन मसौदा सं० 2184 औद्योगिक छोटे पहिए (कास्टर) — ऊपरी पट्टियों के माप — भाग 1 — 4-काबले के छेदों वाली आयताकार ऊपरी पट्टियाँ।

आई एस ओ/टी सी 113 खुली नालियों में द्रव के बहाव की माप और 6 कर्मीदल (सचिवालय : भारत) — सदस्य निकायों को सम्मतियों के लिए प्रचारित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे आई एस ओ के केन्द्रीय सचिवालय को भेजे गए:

क) सं० 2425 ज्वार नालियों में बहाव का मापन, और

ख) सं० 2537 धारामापी।

नई तकनीक 'चलनशील नाव पद्धति' पर नया मसौदा विचारार्थ लिया गया। आई एस ओ/आर 772 शब्दावली के पुनरीक्षण का पहला मसौदा विचाराधीन था और अशुद्धियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए तथा उनका विश्लेषण किया गया।

आई एस ओ/टी सी 115/उ स 1 पम्पों के माप (सचिवालय : ब्रिटेन), **आई एस ओ/टी सी 115/ उ स 2 मापन और परीक्षण पद्धतियाँ** (सचिवालय : ब्रिटेन), और **आई एस ओ/टी सी 115/उ स 3 निविदा सम्बन्धी अपेक्षाएं** (सचिवालय : जर्मनी) — 23-27 नवम्बर 1970, कूरबेवॉय (फ्रांस)। इन बैठकों में भारत की ओर से दंडायुधपाणि फाउन्ड्री प्रा० लि०, कोयम्बटूर के आवासी निदेशक श्री पी. आर. दामोदरन ने भाग लिया।

अवकेन्द्री पम्प, मध्यम ड्यूटी रसायनिकों के रेटिंग पम्पों की परीक्षण और स्वीकृति पद्धतियों से सम्बन्धित प्रस्तावित मसौदों पर विचार किया गया। 100 मी^{3} प्रति घंटा के परास तक और 80 मी ऊँचाई तक 2 900 चक्कर प्रति मिनट के लिए प्रस्तावित मसौदे (प्रलेख सं० 115/1 एन 12) का सामान्य रूप से अनुमोदन किया गया और यह अध्ययन करने के लिए एक कर्मीदल स्थापित किया गया कि परास को बढ़ा कर 400 मी^{3} प्रति घंटा और 2 900 चक्कर प्रति मिनट पर पानी की ऊँचाई 160 मी की जा सके।

आई एस ओ/टी सी 117 औद्योगिक पंखे (सचिवालय : ब्रिटेन)—1970 में

इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई। निम्नलिखित कर्मीदलों की बैठकें उनके आगे दी तिथियों को हुई:

	तिथि	स्थान
आई एस ओ/टी सी 117/क द 1 पंखों की कार्यप्रदता परीक्षण नियम	1. 14 और 15 अप्रैल 1970	कूरबेवॉय
	2. 27 और 28 अक्टूबर 1970	,,
आई एस ओ/टी सी 117/क द 2 मानकीकृत वायुछिद्रों पर पंखों का कार्यप्रदता परीक्षण	11 और 12 जून 1970	ज्यूरिख
आई एस ओ/टी सी 117/क द 3 पंखों का मौके पर परीक्षण	9 और 10 जून 1970	,,

आई एस ओ/टी सी 120 चमड़ा (सचिवालय : ईरान) — तीसरी बैठक, 21-29 सितम्बर 1970, अंकारा आई एस ओ/टी सी 120/उ स 1 कच्ची खालें (नमक लगी खालों सहित) (सचिवालय : फ्रांस) और आई एस ओ/टी सी 120/उ स 2 कमाया हुआ चमड़ा (सचिवालय : ईरान) के साथ। भारत का प्रतिनिधित्व श्री डी. दासगुप्त, निदेशक (रसायन) भा. मा. संस्था ने किया। निम्नलिखित प्रलेखों पर विचार किया गया:

क) गोजाति तथा घोड़ा जाति की खालें उतारने और छँटाई की पद्धतियाँ,

ख) नमक लगी गोजाति तथा घोड़ा जाति की खालों के ढेर लगाने में परीरक्षण के नियम,

ग) रूप और नाप/तोल के अनुसार ताज़ी और नमक लगी गोजाति तथा घोड़ा जाति की खालों का वर्गीकरण,

घ) चमड़े की बानगी लेने की प्रक्रिया,

ङ) चमड़े के टुकड़े में परीक्षण सामग्री स्थापित करने के स्थान निरूपित करना,

च) चमड़े के अनुकूलन का भौतिक परीक्षण,

छ) प्रतीयमान घनत्व के माप,

ज) चमड़े का भौतिक परीक्षण — मोटाई की माप, और

झ) जल अवशोषण का माप।

आई एस ओ/टी सी 122 उ स 3 परिवहन पैकेजों की कार्यप्रदता अपेक्षाएं और परीक्षण (सचिवालय : ब्रिटेन) — पाँचवीं बैठक, 16-20 फरवरी 1971, लन्दन। भारत की ओर से भारतीय पैकेजबंदी संस्थान बम्बई के मेजर एम. वी. आर. आयंगर ने भाग लिया। उपसमिति ने इन विषयों से संबन्धित प्रस्तावित मसौदों पर

विचार किया: पूर्ण और भरे हुए पैकेजों के परीक्षण, अर्द्ध चट्टाबन्दी परीक्षण और वर्षा परीक्षण आते हैं। सामान्य और विशेष वितरण प्रणालियों की परीक्षण अनुसूचियाँ, कार्यपरक कठोरता स्तरों सम्बन्धी मार्गदर्शन, और स्वीकृति की कसौटियाँ पैकेजों में बन्द वस्तुओं का वर्गीकरण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय प्रतिनिधि सम्पादन समिति का एक सदस्य था और बैठक के दौरान पारित प्रस्तावों में भारतीय दृष्टिकोण का यथायोग्य रूप में समावेश किया जा सका।

आई एस ओ/टी सी 126 तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादन (सचिवालय : जर्मनी) — तीसरी बैठक, 21-25 सितम्बर 1970, अंकारा। भारत की ओर से भारत सरकार के उपकृषि पणन सलाहकार श्री आर. एन. चतुर्वेदी ने भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार हुआ:

क) धुआँने की मशीनों का मानकीकरण;

ख) तम्बाकू, सिगरेट, धुम्र संघनित और एल्केलॉइड अवशेष में सिगरेट फिल्टर द्वारा एल्केलॉइड की मात्रा निकालना;

ग) सिगरेट कागज़ की प्रवेश्यता और सिगरेट फिल्टरों का व्यास निकालना;

घ) तम्बाकू में जल की मात्रा निकालना;

ङ) तम्बाकू और तम्बाकू पदार्थों के विश्लेषणात्मक परीक्षण परिणाम लिखने का मानक आधार : भाग 1 पत्तीवाली और कटी तम्बाकू; और

च) फसल साँख्यिकी के आँकड़े लिखने सम्बन्धी मानक।

आई एस ओ/टी सी 126 काँच संयत्र पाइप लाइन और फिटिंग (सचिवालय: जर्मनी) — पहली बैठक, 14-16 अप्रैल 1970, बर्लिन। इस बैठक में कर्मीदल स्थापित करने, पाइप सेक्शनों की अपेक्षाएँ, अनिवार्य माप इत्यादि जैसी मूलभूत बातों पर चर्चाएँ हुईं।

आई एस ओ/टी सी 129 एल्युमिनियम अयस्क (सचिवालय : फ्रांस)—पहली बैठक, 3-6 नवम्बर 1970, कूरबेवाय (फ्रांस)। समिति ने अपना शीर्षक एल्युमिनियम अयस्क और खनिज पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। विषय क्षेत्र इस रूप में ग्रहण किया गया:

'आई एस ओ/टी सी 33 ऊष्मासह द्वारा लिए गए अयस्कों और खनिजों के अतिरिक्त एल्युमिनियम धातु और मध्यजनित एल्युमिनियम यौगिकों की प्राप्ति के लिए अथवा अन्य उद्योगों द्वारा प्रयुक्त एल्युमिनियम अयस्कों और खनिजों के क्षेत्र में मानकीकरण।'

निम्नलिखित तीन उपसमितियाँ स्थापित की गईं:

क) आई एस ओ/टी सी 129/उ स 1 बानगी लेना

ख) आई एस ओ/टी सी 129/उ स 2 विश्लेषण पद्धतियां

ग) आई एस ओ/टी सी 129/उ स 3 औद्योगिक परीक्षण

आई एस ओ/टी सी 129/उ स 2 को यह निदेश दिया गया कि वह बाक्साइड को प्राथमिकता दें और बाक्साइड में निम्नलिखित की मात्रा का अध्ययन करें : जलन पर क्षति, एल्युमिनियम सिलिकान, लोहा और टिटैनियम।

आई एस ओ/टी सी 133 कपड़ों की साइज प्रणालियाँ और पदनाम (सचिवालय : दक्षिण अफ्रीका) — पहली बैठक, 8-10 जून 1970, लंदन। समिति ने कपड़ों के साइज निर्धारण की वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा की और निम्नलिखित के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर कपड़ों के साइज़ पदनामन का अध्ययन करने तथा प्रारम्भिक प्रस्तावित मसौदे तैयार करने के उद्देश्य से तीन कर्मीदल स्थापित किए:

क) मर्दों, युवकों और लड़कों के कपड़े
ख) महिलाओं, किशोरियों और लड़कियों के कपड़े
ग) बच्चों के कपड़े (100 सेमी तक ऊँचाई के लिए)

आई एस ओ/टी सी 124 उर्वरक और भूमि प्रचुरक (सचिवालय : स्विट्जरलैंड)— पहली बैठक, 20-22 अक्टूबर 1970, फ्रांस। भारत की ओर से श्री के. सी. भनोट ने भाग लिया। इस समिति के विषय क्षेत्र के अनुरूप चार उपसमितियाँ स्थापित करने का निर्णय किया गया।

आई एस ओ/टी सी 135 अविनाशक परीक्षण (सचिवालय : ब्रिटेन)—पहली बैठक, 21-23 सितम्बर 1970, लंदन। समिति ने समग्र रूप से विषय क्षेत्र निश्चित किया जिसमें निर्माण सामग्रियों, घटक अंगों तथा जड़ाइयों पर सामान्य रूप से लागू होने वाले अविनाशक परीक्षण को लिया गया। कार्य के लिए निम्नलिखित उपसमितियाँ स्थापित की गईं:

क) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 1 शब्दावली
ख) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 2 सतही पद्धतियाँ
ग) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 3 ध्वनिक और चुम्बकीय पद्धतियाँ
घ) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 4 विद्युत और चुम्बकीय पद्धतियाँ
ङ) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 5 विकिरण पद्धति
च) आई एस ओ/टी सी 135/उ स 6 चूना पता लगाने की पद्धति

आई एस ओ/टी सी 137 जूतों के साइज निर्धारण (सचिवालय : फ्रांस)— पहली बैठक, 25-27 नवम्बर 1970, फ्रांस।

आई एस ओ/टी सी 138 प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : नीदरलैंड)—अगस्त 1970 में उपसमिति आई एस ओ/टी सी 5/उ स 6 प्लास्टिक पाइप और फिटिंग को उठाकर तकनीकी समिति बना दिया गया और सचिवालय नीदरलैंड को सौंपा गया। समिति ने निम्नलिखित छह कर्मीदल स्थापित किए:

क) क द 1 मल, गन्दे पानी और निकास (भूमि से निकास सहित) के लिए प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : जर्मनी)

ख) क द 2 पानी की सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : स्विट्जरलैंड)

ग) क द 3 औद्योगिक उपयोगों के लिए प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : इटली)

घ) क द 4 गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : नीदरलैंड)

ङ) क द 5 प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग की परीक्षण पद्धतियाँ और नई प्लास्टिक सामग्रियों में पाइपों और फिटिंग के सामान्य गुणधर्म

च) क द 6 सभी उपयोगों के लिए प्रबलित प्लास्टिक के पाइप और फिटिंग (सचिवालय : ब्रिटेन)

निम्नलिखित आई एस ओ रिकमेंडेशनों के मसौदे प्राप्त हुए, राष्ट्रीय समितियों के सदस्यों को प्रचारित किए गए :

क) सं० 2034 द्रवों के परिवहन के लिए प्लास्टिक सामग्री के पाइप (बाहरी व्यास और सांकेतिक दाब) भाग 1 मीटरी सिरीज़

ख) सं० 2035 दाब पर काम करने के लिए लचकदार सीलिंग रिंगनुमा जोड़ों के लिए अनम्यकृत पी वी सी की गढ़े फिटिंग का दाब प्रतिरोध परीक्षण

ग) सं० 2043 दाब पर काम करने के लिए लचकदार सीलिंग रिंगनुमा जोड़ों के लिए अनम्यकृत पी वी सी की गढ़े फिटिंग का भट्टी परीक्षण

घ) सं० 2044 दाब पर काम करने के लिए अनम्यकृत पी वी सी के इन्जेक्शन गढ़े घोलकों वेल्डकृत साकेट फिटिंग की भीतरी द्रव दाब परीक्षण

ङ) सं० 2045 लचकदार सीलिंग रिंगनुमा जोड़ों वाली अनम्यकृत पी वी सी की दाब नलियों के लिए इकहरे साकेट — न्यूनतम गहराई

च) सं० 2048 लचकदार सीलिंग रिंगनुमा जोड़ों वाली अनम्यकृत पी वी सी की दाब नलियों के लिए दोहरे फिटिंग — न्यूनतम गहराई।

छ) सं० 2056 पाइप और फिटिंग इन्जेक्शन गढ़े पी वी सी फिटिंग विकाट नरमकारी ताप निर्धारण — परीक्षण पद्धति

2. अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी कमीशन (आई ई सी)

2.1 31 मार्च 1971 को आई ई सी के अधीन 68 तकनीकी समितियाँ, 100 उपसमितियाँ, 4 विशेषज्ञ समितियाँ और 347 कर्मीदल काम कर रहे थे। भारत इसमें से सभी तकनीकी समितियों, उपसमितियों और कुछ कर्मीदलों का सक्रिय सदस्य है। इसके अतिरिक्त भारत के पास बिजली के पंखों से सम्बन्धित तकनीकी समिति का सचिवालय भी है।

2.2 समीक्षागत वर्ष में आई ई सी की जिन समितियों की बैठकें हुई उनमें किए गए काम का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

वाशिंगटन में वार्षिक सामूहिक बैठकें

वाशिंगटन में 18-30 मई 1970 के बीच लगभग 68 तकनीकी समितियों, उपसमितियों, परिषद और कार्यसमिति की बैठकें हुईं।

इन बैठकों में भारत की ओर से संस्था के महानिदेशक डा. ए. एन. घोष ने भाग लिया।

यहाँ परिषद, कार्यसमिति, भारत की रुचि वाली तकनीकी समितियों और उपसमितियों की बैठकों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

परिषद (26 मई 1970) —श्री एस. ई. गुडाल (ब्रिटेन) तीन वर्ष की अवधि के लिए श्री पी. ऐलेरे (फ्रांस) के स्थान पर आई ई सी के सभापति चुने गए। श्री जे. ओ. नोवेल्स को तीन वर्ष की अवधि के लिए तीसरी बार कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्य समिति की सदस्यता के चुनावों में आस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इटली के स्थान पर फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और रूस को आगामी छह वर्षों के लिए सदस्य चुना गया। अन्य छह देश जो अब भी कार्य समिति के सदस्य बने हुए हैं, वे हैं जर्मनी, इज़रायल, पोलैंड (1972 तक), भारत, स्विट्जरलैंड और सं. रा. अ. (1974 तक)। यह भी पक्की तरह निश्चित किया गया कि आई ई सी की अगली सामान्य बैठकें ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में 9 से 19 जून 1971 को होंगी।

परिषद ने जारी किए गए प्रकाशनों में हुई अशुद्धियों को ठीक करने और पुराने पड़ गए प्रकाशनों को निरस्त करने सम्बन्धी क्रियाविधियों को सरल बनाने के सवाल पर छह माह नियम के अनुसार अनुमोदन के अधीन भी विचार विमर्श किया।

परिषद इस बात से भी सहमत हुई कि विधान सम्बन्धी इन संशोधनों पर सदस्य देशों के भी मत प्राप्त किए जाएँ। इन संशोधनों से छह माह नियम के अनुमोदन के लिए प्रचारित मसौदे अब की अपेक्षा और व्यापक रूप में वितरित किए जा सकेंगे। परिषद ने ऐसे मामलों की क्रियाविधि का भी पुनरीक्षण किया जिनके विषयों से सम्बन्धित आई ई सी रिकमेंडेशनों को पेटेण्टों का रूप प्रदान करना था। यह नई क्रियाविधि आई एस ओ/आई ई सी के पेटेण्टों सम्बन्धी, संयुक्त कर्मीदल द्वारा तैयार की गई थी और पहले से चली आ रही क्रियाविधि के मुकाबले में काफी सरल है।

आई एस ओ के निवर्तमान सभापति श्री एफ. संटर ने यह प्रस्ताव किया था कि 14 अक्टूबर 1970 को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाए। परिषद ने इस सम्बन्ध में सिफारिश की कि आई ई सी की राष्ट्रीय समितियाँ इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन प्रदान करें।

परिषद ने कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए बजट प्रस्तावों पर भी विचार किया और उनका अनुमोदन कर दिया।

कार्य समिति (20 और 30 मई 1970) — प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित तीन नई तकनीकी समितियाँ स्थापित की गईं :

टी सी 70 बचावकारी खोल — इस समिति का काम है ऐसी सिफारिशें तैयार करना जो यथासंभव अधिक से अधिक प्रकार के उपकरणों पर लागू हो सके। इसका पहला काम यह है कि घुमनी मशीनादि के खोलों से सम्बन्धित आई ई सी प्रकाशन 34-35 और अल्प वोल्टता स्विच-गियर और नियन्त्रण-गियर के खोलों से सम्बन्धित प्रकाशन 144 के बीच अन्तरों को ठीक किया जाए। इस समिति का सचिवालय ब्रिटिश विद्युत तकनीकी समिति को दिया गया है और श्री मिकोडे (फ्रांस) इसके अध्यक्ष हैं।

टी सी 71 बटोरने वाली खानों के लिए बिजली का सामान — यह समिति बटोरने वाली खानों तथा अन्य ऐसी ही क्रियाओं के लिए बिजली का सामान लगाने और उसके उपयोग के बारे में रिकमेंडेशन तैयार करेगी लेकिन मुख्य रूप से इस सामान की प्रत्येक मद के बारे में रिकमेंडेशन तैयार करना उसका प्रमुख कार्य होगा और यह कार्य उसके अधीन उपयुक्त तकनीकी समिति द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। इसका सचिवालय आस्ट्रेलियाई विद्युत तकनीकी समिति को दिया गया है और इसके अध्यक्ष डा. एच. थीलेन (जर्मनी) हैं।

टी सी 72 घरेलू उपयोग के लिए ध्वानिक नियंत्रण — इस समिति का लक्ष्य गृहस्थी तथा अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए प्रयुक्त किसी साधन और उपकरण में लगने वाली बिजली की स्वचल नियंत्रण युक्तियों में सुरक्षा, उनके प्रचालन लक्षणों और परीक्षणों से सम्बिन्धित नियमों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण करना और तत्सम्बन्धी रिकमेंडेशन तैयार करना है। इसका सचिवालय सं. रा. अ. की राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी समिति को दिया गया है और इसके अध्यक्ष श्री के. आर. फिलिप्स (ब्रिटेन) हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर मुहर लगाने का प्रश्न भी टी सी 56 इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और उपकरणों की विश्वसनीयता से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चर्चा के लिए उठ आया, और कार्यसमिति इस बात से सहमत हुई कि टी सी 56 इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर मुहर लगाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणन योजना की एक ऐसी मास्टर योजना तैयार करे जो किसी भी देश के लिए लागू हो सके। आशा की जाती है कि इस योजना पर जून 1971 में ब्रूसेल्स में होने वाली सामान्य बैठकों में कार्य समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। इसके साथ ही आई ई सी के सभापति श्री गुडाल इस बात की सम्भावना का भी अध्ययन करेंगे कि आई ई सी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना स्थापित करे।

सुरक्षा परामर्श समिति की पहली बैठक वाशिंगटन में हुई। इस समिति में विद्युत उपकरणों से बचाव से सम्बन्धित आई ई सी की तकनीकी समितियों के अध्यक्ष और सचिव सम्मिलित हैं और यह विशेष रूप से घरों के अनभिज्ञ उपयोगकर्ताओं के लिए उद्दिष्ट है। इसका लक्ष्य यह देखना है कि इन मदों पर आई ई सी का काम समन्वित रूप से तेजी से आगे बढ़े। प्रारम्भ के रूप में परामर्श समिति ने इस बात पर विचार किया कि बिजली के शॉक से बचाव के संदर्भ में उपकरणों की बचाव सम्बन्धी अपेक्षाओं और वर्गीकरण एक बुनियादी 'सोर्स बुक' तैयार की जाए।

कार्य समिति को बताया गया कि टी सी 23 विद्युत सहायक अंग, ने ऐसे प्लग और साकेट आउटलेट के बारे में रिकमेंडेशन तैयार करने का काम शुरू किया है जो सारे संसार में ग्राह्य हो सकें। टी सी 23 ने यह भी बताया कि अनेक विषयों पर शीघ्रता से कार्य कराने के लिए अनेक उपसमितियों की स्थापना की गई है।

महासचिव ने कार्यसमिति को यह भी बताया कि आई एस ओ/टी सी 124 और आई ई सी/टी सी 65 ने मिल कर यह निर्णय किया है कि विद्युत और विद्युतेतर साधनों, दोनों की प्रणालियों और औजारों से सम्बन्धित प्रक्रिया नियन्त्रण का कार्य एक ही अन्तर्राष्ट्रीय समिति सम्भाले और यह समिति आई ई सी/टी सी 65 हो।

कार्यसमिति ने आई ई सी द्वारा उठाए जाने वाले विषयों के महत्त्वपूर्ण मद पर भी विचार किया। कार्यसमिति ने अन्त में निर्णय किया कि विभिन्न राष्ट्रीय समितियों द्वारा प्रस्तावित विषयों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया जाए:

क) वे विषय जिनकी राष्ट्रीय समितियों को और जानकारी के लिए भेजना है; और

ख) वे विषय जिनको वर्तमान तकनीकी समितियों अथवा उपसमितियों को आवंटित करना है।

शार्ट सर्किट धाराओं और उनके ऊष्माजन्य तथा मशीनी प्रभावों से सम्बन्धित कर्मीदल की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। यह तय पाया गया कि कर्मीदल की एक और बैठक अगस्त 1970 में की जाए और उसके पश्चात् अगर आवश्यक समझा जाए तो पत्र-व्यवहार द्वारा एक नई तकनीकी समिति की स्थापना के लिए कार्यवाही की जाए। कार्य-समिति ने सामान्य बैठकों की अवधि में जिन समितियों की बैठकें हुई थीं और छह माह नियम के अधीन प्रचारित किए जाने के लिए 166 मसौदों (लगभग 3 000 प्रकाशित पृष्ठ) का अनुमोदन किया।

टी सी 1 शब्दावली (सचिवालय : फ्रांस) — समिति ने निर्णय किया कि कार्यसमिति द्वारा शब्द 'रेटिंग' की संधारणा पर विचार करने के लिए स्थापित किए कर्मीदल की रिपोर्ट को छह माह नियम के अधीन प्रचारित किया जाए। नई आई ई वी संख्यांकन पद्धति स्वीकृत की गई। सचिवालय की ओर से प्रक्रिया सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख और शब्दावली के काम के नवीन वंटन विषयक प्रलेख तैयार किए और राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित किए जाएँ। इसी प्रकार आई ई वी तैयार करने सम्बन्धी सामान्य निदेशों के दुहराने के प्रश्न पर एक सचिवालय प्रलेख राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित किया जाएगा।

टी सी 2 घूमने वाली मशीनादि (सचिवालय : ब्रिटेन) — उ स 2बी, उ स 2एफ, उ स 2जी और उ स 2एच की रिपोर्टों का अनुमोदन किया गया। घूमने वाली बिजली की मशीनों की शोर सीमाओं सम्बन्धी प्रलेख का छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया। आई ई सी प्रकाशन

34-1 बिजली की घूमने वाली मशीनादि (ट्रेक्शन वाहनों को छोड़कर) भाग 1 रेटिंग और कार्यप्रदता, के संशोधन के सम्बन्ध में अनेक देशों से प्राप्त प्रस्तावों पर काफी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि लिए गए निर्णयों को एक सचिवालय प्रलेख के रूप में राष्ट्रीय समितियों को जारी किया जाए। समिति ने यह भी तय किया कि मोटरों की समेकित ऊष्मा बचाव सम्बन्धी अपेक्षाओं का मसौदा तैयार करने के लिए टी सी 17बी के सचिवालय से सम्पर्क किया जाए। डी सी मिलनुमा मोटरों के लिए आई ई सी रिकमेंडेशन तैयार करने के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

उ स 2बी घूमने वाली बिजली की मशीनों के माप (सचिवालय : डेनमार्क) — पाद अथवा लचकीले आधार पर लगे सामान्य कार्य वाले मोटर के विषय में एक सचिवालय प्रलेख जारी किया जाएगा। इसी प्रकार तेल के बर्नरों वाले मोटरों पर भी एक सचिवालय प्रलेख राष्ट्रीय समितियों को सम्मतियों के लिए जारी किया जाएगा। टी सी 2 और टी सी 63 द्वारा किए गए काम के आधार पर प्रकाशन 72 बिजली की मशीनों के माप और उत्पादन रेटिंग से मेल खाता हुआ एक पूर्णतः नया प्रकाशन तैयार करने के उद्देश्य से एक नया कर्मीदल स्थापित किया गया ताकि यह प्रकाशन 1980 के बाद लागू हो सके। डी सी मशीनों के लिए बी मापों के विकल्प जानने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समितियों को एक प्रश्नावली भी भेजी जाएगी।

उ स 2एफ कार्बन बुरुशों, बुरुश होल्डरों, दिक् परिवर्तक और स्लिप रिंग (सचिवालय : जर्मनी) — इन विषयों से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन जारी करने का निर्णय किया गया। बुरुश सामग्री का भौतिक परीक्षण, टर्मिनलों के माप, बुरुशों की लम्बाइयों के अतिरिक्त टी मान, बुरुश/लचकीले कनेक्शनों की विद्युत प्रतिरोधिता, ढोंके हुए नम्य कनेक्शनों की खिचाई सामर्थ्य और लचकीले बुरुशों में धारा के सिफारिशी मान। बुरुश होल्डरों के प्रकार और उनके साइज़ घटाने तथा उनकी अंतर्विनिमेयता के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक नया कर्मीदल स्थापित किया गया।

टी सी 4 द्रव टरबाइन (सचिवालय : सं. रा. अ.) — यह बैठक मुख्य रूप से निम्नलिखित कर्मीदलों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए हुई थी। आदर्श पम्पों की परीक्षण संहिता; गुहकीकरण; इकाई प्रतीक और परिभाषाएँ; कम्पन; आदर्श साइज़ और सिर; प्रचालन और रख-रखाव; बहाव मापन; परीक्षणों की सामान्य बातें; परिणामों का परिकलन; सिर; गति और दाबचर; शक्ति और क्षति मापन, तापगति की पद्धति; गति नियन्त्रण प्रणाली की विशिष्टि; गुहकीकरण फिटिंग; और गवर्नर परीक्षण संहिता।

भंडारण पम्पों के आदर्श स्वीकृति परीक्षणों के प्रलेख पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ जिसके परिणामस्वरूप छह माह नियम के अधीन प्रचारार्थ एक पुनरीक्षित मसौदा तैयार किया जाएगा। प्रचालन और रख-रखाव की गाइड का एक पुनरीक्षित मसौदा राष्ट्रीय समितियों को सम्मतियों के लिए जारी किया जाएगा।

टी सी 15 रोधन सामग्री (सचिवालय : इटली) — समिति का मुख्य प्रयोजन उपसमितियों की रिपोर्ट प्राप्त करना था। यह निर्णय किया गया कि नए और जीर्ण विद्युत कागजों के बहुलीकरण की औसत विस्कोसी मीटरी मात्रा की परीक्षार्थ मापन पद्धति सम्बन्धी प्रलेख को छह माह नियम के अधीन जारी किया जाए।

उ स 15ए अल्प अवधि परीक्षण (सचिवालय : जर्मनी) — 300 मेगा-हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियों पर विद्युत रोधन सामग्री के विद्युत दाब गुणों के निर्धारण की सिफारिशी परीक्षण पद्धति सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख छह माह नियम के अधीन जारी किया जाएगा। आई ई सी प्रकाशन 93 विद्युत रोधन सामग्रियों के आयतन और सतह प्रतिरोधनशीलता की सिफारिशी परीक्षण पद्धति पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रलेख का दुबारा मसौदा तैयार किया जाएगा तथा राष्ट्रीय समितियों को सचिवालय प्रलेख के रूप में जारी किया जाएगा।

उ स 15बी सहनशीलता परीक्षण (सचिवालय : सं. रा. अ.) — सतही विसर्जन द्वारा रोधन सामग्री टूटने से प्रतिरोधिता का परीक्षण पद्धति सम्बन्धी प्रलेख का प्रकाशन के लिए अनुमोदन किया गया। यह तय हुआ कि रोधन वार्निशों की हवा में सहनशीलता की परीक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख दो माह प्रक्रिया के अधीन जारी किया जाए। रोधन सामग्रियों की ताप क्षमता की पदनामन मार्गदर्शिका सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख छह माह नियम के अधीन जारी किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि तार के गट्ठे की पद्धति द्वारा वार्निशों की चेप सामर्थ्य सम्बन्धी प्रलेख को सचिवालय प्रलेख के रूप में दुबारा जारी किया जाए क्योंकि उसमें कुछ बातों के स्पष्टीकरण तथा कुछ चीजें जोड़ने की आवश्यकता थी। रोधन सामग्रियों की सूची और उनके सहनशीलता परीक्षण, दाब प्रभावी टेपों का ताप जीर्णन पर दो प्रलेख कनाडा और जर्मनी द्वारा तैयार किए जाएँगे। ताप जीर्णन आँकड़ों का गणितीय उपचार (सांख्यिकीय विश्लेषण) और ह्रासशील वातावरण में सहनशीलता परीक्षण की मार्गदर्शिका सचिवालय प्रलेखों के रूप में राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित किए जाएँगे। लचकीलेपन में कमी द्वारा लचकीली रोधन सामग्रियों की वार्निशों और ब्रोजों के ताप सहनशीलता परीक्षण प्रलेख को रोके रखा जाएगा।

उ स 15सी विशिष्टियाँ (सचिवालय : नीदरलैंड) — यह तय किया गया कि विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त घोलक-रहित बहुलीकरण योग्य ब्रोजों के यौगिकों की विशिष्टियों के मसौदों को छह माह नियम के अधीन जारी किया जाए। निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित विशिष्टियों के मसौदे राष्ट्रीय समितियों के सचिवालय प्रलेखों के रूप में प्रचलित किए जाने के लिए अनुमोदित किए जाएँ। रोधन कागज, भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ; विद्युत कार्यों के लिए ठोस दाब गत्ते, भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ और भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ; वार्निशकृत कपड़े, भाग 3 चद्दर 21; बिजली के कामों के लिए दाब से चिपकने वाले टेप, भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ ; वार्निशकृत कपड़ों की विशिष्टि के मसौदे, भाग 3 सम्बन्धी विशिष्टि-पत्रों के प्रस्ताव पर विचार करने तथा एक लेख तैयार करने के लिए एक कर्मीदल स्थापित किया गया।

टी सी 17 स्विचगियर और नियंत्रण-गियर (सचिवालय : स्वीडन) — बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि विभिन्न उपसमितियों और कर्मीदलों से जिन विषयों पर वे काम कर रहे हों उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जाए।

उ स 17ए उच्च-वोल्टता वाले स्विचगियर और नियंत्रण-गियर (सचिवालय : स्वीडन) — उच्च वोल्टता प्रत्यावर्तीधारा के फ्यूज़-स्विच समुच्चयों और फ्यूज़ परिपथ ब्रेकर समुच्चयों से सम्बन्धित प्रलेख पर विस्तार से विचार-विनिमय हुआ और यह तय पाया गया कि लिए गए निर्णय के अनुसार दोहरा कर एक प्रलेख तैयार किया जाए और उसे छह माह नियम के अधीन जारी किया जाए। समिति ने विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि क्षणिक पूर्व-स्थित वोल्टता का तरंग रूप निर्धारित करने की पद्धतियों सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख और सर्किट ब्रेकर के संश्लिष्ट परीक्षण पर दूसरा प्रलेख तैयार किया जाए। प्राप्त सम्मतियों के आधार पर प्रकाशन 129 प्रत्यावर्ती-धारा आइसोलेटर और भूयोजनकारी स्विच के पुनरीक्षण पर विचार करने के लिए एक नया कर्मीदल स्थापित किया गया। शार्ट लाइन दोष परीक्षण सर्किट से सम्बन्धित टी आर वी के मूल्यांकन पर पुनरीक्षित प्रलेख राष्ट्रीय समितियों के विचारार्थ तैयार किया जाए।

उ स 17बी अल्प-वोल्टता वाले स्विचगियर और नियंत्रण-गियर (सचिवालय : फ्रांस) — ए सी 1 और ए सी 2 श्रेणियों के कंटेक्ट्रों की सर्किट बनाने और तोड़ने की क्षमता की जाँच के लिए परीक्षण परिपथ पर पुनरीक्षित प्रलेख छह माह नियम के अधीन प्रचालन के लिए तैयार किया जाएगा।

कर्मीदल डी सी 1, डी सी 2, डी सी 3, डी सी 4 और डी सी 5 श्रेणियों के कंटेक्ट्रों की सर्किट बनाने और तोड़ने की क्षमताओं की जाँच के लिए रूढ़ परीक्षण परिपथ सम्बन्धी पुनरीक्षित सचिवालय प्रलेख तैयार किया जाएगा। समिति ने अल्प-वोल्टता वितरण स्विचगियर भाग 1 सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी प्रलेखों पर भी विचार-विमर्श किया जो पूरा न हो सका। इसी प्रकार यह भी तय पाया गया कि अल्प-वोल्टता एयरब्रेक स्विचों, भंजकों और फ्यूज/स्विच समुच्चयों पर एक नया मसौदा आगे विचारार्थ तैयार किया जाए।

उ स 17सी उच्च-वोल्टता खोल बन्द स्विचगियर और नियंत्रण-गियर (सचिवालय : जर्मनी) — उच्च-वोल्टता रोधन सामग्री स्विचगियर और नियंत्रण-गियर सम्बन्धी प्रलेख पर थोड़ा विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि एक कर्मीदल इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करे और पुनरीक्षित प्रलेख तैयार किए जाने तथा समिति द्वारा उस पर पुनः विचार किए जाने के पहले प्राप्त सम्मतियों की जाँच करे।

उ स 17डी अल्प-वोल्टता स्विचगियर और नियंत्रण-गियर जड़ाइयाँ (सचिवालय : जर्मनी) — पूर्व गढ़ी अल्प-वोल्टता स्विचगियर और नियंत्रण-गियर जड़ाइयों की विशिष्टि (प्रथम भाग) के दूसरे मसौदे पर विचार-विमर्श पूरा न हो सका। यह तय पाया गया कि एक नया सचिवालय मसौदा जिसमें अतिरिक्त पहलुओं को भी

लिया गया हो समिति के विचारार्थ तैयार किया जाए। बेल्जियम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पूर्व गढ़ी जड़ाइयों के बस-बार ट्रंककारी प्रणालियों का नया मसौदा राष्ट्रीय समितियों के विचारार्थ तैयार किया जाएगा।

टी सी 18 जलयानों में बिजली के संस्थान (सचिवालय : नीदरलैंड) — समिति को उपसमितियों और कर्मीदलों से रिपोर्टें प्राप्त हुईं। यह तय किया गया कि आई ई सी प्रकाशन 92-5 के अध्याय 20 टैंकर के पुनरीक्षण प्रलेख को छह माह नियम के अधीन जारी किया जाए। प्रकाशन 92-5 अध्याय 18 जेनेरेटर (सम्बद्ध प्राइम मूवर सहित) और मोटर के पुनरीक्षण, प्रकाशन 92-1 सामान्य अपेक्षाएँ के पुनरीक्षण, आई ई सी प्रकाशन 92-4 के स्विचगियर, विद्युत बचाव, वितरण और नियंत्रण-गियर सम्बन्धी अध्यायों के पुनरीक्षण तैयार किए तथा राष्ट्रीय समितियों को सम्मतियों के लिए प्रचारित किए जाएँगे।

उ स 18ए केबल और केबल संस्थापन (सचिवालय : फ्रांस) — समिति ने आई ई सी प्रकाशन 92-3 में केबल (निर्माण, परीक्षण और संस्थापन) में से रोधक ढक्कनों और खोलों की सामग्री हटाने और इसी प्रकाशन में नई सामग्रियाँ (इथाइलीन-प्रोपाइलीन, आरपार लाइनकृत पालीइथाइलीन-क्लोरोसल्फोनेटेड पालीइथाइलीन) शामिल करने, और केबल की रेटित वोल्टता की परिभाषा सम्मिलित करने का निर्णय किया गया। यह भी तय हुआ कि जलयान और दूरसंचार केबलों और रेडियो आवृत्ति केबलों का एक नया सचिवालय प्रलेख तैयार किया जाए।

उ स 18बी नियन्त्रण और उपकरण जुटाना (सचिवालय : डेनमार्क) — यह समिति की पहली बैठक थी। इसमें आई ई सी प्रकाशन 92 में अतिरिक्त अध्याय जोड़ने के लिएस चिवालय के प्रारम्भिक मसौदे पर चर्चा की और तय किया कि इसका नया मसौदा तैयार किया जाए। इस अध्याय के विषयक्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन किया गया।

उ स 22ई स्थिरीकृत पावर वितरण (सचिवालय : सं. रा. अ.) — समिति ने स्थिरीकृत पावर वितरण से सम्बन्धित अनेक सचिवालय प्रलेखों पर विचार किया और उ स 66ए और 22ई के प्रलेखों के बीच एक जैसी परिभाषाओं के लिए विभिन्न शब्दों के उपयोग सम्बन्धी अंतर को मिटाने के लिए एक संयुक्त कर्मीदल 4 स्थापित किया। शब्दावली और परिभाषाओं सम्बन्धी प्रलेख की छह माह नियम के अधीन प्रचार के लिए सिफारिश की गई।

रेटिंग और कार्यप्रदता सम्बन्धी प्रलेख के पुनरीक्षण तैयार करने के लिए एक कर्मीदल 3 स्थापित किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रति-बाधा परीक्षण सम्बन्धी पुनरीक्षण मसौदा तैयार किया जाए और सी आई पी आर को सम्मतियों के लिए भेज दिया जाए।

सर्वसम्मति से यह सिफ़ारिश की गई कि श्री जे. ऐंकरस्मित, को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए।

टी सी 25 बिजली का सहायक सामान (सचिवालय : बेल्जियम) — इस बैठक में निम्नलिखित नई समितियाँ स्थापित की गईं:

क) उ स 23बी प्लग, साकेट-आउटलेट और स्विच (सचिवालय : बेल्जियम)

ख) उ स 23सी विश्वव्यापी प्लग और साकेट आउटलेट प्रणाली (सचिवालय : दक्षिण अफ्रीका)

ग) उ स 23डी बल्बों के होल्डर (सचिवालय : नीदरलैंड)

घ) उ स 23ई घरेलू सर्किट ब्रेकर (छोटे सर्किट ब्रेकर, भूयोजक लीकेज सर्किट ब्रेकर, दूरस्थ नियंत्रण स्विच, सीढ़ियों इत्यादि के लिए टाइमर) (सचिवालय : नीदरलैंड)

ङ) उ स 23एफ संयोजक साधन (सचिवालय नियत करना है ।)

शेडधारक छल्ले वाले बल्ब होल्डरों के बैरेल धागे से सम्बन्धित प्रलेख का छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया ।

उ स 32सी लघु फ्यूज (सचिवालय : नीदरलैंड)— प्रकाशन 127 लघु फ्यूजों के कारतूसनुमा फ्यूजों के लिंक से सम्बद्ध मानक शीट के फ्यूज़ लिंकों के आरा मानों के प्रलेख को छह माह नियम के अधीन जारी किया जाएगा। 6·3 मिमी × 32 मिमी शीघ्र कार्यकारी फ्यूज़ लिंक के मानक शीट 5, तोड़ने की अल्पक्षमता वाले, विषय को कुछ राष्ट्रीय समितियों से जानकारी प्राप्त होने तक रोके रखा जाए । छपे परिपथों के सूक्ष्म फ्यूज़-लिंकों के विषय पर सचिवालय की ओर से पुनरीक्षित मसौदा राष्ट्रीय समितियों की सम्मतियों के लिए तैयार किया जाएगा ।

टी सी 34 लैम्प और तत्सम्बन्धी उपकरण (सचिवालय : ब्रिटेन) — समिति ने बचाव परामर्श समिति के प्रलेख 02 (केन्द्रीय आफिस) 70 बिजली के उपकरणों के लिए बचाव अपेक्षाओं से सम्बन्धी मूल पुस्तिका पर विचार किया और अपनी सम्मतियाँ निर्धारित कीं । यह अनुभव किया गया कि प्रस्तावित पुस्तिका में फिलहाल वर्तमान प्रलेखों से उद्धृत बचाव अपेक्षाएँ ही रखी जाएँ और सारणीबद्ध उल्लेख गाइड का काम करे ।

समिति ने उ स 34ए, उ स 34बी, उ स 34सी और उ स 34डी की रिपोर्टों का अनुमोदन किया ।

उ स 34ए लैंप (सचिवालय : ब्रिटेन) — समिति ने छह प्रलेखों का छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया ।

ई 40 कैपों की स्कर्ट वाले बल्बों के गर्म पुर्जों से धोखे में स्पर्श हो जाने से बचाव सम्बन्धी प्रलेख के सम्बन्ध में यह तय पाया गया कि मामले को कर्मीदल प्रेस्को को अध्ययन के लिए भेज दिया जाए ।

भीतर सफेदी वाले लैम्पों पर प्रेस्को कर्मीदल की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह तय पाया गया कि इन लैम्पों को केवल अंतर्विनिमेयता और बचाव सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप आने वाले लैम्पों की वृहत्तर कोटि में रक्खा जाए, कार्यप्रदता के अनुरूप नहीं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के लैम्पों को केवल सजावटी उपयोग के उपयुक्त ही माना गया है और इसके साथ ही यह भी था कि उनमें उपयोगकर्ताओं की मर्जी के अनुसार रंग और चमक पैदा करने के लिए विभिन्न लेपन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपसमिति ने प्रेस्को कर्मीदल से सिफारिश की कि वह निम्नलिखित मदों का अध्ययन करे:

क) उच्च दाब सोडियम लैम्पों की अपेक्षाएँ

ख) हेलाइड लैम्पों की अपेक्षाएँ

ग) स्टार्टरहित प्रतिदीप्ति छड़ों के स्टार्ट की विशिष्टि का पुनरीक्षण

घ) फिटिंगों में बंद उच्च दाब पारा लैंपों की टोपियों और बल्ब ताप

ङ) 8 मिमी प्रक्षेपक लैम्प द्वारा प्रदत्त प्रकाश की मापन पद्धति

च) प्रकाशन 81 में 10 वाट प्रतिदीप्ति छड़ों का सम्मिलित करना,

छ) 32 मिमी व्यास वाली 40 वाट प्रतिदीप्ति छड़ों सम्बन्धी अपेक्षाएँ।

उ स 34बी बल्ब कैप और होल्डर (सचिवालय : ब्रिटेन) — उपसमिति ने छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए 22 प्रलेखों का अनुमोदन किया इनमें से कुछ एक अधिक मानक शीट थे। यह भी सिफारिश की गई कि कर्मीदल ई पी सी निम्नलिखित मदों पर विस्तार से विचार करे:

क) एस ए ई होल्डरों पर आई ई सी बी ए 15 टोपियों के बैठ जाने की समस्या, और

ख) परा-बैंगनी और उच्च ताप प्रभावों के विशेष संदर्भ में प्लास्टिक होल्डरों के लम्बी अवधि तक चलाऊ होने सम्बन्धी अपेक्षाएँ।

उ स 34सी विसर्जन लैम्पों के लिए सहायक सामान (सचिवालय : ब्रिटेन) — उपसमिति ने छह माह नियम के अधीन 13 प्रलेखों का प्रचारण के लिये अनुमोदन किया और प्रतिदीप्ति छड़ों के धातु चढ़े और पन्नीनुमा बैलास्टों सम्बन्धी नए उपखण्डों को प्रकाशन 82 के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए कर्मीदल कामेक्स को भेज दिया।

उ स 34डी प्रकाश उपांग (सचिवालय : ब्रिटेन) — उपसमिति ने छह माह नियम के अधीन दो प्रलेखों का अनुमोदन किया। यह भी तय पाया गया कि प्रकाशन 162 के तीसरे संस्करण के नए स्वरूप के प्रति समर्थन की स्पष्ट स्थिति जानने के लिए इस प्रकाशन के मसौदे के साथ उसके स्वरूप सम्बन्धी प्रश्नावली भी राष्ट्रीय समितियों को भेजी जाए।

टी सी 35 प्राइमरी सैल और बैटरियाँ (सचिवालय : ब्रिटेन) — निम्नलिखित प्रलेखों को आई ई सी रिकमेंडेशनों के रूप में प्रकाशन के लिए परिषद से सिफारिश की गई:

क) आई ई सी प्रकाशन 86-1 प्राइमरी सेल और बैटरियाँ भाग 1 सामान्य, एम आर 48 और एस आर 48 श्रवण साधनों की बैटरियाँ, के संशोधन और परिवर्द्धन जो आई ई सी प्रकाशन में सम्मिलित किए जाते हैं,

ख) ट्रांजिस्टरों और रेडियो के लिए बैटरियाँ और 6एफ 24 बैटरी जोड़ना, और

ग) बटन बैटरियों के टर्मिनल ।

निम्नलिखित प्रलेखों का छह माह नियम और दो माह प्रक्रिया के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया:

क) बिजली की घड़ियों की बैटरियाँ, और

ख) आर 20 और आर 14 की बैटरियों के माप ।

इसके अतिरिक्त समिति ने बैटरियों के लिए लीक रोक परीक्षण और विसर्जन की स्थितियों के प्रश्न पर भी चर्चा की । श्री एच. एन. दोषी ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया ।

टी सी 37 तड़ित रक्षक (सचिवालय : सं. रा. अ.)—समिति ने इस बैठक में 345 किवो से अधिक प्रणाली वोल्टता पर रक्षक के उपयोग सहित अनेक प्रलेखों और प्रस्तावों पर विचार किया और तय किया कि एनालाग कम्प्यूटर और क्षेत्र परीक्षण परिणामों की व्याख्या पर सिगरे से जानकारी प्राप्त की जाएँ। उसने तड़ित रक्षकों की अरेखीय प्रतिरोधकनुमा वोल्टता रेटिंग और कार्यप्रदता सम्बन्धी अपेक्षाओं पर चर्चा की और स्विचकारी आवेग द्वारा रोधन जलने की वोल्टता को अंतिम रूप देने में टी सी 28 से सहायता लेने का निर्णय किया ।

अरेखीय प्रतिरोधकनुमा तड़ितरक्षक के दूषण सम्बन्धी सं. रा. अमेरिका के प्रस्ताव को वर्तमान दूषण परीक्षण कर्मीदल को भेज दिया ।

टी सी 39 इलेक्ट्रानिक ट्यूब (सचिवालय : ब्रिटेन) — निम्नलिखित प्रलेख छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किए गए: पारेषण ट्यूबों में अंतरमाडुलन उत्पादन (वोल्टता) की मापन पद्धति; सूक्ष्म तरंग ट्यूबों में पावर शिथिलता (हिसटेरेसिस), आवेग शका; वोल्टता उन्नयन-दर; दूरगामी ध्वनिवर्द्धक ट्यूब; सूक्ष्म-तरंग ट्यूब सम्बन्धी सामान्य शब्दावली और इलेक्ट्रानिक ट्यूबों में अरेखीयता पर प्रभाव ।

टी सी 39 का शीर्षक बदलकर 'इलेक्ट्रानिक ट्यूब' कर दिया गया । उ स 39ए का काम घटता देखकर यह तय किया गया कि अगली बैठक के बाद उपसमिति का काम टी सी 39 के काग के साथ मिला दिया जाए ।

टी सी 40 इलेक्ट्रानिक उपकरणों के कैपेसिटर और प्रतिरोधक (सचिवालय : नीदरलैण्ड) — निम्नलिखित प्रलेख आई ई सी रिकमेंडेशनों के रूप में प्रकाशित किए जाएँगे:

क) कैपेसिटरों और प्रतिरोधकों के तार के सिरों के तरजीही व्यास,

ख) जड़े प्रतिरोधकों सम्बन्धी शब्दावली और परीक्षण पद्धतियाँ, और

ग) तार द्वारा बिना वाइंडकृत प्रतिरोधकों के वातावरण परीक्षणों की तरजीही कठोरताएँ, टाइप 1 और 2।

निम्नलिखित प्रलेख छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किए गए:

क) एकदिश तारों (लीड) वाले एल्युमिनियम के विद्युत अपघटनी कैपेसिटरों के माप;

ख) जड़े धातु चढ़े पालीइथाइलीन टेरेफ्थलेट डाइइलेक्ट्रिक डी सी कैपेसिटरों के मध्यस्थ प्रलेख;

ग) सिरों के माप और अंतराल और एक ओर सिरे लगे एल्युमिनियम विद्युत अपघटनी कैपेसिटरों के चढ़ाने की पद्धतियाँ;

घ) अल्प पावर जड़े प्रतिरोधकों की विस्तृत विशिष्टियों की डिज़ाइन मार्गदर्शिका;

ङ) कैपेसिटरों और प्रतिरोधकों के खोलों के अधिकतम मापों के परास;

च) लीड-पेंच लगे विभवमापी, परीक्षण पद्धतियों का चुनाव और सामान्य अपेक्षाएँ; और

छ) तार की वाइंडिंग वाले लीड-पेंच लगे पहले से सेट किए विभवमापियों की विशिष्टि।

उ स 40ए चर कैपेसिटर (सचिवालय : ब्रिटेन) — छह माह नियम के अधीन निम्नलिखित प्रलेख प्रचारण के लिए अनुमोदित किए गए:

क) चर कैपेसिटरों सम्बन्धी शब्दावली और परीक्षण पद्धतियाँ, और

ख) ठोस परावैद्युत नलिकाकार ग्रेड 2 के पहले से सेट किए घुमने-चर-कैपेसिटरों की विशिष्टि।

टी सी 44 मशीनी औजारों का बिजली का साज-सामान (सचिवालय : स्विट्जरलैण्ड) — अनेक कमीदलों की रिपोर्टें प्राप्त की गईं और विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि प्रचालन हिदायतों और आरेख-चित्रों के उदाहरणों और केबलों की धारावाही क्षमता और उनके शार्ट सर्किट बचाव सम्बन्धी पुनरीक्षित सचिवालय प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन जारी किया जाए। टी सी 44 के विषय-क्षेत्र के संशोधनार्थ कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया।

कार्य समिति ने भी इस पर विचार किया था ताकि अन्य समितियों के काम के साथ इसके काम की टक्कर न हो। विषय-क्षेत्र सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रलेख राष्ट्रीय समितियों को विचारार्थ भेजा जाएगा। बिजली के स्विचगियर का माप सम्बन्धी मानकीकरण और उनका पैनलों पर जड़ा जाना भी एक महत्त्वपूर्ण विषय था जिस पर समिति ने चर्चा की। समिति ने यह तय किया कि टी सी 17 से कंटैक्टर-रिले जड़ने के मापों (विशेष रूप से जड़ने के छेदों के बीच के फासलों और उनके व्यासों) के मानकीकरण के लिए तथा यथाशीघ्र माड्यूल और समेकित अपवर्त्यों पर आधारित फासलों की एक सामान्य प्रणाली निर्धारित करने के लिए निवेदन किया जाए।

टी सी 45 नाभिक उपकरण जुटाना (सचिवालय : जर्मनी), **उ स 45ए रिऐक्टर उपकरण जुटाना** (सचिवालय : फ्रांस), और **उ स 45बी स्वास्थ्य भौतिकी उपकरण जुटाना** (सचिवालय : इटली)—इन बैठकों में निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित प्रलेखों को प्रचारण के लिये अनुमोदित किया गया: विकिरण के प्रसंग में बिजली के मापक यंत्रों के उपयोग में आयनीकारी विकिरण से वैयक्तिक बचाव सम्बन्धी अपेक्षाएँ; गाइगर-मुलर काउंटर ट्यूब (रेखीय पैमानों वाले यंत्र) लगे सुवाह्य खोजकारी विकिरण-मापियों सम्बन्धी सिफारिशें; सुवाह्य एक्स अथवा गामा विकिरण प्रभाव दर मापी और मानीटर और आई ई सी प्रकाशन 231 प्रत्यक्ष साइकिल, पानी हल्का उबालने के रिऐक्टर। आई ई सी शब्दावली (तीसरा संस्करण) का मसौदा अध्याय 76 इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा आयतीकारी विकिरण की पहिचान और मापन, को टी सी 1 को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिये सिफारिश करके भेजा।

टी सी 48 इलेक्ट्रानिक उपकरण के विद्युत मशीनी पुर्जे (सचिवालय : सं. रा. अ.), **उ स 48बी कनेक्टर** (सचिवालय: सं. रा. अ.) और **उ स 48सी स्विच** (सचिवालय : ब्रिटेन) — कनेक्टर ध्रुवीयन परीक्षण सम्बन्धी प्रलेख को आई ई सी प्रकाशन 130-1 में जोड़ने के लिए दो माह प्रक्रिया के अधीन अनुमोदित किया गया।

निम्नलिखित प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किया गया:

क) आई ई सी प्रकाशन 130-8 के पुनरीक्षण का प्रस्ताव;

ख) 3 मेगाहर्टज से कम आवृतियों पर कनेक्टरों के त्वरण, धक्का (शाक), टक्कर और कम्पन परीक्षण;

ग) 2·54 मिमी कंटैक्ट अंतराल के कंटैक्टरों की दो पंक्तियों वाले बोर्ड पर लगे छपे सर्किट वाले कनेक्टर;

घ) गोल कंटैक्टरों वाले आयताकार बहुध्रुवी कनेक्टर;

ङ) तापस्थापी स्विच; और

च) छपे वेफर वाले रोटरी स्विच।

टी सी 49 दाब-विद्युत क्रिस्टल और सम्बद्ध साधन (सचिवालय : एस) — निम्नलिखित प्रलेखों का प्रकाशन के लिए अनुमोदन किया गया:

क) ताप नियंत्रक साधनों की उपयोग मार्गदर्शिका, और

ख) लघु क्रिस्टल होल्डर।

सीलिंग परीक्षण, और काँच के क्रिस्टल धारकों के ऊष्मा आघात परीक्षण के साथ आई ई सी प्रकाशन 122-1 के पुनरीक्षण को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किया गया।

यह भी तय किया गया कि छोटे क्रिस्टल होल्डरों और काँच के क्रिस्टल होल्डरों के अतिरिक्त होल्डर रूपरेखाओं सम्बन्धी दो प्रलेखों को प्रकाशित किया जाए। क्रिस्टल फिल्टरों सम्बन्धी प्रलेख को प्रकाशन के लिए अनुमोदित किया गया।

संश्लिष्ट स्फटिक के जापानी प्रलेख पर विचार करते हुए यह तय पाया गया कि संश्लिष्ट स्फटिक क्रिस्टल की उपयोग-गाइड और मापन पद्धतियों के विषय में एक सचिवालय प्रलेख तैयार किया जाए।

टी सी 50 परिवातीय परीक्षण (सचिवालय : ब्रिटेन) **और उ स 50बी जलवायु परीक्षण** (सचिवालय : नीदरलैण्ड) — निम्नलिखित प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किया: चौड़े बैण्ड वाले अनियमित कम्पन; परीक्षण एफ सी कम्पन का अनुपूरक; पुनरीक्षित परीक्षण ए शीत और परीक्षण बी सूखी ऊष्मा के साथ प्रयुक्त मार्गदर्शक प्रलेख, प्रकाशन परीक्षण ए शीत का पुनरीक्षण; परीक्षण बी सूखी ऊष्मा का पुनरीक्षण; ताप परीक्षण में द्रुत परिवर्तन का संशोधन; फफूंदी बाढ़ परीक्षण का संशोधन; टांका लगाने सम्बन्धी मार्गदर्शी प्रलेख; छपे बोर्डों और धातु चढ़े आधारी परत निर्मितियों में टांका लगाने की योग्यता की परीक्षण पद्धति; जलवायु क्रम प्रक्रिया; संयुक्त परीक्षण विधि सम्बन्धी परिभाषाएँ; विद्युत और मशीनी सहन शक्ति परीक्षण; सिरों की मजबूती के परीक्षण का पुनरीक्षण; और प्रकाशन 68-1 सामान्य, के कुछ संशोधन। टी सी 50 के अध्यक्ष श्री ई. एफ. सीमैन ने जो इस समिति के पहले वाली समिति के भी लगभग 20 वर्षों से अध्यक्ष चले आ रहे थे, अवकाश ग्रहण किया और कार्यसमिति ने अपनी वाशिंगटन की बैठक में इटली के हांस मेयर को टी सी 50 का अध्यक्ष श्री सीमैन के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

टी सी 51 चुम्बकीय पुर्जे और फेर्राइट सामग्रियाँ (सचिवालय : नीदरलैंड) — चुम्बकीय मिश्रधातुओं और इस्पात से सम्बन्धित एक नई तकनीकी समिति सं० 68 स्थापित करने के कार्यसमिति के निर्णय पर विचार करते हुए यह निर्णय किया गया कि टी सी 51 का विषयक्षेत्र संशोधित करके कुछ इस प्रकार कर लिया जाए:

चुम्बकीय गुणधर्म दर्शाने वाले और इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचारण में काम आने वाले पुर्जों और अंगों, ऐसे पुर्जों से सम्बद्ध पुर्जे और फेर्राइट सामग्रियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रिकमेंडेशन तैयार करना।

निम्नलिखित प्रलेखों के प्रकाशन के लिए सिफारिश की गई:

क) फेरोचुम्बकीय आक्साइडों के स्वरित ट्रांसफार्मरों और प्रेरकों के कोरों की कार्यप्रदता विशिष्टि लिखने की मार्गदर्शिका,

ख) प्रेरकों और ट्रांसफार्मरों के फेर्राइट-कोरों के लक्षणों की मापन पद्धतियाँ, और

ग) प्रवेश्यता पर ताप निर्भरता व्यक्त करने की पद्धति ।

निम्नलिखित प्रलेख छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किए गए:

क) प्रकाशन 223 फेरोचुम्बकीय आक्साइड एरियल छड़ों और सिल्लियों के माप, की एरियल छड़ों और सिल्लियों के मापों में संशोधन;

ख) छपे वाइरिंग ग्रिड के अनुरूप फेर्राइट प्रेरक कोरों के बुनियादी माप;

ग) पेंच की कोर की खाँचों के माप;

घ) चौड़े बैंड में काम आने वाले फेर्राइट टोरायड और पल्स ट्रांसफार्मरों के माप;

ङ) निर्माता की सूची में बताई कोर की नरम फेर्राइट सामग्रियों सम्बन्धी सामान्य जानकारी की उपयुक्तता; और

च) ट्रांसफार्मर और प्रेरक कोरों की अतिरिक्त मापन पद्धतियाँ ।

टी सी 52 छपे सर्किट (सचिवालय : इटली)—सतह की फिनिश सम्बन्धी प्रलेख का छपने के लिए और आई ई सी प्रकाशन 326 छपे वायरिंग बोर्डों की सामान्य अपेक्षाएँ और मापन पद्धतियों सम्बन्धी प्रलेख का दो माह प्रक्रिया के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया:

निम्नलिखित प्रलेखों का छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया:

क) बहुपरती छपे बोर्डों की सामान्य अपेक्षाएँ और परीक्षण,

ख) बहुपरती छपे बोर्डों की धातु चढ़ी आधार सामग्रियाँ, और

ग) बहुपरती छपे वायरिंग बोर्डों की जड़ाई में काम आने वाली चिपकाऊ चद्दर-नुमा सामग्री की विशिष्टि ।

समिति ने ऊष्मा आघात परीक्षण के लिए गर्म तेल कुंडी के स्थान पर द्रवयुक्त बालू कुंडी के उपयोग के प्रश्न पर विचार किया और स्वीडन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

टी सी 54 प्रशीतन और वातानुकूलन के घरेलू उपकरण (सचिवालय : फ्रांस)—समिति ने आई ई सी प्रकाशन 361 के विभिन्न संशोधनों पर चर्चा की और वायुरोक मोटर कम्प्रेसरों और वितुषारकारी जड़ाइयों के परीक्षण के लिए तुषार बनाने के वर्गीकरण परीक्षणों से सम्बन्धित संशोधन को छह माह नियम के अधीन प्रचारण की सिफारिश की । टी सी 61 द्वारा किए गए निर्णयों पर तैयार किए गए संशोधनों के

मसौदे को राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित करने का निर्णय किया गया और यह सिफारिश की गई कि कोई तात्विक सुझाव न आने पर इसको छह माह नियम के अधीन प्रचारित किया जाए। स्प्लाश परीक्षण पर चर्चा करते हुए यह तय पाया गया कि कनाडा और सं. रा. अ. द्वारा प्रस्तावित धोने के परीक्षण को राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित किया जाए ताकि वे परीक्षण करके अगली बैठक में विचार-विमर्श कर सकें। भविष्य के कार्यक्रम पर विशेष रूप से टी सी 54 को टी सी 61 की एक उपसमिति बना देने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह तय पाया गया कि टी सी 54 को जैसा का तैसा बना रहने दिया जाए जब तक इस का सारा काम पूर्ण न हो जाए।

उ स 54ए घरेलू और अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए वातानुकूलन के उपकरण (सचिवालय : सं. रा. अ.) — उपसमिति ने अनार्द्रकारकों के मसौदे पर चर्चा की और तय किया कि अनार्द्रकारकों और कमरे के एयर-कंडीशनरों को मिलाकर एक पुनरीक्षित मसौदा राष्ट्रीय समितियों को प्रचारण के लिए तैयार किया जाए।

टी सी 55 वाइंडिंग के तार (सचिवालय : जर्मनी) — यह तय पाया गया कि निम्नलिखित प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन प्रचारित किया जाए: वार्निश चिपके काँच चढ़े आयताकार और गोल ताँबे के तारों के विशिष्टि पत्रक; इनैमलकृत आयताकार ताँबे के चालक; गोल इनैमलकृत ताँबे के तारों की अपेक्षाएँ; रेशा चढ़े आयताकार चालक और गोल तार; 155 के ताप सूचक वाले गोल उच्च मशीनी गुणों वाले, इनैमल द्वारा इनैमलकृत एल्युमिनियम तारों के विशिष्टि-पत्रक; वार्निश चिपके काँच चढ़े गोल ताँबे के तारों के विशिष्टि-पत्रक; और ऊष्मा सहनशीलता की परीक्षण पद्धतियाँ।

टी सी 56 इलेक्ट्रानिक पुर्जों और उपकरणों की विश्वसनीयता (सचिवालय : सं. रा. अ.) — आंकड़ा प्राप्ति और विश्वसनीयता परीक्षण के लिए समय ग्रिड; गुणों के आधार पर बानगी लेने की विधियाँ और निरीक्षण; उपलब्धि और अनुरक्षणीयता सम्बन्धी शब्द और परिभाषाएँ; और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किया गया।

सं. रा. अमेरिका के एक प्रस्ताव पर विचार करते हुए टी सी 56 ने सभी राष्ट्रों के लिए खुली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना स्थापित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश की। इस सम्बन्ध में टी सी 56 ने कार्यसमिति से शीघ्र परामर्श तथा आदेश की प्रार्थना की है। वाशिंगटन बैठक में कार्यसमिति ने निम्नलिखित निर्णय किया:

क) टी सी 56 को अधिकार दिया जाता है कि वह इलेक्ट्रानिक पुर्जों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कर्मीदल स्थापित करे।

ख) आई ई सी सभापति श्री गुडाल आई ई सी अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा प्रमाणन योजना लागू करने की संभावना की जांच करें।

यह आशा की जाती है कि ब्रूसेल्स में होने वाली कार्यसमिति की बैठक के पहले ही इन बातों पर कार्यवाही की जा चुकेगी।

टी सी 58 धात्विक सामग्रियों के विद्युत गुणधर्मों की मापन पद्धति (सचिवालय : सं. रा. अ.) — समिति ने सिफारिश की कि धात्विक सामग्रियों की प्रतिरोधिता मापन पद्धति के मसौदे को छह माह नियम के अधीन प्रचारित किया जाए। उसने मानक क्रमशीतलित ताँबे के घनत्व मानों की समस्याओं और अलोह सामग्रियों की चालकता निकालने के लिए प्रतिरोधिता के ताप गुणांक की उपयोगिता पर भी विचार-विमर्श किया।

टी सी 59 बिजली के घरेलू उपकरणों की कार्यप्रदता (सचिवालय : फ्रांस) — समिति प्रायः समय-समय पर अपनी उपसमितियों की रिपोर्ट पर विचार करती रही। समिति ने घरेलू उपकरणों के शोर सम्बन्धी कर्मीदल की रिपोर्ट नोट की और तय किया कि आई एस ओ/टी सी 43/उ स 1 के काम के साथ पुनरावृत्ति न होने देने के उद्देश्य से सचिवालय आई एस ओ उपसमिति के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हुए समिति ने विभिन्न विषयों को उपसमितियों तथा आई ई सी और आई एस ओ समितियों में बांट दिया। सतह की रसायनिक और मशीनी प्रतिरोधिता सम्बन्धी प्रलेख पर चर्चा हुई और यह अनुभव किया गया कि उसमें पूर्व उल्लिखित मानकों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय मानकों और धातु-इतर सामग्री की बनी सतहों सम्बन्धी मानकों को सम्मिलित कर लिया जाए।

उ स 59ए प्लेटें धोने की बिजली की मशीनें (सचिवालय : सं. रा. अ.)—उपसमिति ने प्लेटें धोने की बिजली की मशीनों की कार्यप्रदता के लक्षणों को नापने सम्बन्धी मसौदे को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए सिफारिश की। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सुखाने की मशीन की कार्यप्रदता नापने के मसौदे को राष्ट्रीय समितियों को प्रचारण के लिए दुहराया जाए। यह सहमत हुआ कि स्वीडन के प्रतिनिधि नाजुक काँचों के टूटने और बड़ी चीजों को धोने की क्षमता सम्बन्धी विषयों के प्रस्तावों को वितरित करेंगे।

उ स 59डी घरेलू धुलाई के साधन (सचिवालय : फ्रांस)—उपसमिति ने घरेलू धुलाई की मशीनों की कार्यप्रदता नापने की पद्धतियों सम्बन्धी मसौदे को छह माह नियम के अधीन प्रचारण की सिफारिश की। यह भी तय हुआ कि सचिवालय धुलाई मशीनों की ऊनी वस्तुएँ धोने की सुयोग्यता निकालने की परीक्षण पद्धतियों सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा तैयार किये गए प्रलेख को अगली बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रचारित करेगा।

टी सी 61 बिजली के घरेलू उपकरणों से बचाव (सचिवालय : सं. रा. अ.)— अपनी उपसमितियों की रिपोर्ट की समीक्षा की और निम्नलिखित मसौदों की छह माह नियम के अधीन प्रचारण की सिफारिश की:

क) फर्श उपचार मशीनें और पानीदार घिसाई मशीनें

ख) बिजली से दाढ़ी बनाने की मशीन तथा बाल काटने की मशीन

ग) टोस्ट बनाने की मशीन

घ) गर्म करने की हॉट-प्लेट

समिति ने निर्णय किया कि निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रीय समितियों को प्रचारण के लिए पुनरीक्षित मसौदे तैयार किए जाएं:

क) बिजली के खाद्य मिश्रण साधन

ख) खाद्य उच्छिष्ट निपटान साधन

ग) कपड़ा सुखाने के साधन

घ) बिजली के पानी गर्माने के साधन

भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हुए समिति ने निर्णय किया कि द्रव गर्माने के साधनों और कमरों के हीटरों के मसौदे तैयार करने के काम को प्राथमिकता दी जाए। समिति बागवानी के साधनों के बारे में मसौदे तैयार करने को सहमत हुई और ट्रांसफार्मरों और साधनों के स्विचों की तकनीकी समिति से कहने को सहमत हुई कि अति अल्प वोल्टता ट्रांसफार्मरों और घरेलू साधनों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के स्विचों के विषय पर भी विचार करे।

टी सी 65 प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली (सचिवालय : फ्रांस)—यह तय किया गया कि प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली के लिए तुल्यरूप वायुचालित तथा डी सी धारा सिगनल सम्बन्धी सिफारिश के पुनरीक्षित प्रलेख को छह माह नियम के अधीन प्रचारित किया जाय।

टी सी 66 बिजली के मापक उपकरण (सचिवालय : हंगरी), **उ स 66ए जेनेरेटर** (सचिवालय : हंगरी), **उ स 66बी दोलनलेखी** (सचिवालय : सं. रा अ.) और **उ स 66सी पुल और मीटर** (सचिवालय : फ्रांस)—यह तय किया गया कि इलेक्ट्रानिक मापी साज-सामान की कार्यप्रदता द्योतक सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात् मापन सम्बन्धी स्थिरीकृत सप्लाई उपकरण और श्रव्य आवृति जेनेरेटरों सम्बन्धी सिफारिशों के प्रलेखों का छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदन किया गया। समिति ने यह नोट किया कि दोलनलेखी की बानगी लेने और डिजीटल वोल्टमापियों और डिजीटल कनवर्टरों के तुल्यरूपों पर उ स 66बी और उ स 66सी ने क्रम से विचार किया था और उनका दूसरा मसौदा तैयार करने के लिए तत्सम्बन्धी कर्मीदलों को भेज दिया। समिति ने यह भी नोट किया कि उ स 66ए के कर्मीदल 1 पल्स जेनेरेटर ने, पल्स जेनेरेटर सम्बन्धी प्रलेख के शब्दावली खंड और विषय-क्षेत्र पर चर्चा की थी।

अन्य स्थानों पर बैठकें

उ स 3ए आकृतियों के लेखी प्रतीक — (सचिवालय : स्विट्ज़रलैंड) — 3-5 फरवरी 1970 पेरिस। इस बैठक में वर्तमान रिकमेंडेशनों में संशोधन तैयार करने और

नए सचिवालय प्रलेख जारी करने के उद्देश्य से प्राप्त सम्मतियों के आधार पर विभिन्न प्रतीकों सम्बन्धी प्रलेखों पर विचार-विमर्श किया गया।

टी सी 18 टर्मिनल निशान और अन्य पहिचान (सचिवालय : नीदरलैंड)— 14-15 जुलाई 1970, बाडेन-बाडेन। कर्मीदलों की रिपोर्टें प्राप्त हुईं और समिति ने सिगनल लैम्पों और दबाने के बटनों के लिए रंगों के उपयोग के प्रस्ताव पर विचार किया। विचार-विमर्श तथा प्राप्त सम्मतियों के आधार पर कर्मीदल दुहराकर दूसरा सचिवालय प्रलेख राष्ट्रीय समितियों के विचारार्थ तैयार करेगा। एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, संस्थापनों में रंग द्वारा रोधित तथा खुले चालकों की पहिचान, और विचार-विमर्श तथा प्राप्त सम्मतियों के आधार पर सचिवालय प्रलेख के रूप में नया प्रलेख तैयार किया जाएगा।

उ स 21ए क्षारीय संग्राहक (ऐक्यूमुलेटर) (सचिवालय : जर्मनी) — 21-28 सितम्बर 1970, स्टाकहोम। यह तय हुआ कि पुनर्चार्जनीय सीलकृत निकेल-कैडमियम चढ़े एक गर्दन वाले बटन सेलों के माप और विद्युत लक्षणों के प्रलेखों को मिला दिया जाए और राष्ट्रीय समितियों को सचिवालय प्रलेख के रूप में जारी किया जाए।

निम्नलिखित प्रलेखों को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए जारी किया जाए:

क) पुनर्चार्जनीय निकेल-कैडमियम चढ़े बेलनाकार सेल — शुष्क सेलों के साथ परिवर्तनीय, के माप

ख) पुनर्चार्जनीय निकेल-कैडमियम चढ़े बेलनाकार सेल — शुष्क सेलों के साथ अपरिवर्तनीय, के माप

उ स 29बी श्रव्य इन्जीनियरी (सचिवालय : नीदरलैंड) — 5-10 अक्टूबर 1970, स्ट्रेसा। निम्नलिखित प्रलेख को छह माह नियम के अधीन प्रचारण के लिए अनुमोदित किया गया:

क) ध्वनि प्रणाली सामान, भाग 4 : ध्वनि प्रणाली माइक्रोफोन, प्रकाशन 266-4 का अनुपूरक, और

ख) ध्वनि प्रणाली सामान, भाग 8 : स्वचल नियन्त्रण साधन।

निम्नलिखित नए कर्मीदल स्थापित किए गए:

क) कर्मीदल 10 ध्वनि प्रणाली ऐम्प्लीफायर, और

ख) कर्मीदल 11 पिक अप हेड और रिकार्ड प्लेयर, चुम्बकीय हेड और चुम्बकीय टेप रिकार्डर।

उ स 59सी रसोईघर की छोटी मशीनें (सचिवालय : ब्रिटेन) — 5-7 अक्टूबर 1970, स्ट्रेसा। उपसमिति ने खाना तैयार करने की मशीनों की मापन पद्धति के मसौदे पर चर्चा की और तय किया कि पुनरीक्षित मसौदे को राष्ट्रीय समितियों को सम्मतियों के लिए जारी किया जाए। भविष्य के काम पर विचार करते हुए यह तय किया गया

कि चाकू तेज करने की सिल्लियों, काफी-मिल्स और स्लाइस काटने की मशीनों सम्बन्धी विषयों को राष्ट्रीय समितियों को उनके प्रस्तावों के लिए प्रचारित किया जाए। बिजली के चाकुओं की कार्यप्रदता नापने की पद्धति सम्बन्धी फ्रांस के प्रस्ताव को राष्ट्रीय समितियों को प्रचारित करने का निर्णय किया गया।

टी सी 64 इमारतों में बिजली लगाना (सचिवालय : जर्मनी)— 13-17 जुलाई 1970, बाडेन-बाडेन। यह तय किया गया कि इमारतों में बिजली लगाने सम्बन्धी मसौदे की बिजली लगाने सम्बन्धी सामान्य अपेक्षाओं के उपखण्ड 3 का विषय-क्षेत्र स्पष्ट किया जाए। इन प्रलेखों की सुरक्षा-अपेक्षाओं की दृष्टि से जांच की गई और निर्णय किया गया कि बैठक में दिए गए सुझावों को समाहित करते हुए इस विषय पर सचिवालय प्रलेखों का दूसरा सेट तैयार किया जाए। प्लग और साकेट तदर्थ कर्मीदल की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। समिति ने कर्मीदल का यह सुझाव नोट किया कि प्लगों और साकेटों की एकीकृत प्रणाली नहीं स्थापित की जा सकेगी। प्लगों और साकेटों की एकीकृत प्रणाली की स्थापना के लिए राष्ट्रीय समितियों को एक प्रश्नावली जारी करने का निर्णय किया।

टी सी 69 सड़कों पर बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ — (सचिवालय : स्वीडन)—23-25 सितम्बर 1970, स्टाकहोम। अपनी पहली बैठक में नवस्थापित समिति ने उसके शीर्षक, विषय-क्षेत्र, और भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। कार्यक्रम के अधीन ये विषय आएँगे: बिजली की गाड़ियों के प्रणोदन सम्बन्धी राशियों की परिभाषाएँ; बिजली के मोटरों की कार्यप्रदता मापने की पद्धति; जान और माल की सुरक्षा, बैटरी वोल्टता का मानकीकरण, बिजली के सहायक अंगों की वोल्टता का मानकीकरण, टर्मिनलों और कनेक्टरों का मानकीकरण, मोटरों का मानकीकरण और पावर स्रोत की मशीनी मापों का मानकीकरण। बैठक में इनके अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और इनसे सम्बन्धित प्रलेख राष्ट्रीय समितियों को सम्मतियों के लिए जारी किए जाएँगे।

परिशिष्ट क

1970-71 में प्रकाशित तथा प्रेसों को भेजे गए भारतीय मानक

(इस सूची में उन नए भारतीय मानकों के नाम दिए हैं जो 1970-71 में प्रकाशित हुए तथा जो 31 मार्च 1971 को प्रेसों में मुद्रणार्थ पड़े हुए थे। इस सूची में उन मानकों के नाम नहीं हैं जो 31 मार्च 1970 को प्रेसों में थे और जो समीक्षागत वर्ष में प्रकाशित हुए हैं। ऐसे भारतीय मानक पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट क के अधीन इसी प्रकार की दी हुई सूची में प्रकाशित किए गए थे। यहाँ दिए गए सभी मानक अंग्रेजी में है और यहाँ उनके नामों के हिन्दी अनुवाद दिए जा रहे हैं।)

प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ:	पह पुन	पहला पुनरीक्षण
	दू पुन	दूसरा पुनरीक्षण
	ती पुन	तीसरा पुनरीक्षण
	चतु पुन	चतुर्थ पुनरीक्षण

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०

कृषि और खाद्य उत्पाद

पशु आहार

1. IS : 1712-1970	पशु आहार के लिए बिनौले की खली (पह पुन) ...	2·50
2. IS : 1713-1970	पशु आहार के लिए छिली हुई मूँगफली की खली (पह पुन)	2·50
3. IS : 5560-1970	छोटे पशुओं के लिए मिश्रित आहार	5·50
4. IS : 5654 (भाग 1)-1970	प्रयोगशालाओं के पशुओं के लिए आहार: भाग 1 चूहे और मूस	2·50
5. IS : 5654 (भाग 2)-1970	प्रयोगशालाओं के पशुओं के लिए आहार: भाग 2 गिनी पिग	3·50
6. IS : 5672-1970	मुर्गियों के चारे में पूरक रूप में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण	3·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
7. IS : 5862-1970	पशु आहार के रूप में घोलकों द्वारा प्राप्त रामतिल की खली (चूरा)	2·50
पशु बाड़े तथा उपकरण		
8. IS : 5309 (भाग 2)-1970	अंडे सेने की मशीन की विशिष्टि: भाग 2 फर्श वाली अंडे सेने की मशीन	3·50
9. IS : 5605 (भाग 1)-1970	भारी वर्षा और अधिक नमी वाले क्षेत्रों के फार्मों के पशु बाड़ों सम्बन्धी सिफारिशें: भाग 1 औसत किसान के लिए पशुओं के शैड	3·50
10. IS : 5605 (भाग 2)-1970	भारी वर्षा और अधिक नमी वाले क्षेत्रों के फार्मों के पशु बाड़ों सम्बन्धी सिफारिशें: भाग 2 गाँवों के ग्वालों के लिए पशुओं के शैड	4·00
*11. IS : 5605 (भाग 3)-1970	भारी वर्षा और अधिक नमी वाले क्षेत्रों के फार्मों के पशु बाड़ों सम्बन्धी सिफारिशें: भाग 3 गौशालाओं और अन्य संगठित दूध उत्पादों के लिए फार्म शैड	
12. IS : 5701 (भाग 1)-1970	प्रयोगशालाओं में पशुओं के प्रजनन, देख-भाल, व्यवस्था और आवास की संहिता: भाग 1 प्रयोगशालाओं में काम आने वाले चूहे और सफेद चूहे	3·50
13. IS : 5701 (भाग 2)-1970	प्रयोगशालाओं में पशुओं के प्रजनन, देख-भाल, व्यवस्था और आवास की संहिता: भाग 2 प्रयोगशालाओ में काम आने वाले खरगोश ...	2·50
14. IS : 5804-1970	मुर्गे-मुर्गियों की चोंच कुतरने का औजार ...	2·00
*15 IS : 6027-1970	बड़े डेरी फार्मों के फार्म पशुओं के बाड़ों सम्बन्धी सिफारिशें	
ठंडे पेय		
16. IS : 5837-1970	ठंडे पेय निर्माता इकाइयों के लिए सफाई सम्बन्धी स्थितियों की संहिता	3·50
अनाज और दालें		
17. IS : 2813-1970	खाद्यान्नों सम्बन्धी शब्दावली (पह पुन)... ...	2·00
18. IS : 4333 (भाग 5)-1970	खाद्यान्नों की विश्लेषण पद्धतियाँ: भाग 5 यूरिक अम्ल की मात्रा निकालना	2·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रू०
कोकोआ उत्पाद		
19. IS : 1163-1971	चाकलेट (पह पुन)	6·50
काफी और उसके उत्पाद		
20. IS : 612-1971	भुना हुआ चिकोरी पाउडर (पह पुन)	2·00
डेरी उपकरण		
21. IS : 5567-1970	निर्जमीकृत दूध की बोतलें	2·50
डेरी उद्योग, नक्शे		
22. IS: 5839-1970	आइसक्रीम बनाने, भंडारण और बिक्री सम्बन्धी सफाई की स्थितियों की संहिता	8·50
डेरी प्रयोगशाला उपकरण		
23. IS : 1223 (भाग 1)-1970	गरबर पद्धति द्वारा दूध की वसा निर्धारित करने का उपकरण: भाग 1 बूटायरोमीटर और ढक्कन	6·50
डेरी उत्पाद		
24. IS : 5962-1970	आंशिक मखनियाँ खट्टे दूध का पाउडर ...	2·00
फार्म के औजार और मशीन आदि		
25. IS : 5718-1970	वायु छनना वाले बीज साफ करने के यंत्र की परीक्षण संहिता	5·00
26. IS : 5994-1970	कृषि ट्रैक्टरों की परीक्षण संहिता	10·50
27. IS : 6023-1970	उत्क्रमणीय पाँचे (शावेल)	3·50
28. IS : 6024-1970	अनाज माड़ने की मशीनों के गार्ड	3·50
29. IS : 6025-1970	अनाज माड़ने की मशीनों के छुरियों के सेक्शन ...	3·50
मछली और मछली उत्पाद		
30. IS : 5734-1970	सार्डीन का तेल	2·50
31. IS : 5736-1970	सूखी नमक लगी सुरई (ट्रना)	2·00
32. IS : 6032-1971	ताजी मैकेल	2·50
33. IS : 6033-1971	जमाई हुई मैकेल	3·50
मछली उद्योग, सफाई सम्बन्धी स्थितियाँ		
34. IS : 5735-1970	मछली उद्योग में सफाई बनाए रखने सम्बन्धी सिफारिशें	2·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
खाद्य मिश्रक		
35. IS : 5707-1970	खाद्य श्रेणी का अगर	2·50
36. IS : 5708-1970	खाद्य श्रेणी का सोडियम टारट्रेट	2·50
37. IS : 5709-1970	खाद्य श्रेणी का केल्शियम सैकरीन	2·50
38. IS : 5719-1970	खाद्य श्रेणी की जिलेटिन	6·00
39. IS : 6022-1971	खाद्य श्रेणी का गहरे हरे रंग का खाद्य रंग ...	3·50
40. IS : 6029-1971	खाद्य श्रेणी का ऊनी हरे रंग का बी एस ...	4·00
41. IS : 6030-1971	खाद्य श्रेणी का सोडियम प्रापियोनेट	3·50
42. IS : 6031-1971	खाद्य श्रेणी का कैल्शियम प्रापियोनेट	3·50
अनाज धरना, उठाना तथा भंडारण		
43. IS : 5606-1970	अनाज भंडारण के लिए इस्पात की खत्तियाँ ...	4·00
44. IS : 5826-1970	अनाज भंडारण के कोठों के निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ (200 मीटरी टनों से अधिक समाई वाले) ...	4·00
फल और सब्जियाँ		
45. IS : 5781-1970	फलों और सब्जियों की बनी वस्तुओं में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा निकालने की पद्धति	2·50
46. IS : 5800-1970	संतरे का रस	4·00
47. IS : 5861-1970	मुरब्बा, जेली और फलपाग	4·00
48. IS : 6028-1971	कच्चे केलों के भंडारण और परिवहन की मार्ग दर्शिका	2·50
सामान्य परीक्षण पद्धतियाँ		
49. IS : 5835-1970	खाद्य पदार्थों में विटामिन डी की मात्रा निर्धारण पद्धति	2·50
50. IS : 5886-1970	खाद्य पदार्थों में केरोटीन और विटामिन ए की मात्रा निर्धारण पद्धतियाँ	5·00
51. IS : 5887-1970	खाद्य विषकारी और खाद्यवाही बीमारियों वाले बैक्टीरिया के पता लगाने की पद्धति	7·00
मांस और मांस से बनी वस्तुएं		
52. IS : 5960(भाग 1)-1970	मांस और मांस से बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 1 नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारण	2·50
53. IS : 5960 (भाग 2)-1970	मांस और मांस से बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 2 राख की मात्रा निर्धारण	2·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
54. IS : 5960 (भाग 3)-1970	मांस और मांस से बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 3 कुल वसा की मात्रा निर्धारण	2·00
55. IS : 5960 (भाग 4)-1970	मांस और मांस से बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 4 मुक्त वसा की मात्रा निर्धारण	2·00
फसलनाशक नियंत्रण उपकरण		
56. IS : 1970-1971	हाथ से दबाकर चलने वाले कम्प्रेशर (दू पुन) ...	6·50
57. IS : 2477-1970	कंधे पर रख कर हाथ से घुमाने वाले धूलक यंत्र (पह पुन)	5·50
58. IS : 3062-1970	दोलक छिड़काव यंत्र (पह पुन)	5·00
कीटनाशक दवाएँ		
59. IS : 6014-1970	पायरेथ्रम पर बना पायसनीय लारवानाशी तेल ...	7·50
कीटनाशक अवशिष्टांश		
60. IS : 5863 (भाग 1)-1970	मालाथियोन अवशिष्टांश की मात्रा निर्धारण पद्धति: भाग 1 अनाज और तिलहन ...	2·50
*61. IS : 5864 (भाग 1)-1970	डी डी टी अवशिष्टांश निर्धारण पद्धति: भाग 1 अनाज और उनको पीसकर बनी वस्तुएँ	
*62. IS : 5952-1970	पैराथियोन अवशिष्टांश निर्धारण पद्धति ...	
बीजारोपण सामग्री		
63. IS : 5733-1969	सेबों की कलमें	2·00
मसाले		
64. IS : 5955-1970	इमली का तेज द्रव	2·50
स्टार्च निकले उत्पाद		
65. IS : 5838-1970	खाद्य पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा निर्धारण पद्धति	2·50
चीनी और सहउत्पाद		
66. IS : 498-1970	वैकुअम पैन वाली चीनी के ग्रेड निर्धारण (प्लांटेशन सफेद) (ती पुन)...	4·00

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
67. IS : 5975-1970	कच्ची शक्कर	5·00
68. IS : 5982-1970	अन्य चीनीयों से पहचान के लिए प्लांटेशन सफेद चीनी	7·00

तम्बाकू से बनी चीजें

69. IS : 1925-1970	बीड़ियाँ (पह पुन)	4·00
70. IS : 5643-1970	तम्बाकू से बनी वस्तुओं में तम्बाकू की परीक्षण पद्धतियाँ	5·50

रसायन

चिपकाने वाले पदार्थ

71. IS : 2257-1970	तरल गोंद और कार्यालयों के लिए लेयीनुमा कागज चेपी पदार्थ (पह पुन)	3·50

अल्कोहल और तत्सम्बन्धी उत्पाद

*72. IS : 5860-1970	इथानोल-जल मिश्रणों के लिए सारणी और अन्तर्परिवर्तन चार्ट	

क्षार

73. IS : 1540 (भाग 2)-1970	रसायन उद्योगों के लिए कली चूना और बुझा चूनाः भाग २ बुझा चूना (पह पुन) ...	4·00

बुरुश

*74. IS : 5565 (भाग 1)-1969	दाँत के इंजिन बुरुशः भाग 1 सीधे और समकोण हैण्ड-पीसों के साथ काम आने वाले बुरुश	
75. IS : 5565 (भाग 2)-1969	दाँत के इंजिन बुरुशः भाग 2 पोर्ट पालिशर के साथ काम में आने वाले बुरुश ...	2·00
76. IS : 5683-1970	ठेलवां झाड़न (डंडा रहित)	4·00

रसायनिक खतरे और बचाव

77. IS : 5182 (भाग 3)-1970	वायु-दूषण की मापन पद्धतिः भाग 3 वायु में रेडियो सक्रियता (पर्टीकुलेट)	3·50
78. IS : 5685-1970	कार्बन डाइसल्फाइड (कार्बन बाइसल्फाइड) से बचाव संहिता	7·00
79. IS : 5931-1970	निम्नतापी उत्पादक द्रवों को धरने-उठाने सम्बन्धी बचाव संहिता	8·50

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
अकार्बनिक रसायन (विविध)		
80. IS : 253-1970	खाने का साधारण नमक (दू पुन)	8·00
81. IS : 297-1970	सोडियम, सल्फाइड, तकनीकी (पह पुन) ...	5·50
82. IS : 646-1970	तरल क्लोरीन, तकनीकी (पह पुन)	2·50
83. IS : 708-1970	पोटाशियम क्लोरेट, तकनीकी (पह पुन) ...	6·00
84. IS : 711-1970	फेरिक क्लोराइड, तकनीकी (पह पुन)	5·50
85. IS : 1744-1970	अजल स्टेनिक क्लोराइड, तकनीकी (पह पुन) ...	4·00
86. IS : 3401-1970	सिलिका जेल (पह पुन)	5·00
87. IS : 6015-1970	बेरियम हाइड्रोक्साइड	5·00
कार्बनिक रसायन (विविध)		
*88. IS : 245-1970	ट्राइक्लोरोइथाइलीन, तकनीकी (दू पुन) ...	
89. IS : 716-1970	पेंटाक्लोरोफिनोल (पह पुन)	5·00
90. IS : 718-1970	कार्बन टेट्राक्लोराइड (पह पुन)	7·00
91. IS : 5573-1969	इथाइलीन आक्साइड	5·50
92. IS : 5591-1969	क्लोरोबेंजीन	5·50
93. IS : 5592-1969	मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल	6·50
94. IS : 5992-1970	पी-डाइक्लोरोबेंजीन, तकनीकी	3·50
कोयला और कोक		
95. IS : 1350 (भाग 1)-1969	कोयला और कोक की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 1 निकट विश्लेषण (पह पुन)	7·50
96. IS : 1350 (भाग 2)-1970	कोयला और कोक की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 2 कैलोरिफिक मान निकालना (पह पुन)	8·00
97. IS : 1350 (भाग 3)-1969	कोयला और कोक की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 3 गंधक की मात्रा निकालना (पह पुन)	5·00
98. IS : 5615-1970	कोक की गैस	1·50
लेपित कपड़े		
99. IS : 5915-1970	इकहरी बुनाई वाले रबड़ चढ़े जलसह कपड़े ...	7·50
दंत सामग्री		
100. IS : 6035-1970	जस्ता फास्फेट की दंत सीमेंट	5·50
101. IS : 6036-1970	दाँतों की छाप लेने का एल्जीनेट पदार्थ	5·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
102. IS : 6037-1970	दाँतों की छाप लेने का जस्ता आक्साइड — यूजीनोल पेस्ट	3·50
103. IS : 6038-1970	दाँतों की छाप लेने का यौगिक	3·50
104. IS : 6039-1970	जस्ता आक्साइड — यूजीनोल दँत सीमेंट ...	3·50
*105. IS : 6043-1970	ताम्र-फास्फेट — जस्ता फास्फेट दँत सीमेंट ...	

रंजक मध्यजनित पदार्थ

106. IS : 5646-1970	पी-एनीसिडीन	2·00
107. IS : 5647-1970	पी-टोल्यूडीन	2·00
108. IS : 5648-1970	ओ-एनसिडीन	2·00
109. IS : 5649-1970	ओ-टोल्यूडीन	2·00

विद्युत लेपी रसायन

110. IS : 5761-1970	विद्युत लेपन के लिए स्वर्ण-सायनाइड और स्वर्ण-पोटेशियम सायनाइड	5·00

विस्फोट और आतिशबाजी के पदार्थ

111. IS : 5670-1970	विस्फोट और आतिशबाजी पदार्थों के लिए सीसा थायोसाइनेट	4·00
112. IS : 5671-1970	आतिशबाजी पदार्थों के लिए स्ट्रौंशियम नाइट्रेट...	5·50
113. IS : 5713-1970	विस्फोट और आतिशबाजी पदार्थों के लिए मैंगनीज़ डायाक्साइड	3·50
114. IS : 5731-1970	विस्फोट और आतिशबाजी पदार्थों के लिए एंटीमनी सल्फाइड	5·50

उर्वरक

115. IS : 5985-1971	बोराबंद उर्वरकों को धरने-उठाने और भंडारण की रीति संहिता	3·50
116. IS : 6046-1971	कृषि उपयोग के लिए जिप्सम	4·00

जूते

117. IS : 5676-1970	ढले हुए ठोस रबड़ के तल्ले और एड़ियाँ ...	4·00
118. IS : 5689-1970	टखनों तक के डर्बी बूट	4·00
119. IS : 5712-1970	चमड़ा उद्योग के लिए स्लिकर्स	2·50
120. IS : 5852-1970	जूतों के लिए बचाव वाली इस्पात की टोपियाँ ...	3·50
121. IS : 5853-1970	नर्सों के लिए खुले पंजों वाली पच्चड़ वाली सैंडिलें	5·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
122. IS : 5865-1970	महिलाओं और लड़कियों के जूतों के लिए लकड़ी की एड़ियाँ	5·50
123. IS : 6053 (भाग 1)-1970	जूता उद्योग के लिए हाथ के औज़ार : भाग 1 उप्पल्ले की बन्द होने वाली छुरियाँ ...	3·50

कांच और कांच का सामान

*124. IS : 1494-1971	परिरक्षित फल उद्योग और घरेलू फल परिरक्षण के लिए काँच के बर्तन (पह पुन)	
*125. IS : 1984 (भाग 1)-1971	औषधीय विनिर्मित पदार्थों के लिए काँच की फाइलें: भाग 1 आंतरेंतर विनिर्मत पदार्थों के लिए फाइलें	
126. IS : 2835-1971	काँच की पारदर्शी शीट (चुनी हुई क्वालिटी) (पह पुन)	5·00
127. IS : 5623-1970	काँच के रेखीय ऊष्मा प्रसार का गुणक निकालने की पद्धति	2·00
128. IS : 5715-1970	काँच के कारब्वाय	5·00
129. IS : 5851-1970	काँच के धारकों के लिए बाहरी चूड़ी वाले फिनिश और चूड़ीदार ढक्कनों के निरीक्षण के लिए मापक	5·00
130. IS : 5870-1970	यात्री गाड़ियों में भीतरी रोशनी के लिए शीशे ...	5·00
131. IS : 5983-1971	वेल्डिंग, कटाई और अन्य ऐसी ही प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षात्मक फिल्टर	5·00
132. IS : 5984-1971	छोटी बत्तियों के काँच के ढक्कन	2·50

औद्योगिक गैसें

133. IS : 5610-1970	मीथेन और इथेन सीरीज़ के क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन	5·50
134. IS : 5760-1969	संपीड़ित आर्गन	8·50

स्याहियाँ और तत्सम्बन्धी उत्पाद

135. IS : 5805-1970	बाल प्वाइंट पेन की स्याही	4·00

प्रयोगशाला के लिए काँच का सामान, तापमापी और अन्य उपकरण

136. IS : 2619-1971	काँच के बीकर (पह पुन)	2·50
137. IS : 5681-1970	सद्रव काँच वाले सामान्य मौसम वैज्ञानिक तापमापी	6·00
138. IS : 5717-1970	घनत्वमापी	5·00

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
139. IS : 5725-1970	संवातनरहित आर्द्रतामापी (सूखे और गीले बल्ब वाले आर्द्रतामापी)	2·50
140. IS : 6017-1971	घूमाने वाले आर्द्रतामापियों के तापमापी ...	2·50
141. IS : 6052-1970	काँच के संघनक	8·00

चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और चमड़े के सज्जा पदार्थ

142. IS : 582-1970	चमड़े की रसायनिक परीक्षण पद्धतियाँ (पह पुन) ...	15·00
143. IS : 1746-1970	पेस्टनुमा जूते की पालिश (पह पुन)	4·00
144. IS : 5570-1969	उपचारित बकरे की खालें	5·50
145. IS : 5597-1970	बाक्सिंग के दस्तानों का चमड़ा	3·50
146. IS : 5609-1970	हाकी के गेंद का चमड़ा	3·50
147. IS : 5677-1970	सीधी ढलाई क्रियाओं के लिए जूते के उप्पले का चमड़ा	2·50
148. IS : 5866-1970	ऊँचे अक्षांशों के दस्तानों के लिए क्रोम चमड़ा ...	3·50
149. IS : 5867-1970	भीतरी तल्लों के लिए चमड़े के गत्ते	6·50
150. IS : 5868-1969	चमड़े की बानगी लेने की पद्धति	5·00
*151. IS : 5914-1970	चमड़े की भौतिक परीक्षण पद्धतियाँ	

स्नेहक पदार्थ और तत्सम्बन्धी उत्पाद

152. IS : 317-1970	मध्यम ड्यूटी वाले स्वचल गाड़ियों वाले द्रवचालित ब्रेकों के तेल (दू पुन)	6·50
153. IS : 494-1970	स्नेहकों के लिए एल्युमिनियम स्टियरेट (पह पुन)	4·00
154. IS : 507-1970	सामान्य कार्यों वाली ग्रीज़ (पह पुन)	2·00
155. IS : 3065-1970	शुद्ध कटाई तेल (पह पुन)	3·50
156. IS : 5730-1970	उड़नशील संक्षारण रोधी चूर्ण	4·00
157. IS : 5759-1970	इथाइलीन गलाइकोल प्रतिहिमकारी पदार्थ ...	7·00
158. IS : 6048-1970	गर्म डुबाऊ, मृदु परतदायी अस्थायी संक्षारण रोक पदार्थ	5·00
159. IS : 6049-1971	अस्थायी संक्षारण रोक पदार्थ के लगाने की रीति संहिता	7·00
160. IS : 6050-1971	गर्म डुबाऊ छूटने वाले अस्थायी संक्षारण रोक पदार्थ	4·00

धातु के डिब्बे और ढक्कन

*161. IS : 1406-1971	द्रवों के लिए चौकोर टीन (दू पुन) ...	
162. IS : 1413-1970	वनस्पति के गोल डिब्बे	3·50

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
163. IS : 2087-1971	सामान्य कार्यों के लिए वर्गाकार डिब्बे (दू पुन) ...	4·00
164. IS : 2552-1970	इस्पात के ड्रम (जस्ता चढ़े और बिना जस्ता चढ़े) (पह पुन)	4·00
165. IS : 5682-1970	खुले मुँह वाले ड्रम और डिब्बे	3·50

तेल और वसा, तेल वाले बीज और फल

166. IS : 5614-1970	तम्बाकू के बीज का तेल	2·00
167. IS : 5637-1970	तरबूज के बीज का तेल	2·00
168. IS : 5638-1970	अम्लीय तेल (बिनौला और मूंगफली) ...	3·50
169. IS : 5686-1970	तिलहनों के धरने-उठाने और भंडारण की रीति संहिता	5·00

अत्तारी वस्तुएं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट

170. IS : 528-1970	पिपरमिंट का तेल (पह पुन)	2·50
171. IS : 1615-1970	हिमालय देवदारु की लकड़ी का तेल (पह पुन) ...	2·00
172. IS : 5752-1970	यारा यारा	2·00
173. IS : 5753-1970	एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड	2·00
174. IS : 5754-1970	फिनाइल ऐस्टिक अम्ल	2·00
175. IS : 5808-1970	लीनालूल	2·00
176. IS : 5832-1970	तैल-बरोजे वाली काली मिर्च	5·00

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

177. IS : 1448 (पी: 5)-1970	दहन गुण (पह पुन)	2·00
178. IS : 1448 (पी: 10)-1970	धुंध अंक और बहाव अंक (पह पुन)	2·00
179. IS : 1448 (पी: 29)-1970	जेट वाष्पीकरण द्वारा ईंधनों में वर्तमान गोंद (का परीक्षण) (पह पुन)	2·00
180. IS : 1448 (पी: 30)-1970	निसारण द्वारा अपरिष्कृत और ईंधन तेलों में तलछट का परीक्षण (पह पुन)	1·50
181. IS : 6044 (भाग 1)-1971	द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलिन्डर स्थापित करने की रीति संहिता : भाग 1 वाणिज्य और उद्योग प्रतिष्ठान	4·00

वर्णक और एक्सटेन्डर

182. IS : 55-1970	रंग-रोगन के लिए अति समुद्री नील (पह पुन) ...	3·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
पालिश		
183. IS : 5969-1970	पेस्टनुमा धातु की पालिश	3·50
*184. IS : 6045-1970	मोमपायस वाली तल्ले के चमड़े की पालिश ...	
तैयार मिश्रित रंग-रोगन और इनैमल		
185. IS : 1404-1970	जलयान की तली और ढांचे में बुरुश से लगाया जाने वाला संक्षारण रोधी रंग-रोगन, लाल, चाकलेटी या काला, यथावांछित रंग का (पह पुन)	2·50
186. IS : 5660-1970	बुरुश से लगाने वाला एल्युमिनियम रेड-आक्साइड प्राइमर देने का तैयार मिश्रित रंग-रोगन ...	3·50
187. IS : 5661-1970	रंग-रोगन, इनैमल, वार्निश और सम्बद्ध वस्तुओं की पैकेजबंदी और पैकेजिंग के चिह्नाकंन की रीति संहिता	2·50
188. IS : 5666-1970	एचिंग करने का (पूर्वोपचार) प्राइमर... ...	2·50
रबड़ और रबड़ की बनी चीजें		
189. IS : 5598-1969	रबड़ की गाँठों पर लेपन और चिह्नाकंन की रीति संहिता	2·50
190. IS : 5599-1970	कच्ची रबड़ की बानगी लेने की पद्धतियाँ ...	2·50
191. IS : 5680-1969	चिकित्सा कार्यों के लिए रबड़ की नली ...	5·50
192. IS : 5783-1970	अस्पताल वार्डों में पहनने के और पोर्टरों के रबड़ के दस्ताने	2·50
193. IS : 5797-1970	बिजली द्वारा चिपकाए हुए वायुयानों में तेल डालने के रबड़ के होज़	3·50
194. IS : 5821-1970	बुने हुए वस्त्र प्रबलन वाले रबड़ के गर्म पानी के होज़	3·50
195. IS : 5894-1970	ब्रेडेड वस्त्र प्रबलन वाले रबड़ के रेत धमन होज़...	2·50
196. IS : 5937-1970	ब्रेडेड वस्त्र प्रबलन वाले रबड़ के गर्म पानी के होज़	3·50
*197. IS : 6058-1970	द्रव चढ़ाने वाली बोतलों की रबड़ की वस्तुएँ ...	
साबुन और अन्य सतह स्वच्छकारी वस्तुएं		
198. IS : 1044-1970	तुर्की रेड तेल (पहला पुन)	4·00
199. IS : 5784-1970	दाढ़ी बनाने का साबुन	1·50

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
200. IS : 5785 (भाग 1)-1970	सतह स्वच्छकारी पदार्थों की कार्यप्रदता परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 1 सापेक्षिक विसर्जन शक्ति	2·00
201. IS : 5785 (भाग 2)-1970	सतह स्वच्छकारी पदार्थों की कार्यप्रदता परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 2 सापेक्षिक पायसकारी शक्ति	2·50
202. IS : 5785 (भाग 3)-1970	सतह स्वच्छकारी पदार्थों की कार्यप्रदता परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 3 फेन देने की शक्ति ...	4·00
203. IS : 6047-1970	प्रक्षालक पाउडर	2·50
तापरोधक सामग्रियाँ		
204. IS : 5688-1970	पूर्व निर्मित ब्लाकनुमा और पाइप से ढके हुए ऊष्मा रोधक की परीक्षण पद्धतियाँ	3·50
205. IS : 5696-1970	छुट्टा खनिज वूल (रॉक वूल और स्लेग वूल) ...	3·50
206. IS : 5724-1970	तापरोधनकारी सीमेंटों की परीक्षण पद्धतियाँ ...	6·50
तरलक और घोलक		
207. IS : 5667-1970	सेल्यूलोज़ नाइट्रेट से बने रंग-रोगनों और लैकरों के लिए तरलक	3·50
वार्निश और लैकर		
208. IS : 5691-1970	सेल्यूलोज़ का वर्णकयुक्त चमकदार लैकर ...	5·00
209. IS : 5818-1970	खाने के डिब्बों के लैकर और सजावटी फिनिश देने वाली वस्तुएँ	5·00
अवर्गीकृत		
210. IS : 5741-1970	पी एच निकालने की पद्धतियाँ	4·00
211. IS : 5762-1970	द्रवण अंक और द्रवण परास निकालने की पद्धतियाँ	2·00
212. IS : 5813-1970	क्रिस्टलकारी अंक निकालने की पद्धति ...	2·50
213. IS : 5949-1970	ई डी टी ए का उपयोग करते हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयतनपरक निर्धारण की पद्धतियाँ	2·50

सिविल इन्जीनियरी

कंक्रीट मिलावा

214. IS : 383-1970	कंक्रीट के लिए प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटा और महीन मिलावा (रोडी) (दूसरा पुनः)	6·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
215. IS : 5640-1970	मृदु मोटे मिलावे का संघातमान निकालने की परीक्षण पद्धति	2·00

ऐस्बेस्टस सीमेंट की बनी वस्तुएं

216. IS : 459-1970	अप्रबलित लहरदार और अर्द्ध लहरदार ऐस्बेस्टस सीमेंट की चद्दरें (दू पुन)	3·50
217. IS : 5748-1969	ऐस्बेस्टस रेशे का तनाव सामर्थ्य निकालने की पद्धति	2·00
218. IS : 5913-1970	ऐस्बेस्टस सीमेंट की बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ	5·50

ईंटें और चौके

219. IS : 1077-1970	पक्की मिट्टी की सामान्य इमारती ईंटें (दू पुन) ...	2·50
220. IS : 2180-1970	भारी ड्यूटी वाली पक्की मिट्टी की इमारती ईंटें (पह पुन)	2·00
221. IS : 5751-1969	पूर्व-ढले कंक्रीट के मुंडेर के चौके	3·50
222. IS : 5758-1970	पूर्व-ढले कंक्रीट के कर्ब	5·00
223. IS : 5779-1970	पक्की मिट्टी की सोल देने की ईंटें	2·00
224. IS : 5820-1970	पूर्व-ढले कंक्रीट के केबल ढक्कन	5·00
225. IS : 6072-1971	आटोक्लेवकृत प्रबलित कोषीय कंक्रीट की दीवारों की सिल्लियाँ	5·50
226. IS : 6073-1971	आटोक्लेवकृत प्रबलित कोषीय कंक्रीट के फर्श और छतों की सिल्लियाँ	5·50

लोहे का इमारती सामान

227. IS : 363-1970	साँकल और कुंडे (दू पुन)	4·00
228. IS : 364-1970	रोशनदान (फैनलाइट) के खटके (दू पुन) ...	2·50
229. IS : 1341-1970	इस्पात के टक्करदार कब्जे (दू पुन)	4·00
230. IS : 1495-1970	मृदु इस्पात के कूड़ादान (पह पुन)	5·00
231. IS : 1568-1970	सामान्य कार्यों के लिए महीन जाली (पह पुन) ...	2·50
232. IS : 2209-1970	मार्टिस ताले (खड़े लगने वाले) (दू पुन) ...	6·00
233. IS : 3564-1970	डोर क्लोजर (द्रव नियंत्रित) (पह पुन)	4·00
234. IS : 5899-1970	गुसलखानों की सिटकनियाँ	2·00
235. IS : 5930-1970	मार्टिस सिटकनियाँ (खड़ी लगने वाली) ...	5·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
कंक्रीट परीक्षण		
236. IS : 5816-1970	कंक्रीट सिलिंडरों का तोड़क तनाव सामर्थ्य परीक्षण पद्धति	3·50
निर्माण उपकरण		
237. IS : 5889-1970	कम्पन प्लेट वाला कुटाई यन्त्र	4·00
238. IS : 5890-1970	हल्की ड्यूटी वाला गर्म मिश्रण के लिए चल ऐस्फाल्ट यन्त्र	3·50
*239. IS : 5891-1970	हाथ से चलने वाले कंक्रीट मिश्रण	
*240. IS : 5892-1970	कंक्रीट के चल मिश्रण यन्त्र और विलोड़न यन्त्र ...	
निर्माण रीतियां		
241. IS : 6061 (भाग 1)-1971	कड़ियों और चिनाई चौकों से छत और फर्श बनाने की रीति संहिता: भाग 1 खोखले कंक्रीट के चिनाई चौकों से	4.00
*242. IS : 6061 (भाग 2)-1971	कड़ियों और चिनाई चौकों से छत और फर्श बनाने की रीति संहिता: भाग 2 खोखले मिट्टी के चिनाई चौकों से	
आग बुझाने के उपकरण		
243. IS : 926-1970	आग बुझाने वालों के कुल्हाड़े (पह पुन)	3·50
244. IS : 948-1970	दमकलों में उपयोग के लिए पानी के टेण्डर, टाइप 'ए' (पह पुन)	6·50
245. IS : 950-1970	दमकलों में उपयोग के लिए पानी के टेण्डर, टाइप 'बी' (पह पुन)	8·00
*246. IS : 2190-1970	आग बुझाने के सुवाह्य प्राथमिक साधनों के चुनाव, स्थापन और रख-रखाव की रीति संहिता (पह पुन)	
247. IS : 5612-1969	दमकलों में उपयोग के लिए होज़ क्लैम्प और होज़ पट्टियाँ	3·50
248. IS : 5714-1970	आग बुझाने के लिए पाइपनुमा स्टैंड वाले हाइड्रैंट	3·50
249. IS : 5888-1970	अग्नि सेवा ड्रिल टावर की डिज़ाइन और निर्माण की रीति संहिता	6·00

* छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
250. IS : 5896 (भाग 1)-1970	आग बुझाने के विशेष साधनों के चुनाव, प्रचालन और रख-रखाव की रीति संहिता: भाग 1 फोम और कार्बनडाइआक्साइड का संयुक्त क्रैश-टेण्डर	8·50
251. IS : 6026-1970	हाथ से बजने वाले सायरन ··· ··· ···	5·50
252. IS : 6067-1971	दमकलों में उपयोग के लिए पानी के टेण्डर, टाइप 'एक्स' ··· ··· ··· ···	7·50
*253. IS : 6070-1971	ट्रेलर अग्नि पम्प, सुवाह्यपम्प, पानी के टेण्डरों और मोटरयुक्त अग्नि इंजनों के चुनाव, प्रचालन और रख-रखाव की रीति संहिता ··· ···	

फर्श पर लगाने की नम्य वस्तुएं

*254. IS : 809-1970	सामान्य कार्यों के लिए रबड़ का फर्श देने की सामग्रियाँ (पह पुन) ··· ··· ···	

फर्श के फिनिश

255. IS : 1197-1970	रबड़ का फर्श देने की रीति संहिता (पह पुन) ···	4·00
*256. IS : 2571-1970	मौके पर सीमेंट कंक्रीट का फर्श देने की रीति संहिता (पह पुन) ··· ··· ···	
257. IS : 5766-1970	पक्की मिट्टी की ईंटों का फर्श देने की रीति संहिता	2·50

बहावमापन

258. IS : 6059-1971	मुक्त बहाव के लिए परिमित शिखर चौड़ाई वाले उमड़ मार्गों और उमड़ नालियों द्वारा खुली नालियों में पानी के बहाव की मापन सम्बन्धी सिफारिशें ···	4·00
*259. IS : 6062-1971	स्टैंडिंग वेव फ्लूम से पानी गिरने के आधार पर खुली नालियों में पानी के बहाव की मापन पद्धति ···	
*260. IS : 6063-1971	स्टैंडिंग वेव फ्लूम उपकरण द्वारा खुली नालियों में पानी के बहाव की मापन पद्धति ··· ···	

द्रव बहाव मापी उपकरण

*261. IS : 6064-1971	गहराई नापने के और निलम्बन उपकरण ···	

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
नींव इंजीनियरी		
262. IS : 2974 (भाग 5)-1970	मशीनों की नीवों की डिजाइन और निर्माण की रीति-संहिता: भाग 5 हैमरों के अलावा आघाती प्रकार की मशीनों (गढ़ाई और स्टैम्प करने के प्रेस, पिग तोड़क, उन्नायक तथा हविस मीनार) की नीवें	4·00
कार्यपरक डिजाइन		
*263. IS : 1650-1970	इमारती और सजावटी फिनिशों के रंग (10 रंगों के कार्ड सहित) (पह पुन)	
*264. IS : 6060-1971	फैक्टरी इमारतों में दिवस रोशनी की व्यवस्था की रीति संहिता	
*265. IS : 6074-1971	होटलों, रेस्ट्राँ तथा अन्य खाना देने वाली व्यवस्थाओं की कार्यपरक अपेक्षाओं की संहिता ...	
फर्नीचर		
266. IS : 5823-1970	खाने की मेजें	3·50
267. IS : 5923-1970	कपड़ों के लिए लकड़ी की अलमारियाँ	5·00
*268. IS : 5967-1970	लकड़ी की मेजों की परीक्षण पद्धति	
269. IS : 5974-1970	दीवान और आराम कुर्सियाँ	2·50
इमारती चूना		
*270. IS : 1625-1971	इमारतों के लिए चूने के मसाला तैयार करने तथा लगाने की रीति संहिता (पह पुन)	
271. IS : 5817-1970	इमारतों और सड़कों के लिए चूना पोजोलाना कंक्रीट तैयार करने तथा लगाने की रीति संहिता ...	5·00
माप और अनुमान तैयार करना		
272. IS : 1200 (भाग 3)-1970	इमारती कार्यों की मापन पद्धति: भाग 3 ईंट का काम (पह पुन)	4·00
273. IS : 1200 (भाग 4)-1970	इमारती कार्यों की मापन पद्धति: भाग 4 पत्थर की चिनाई (दू पुन)	3·50
274. IS : 1200 (भाग 13)-1970	इमारती कार्यों की मापन पद्धति: भाग 13 सफेदी करना, रंग करना, डिस्टेम्पर करना तथा अन्य फिनिश (दू पुन)	2·00

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
275. IS : 1200 (भाग 14)-1970	इमारती कार्यों की मापन पद्धति: भाग 14 काँच लगाना (दू पुन)	2·00
276. IS : 1200 (भाग 19)-1970	इमारती कार्यों की मापन पद्धति: भाग 19 जल वितरण, प्लंबरी, नाली और स्वास्थ्य सम्बन्धी फिटिंग (दू पुन)	2·50

बहु उद्देशीय नदी घाटी योजनाएं

277. IS : 5878 (भाग 1)-1971	सुरंगों की निर्माण संहिता: भाग 1 सूक्ष्म सर्वेक्षण और निशान लगाना	7·00
278. IS : 5878(भाग 2/खण्ड-1)-1970	सुरंगों की निर्माण संहिता: भाग 2 चट्टानों में भूमिगत खुदाई: खण्ड 1 ड्रिलिंग और विस्फोटन	7·00
279. IS : 5878 (भाग 2/खण्ड 2)-1971	सुरंगों की निर्माण संहिता: भाग 2 चट्टानों में भूमिगत खुदाई: खण्ड 2 संवातन, प्रकाश, सफाई करना तथा पानी निकालना ...	3·50
280. IS : 5878 (भाग 2/खण्ड 3)-1971	सुरंगों की निर्माण संहिता: भाग 2 चट्टानों में भूमिगत खुदाई: खण्ड 3 खड़ी ढलान वाली सुरंगों, शैफ्टों और भूमिगत बिजलीघरों के लिए सुरंगें बनाने की पद्धति	4·00
281. IS : 5878 (भाग 5)-1971	सुरंगें बनाने की रीति संहिता: भाग 5 कंक्रीट का अस्तर देना	2·50
282. IS : 5968-1970	सिंचाई की नहरों की योजना तथा नक्शे बनाने की मार्गदर्शिका	3·50
283. IS : 6004-1971	सिंचाई और पावर नालियों के तलछट निकालने के यंत्र की द्रवनियंत्रित डिज़ाइन सम्बन्धी कसौटियां ...	3·50
*284. IS : 6065 (भाग 1)-1971	नदी घाटी योजनाओं के भूवैज्ञानिक तथा भूतकनीकी नक्शे तैयार करने सम्बन्धी सिफारिशें: भाग 1 पैमाने	
285. IS : 6066-1971	नदी घाटी योजनाओं में चट्टानी नीवों के मसाले द्वारा दाब भराव की रीति संहिता	8·50

पाइप

*286. IS : 458-1971	कंक्रीट के पाइप (प्रबलन सहित अथवा रहित) (दू पुन)	

* छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
*287. IS : 651-1971	लवण काँचाभ स्टोनवेयर के पाइप और फिटिंग (तीसरा पुनरीक्षण)	
288. IS : 1592-1971	ऐसबेस्टास सीमेंट के दाब पाइप (पहला पुनरीक्षण) ...	4·00

आयोजन नियमन और नियन्त्रण

289. IS : 4247 (भाग 3)-1970	भूमि के ऊपर बने पनबिजली केन्द्रों की संरचना डिज़ाइन की रीति संहिता: भाग 3 छोटे आगार	5·00
*290. IS : 4880 (भाग 4)-1971	पानी ले जाने वाली सुरंगों की डिज़ाइन की रीति संहिता: भाग 4 चट्टानों पर कंक्रीट देने सम्बन्धी संरचना डिज़ाइन	
*291. IS : 5477 (भाग 4)-1970	जलाशयों की समाइयाँ निर्धारित करने की पद्धति: भाग 4 बाढ़ के पानी का संग्रह ...	
292. IS : 5620-1970	अल्प जल वेग खिसकवाँ गेटों की डिज़ाइन की कसौटियाँ	8·00
293. IS : 5690-1969	बिना अस्तर लगी वर्तमान नहरों में मिला-जुला अस्तर देने की मार्गदर्शिका	2·50

पलस्तर, रंग-रोगन और सम्बद्ध फिनिश

*294. IS : 1477 (भाग 1)-1971	इमारतों में लोहे इस्पात/लोहस धातु की फिनिश देने की रीति संहिता: रंग-रोगन और सम्बद्ध फिनिश: भाग 1 प्रचालन और कारीगरी (पहला पुनरीक्षण)	
*295. IS : 1477 (भाग 2)-1971	इमारतों में लोहे इस्पात/लोहस धातु की फिनिश देने की रीति संहिता: रंग-रोगन और सम्बद्ध फिनिश: भाग 2 अनुसूचियाँ और उपकरण (पहला पुनरीक्षण)	
296. IS : 5807 (भाग 1)-1970	लकड़ी के फरनीचर के पारदर्शक फिनिशों की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 1 शुष्क ताप प्रतिरोध	2·50
297. IS : 5807 (भाग 2)-1970	लकड़ी के फरनीचर के पारदर्शक फिनिशों की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 2 आर्द्र ताप प्रतिरोध	2·50

प्लाइवुड और सम्बद्ध उत्पाद

*298. IS : 10-1970	प्लाइवुड के चाय के बक्से (तीसरा पुनरीक्षण)	
299. IS : 1328-1970	परतदार सजावटी प्लाइवुड	3·50

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
खम्भे		
*300. IS : 876-1970	शिरोपरि बिजली तथा दूर-संचारण लाइनों के लिए लकड़ी के खम्भे	
301. IS : 5978-1970	शिरोपरि बिजली तथा दूर-संचार लाइनों के लिए लकड़ी के खम्भों की डिज़ाइन की रीति संहिता ...	4·00
*302. IS : 6066-1970	शिरोपरि बिजली तथा दूर-संचारण लाइनों के लिए जोड़ पड़े लकड़ी के खम्भे	
कंक्रीट प्रबलन		
303. IS : 6003-1970	पूर्वप्रबलित कंक्रीट के लिए खाँच पड़े तार ...	4·00
304. IS : 6006-1970	पूर्व प्रबलित कंक्रीट के लिए अनलेपित प्रबलन मुक्त लड़ें	4·00
निर्माण में सुरक्षा		
305. IS : 5916-1970	गर्म बिट्यूमेन सामग्री के उपयोग सम्बन्धी निर्माण के लिए सुरक्षा संहिता	3·50
चलनियाँ तथा तार की जालियाँ		
306. IS : 5742(भाग 1)-1970	चलनियों के निम्न भाग सम्बन्धी शब्दावली और प्रतीक: भाग 1 बुनी हुई तथा वेल्डकृत तार की जालियाँ	5·00
307. IS : 5742 (भाग 2)-1970	चलनियों के निम्न भाग सम्बन्धी शब्दावली और प्रतीक: भाग 2 छिद्रिल पट्टियाँ ...	4·00
मृतिका इंजीनियरी		
*308. IS : 1498-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृतिकाओं का वर्गीकरण और पहिचान (पह पुन)	
309. IS : 2720 (भाग 5)-1970	मृतिकाओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 5 द्रव्य और नम्य सीमाओं का निर्धारण (पह पुन)	7·00
*310. IS : 2720 (भाग 11)-1971	मृतिकाओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 11 रंध्र जल का दाब बिना मापे हुए बिना दबी बिना पानी निचोड़ी मिट्टी के नमूने की त्रिपक्षीय संपीड़न के अन्तर्गत कर्तन सामर्थ्य निकालना ...	
311. IS : 2720 (भाग 32)-1970	मृतिकाओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 32 उत्तरी डकोटा शंकु परीक्षण ...	2·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
312. IS : 4332 (भाग 5)-1970	दृढ़ीकृत मृतिकाओं की परीक्षण पद्धतियाँ: भाग 5 दृढ़ीकृत मृतिकाओं की नियन्त्रण रहित संपीड़ित सामर्थ्य निकालना	7·00
313. IS : 4332 (भाग 9)-1970	दृढ़ीकृत मृतिकाओं की परीक्षण पद्धतियाँ : भाग 9 बिट्यूमेन और तार दृढ़ीकृत मृतिकाओं में बिट्यूमनी दृढ़कारी पदार्थों की मात्रा निकालना	5·00
इमारती पत्थर		
314. IS : 1127-1970	चिनाई के लिए प्राकृतिक इमारती पत्थरों के माप और कारीगरी सम्बन्धी सिफारिशें (पह पुन) ...	2·00
संरचना डिजाइन		
*315. IS : 1893-1970	भूकंपरोधी डिज़ाइन वाले आगारों की कसौटियाँ	
टाइल		
316. IS : 777-1970	काँचाभ अर्दनवेयर के टाइल (पह पुन) ...	5·50
इमारती लकड़ी		
317. IS : 1140-1970	दियासलाइयों के लिए लकड़ी के टुकड़े (पह पुन) ...	3·50
318. IS : 5808-1970	फौज़ी बक्सों के लिए कटी हुई गैर-कोनीफर लकड़ी के टुकड़े	2·50
319. IS : 5966-1970	सामान्य कार्यों के लिए गैर-कोनीफर लकड़ी के टुकड़े	3·50
लकड़ी सम्बन्धी डिजाइन और निर्माण		
*320. IS : 883-1970	इमारतों के लिए संरचनात्मक लकड़ी की डिज़ाइन की रीति संहिता	
लकड़ी का सामान		
321. IS : 5942-1970	फावड़ों के बेंट	2·00
दीवारों और भीतरी छत का सामान		
322. IS : 6041-1971	ऑटोक्लेवकृत कोशीय कंक्रीट ब्लाकों से चिने निर्माण की रीति संहिता	5·00
323. IS : 6042-1969	हल्के कंक्रीट ब्लाकों से चिने निर्माण की रीति संहिता	7·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
जलसह और नमीसह बनाना		
*324. IS : 1322-1970	जलसह और नमीसह बनाने के लिए बिट्यूमेन के नमदे (पह पुन)	
325. IS : 5871-1970	टंकी बनाने और नमीसहकृत बनाने के लिए बिट्यूमेन मस्तगी	2·50
जल वितरण, सफाई और जलनिकास		
326. IS : 1172-1971	जल वितरण, जलनिकास और सफाई संम्बन्धी मूलभूत अपेक्षाओं की संहिता (दू पुन)	6·50
327. IS : 2470 (भाग 2)-1971	चहबच्चों (सेप्टिक टैंक) की डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता: भाग 2 बड़े संस्थापन (पह पुन)	5·00
328. IS : 5611-1970	मल निथारक कुंडों (वैकल्पिक प्रकार के) की रीति संहिता	6·00
329. IS : 5822-1970	जल वितरण के लिए वेल्डकृत इस्पात के पाइप डालने की रीति संहिता	7·50
जल वितरण, सफाई और जलनिकास फिटिंग		
330. IS : 775-1970	वाश बेसिनों और नादों के लिए ढलवाँ लोहे के ब्रैकेट और आधार (दू पुन)	4·00
331. IS : 780-1969	जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व(50 से 300 मिमी साइज वाले) (चतु पुन)	8·00
332. IS : 1711-1970	अपने आप बन्द होने वाली टोंटियाँ (पह पुन) ...	3·50
333. IS : 2326-1970	मूत्रालयों के लिए स्वतःचालित फ्लश की टंकियाँ (पह पुन)	2·50
334. IS : 2906-1969	जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व (350 से 1 200 मिमी साइज वाले)(पह पुन)	7·00
335. IS : 5869-1970	समुद्री उपयोग के लिए खम्भेनुमा टोंटियाँ ...	2·50
336. IS : 5917-1970	समुद्री उपयोग के लिए काँचाभ (काँचाभ चीनी मिट्टी के वाश बेसिन	2·00
337. IS : 5961-1970	जल निकास कार्यों के लिए ढलवाँ लोहे की जालियाँ	2·50
उपभोक्ता उत्पाद		
बनावटी अंग		
338. IS : 5586-1970	सेक्शनल अग्रबाहु के लिए धातु के पुर्जे	3·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
339. IS : 5587-1970	दिखावटी हाथ	3·00
340. IS : 5588-1970	जाँघों तक के जूते	3·00
341. IS : 5594-1970	बनावटी हाथ के लिए रोटरी	3·00
342. IS : 5603-1970	पूर्णतः स्वचल कोहनी जोड़	5·00
343. IS : 5607-1970	अर्द्धस्वचल कोहनी जोड़	5·00
344. IS : 5665-1970	शोल्डर ह्वील	2·50
345. IS : 5745-1970	विकलांगता के कैलिपर्स और बर्मों के लिए एड़ी साकेट और प्लेट	3·00
346. IS : 5796-1970	कायिक चिकित्सा के लिए गिर्री व्यवस्था के अतिरिक्त चक्रतीनुमा वजनों के सेट	3·00
347. IS : 5809-1970	इस्पात के विकलांगता बर्मों के लिए टखना जोड़ ...	3·00
348. IS : 5810-1970	इस्पात के विकलांगता कैलिपर्स और बर्मों के लिए ताले वाले घुटना जोड़	3·00
349. IS : 5811-1970	इस्पात के विकलांगता कैलिपर्स और बर्मों के लिए ताले वाले नितम्ब जोड़	3·00
350. IS : 5827-1970	पैराफीन मोम कुंडी	2·50
351. IS : 5956-1971	इस्पात के विकलांगता कैलिपर्स के लिए बिना ताले वाले नितम्ब जोड़	3·00
352. IS : 5963-1971	इस्पात के विकलांगता कैलिपर्स के लिए बिना ताले वाले टखना जोड़	3·00
353. IS : 5964-1971	विकलांगता कैलिपर्स के लिए गोल स्पर ...	3·00

दंत उपकरण और औज़ार

354. IS : 5576-1970	दंत अमलगम वाहक, सं० 1 और 2	3·00
355. IS : 5582-1970	दंत मैंड्रेल, सं० 1, 2 और 3	3·00
356. IS : 5584-1970	कारतूसनुमा अधोत्वच दंत सिरीज, पिवट ब्रीच कैपनुमा	3·00
357. IS : 5645-1970	पेडस्टल कस्पीडोर	2·50
358. IS : 5655-1970	पाँव चालित दंत इंजिन	2·50
359. IS : 5763-1970	दाँत सम्बन्धी चर्वण तलगाइड	3.00
360. IS : 5749-1970	दाँत सम्बन्धी खुरदुरा बनाने और मोड़ने के पिन प्लास	3·00
361. IS : 5795-1970	दाँत सम्बन्धी क्राउन और लाईटिंग प्लास ...	3·00
362. IS : 5828-1970	कार्यकक्ष के दंत प्लास	3·00
363. IS : 5830-1970	दंत हैंडपीस के प्रेषण जोड़ (स्लिप जोड़) माप ...	3·00
364. IS : 5879-1970	दाँतों के रबड़ डैम का पंच	3·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
365. IS : 5941-1970	बिजली का दंत इंजन	4·00
366. IS : 5958-1970	दाँत सम्बन्धी परावर्तक और नियंत्रण निर्वातित्र ...	3·00
367. IS : 5965-1970	दाँत सम्बन्धी रबड़ डैम का फ्रेम	3·00
368. IS : 5997-1970	दाँत सम्बन्धी तार और परिछिद्रक होल्डर ...	3·00
369. IS : 6020-1970	दाँत सम्बन्धी चेहरे के शीशे और शीशों के हैंडिल	4·00
उपभोक्ता वस्तु के बंधने (फासनर्स)		
370. IS : 5650-1970	कागजों के क्लिप	3·00
371. IS : 5653-1970	कागजों की सीधी पिनें	3·00
372. IS : 6021-1971	वाशर सहित अथवा रहित रंग किए रिम वाले वेब इक्विपमेण्ट और 6·6 मिमी नाके	5·00
गैस से चलने वाले उपकरण		
373. IS : 5776-1970	द्रवित पेट्रोलियम गैसों पर काम करने वाले राशि पानी के हीटर	2·50
374. IS : 5777-1970	द्रवित पेट्रोलियम गैसों पर काम करने वाले तलने के पात्र (फ्रायर)	2·00
अस्पताल के उपकरण		
375. IS : 3830-1970	पाइरोजनरहित आसुत पानी के लिए भभके (पह पुन)	3·50
376. IS : 5630-1970	जच्चा पालने	3·00
377. IS : 5631-1971	सादी और मुड़ी औजारों की ट्राली	5·00
378. IS : 5880-1970	सेलाइन एवं इरीगेटर स्टैन्ड	3·00
अस्पताल के बर्तन		
379. IS : 5764-1970	घोल कटोरे	3·00
380. IS : 5782-1970	स्पंज कटोरे	3·00
खेलकूद का सामान		
381. IS : 5739-1970	रास्तों और फील्ड के उपकरण (स्कूलों के लिए खेल-कूद का सामान)	5·50
सर्जरी और चिकित्सा उपकरण		
382. IS : 5564-1970	गैस आर्द्रकारक (बुलबुले वाले)	2·50
383. IS : 5574-1970	विकलांगता के लिए संयुक्त कार्य वाले तार काटने के फोर्सेप्स	3·00
384. IS : 5580-1970	विकलांगता के लिए स्टिल नमूने की छेनियाँ ...	3·00
385. IS : 5581-1970	बोहलर वाले स्टिरप	3·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
386. IS : 5583-1970	स्टिल नमूने के विकलांगता के अस्थिविच्छेदक ...	3·00
387. IS : 5585-1970	रबड़ की टोपी वाली मोगरी (मैलेट)	3·00
388. IS : 5589-1970	विकलांगता के लिए हड्डी काटने की आरी का हैंडिल	3·00
389. IS : 5590-1970	हड्डी काटने की आरी की फनी	3·00
390. IS : 5601-1970	स्टिल नमूने के विकलांगता वाले गौज	3·00
391. IS : 5602-1970	संवेदनाहारी श्वसन बैग	2·00
392. IS : 5622-1970	गैस संवेदनाहारी उपकरण (वाटर्स ट्र एन्ड फ्रो) के साथ प्रयुक्त सोडा चूने का कनस्टर	2·00
393. IS : 5668-1970	आँख उच्छेदन के लिए दनदानेदार महीन फोर्सेप्स	3·00
394. IS : 5678-1970	नेत्र श्लेषमला सीवन फोर्सेप्स (मूरफील्ड नमूने का)	3·00
395. IS : 5720-1970	स्वतःधारी कर्णमूल रिट्रैक्टर	3·00
396. IS : 5721-1970	आँख की परिसरीय आइरीडिक्टोमी के लिए फोर्सेप्स	3·00
397. IS : 5722-1970	आँख की पुतली के हुक (टाइरेल नमूने के) ...	3·00
398. IS : 5732-1970	आँख, नाक, कान सर्जरी के लिए नालीदार हैन्डिल वाली मोगरी	3·00
399. IS : 5732-1970	कर्णमूल गौज (जेन्किन नमूने के)	3·00
400. IS : 5747-1970	अंतःकर्ण रिट्रैक्टर (लम्बर्ट नमूने के)	3·00
401. IS : 5803-1970	विकलांगता उद्योग में प्रयुक्त ट्विस्ट ड्रिल ...	3·00
402. IS : 5829-1970	गर्भाशयमापी	3·00
403. IS : 5846-1970	हड्डी की कीलें (स्मिथ पेटरसन और जोन्स नमूने की)	3·00
404. IS : 5847-1970	स्टाइनमैन पिन लगाने के पिन चक्र	3·00
405. IS : 5848-1970	स्टाइनमैन पिन	3·00
406. IS : 5849-1970	अग्रयोनि दीवार रिट्रैक्टर (सिम नमूने के) ...	3·00
407. IS : 5906-1970	योनि स्पेकुलम (कुस्को नमूने के)	3·00
बर्तन और कटलरी		
408. IS : 5765-1970	एल्युमिनियम के लंच बक्स	3·00

विद्युत तकनीकी

ध्वानिकी

409. IS : 2382-1970	लाउडस्पीकर लगाने सम्बन्धी माप (पह पुन) ...	2·00
स्वचल वाहन		
410. IS : 1884-1970	स्वचल गाड़ियों के बिजली के हार्न (पह पुन) ...	5·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
411. IS : 5562-1970	स्वचल गाड़ियों के ईंधन मापक	5·50
412. IS : 5577-1970	स्वचल गाड़ियों के एम्मीटर	4·00
413. IS : 5977-1971	स्वचल गाड़ियों के डी सी जनित्रों के रेग्यूलेटर (डाइनैमो)	2·50

बैटरियाँ

414. IS : 1651-1970	सीसा अम्ल वाली स्टेशनरी सेल और बैटरियाँ (नलिकाकार घनात्मक प्लेट वाली)	5·50
415. IS : 6071-1970	सीसा अम्ल बैटरियों के लिए संश्लिष्ट सेपेरेटर ...	6·00

सिनेमा लेखी उपकरण

416. IS : 5636-1970	16-मिमी प्रोजेक्टर के स्पूल के डब्बे	2·50
417. IS : 5673-1970	अचलचित्र प्रोजेक्टरों के लिए परीक्षण पद्धतियाँ ...	4·00
418. IS : 5674-1970	16-मिमी प्रोजेक्टर स्पूल	4·00
419. IS : 5700-1970	चित्र प्रदर्शन के पर्दों की परीक्षण पद्धतियाँ ...	2·50
420. IS : 5778-1970	अचलचित्र प्रोजेक्टर	6·00

चालक

421. IS : 1554 (भाग 2)-1970	पी वी सी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल: भाग 2 कार्यकारी वोल्टता 3·3 कि वो से 11 किवो तक के लिए	7·50
422. IS : 1596-1970	पोलीएथाइलीन रोधित और पी वी सी खोलदार केबल, 2·50 किवो तक (पहपुन)	4·00
423. IS : 5608 (भाग 1)-1970	पी वी सी रोधित और पी वी सी खोल वाले अल्प आवृति तार और केबल: भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ और परीक्षण	7·50
424. IS : 5608 (भाग 2)-1970	पी वी सी रोधित और पी वी सी खोल वाले अल्प आवृति तार और केबल: भाग 2 इकहरे उपकरण तार	2·50
425. IS : 5662-1970	टी वी एरियल के फीडर केबल	2·00
426. IS : 5755-1970	एल्युमिनियम चालकों वाले खनिज रोधित एल्युमिनियम खोल वाले केबल	5·50
427. IS : 5801 (भाग 1)-1970	लाक्षणिक प्रतिरोधिता 50 वाले नम्य समाक्ष रेडियो आवृति केबल: भाग 1 केबल टाइप 50-3-1	2·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
428.	IS : 5801 (भाग 2)-1970 लाक्षणिक प्रतिरोधिता 50 वाले नम्य समाक्ष रेडियो आवृति केबल: भाग 2 केबल टाइप 50-3-2	2·50
429.	IS : 5801 (भाग 3)-1970 लाक्षणिक प्रतिरोधिता 50 वाले नम्य समाक्ष रेडियो आवृति केबल: भाग 3 केबल टाइप 50-7-1	2·50
430.	IS : 5802 (भाग 1)-1970 लाक्षणिक प्रतिरोधिता 75 वाले नम्य समाक्ष रेडियो आवृति केबल: भाग 1 केबल टाइप 75-7-1	2·50
431.	IS : 5819-1970 उच्च वोल्टता पी वी सी केबल के सिफारिशी शार्ट सर्किट रेटिंग	5·00
432.	IS : 5831-1970 बिजली के केबलों के पी वी सी के रोधन और खोल	6·50
433.	IS ; 5950-1971 विस्फोट के लिए प्रयुक्त केबल	3·00
434.	IS : 5959 (भाग 1)-1970 पालीइथाइलीन रोधित और पी वी सी खोलदार (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल: भाग 1 कार्यकारी वोल्टता 1 100 वोल्ट तक के लिए ...	5·50
435.	IS : 5959 (भाग 2)-1970 पालीइथाइलीन रोधित और पी वी सी खोलदार (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल: भाग 2 कार्यकारी वोल्टता 3·3 किवो से 11 किवो तक के लिए	7·50
घरेलू साधन		
436.	IS : 1041-1970 गम्यता परीक्षण के प्रोब (पह पुन)	3·50
437.	IS : 5579-1970 नियोन परीक्षण यंत्र	3·50
438.	IS : 5790-1970 बिजली के घरेलू खाना बनाने के चूल्हे ...	6·00
बिजली के वेल्डिंग उपकरण		
439.	IS : 6008-1971 वेल्डिंग के लिए एक आपरेटर वाला एसी/डीसी बिजली का स्रोत	5·00
विद्युत संस्थापन		
440.	IS : 1944 (भाग 1 और 2)-1970 सड़कों के बिजली के प्रकाश संस्थापनों की डिज़ाइन की रीति संहिता: भाग 1 और 2 सार्वजनिक मुख्यमार्गों के प्रकाश सम्बन्धी रीति संहिता	9·50
441.	IS : 2597 (भाग 4)-1970 इलेक्ट्रॉनिक वाल्वों के उपयोग की रीति संहिता: भाग 4 कैथोड किरण ट्यूब	2·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
442. IS : 5578-1970	रोधित चालकों के चिह्नाकन की मार्गदर्शिका ...	4·00
443. IS : 5613 (भाग 1/अनुभाग 1)-1970	शिरोपरि पावर लाइनों की डिज़ाइन, संस्थापन और रख-रखाव की रीति संहिता: भाग 1 11 किवो तक की लाइनें: अनुभाग 1 डिज़ाइन	7·50
444. IS : 5728-1970	शार्ट परिपथ गणनाओं की मार्गदर्शिका ...	11·00
445. IS : 5908-1970	इमारतों में विद्युत संस्थापनों की मापन पद्धति ...	5·00
446. IS : 5987-1970	स्विचों के चुनाव की रीति संहिता (1 000 वोल्ट से अनधिक)	4·00

बिजली के यंत्र

447. IS : 5883-1970	निकेलरोधी तापमापियों के एलीमेंट	4·00

इलेक्ट्रॉन ट्यूब

448. IS : 1885 (भाग 4/अनुभाग 4)-1970	विद्युत तकनीकी शब्दावली: भाग 4 इलेक्ट्रॉन ट्यूब और वाल्व: अनुभाग 4 कैथोड किरण ट्यूब	5·50
449. IS : 5627-1970	कैथोड किरण प्रदर्शी ट्यूबों की मापन पद्धतियाँ ...	5·00
450. IS : 5840 (भाग 1)-1970	कैथोड किरण ट्यूबों की नापें: भाग 1 ट्यूबों की रूप रेखा	3·00
451. IS : 5840 (भाग 2)-1970	कैथोड किरण ट्यूबों की नापें: भाग 2 आधार	5·00
452. IS : 5840 (भाग 3)-1970	कैथोड किरण ट्यूबों की नापें: भाग 3 टर्मिनल	3·00

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे

453. IS : 3452 (भाग 2)-1970	टॉगिल स्विच: भाग 2 टागिल स्विच, टाइप 1 और 2	5·00
454. IS : 3826 (भाग 2)-1970	3 मेगाहर्ट्ज से कम आवृतियों के लिए कनेक्टर: भाग 2 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बैटरी कनेक्टर	2·50
455. IS : 5786 (भाग 1)-1970	जड़े प्रतिरोधक: भाग 1 परीक्षण और सामान्य अपेक्षाएँ	8·50
456. IS : 5921 (भाग 1)-1970	इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों में उपयोग के लिए छपे सर्किटों की धातु चढ़ी आधार सामग्री: भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ और परीक्षण	10·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
457. IS : 5575 (भाग 1)-1970	स्फटिक क्रिस्टल इकाइयों (गर्माने वाली) के लिए ताप नियंत्रक साधन: भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ और परीक्षण	7·50
बिजली के ज्वालासह उपकरण		
458. IS : 5833-1970	बिजली से चलने वाले ज्वालासह एयरब्रेक गेट-एण्ड बक्स	7·50
उच्च वोल्टता तकनीकी		
459. IS : 5571-1970	खतरनाक क्षेत्रों के लिए बिजली के उपकरणों के चुनाव की मार्गदर्शिका	3·50
460. IS : 5572 (भाग 1)-1970	विद्युत संस्थापनों के लिए खतरनाक क्षेत्रों का वर्गीकरण: भाग 1 गैस और माप वाले क्षेत्र ...	4·00
461. IS : 5979-1970	खनिकों के कैप लैम्प	3·50
462. IS : 5780-1970	प्रकृत्या निरापद बिजली के उपकरण और सर्किट	8·00
प्रकाश इंजीनियरी		
463. IS : 2149-1970	सड़क पर प्रकाश सम्बन्धी सामान (पह पुन) ...	8·00
रोधन सामग्री		
464. IS : 5596-1970	रेशेदार रोधन सामग्री में हानिकारक पदार्थ निकालने की परीक्षण पद्धति	6·50
465. IS : 5711-1970	विद्युत कार्यों के लिए वल्कनीकृत फाइबर छड़ें और नलियाँ	7·00
रोधक और सहायक अंग		
466. IS : 5350 (भाग 1)-1970	1 000 वोल्ट से अधिक सांकेतिक वोल्टता वाली प्रणालियों के लिए भवनों के भीतर और खुले में लगाने वाली पोर्सलेन पोस्ट रोधनों के और पोस्ट रोधक इकाइयों के माप: भाग 1 भवनों के भीतर के पोस्ट रोधक	3·50
467. IS : 5621-1970	विद्युत-संस्थापनों में उपयोग के लिए बड़ी खोखली पोर्सलेन की वस्तुएँ	4·00
नामकरण और प्रतीक		
468. IS : 1885 (भाग 7/अनुभाग 1)-1970	विद्युत तकनीकी शब्दावली: भाग 7 एकदिशचालक साधन: अनुभाग 1 सामान्य	6·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
469.	IS : 1885 (भाग 7/अनुभाग 2)-1970 विद्युत तकनीकी शब्दावली: भाग 7 एकदिशचालक साधन: अनुभाग 2 डाइओड	5·00
470.	IS ; 1885 (भाग 7/अनुभाग 3)-1970 विद्युत तकनीकी शब्दावली: भाग 7 एकदिशचालक साधन: अनुभाग 3 ट्रांजिस्टर	5·50

घूर्णक मशीनें

471.	IS : 325-1970 तीन फेजी प्रेरण मोटर (ती पुन)	10·00

एकदिशचालक साधन

472.	IS : 5700 (भाग 7)-1970 एकदिशचालक साधनों के अनिवार्य रेटिंग और लक्षण: भाग 7 उत्क्रमणीय ब्लाकिंग वाले ट्राइओड थिस्टर	5·50
473.	IS : 5700 (भाग 8)-1970 एकदिशचालक साधनों के अनिवार्य रेटिंग और लक्षण: भाग 8 वोल्टता रेग्यूलेटर और वोल्टता संदर्भ डाइओड	2·50
474.	IS : 4400 (भाग 8)-1970 एकदिशचालक साधनों पर मापन पद्धतियाँ: भाग 8 वोल्टता रेग्यूलेटर और वोल्टता संदर्भ डाइओड	3·50

स्विचगियर और नियंत्रण गियर

475.	IS : 5561-1970 बिजली के पावर कनेक्टर	4·00
476.	IS : 5792-1970 उच्च वोल्टता अपसारी फ्यूज और अन्य ऐसे फ्यूज	7·00

वाइंडिंग करने के तार

477.	IS : 4800 (भाग 7)-1970 इनैमलकृत गोल वाइंडिंग करने के तार: भाग 7 नम स्थितियों में अच्छे परावैद्युत गुणधर्मों वाले तार	3·50
478.	IS : 4800 (भाग 8)-1970 इनैमलकृत गोल वाइंडिंग करने के तार: भाग 8 प्रशीतन प्रणाली में प्रयुक्त तार ...	2·50
479.	IS : 5825-1970 इनैमलकृत तारों की ताप सहनशीलता आँकने की मार्गदर्शिका	5·50

मशीनी इंजीनियरी

बेयरिंग

480.	IS : 5669-1970 अरीय रोलिंग बेयरिंगों के सीमांत मापों का सामान्य नक्शा	8·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
481. IS : 5692-1970	अरीय रोलिंग बेयरिंगों की छूटें	5·00
*482. IS : 5932-1970	चपटे बैठाने वाले थ्रस्ट बाल बेयरिंग के सीमांत माप	
483. IS : 5933-1970	चपटे बैठाने वाले थ्रस्ट बाल बेयरिंग की छूटें ...	5·00
484. IS : 5934-1970	रोलिंग बेयरिंगों के पंख और फिलेट त्रिज्या ...	3·00
485. IS : 5935-1970	बिना भार पड़े अरीय रोलिंग बेयरिंग में अरीय भीतरी गुंजाइश	5·00

रसायन इन्जीनियरी

*486. IS : 4682 (भाग 5)-1970	रसायनिक प्रक्रमों के बर्तनों और उपकरणों में परत चढ़ाने की रीति संहिता: भाग 5 इपाक्साइड बरोज़ा चढ़ाना	
487. IS : 4682 (भाग 6)-1970	रसायनिक प्रक्रमों के बर्तनों और उपकरणों में परत चढ़ाने की रीति संहिता: भाग 6 फेनोलिय बरोज़ा चढ़ाना	5·00
488. IS : 5675-1971	घूर्णक चकती वाले वैकुअम फिल्टर	5·00
489. IS : 6034-1971	किनारे वाले वैकुअम फिल्टर	2·50

कम्प्रेसर

490. IS : 5538 (भाग 1)-1969	कम्प्रेसरों और निष्कासकों के वात प्रवाह का माप	8·50
491. IS : 5727-1970	कम्प्रेसरों और निष्कासकों से सम्बन्धित शब्दावली	8·50

इन्जीनियरी मापविज्ञान

492. IS : 4239-1970	मशीनी बेवेल प्रोट्रैक्टर (पह पुन)	5·00
493. IS : 5812-1970	चाक्षुप बेवेल प्रोट्रैक्टर	5·00
494. IS : 5939-1970	एककोणीय साइन सारणी	5·00
495. IS : 5943-1970	संयुक्तकोणीय साइन सारणी	5·00
496. IS : 5979-1970	साइन सेंटर	3·00
497. IS : 5980-1970	बेंच सेंटर	5·00

गैस सिलिण्डर

*498. IS : 3224-1971	सपीड़ित गैस सिलिण्डरों के वाल्वों के फिटिंग (पह पुन)	
499. IS : 5844-1970	संपीड़ित गैस सिलिण्डरों के जलस्थैतिक तनन परीक्षण सम्बन्धी सिफारिशें	2·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
500. IS : 5845-1970	अल्पदाब गैस सिलिण्डरों के दृश्य परीक्षण की रीति संहिता	2·50
501. IS : 5903-1970	गैस सिलिंडरों के बचाव साधनों सम्बन्धी सिफारिशें	6·50
गैस्केट और पैकिंग		
502. IS : 5566-1970	वनस्पति रेशे से बनी जोड़ने की सामग्री ...	5·50
503. IS : 5569-1970	कार्क और सेल्यूलोज़ से बनी जोड़ने की सामग्री ...	6·00
हाथ के औजार		
*504. IS : 2029-1971	छल्लेदार पाने (पह पुन)	
505. IS : 2030-1971	बक्सनुमा पाने (पह पुन)	5·50
506. IS : 5657-1970	जिम क्रो	2·50
507. IS : 5658-1970	पतली नोक वाला प्लास	2·00
508. IS : 5663-1970	ईंट और राज वाली छेनी	2·50
509. IS : 5684-1970	पाइप पकड़ने के बाँके (चेनदार)	3·50
510. IS : 5697-1970	उपाड़ने वाली छेनियाँ	2·50
511. IS : 5991-1971	रोड़ियों के पाँचे	2·50
512 IS : 5995-1971	पाइप पकड़ने के प्लास	3·00
513. IS : 6000-1971	रेल की पटरियों के चिमटे	3·00
514. IS : 6002-1971	बक्सनुमा पानों के लिए टामी सरिया ...	3·00
515. IS : 6007-1971	पाइप पकड़ने के बाँके (कब्जेदार)	3·50
अन्तर्दाही इन्जिन और स्वचलित्र		
516. IS : 5791-1970	अंतर्दाही इन्जिनों के पिस्टन के रिंगों की सप्लाई सम्बन्धी स्थितियाँ	3·50
यन्त्र		
517. IS : 1400-1970	सामान्य कार्यों के लिए मीटरी पैमाने (पह पुन) ...	4·00
518. IS : 1481-1970	इन्जीनियरों के लिए इस्पात के मीटरी पैमाने (पह पुन)	3·50
519. IS : 1482-1970	ड्राफ्टिंग मशीनों के साथ काम आने वाले मीटरी पैमाने (पह पुन)	2·50
520. IS : 1492-1970	सर्वेक्षण की मीटरी चेनें (पह पुन)	3·50
521. IS : 2287-1970	ड्राफ्टिंग मशीनें (पह पुन)	2·50
522. IS : 5694-1970	इन्जीनियरों के ड्राइंग यन्त्र — बिंदु डालने का पेन	2·00

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
523. IS : 5695-1971	चश्मों के लेन्स	3·50
524. IS : 5706-1970	परिशुद्धता इन्जीनियरी के लिए प्रयुक्त स्पिरिट लेवेल	2·50
525. IS : 5726-1970	इन्जीनियरों के ड्राइंग यन्त्र-बार्डर देने के पेन ...	2·00
526. IS : 5737-1970	इन्जीनियरों के ड्राइंग यन्त्र वक्र बनाने के पेन ...	2·00
527. IS : 5738-1970	सिस्टोस्कोप	3·50
528. IS : 5750-1970	भूकम्पलेखी	2·50
529. IS : 5793-1970	अजल दाबमापी	2·00
530. IS : 5798-1970	पारे वाला दाबमापी	3·50
531. IS : 5799-1970	पवन दिक्सूचक	2·50
532. IS : 5900-1970	बाल वाला आर्द्रतालेखी	3·50
533 IS : 5901-1970	द्विधात्विक ऊष्मालेखी	2·50
534. IS : 5912-1970	पवनवेगमापी, कप पटल वाला	2·50
535. IS : 5920-1970	चाक्षुष तत्त्वों और प्रणालियों की ड्राइंग तैयार करने सम्बन्धी सिफारिशें	5·00
536. IS : 5924-1970	मापवैज्ञानिक यन्त्रों के घड़ी यन्त्र और ड्रम ...	3·50
537. IS : 5928-1970	स्पर्शरेखा प्रवणतामापी	2·50
538. IS : 5945-1970	अजल दाबलेखी	3·50
539. IS : 5946-1970	घुमाने वाले आर्द्रतामापी साइक्रोमीटर	2·00
540. IS : 5947-1970	अभिलेखी मापवैज्ञानिक यन्त्रों के चार्ट	5·50
541. IS : 5948-1970	तापमापियों के स्क्रीन	2·50
542. IS : 5973-1970	पैननुमा वाष्पनमापी	3·50
स्नेहक उपकरण		
543. IS : 5559-1970	तेल देने के उपकरण	5·00
544. IS : 5664-1970	स्नेहक कनेक्टर	5·00
मशीनी औजार		
545. IS : 1878 (भाग 1)-1971	सामान्य कार्यों की समान्तर खरादों के लिए परीक्षण चार्ट: भाग 1 800 मिमी तक के स्विंग ओवरबेड वाली खराद (पह पुन)	7·00
*546. IS : 1878 (भाग 2)-1971	सामान्य कार्यों की समान्तर खरादों के लिए परीक्षण चार्ट: भाग 2 800 से 1600 मिमी तक के स्विंग ओवरबेड वाली खराद (पह पुन) ...	

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
547. IS : 3230-1970	टैपिंग ड्रिल की साइजों सम्बन्धी सिफारिशें (पह पुन)	5·00
548. IS : 5568-1970	छेद गावदुम 1 : 30 वाले औजारों के चूलों और पार खाँचों के माप	5·00
549. IS : 5617-1970	पाइपों की चूड़ियों में लगने वाले टैपिंग ड्रिल साइजों की सिफारिशें	3·00
550. IS : 5618-1970	तारनालियों की चूड़ियों के लिए गोल चूड़ियाँ काटने की डाइयाँ	3·00
551. IS : 5693-1970	समांतर शैंकों वाले काउंटर सिंक	5·00
552. IS : 5696-1970	स्पर और कुंडली गियर के लिए घूमने वाले फार्म रिलीव्ड गियरकर्तक	6·50
553. IS : 5702-1970	चपटी चूड़ी वाली रोलिंग डाई	5·50
554. IS : 5703-1970	मोर्स गावदुम शैंकों वाले शंकुखनक	5·00
555. IS : 5704-1970	समांतर शैंकों वाले शंकुछेदक	5·00
556. IS : 5705-1970	शंकुखनकों और शंकुछेदकों के पाइलट ...	3·00
557. IS : 5710-1970	मोर्स गावदुम शैंकों वाले शंकुछिद्रक	5·50
558. IS : 5881-1970	गावदुम पिन वाले हाथ के रीमर	3·00
559. IS : 5882-1970	समांतर शैंकों साकेट रीमर	3·00
560. IS : 5907-1970	मोर्स गावदुम शैंकों वाले साकेट रीमर ...	3·00
561. IS : 5918-1970	गावदुम पिन वाले मशीन रीमर	3·00
562. IS : 5919-1970	मशीन ब्रिज रीमर	3·00
563. IS : 5926-1970	शेल रीमर	3·00
564. IS : 5927-1970	7/24 गावदुम से मोर्स गावदुम को जोड़ने वाले स्लीव	3·00
565. IS : 5936-1970	शेल औजारों के लिए मोर्स गावदुम शैंकों वाले आर्बर	3·00
566. IS : 5969-1971	छेद करने के मिल	5·00
567. IS : 5990-1970	आकृतिदायी (शेपर) मशीनों के साइज़ ...	3·00
568. IS : 5998-1971	समांतर भुजाओं वाली क्लैम्प स्लेट	3·00
569. IS : 5999-1971	स्विंग खराद	3·00
*570. IS : 6040-1971	परिशुद्धता खराद के परीक्षण चार्ट — 500 मिमी तक के स्विंग औवरबेड और केन्द्रों के बीच 1 500 मिमी तक के अंतर वाले खराद	
*571. IS : 6073-1971	कार्बाइड की टिप लगे एक नुके औजार	
समुद्री इंजीनियरी		
572. IS : 5858 (भाग 1)-1970	जलयानों पर मशीनी संवातन सम्बन्धी सहायक अंग: भाग 1 न लौटने वाले वाल्व ...	2·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
573.	IS : 5858 (भाग 2)-1970 जलयानों पर मशीनी संवातन सम्बन्धी सहायक अंग: भाग 2 धुएँ से बचाने वाले फ्लैप वाल्व	2·50
574.	IS : 5858 (भाग 3)-1970 जलयानों पर मशीनी संवातन सम्बन्धी सहायक अंग: भाग 3 नियंत्रक डैम्पर	2·50
575.	IS : 5859-1970 लंगरों की चेनों और जुड़नारों के धरने-उठाने के औज़ार	2·50
576.	IS : 5876-1970 हापर स्कुपर	2·00
577.	IS : 5971-1970 बेलनाकार छलनी बक्स	2·00
578.	IS : 5976-1970 जलयानों के पंखों के लिए बने छेद	2·50

सामग्री धरना उठाना

579.	IS : 2429 (भाग 1)-1970 इस्पात की गोल छोटी गुरिया वाली चेन (बिजली द्वारा बट वेल्डकृत) ग्रेड 30: भाग 1 उठाने के लिए अनंशांकित भारवाही चेनें (दू पुन) ...	4·00
580.	IS : 2429 (भाग 2)-1970 इस्पात की गोल छोटी गुरिया वाली चेन (बिजली द्वारा बट वेल्डकृत) ग्रेड 30: भाग 2 पुली ब्लाक तथा अन्य उठाने वाले साधनों के लिए अंशांकित भारवाही चेनें (दू पुन)	4·00
581.	IS : 3109 (भाग 1)-1970 इस्पात की गोल छोटी गुरिया वाली चेन (बिजली द्वारा बट वेल्डकृत) ग्रेड 40: भाग 1 पुली ब्लाक तथा उठाने के अन्य साधनों के लिए अनंशांकित भारवाही चेनें (पह पुन)	5·00
582.	IS : 3109 (भाग 2)-1970 इस्पात की गोल छोटी गुरिया वाली चेन (बिजली द्वारा बट वेल्डकृत) ग्रेड 40: भाग 2 पुली ब्लाक तथा उठाने के अन्य साधनों के लिए अंशांकित भारवाही चेनें (पह पुन)	5·00
583.	IS : 5563-1970 औद्योगिक उपयोग के लिए पेंचदार कन्वेयर ...	2·50
584.	IS : 5604-1970 खींचने और उठाने की मशीनें, गियर रहित बैंड से चलने वाली युनिवर्सल	3·50
585.	IS : 5616-1970 उठाने के कार्यों के लिए बिजली द्वारा बट वेल्डकृत इस्पात की चेन: स्वीकृति सम्बन्धी सामान्य शर्तें ...	5·50
586.	IS : 5626-1970 खानों के कन्वेयरों की उच्च तनाव इस्पात की चेनों के लिए जंजीरदार जोड़ इकाइयाँ	3·50
587.	IS : 5629-1970 मृदु इस्पात के गढ़े हुए उठाने के तिकोने छल्ले ...	3·50

क्रम संख्या		शीर्षक	रु०
588	IS : 5729-1970	जलयान की युनियन परचेज़ के लिए चूलछल्ला जड़त	3·50
589.	IS : 5749-1970	गढ़े हुए मेष सींगनुमा (रैम्स हार्न) हुक ...	4·00
590.	IS : 5895-1970	इस्पात के रोलर कन्वेयर	5·00
*591.	IS : 5972-1970	वायु और द्रवचालित वहन सम्बन्धी शब्दावली और परिभाषाएँ	

खान कार्य

592.	IS : 5767-1970	खान कार्य सम्बन्धी शब्दावली (खान स्तर नियंत्रण)	5·00
593.	IS : 5768-1970	खान कार्य सम्बन्धी शब्दावली (अयस्क खुदाई और आगे का कार्य)	8·50
594.	IS : 5769-1970	छतरीनुमा वी-मुखवाले टंग्स्टन कोयला काटने के टंग्स्टन कार्बाइड नोकदार औजार	2·50
595.	IS : 5770-1970	छतरीनुमा चपटी सतह वाले कोयला काटने के टंग्स्टन कार्बाइड की टिप वाले औजार	2·50
596.	IS : 5771-1970	टंग्स्टन कार्बाइड की टिप वाले कोयला काटने के प्वांइट अटैक औज़ार	3·50
597.	IS : 5772-1970	चपटी सतह के टंग्स्टन कार्बाइड की टिप वाले तोते की चोंचनुमा कोयला काटने के औज़ार	3·50
598.	IS : 5773-1970	वी- और एफ वी-सतह वाले टंग्स्टन कार्बाइड की टिप वाले सीधी छड़नुमा कोयला काटने के औज़ार ...	2·50
599.	IS : 5774-1970	मध्य भाग तोड़ने वाले सीधी छड़नुमा कोयला काटने के औज़ार	2·50
600.	IS : 5775-1970	चपटी सतह वाले टंग्स्टन कार्बाइड की टिप वाले कोयला काटने के अरीय औज़ार	3·50
601.	IS : 5814-1970	खान कार्य सम्बन्धी शब्दावली (शैफ्ट और तत्सम्बधी उपकरण)	5·50
602.	IS : 5854-1970	वी- और एफ वी-सतह वाले टंग्स्टन कार्बाइड टिप वाले कोयला काटने के अरीय औज़ार	4·00
603.	IS : 5855-1970	वी- और एफ वी-सतह वाले तोते की चोंचनुमा टंग्स्टन कार्बाइड टिप वाले कोयला काटने के औज़ार	3·50
604.	IS : 5940-1970	खान कार्य सम्बन्धी शब्दावली (भूविज्ञान) ...	6·00

पम्प

605.	IS : 5600-1970	मल और निकास पम्प	2·50

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
606. IS : 5639-1970	रसायनों और संक्षारण द्रवों के लिए पम्प ...	5·50
607. IS : 5659-1970	प्रक्रम-जल के लिए पम्प	3·50
सिलाई की मशीन		
608. IS : 5740-1970	सिलाई की मशीन के पुर्जों की चूड़ियों पर ज्ञापन ...	7·00
चूड़ीदार फासनर (काबले ढिबरी आदि)		
609. IS : 5624-1970	नींव के काबले	5·00
610. IS : 5957-1970	चूड़ी बनाने के टैप पेंच की चूड़ियों के माप ...	3·00
पारेषण साधन		
611. IS : 5635-1970	स्वचल गाड़ियों के पंखों के पट्टे और गिरियाँ ...	6·00
तार के रस्से		
612. IS : 1856-1970	खानों में ढुलाई के लिए इस्पात के रस्से(पह पुन)...	6·00
*613. IS : 2266-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात के तार के रस्से (पह पुन)	
614. IS : 2334-1969	आई एस ओ मीटरी चूड़ियों की मापन पद्धति ...	11·00
615. IS : 2361-1970	बुलडाग ग्रिप (पह पुन)	3·50
616. IS : 5836-1970	स्वचल गाडियों के नियंत्रक केबलों के भीतर की रस्सियाँ	2·50
अवर्गीकृत		
617. IS : 1046-1970	रोकड़ बक्स (पह पुन)	3·50
618. IS : 5625-1970	ढलवाँ क्रसनुमा खम्भे (बोलार्ड)	2·00
619. IS : 5628-1970	ढलवाँ डैक के सिरों के रोलर	2·50
*620. IS : 5860-1970	इथानोल जल मिश्रणों की सारणी और अंत-परिवर्तन चार्ट	

संरचना और धातु

ताँबा और ताँबा मिश्रधातु

621. IS : 1028-1970	सिलिकान कांस के इंगट और ढली वस्तुएँ (पह पुन)	2·00
622. IS : 5743-1970	ताँबा मास्टर मिश्रधातु	2·00
623. IS : 5744-1970	संघनकों, वाष्पित्रों, हीटरों और कूलरों की नलियों के ताँबा मिश्रधातु के पेंचदार फेरूल	2·50
624. IS : 5885-1970	दिक् परिवर्तक छड़ों के लिए विशेष ताँबा मिश्र-धातुएँ	2·50

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
संक्षारण बचाव		
625. IS : 5555-1970	धातुओं के वातावरण संक्षारण पर व्यावहारिक अध्ययन की प्रक्रिया संहिता	9·50
*626. IS : 6005-1970	लोहा और इस्पात के फास्फेटीकरण की रीति संहिता	
लोह मिश्रधातुएँ		
627. IS : 1467-1970	फेरो टंग्स्टन (पह पुन)	2·00
628. IS : 1469-1970	फेरो मालिब्डीनम (दू पुन)	2·00
629. IS : 2024-1970	सिलिको क्रोमियम (पह पुन)	2·00
630. IS : 2391-1970	फाउंड्री निकेल (पह पुन)	1·50
631. IS : 3295 (भाग 2)-1970	फेरो बोरोन का रसायनिक विश्लेषण: भाग 2 बोरोन की मात्रा निकालना	2·00
632. IS : 5632-1970	वोल्फामाइट प्रचुरकृत	1·50
633. IS : 5633-1970	वेनेडियम पेंटाऑक्साइड	1·50
634. IS : 5634-1970	मॉलिब्डीनम आक्साइड (तकनीकी)	1·50
फाउंड्रियों के लिए कच्ची सामग्री और उपकरण		
635. IS : 5824-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त छूरियाँ (लेन्सेट)	3·00
636. IS : 5841-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त मध्यभाग साफ करने के पनारीदार साधन	3·00
637. IS : 5850-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त तिकोने कटर	3·00
638. IS : 5873-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त इस्पात के कटे तार के छोटे टुकड़े	2·00
639. IS : 5904-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त छोटे साँचे (चैपलेट) ...	8·50
640. IS : 5981-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त खरोंचने के साधन (स्क्रीकर) ...	3·00
641. IS : 5988-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त स्प्रिग डावेल स्लीव (हल्की और भारी नमूने की)	5·00
642. IS : 6013-1970	फाउंड्रियों में प्रयुक्त कन्नी	5·50
हल्की धातुएं		
643. IS : 5902-1970	वायुयानों के कार्यों के लिए ठंडे गढ़े रिवटों के लिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु की रिवेट सामग्री	2·50
644. IS : 5909-1970	वायुयानों के कार्यों के लिए एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मैंगनीज मिश्रधातु की चद्दर और पत्ती ...	2·00

*छप रहा है ।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
645. IS : 6051-1970	एल्युमिनियम और उसके मिश्रधातुओं की पदनाम संहिता	3·50

धात्विक फिनिश

646. IS : 1573-1970	लोहे और इस्पात पर बिजली द्वारा चढ़ाए गए पानी (पह पुन)	3·50
647. IS : 1771-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए बिजली द्वारा चढ़ाया गया चाँदी का पानी (पह पुन) ...	4·00
648. IS : 5905-1970	लोहा और इस्पात पर स्प्रे द्वारा चढ़ा एल्युमिनियम और जस्ता का लेपन	2·00
649. IS : 5925-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए चाँदी का पानी चढ़ाने की सिफारिशी रीति	2·50
650. IS : 6009-1970	त्वरित संक्षारण परीक्षणों के परिणाम परखने की पद्धति	2·00
651. IS : 6012-1970	भंवर धारा द्वारा लेपन की मोटाई नापने की पद्धति	2·50
652. IS : 6057-1970	एल्युमिनियम पर सख्त अनोडीय लेपन	2·50

अयस्क और कच्ची सामग्री

653. IS : 5842-1970	40 मिमी से कम नाप वाले अयस्क लोहे, छर्रों और सिटरों का राशि घनत्व अथवा प्रति इकाई भार निकालने की पद्धति	2·00
654. IS : 5843-1970	बड़े धारक में अयस्क लोहे और सिटर सहित अयस्क लोहे के पिंडों का राशि घनत्व निकालने की पद्धति	2·00
655. IS : 5893-1970	एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग के लिए क्रियोलाइट	1·50
656. IS : 5953-1971	एल्युमिनियम उत्पादन में उपयोग के लिए बाक्साइट का वर्गीकरण	1·50

कच्चा लोहा और पिग लोहा

657. IS : 210-1971	भूरे लोहे की ढली चीजें (दू पुन)	5·50
658. IS : 3989-1970	अपकेन्द्री ढलाई वाले लोहे के स्पीगॉट और साकेट वाले मल, गंदे पानी और संबातन पाइप, फिटिंग और सहायक सामान (पह पुन)	8·00
659. IS : 5699-1970	ढलवाँ लोहे की शीघ्रशीतन की परीक्षण पद्धतियाँ ...	2·50
660. IS : 5787-1970	कागज मिल के शोषक बेलनों के लिए गोलाभ या ग्रंथिल ग्रेफाइट वाले लोहे की ढली वस्तुएँ ...	3·50

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
661. IS : 5788-1970	उच्चायित तापों पर उपयोग के लिए दाबधारी पुर्जों के लिए गोलाभ अथवा ग्रंथिल ग्रेफाइट ढलवाँ लोहे की वस्तुएँ	3·50
662. IS : 5789-1970	अल्पताप कार्यों के लिए दाबधारी पुर्जों के लिए ऑस्टिनाइटी गोलाभ ग्रेफाइट लोहे की ढली वस्तुएँ	3·50

चूर्ण धातु वैज्ञानिक सामग्री और उत्पाद

663. IS : 5642-1970	सिंटरित चूर्ण धातु के संरचनात्मक पुर्जों और तेल सिझाए बेयरिंगों की अन्तर्पाशक छिद्रिलता निकालने की पद्धति	1·50
664. IS : 5644-1970	ताँबा टंग्स्टन और लोहे के चूर्णों की हाइड्रोजन क्षति निकालने की पद्धति	2·00

बहुमूल्य धातुएं

665. IS : 5954-1970	दाँत सम्बन्धी सफेद स्वर्ण मिश्रधातु ...	2·50
666. IS : 6018-1970	प्लैटिनम, प्लैटिनम रहोरियम उत्प्रेरक गेज ...	2·00
667. IS : 6619-1971	प्लैटिनम तश्तरी	1·50

इस्पात की गढ़ी वस्तुएं

668. IS : 1875-1970	गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम, सिल्ली और सरिया (दू पुन)	3·50
669. IS : 2004-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए कार्बन इस्पात की गढ़ी वस्तुएँ (पह पुन)	3·50

इस्पात उत्पाद

670. IS : 648-1970	चुम्बकीय परिपथों के लिए नान-ओरियंटेड इस्पात की चद्दरें (दू पुन)	4·00
671. IS : 1029-1970	इस्पात की गर्म वेल्लित पत्तियाँ (गाँठ बाँधने की) (पह पुन)	2·00
672. IS : 2073-1970	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मशीनकीय पुर्जे तैयार करने के लिए कार्बन इस्पात की काली छड़ें (पह पुन)	3·50
673. IS : 2100-1970	व्वायलरों के लिए इस्पात के बिलेट, छड़ें और सेक्शन (पह पुन)	3·50
674. IS : 5651-1970	वायु चालित औज़ारों के लिए इस्पात ...	2·50
675. IS : 5872-1970	ठंडी वेल्लित इस्पात की पत्तियाँ (बक्सों पर जड़ने की)	2·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
676. IS : 5986-1970	शीत गढ़ाई और फ्लैंज बनाने की क्रियाओं के लिए गर्म वेल्लित इस्पात की पट्टियाँ और फ्लैट ...	2·50
677. IS : 5993-1970	तार और टेलीफोन कार्यों के लिए एल्युमिनियम चढ़े इस्पात के तार	3·50
678. IS : 1978-1971	लाइन-पाइप (पह पुन)	9·50
679. IS : 5929-1970	वायुयान के कार्यों के लिए गोल इस्पात की नलियों के निरीक्षण और परीक्षण की क्रिया विधियाँ ...	8·00
680. IS : 6011-1970	दाब कार्यों के लिए जलयानों में काम आने वाली कार्बन इस्पात की नलियाँ	3·50
संरचना आयाम		
681. IS : 1731-1971	संरचना और इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात फ्लैटों के माप	2·00
682. IS : 1732-1971	संरचना और इंजीनियरी कार्यों के लिए गोल और वर्गाकार इस्पात की छड़ों की माप (पह पुन) ...	2·00
वेल्डिंग		
683. IS : 814-1970	संरचना इस्पात की मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए ढके इलेक्ट्रोड (ती पुन)	9·50
684. IS : 822-1970	वेल्डों के निरीक्षण की रीतिसंहिता	9·50
685. IS : 5687-1970	प्लास्टिकों की वेल्डिंग सम्बन्धी शब्दावली ...	2·50
686. IS : 5856-1970	संक्षारण और ऊष्मा प्रतिरोधी क्रोमियम निकेल इस्पात की ठोस वेल्डिंग छड़ें तथा खुले इलेक्ट्रोड ...	4·00
687. IS : 5857-1970	निकेल और मिश्रधातु की खुली ठोस वेल्डिंग छड़ें और इलेक्ट्रोड	5·50
688. IS : 5897-1970	एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु की वेल्डिंग छड़ें और तार	5·00
689. IS : 5898-1970	ताँबा और ताँबा मिश्रधातु की खुली ठोस वेल्ड करने की छड़ें तथा इलेक्ट्रोड	5·00
690. IS : 5922-1970	वायुयानों की वेल्डिंग में लगे वेल्डरों के अर्हता परीक्षण	7·00
691. IS : 6016-1970	वेल्ड करने और कटाई के उपकरणों के लिए होज़ जोड़	
अवर्गीकृत		
692. IS : 5619-1970	धातुओं की विश्रांति परीक्षण सम्बन्धी सिफारिशें ...	5·00
693. IS : 5652-1970	कठोर धातुओं की राकवेल कठोरता ('ए' पैमाना) परीक्षण पद्धति	2·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
694. IS : 6010-1971	वर्णक्रम रसायनिक विश्लेषण में फोटो ग्राफिक संसाधन सम्बन्धी सिफारिशें	4.00

संरचना इंजीनियरों की हैण्डबुक

*695. IS : एस पी-6 (6-1970)	इस्पात संरचना की डिज़ाइन के लिए प्लास्टिक सिद्धान्त	

वस्त्रादि (टेक्सटाइल)

वायुयान सम्बन्धी वस्त्रादि

696. IS : 5716-1970	कर्मचारियों के पैराशूटों के लिए सूती टेप (फीते) ...	3·00
697. IS : 5746-1970	वायुयान कार्यों के लिए नम्य परतदार बनावटों के लिए फिनिश दिए गए बुनी काँच रेशे वाले कपड़े (टाइप 1)	4·00

कालीनें और ड्रगेट

698. IS : 5641-1970	हाथ की बनी ऊनी कालीनें	4·00
699. IS : 5884-1970	टफ्टदार ऊनी कालीनें	4·00

रसायनिक परीक्षण पद्धति

700. IS : 3522 (भाग 2)-1970	वस्त्रादि उद्योग में प्रयुक्त सामान्य परिरक्षकों की मात्रा निकालने की पद्धति: भाग 2 ...	5·00

रंग का पक्कापन

701. IS : 5951-1970	खुले में रखकर धूप छाँव में वस्त्रादि सामग्रियों के रंग का पक्कापन निकालने की पद्धति	3·50

सूती कपड़े

702. IS : 177-1970	सूती जीन (दू पुन)	2·50
703. IS : 1422-1970	सूती डक (पह पुन)	2·00
704. IS : 1424-1970	सूती कैनवस (पह पुन)	2·00
705. IS : 5996-1970	पट्टे बनाने की सूती डक	3·00

रंजक पदार्थ

706. IS : 5970-1970	घुलनशीलकृत वाट रंजक पदार्थों की सामर्थ्य (वाट मात्रा) निकालने की पद्धति	2·00

*छप रहा है।

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
रेशों और धागों की ग्रेडिंग		
707. IS : 2900-1970	अंतःदेशीय बिक्री के लिए अपरिष्कृत ऊन की वर्गीकरण (पह पुन)	2·50
708. IS : 5874-1970	विस्कोस रेयन के कटे रेशों (सुलझाए हुए) का वर्गीकररण	2·00
709. IS : 5910-1970	ऊन की बारीकी के ग्रेड	2·00
710. IS : 5911-1970	ऊन की पूनियों की बारीकी के ग्रेड	2·50
होजरी		
711. IS : 834-1970	होजरी के लिए खुदरंग सूती धागा (पह पुन) ...	2·50
712. IS : 2360-1970	सादी बुनावट वाली वाई नुमा गले वाली जरसियाँ	4·00
पटसन मिल का सहायक सामान		
713. IS : 698-1970	ओवरपिक पटसन करघों के लिए पिकिंग स्टिक (पह पुन)	3·00
714. IS : 1186-1971	हेसियन और बोरों के कपड़े के करघों के तकुवे (पह पुन)	3·00
715. IS : 2784-1971	स्वतः मोड़िया परिवर्ती पटसन करघों के नाल (पह पुन)	3·00
716. IS : 2910-1971	पटसन के चौड़े करघों के नाल (पह पुन) ...	3·00
717. IS : 5944-1971	पटसन करघों के नालों में प्रयुक्त सहायक अंग ...	5·00
पट्टीनुमा कपड़े		
718. IS : 1718-1970	तकुओं के सूती फीते (पह पुन)	3·00
719. IS : 1895-1970	खुदरंग अथवा रंगीन पट्टी निवाड़ (पह पुन) ...	3·00
720. IS : 5656-1970	स्लीव देने का सूती बुना फीता (ब्रेड)	2·50
पैकेजबन्दी संहिताएं		
721. IS : 5756-1970	कालीनों की पैकेजबन्दी संहिता	2·50
भौतिक परीक्षण पद्धति		
722. IS : 1670-1970	धागे का टूटनभार टूटन बिन्दु पर प्रलम्बन और दृढ़ता निकालने की पद्धति	2·50
723. IS : 1964-1970	कपड़े की प्रति वर्ग मीटर तोल और प्रति लम्बाई मीटर तोल निकालने की पद्धति (पह पुन) ...	3·50
724. IS : 4910 (भाग 4)-1970	मनुष्य निर्मित रेशों से बने टायर धागों, डोरियों और टायर डोरियों की परीक्षण पद्धति: भाग 4 ताप पर सिकुड़न और ताप सिकुड़न बल ...	2·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
725. IS : 4910 (भाग 6)-1970	मनुष्य निर्मित रेशों से बने टायर धागों डोरियों और टायर डोरियों की परीक्षण पद्धति: भाग 6 शब्दों की परिभाषाएँ	2·50
726. IS : 4910 (भाग 8)-1970	मनुष्य निर्मित रेशों से बने टायर धागों डोरियों और टायर डोरियों की परीक्षण पद्धति: भाग 8 मोटाई मापक	1·50
727. IS : 4910 (भाग 10)-1970	मनुष्य निर्मित रेशों से बने टायर धागों, डोरियों और टायर डोरियों की परीक्षण पद्धति: भाग 10 बढ़ाव	2·00
728. IS : 1321-1970	सन के रस्से (पह पुन)	4·00

कताई मशीन आदि

729. IS : 2570-1970	सूती रिंग कताई और गतिफ्रेमों के निचले बेलन (दू पुन)	3·00
730. IS : 3078-1971	कताई फ्रेमों के रिंग (पह पुन)	5·00
731. IS : 3523-1970	रिंग कताई फ्रेमों के धातु के ट्रेवेलर (पह पुन) ...	3·00
732. IS : 5938-1970	सूती रिंग कताई और रिंग डबलिंग (मरोड़ देना) फ्रेमों के तकुओं की दूरी	3 00
733. IS : 6001-1971	फ्लायर तकुवे	3·00
734. IS : 6068-1970	कताई मशीन आदि (डबलिंग की तैयारी के लिए) सूती पद्धति के नामकरण	3·00

वस्त्रादि सामग्री

735. IS : 5815 (भाग 1)-1971	फिनिश देने वाले गियरों की सामग्रियों की परीक्षण पद्धति: भाग 1 मोटाई निकालना ...	1·50
736. IS : 5815 (भाग 2)-1970	फिनिश देने वाले गियरों की सामग्रियों की परीक्षण पद्धति: भाग 2 रेखीय घनत्व निकालना प्रति लम्बाई इकाई संहित	1·50
737. IS : 5815 (भाग 3)-1970	फिनिश देने वाले गियरों की सामग्रियों की परीक्षण पद्धति: भाग 3 मरोड़ निकालना ...	2·00

वस्त्रादि मिल का सहायक सामान

738. IS : 1896-1970	ओवरपिक सूती करघों के लिए पिकिंग स्टिक (पह पुन)	3·00
739. IS : 3022-1970	सूती और रेशमी करघों पर प्रयुक्त पूर्णत: धातु के बने रीड (पह पुन)	5·00

क्रम संख्या	शीर्षक	रु०
740. IS : 3368-1970	तार और चपटे इस्पात के हील्डों के लिए लकड़ी के हील्ड फ्रेम	5·00
741. IS : 4465-1970	चपटे इस्पात के हील्डों के लिए धातुओं के हील्ड फ्रेम (पह पुन)	5·00
ऊनी कपड़े		
742. IS : 6054-1970	क्लियरर कपड़ा	3·00
743. IS : 6055-1970	साइज़ देने का फलालैन	3·00
धागा		
744. IS: 1721-1970	पट्टे (बेल्ट) बनाने का बालों का धागा (पह पुन)	3·50
अवर्गीकृत		
745. IS : 5595-1970	डाक के थैले	1·50
कार्यकारी समिति		
746. IS : 18-1970	रोमन वर्णमाला वाली पत्रिकाओं के शीर्षक शब्दों की संक्षिप्त मार्गदर्शिका (पह पुन)	10·50

1970-71 में रद्द किए गए भारतीय मानक

1. IS : 45-1950 रंग-रोगन के लिए निर्मित लोहे के रेड ऑक्साइड की विशिष्टि
2. IS : 46-1950 रंग-रोगन के लिए लोहे का प्राकृतिक रेड ऑक्साइड
3. IS : 47-1950 रंग-रोगन के लिए गेरू
4. IS : 48-1950 रंग-रोगन के लिए प्राकृतिक सियन्ना (कच्चा और पक्का)
5. IS : 49-1950 रंग-रोगन के लिए प्राकृतिक अंबर
6. IS : 599-1960 ट्विस्टड्रिल की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
7. IS : 881-1956 बी एच सी, परिष्कृत, की विशिष्टि
8. IS : 1058-1961 खब्बे बल मनीला के रस्सों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
9. IS : 1086-1961 केबल बल मनीला रस्सों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)
10. IS : 1298-1958 पोर्टलैंड सीमेंण्ट में मुक्त चूने की मात्रा निकालने की परीक्षण पद्धतियाँ
11. IS : 1371-1958 खब्बे बल सन के रस्से की विशिष्टि
12. IS : 1372-1958 केबल बल सन के रस्से की विशिष्टि
13. IS : 1936-1961 सूती, रेशमी, ऊनी और वर्स्टेड बुनाई में उपयोग के लिए आँख (मेल) जोड़तार के हील्ड (जैकर्ड और फैंसी बुनाई के अतिरिक्त) की विशिष्टि
14. IS : 4369-1967 गढ़ी चीजों के लिए कार्बन इस्पात की छड़ों की विशिष्टि

परिशिष्ट ख

वर्ष 1970-71 में जारी किए गए लाइसेंस

कृषि और खाद्य उत्पाद

बी एच सी धूलन पाउडर — IS : 561-1962

असम केमिकल इन्डस्ट्रीज़, बोंगइगाँव (असम)
औदित्य मिनरल ट्रेडर्स, कुडप्पा जिला, आन्ध्रप्रदेश
भुवनेश्वरी पुल्वराजिग मिल्स, मद्रास 81
धारवाड़ ऐग्रो केमिकल्स प्रा० लि०, मैसूर राज्य
ई. आई. डी. पैरी लि०, टाडेपल्ली
हरियाणा केमिकल्स एन्ड पेस्टीसाइड्स, जिला रोहतक (हरियाणा)
जयलक्ष्मी ऐग्रो केमिकल्स गुंटूर (आन्ध्रप्रदेश)
कृषि केमिको, पटना
मल्टीप्लेक्स ऐग्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, अहमदाबाद
नेशनल ऐग्रो केमिकल्स, पटना
प्लांट प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज, गुंटूर 2
दि प्रीमियर फर्टिलाइजर्स लि०, कुड्डालोर
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०, जयपुर (राजस्थान)
रामकृष्ण प्रसाद पेस्टीसाइड्स, कोप्पुरावुरू, गुंटूर
दि साइंटिफिक इंसेक्टीसाइड्स कं० प्रा० लि०, गुंटूर
श्री लक्ष्मी मिनरल इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता
सनरे कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज, आगरा
टाटा केमिकल्स लि०, गुजरात राज्य
टुड़ियालूरू कोआपरेटिव ऐग्रीकल्चरल सर्विस लि०, कोयम्बटूर
वायज़ इन्डियन पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, हैदराबाद
बेंसन्स ऐग्रो केमिकल्स एन्ड एलाइड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कोयम्बटूर

बी एच सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण — IS : 562-1962

आरती मिनरल्स, फरीदाबाद (हरियाणा)
असम केमिकल इंडस्ट्रीज, बोंगरगाँव (असम)
भुवनेश्वरी पुल्वराइजिग मिल्स, मद्रास
जियो इंडस्ट्रीज एण्ड इंसेक्टीसाइड्स इण्डिया (प्रा०) लि०, मद्रास
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, धरनगाँव, प० रेलवे
कृषि केमिन प्रॉडक्ट्स, बम्बई

सिंघल पेस्टीसाइड्स, आगरा
सनरे केमिकल इंडस्ट्रीज, आगरा
यूनाइटेड पुल्वराइजर्स, आगरा

डी डी टी धूलन पाउडर — IS : 564-1961

असम केमिकल इंडस्ट्रीज, बोंगइगाँव (असम)
भुवनेश्वरी पुल्वराईजिंग मिल्स, मद्रास
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, धरनगाँव
नेशनल पेस्टीसाइड्स, विदिशा (म० प्र०)
प्रकाश इंसेक्टीसाइड्स प्रा० लि०, इलाहाबाद (उ० प्र०)
टुड़ियालूरु कोआपरेटिव ऐग्रीकल्चरल सर्विस लि०, कोयम्बटूर

डी डी टी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण — IS : 565-1961

असम केमिकल इंडस्ट्रीज, बोंगइगांव (असम)
भारत पुल्वराईजिंग मिल्स प्रा० लि०, बम्बई
भुवनेश्वरी पुल्वराईजिंग मिल्स, मद्रास
दीपक पुल्वराइजर्स, थाना
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, जिला जलगांव, प० रेलवे
यूनाइटेड पुल्वराइजर्स, आगरा

बी एच सी पायसनीय तेज द्रव — IS : 632-1966

आरती मिनरल्स, फरीदाबाद (हरियाणा)

डी डी टी पायसनीय तेज द्रव — IS : 633-1956

ई. आई. डी. पेरी लि०, टोडेपल्ली
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, धरनगाँव

बिस्कुट — IS : 1011-1968

डालमिया बिस्कुट (प्रा०) लि०, पटियाला (पंजाब)
काका बिस्कुट मैन्युफै० कं०, कानपुर

डाइएल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव — IS : 1054-1962

भारत पुल्वराईजिंग मिल्स प्राइवेट लि०, मद्रास
क्रापलाइफ केमिकल्स प्रा० लि०, हावड़ा

दूध का पाउडर (खालिस और सेपरेटा) — IS : 1165-1967

मिल्क प्रॉडक्टस फैक्टरी, विजयवाड़ा

एल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव — IS : 1307-1958

क्रॉप हेल्थ प्रॉडक्टस, गाजियाबाद
कृष्णा माइनर ट्रेडर्स, राजस्थान

ऐल्ड्रिन धूलन पाउडर — IS : 1308-1958

केमिकल्स एण्ड इंसेक्टीसाइड्स, गोरखपुर (उ० प्र०)
नेशनल ऐग्रो केमिकल्स, पटना (बिहार राज्य)
स्वरूप केमिकल्स, लखनऊ

एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव — IS : 1310-1958

ऐग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज, मद्रास
आरती मिनरल्स, फरीदाबाद
औदित्य मिनरल ट्रेडर्स, कुड्डप्पा जिला (आ० प्र०)
भुवनेश्वरी पुल्वराईजिंग मिल्स, मद्रास
ई. आई. डी. पैरी लि०, टोडेपल्ली
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, बम्बई
मल्टीप्लेक्स ऐग्रो इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, अहमदाबाद
नेशनल पेस्टीसाइड्स विदिशा (म० प्र०)
दि साइंटिफिक इंसेक्टीसाइड्स कं० प्राइवेट लि०, गुंटूर
स्टैण्डर्ड मिनरल प्रॉडक्टस प्रा० लि०, मद्रास
ट्रापिकल ऐग्रोसिस्टम्स (प्रा०) लि०, मद्रास
यूनाइटेड पुल्वराइजर्स, आगरा

नए चूजों, बढ़ने वाली तथा अन्डे देने वाली मुर्गियों का चुग्गा — IS : 1374-1968

ई. आई. डी. पैरी लि०, मद्रास

शिशुओं का डिब्बे का दूध — IS : 1547-1968

मेहसाना जिला कोआपरेटिव मिल्क प्रॉडक्ट्स यूनियन लि०, मेहसाना (उत्तरी गुजरात)

दूध के बोतलों के क्रेट — IS : 1613-1960

नाथ इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, उन्नाव

तरल एमाइन अम्ल, 2, 4-डी-IS : 1827-1961

इंडस्ट्रियल केमिकल्स एण्ड मिनरल्स, गाजियाबाद (उ० प्र०)

मालाथियोन तकनीकी — IS : 1832-1961

एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई

पशुओं के लिए मिश्रित आहार — IS : 2052-1968

ब्रह्मप्पा तवनप्पनवर प्रा० लि०, देवनगर (मैसूर राज्य)
ई. आई. डी. पैरी लि०, मद्रास

जड़े प्रकार के मिट्टी पलटने के हल की विशिष्टि — IS : 2226-1962

गर्वनमेंट ऐग्रीकलचरल वर्कशाप, जौनपुर (उ० प्र०)

मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव — IS : 2567-1963

ऑल इंडिया मेडिकल कारपोरेशन, बम्बई
आरती मिनरल्स, फरीदाबाद (हरियाणा)
ई. आई. डी. पैरी लि०, गुंटूर जिला, आन्ध्रप्रदेश
एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
जयलक्ष्मी फर्टिलाइजर्स, मद्रास
खानदेश पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, धरनगांव, बम्बई
एस. एच. शेलट एंड संस, मद्रास
वेंकटेश्वर ऐग्रो केमिकल्स एंड मिनरल्स, मद्रास
जमींदार केमिकल्स, राजपुरा (पटियाला)

मालाथियोन धूलन पाउडर — IS : 2568-1963

नेशनल पेस्टीसाइड्स, विदिशा (म. प्र.)

मालाथियोन जलविसर्जनीय तेज चूर्ण — IS : 2569-1963

पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयपुर

क्लोरडेन-पायसनीय तेज द्रव — IS : 2682-1966

स्टैंडर्ड मिनरल प्रॉडक्टस प्राइवेट लि०, बम्बई
भारत पुल्वराइजिंग मिल्स प्रा० लि०, मद्रास

आइस-क्रीम — IS : 2802-1964

ज्वाय आइस-क्रीम, बम्बई

घुलनशील काफी चिकोरी पाउडर — IS : 3309-1965

ब्रक बांड इंडिया लि०, घटकेसर (आ० प्र०)

आर्द्रनयोग्य गंधक चूर्ण — IS : 3383-1965

भारत पुल्वराइजिंग मिल्स प्रा० लि०, मद्रास

पाँव चालित स्प्रेयर — IS : 3652-1966

दि एलाइड इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स, लखनऊ

रम — IS : 3811- 1966

आनन्द डिस्टिलरी, गोवा
महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि०, श्रीरामपुर (अहमदनगर)
मैसूर शुगर कं० लि०, मैसूर राज्य
दि नारंग इंडस्ट्रीज लि०, गोंडा (उ० प्र०)

पम्पासर डिस्टिलरी, होजपेट, मैसूर राज्य
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)
दि उगर शुगर वर्क्स लि०. बेलगांव (मैसूर राज्य)

बियर — IS : 3865-1966

ऐसोसियेटेड ब्रुग्ररीज एंड डिस्टिलरीज, गोवा
बंगलोर ब्रूग्ररीज प्रा० लि०, बंगलौर
नारंग ब्रूग्ररीज, गोंडा (उ० प्र०)

जिन — IS : 4100-1967

ग्रानन्द डिस्टिलरी, गोवा
मैसूर शुगर कं० लि० मैसूर राज्य
दि नारंग इंडस्ट्रीज लि०, गोंडा
पम्पासर डिस्टलरी , मैसूर राज्य
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)

पशु-ग्राहार के रूप में ग्वार का ग्राटा — IS : 4193-1967

हिन्दुस्तान गम एंड केमिकल्स लि०, भिवानी (हरियाणा)

तिराम तकनीकी — IS : 4320-1967

दि ऐल्कली एंड केमिकल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि०, हुगली (प० बंगाल)

एमल्सन योग्य इण्डोसल्फेन का तेज चूर्ण — IS : 4323-1967

ई. ग्राई. डी. पैरी लि०, टूगूर जिला (ग्रां० प्र०)

ह्विस्की — IS : 4449-1967

ग्रानन्द डिस्टिलरी, गोवा
जगतजीत इंडस्ट्रीज लि०, कपूरथला
खोदाय डिस्टिलरीज प्रा० लि०, बंगलौर
महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि०, श्रीरामपुर (जिला ग्रहमदनगर)
दि मैसूर शुगर कं० लि०, मैसूर राज्य
दि नारंग इंडस्ट्रीज लि०, गोंडा (उ० प्र०)
पम्पासर डिस्टिलरी, मैसूर राज्य
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)
दि ट्रॉवनकोर शुगर एंड केमिकल्स लि०, त्रिवल्ल (केरल राज्य)
दि उगर शुगर वर्क्स लि०, बेलगाँव (मैसूर राज्य)

ब्रान्डियाँ — IS : 4450-1967

ग्रानन्द डिस्टिलरी, गोवा
खोदाय डिस्टिलरी प्रा० लि०, बंगलौर

महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि०, जिला अहमद नगर
दि मैसूर शुगर कं० लि०, मांड्या (मैसूर राज्य)
दि नारंग इंडस्ट्रीज लि०, गोंडा (उ० प्र०)
पम्पासर डिस्टिलरी, मैसूर राज्य
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल्स कं० लि०, रामपुर (उ०प्र०)
दि उगर शुगर वर्क्स लि०, बेलगांव

फेनीट्राथियोन पायसनीय तेज द्रव — IS : 5281-1969

भारत पुल्वराइजिंग मिल्स, मद्रास

रसायन

1) भारतीय मानक रंगों के अनुसार रंग-रोगन के लिए तैल पेस्ट — IS : 86-1950
2) भारतीय मानक रंगों के अनुसार रंग-रोगन के लिए तैल पेस्ट — IS : 94-1950
3) भीतरी सफेदी के लिए रंग-रोगन तैल पेस्ट — IS : 96-1950

कोहनूर पेंट कलर एंड वार्निश वर्क्स, अमृतसर

बाहर फिनिश देने का बुरुश से लगाने वाला सामान्य कार्यों के लिए अर्ध-चमकीला तैयार मिश्रित रंग रोगन टाइप 1 श्रेणी ए — IS : 117-1964

दि नेशनल टाइल वर्क्स, नई दिल्ली

भीतरी इनैमल

(क) नीचे परत देने का, और (ख) वांछित रंग की फिनिश देने का — IS : 133-1965

दि नेशनल टाइल वर्क्स, नई दिल्ली

फेरोगैलोटैनेट फाउंटेनपेन की स्याहियाँ (0·1 प्रतिशत लोह युक्त) — IS : 220-1959

एम. जी. शाहनी एण्ड कं० (दिल्ली) प्रा० लि०, हैदराबाद

परिशोधित स्पिरिट ग्रेड 1 — IS : 323-1959

पम्पासर डिस्टिलरी, इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरीज लि०, मैसूर राज्य

1) भीतर फिनिश देने की वार्निश — IS : 337-1952
2) बाहर निचला कोट देने की प्राकृतिक बरोजे वाली वार्निश — IS : 338-1952

3) बाहर निचला कोट देने की संश्लिष्ट बरोजे वाली वार्निश — IS : 339-1952
4) मिलाने की वार्निश—IS : 340-1952
5) अम्ल प्रतिरोधी वार्निश (क) साफ (ख) रंगदार — IS : 342-1952
6) कागज की वार्निश — 343-1952
7) स्टोविंग वार्निश (क) साफ (ख) रंगदार — IS : 344-1952
8) स्पिरिट वाली साफ सख्त वार्निश — IS : 346-1952
9) सामान्य कार्यों के लिए चपड़े की वार्निश — IS : 347:1952
10) फ्रेंच पालिश — IS : 348-1952

वैशाली पेंट, मुजफ्फरपुर (बिहार)

रंग-रोगन और वार्निश के चपटे 12 मिमी, 25 मिमी, 38 मिमी, 50 मिमी, 63 मिमी, 74 मिमी और 100 मिमी साइज — IS : 384-1964

दिल्ली बुरुशवेयर, नई दिल्ली

मुहर लगाने की पैड की स्याही — IS : 393-1968

योगीराज केमिकल लैबोरेटरीज़, लुधियाना

खिड़कियों के चौखटों के लिए पट्टी — IS : 419-1967

यू० के० पेंट इंडस्ट्रीज, अमृतसर (पंजाब)

वांछित रंगों वाले सूखे डिस्टेम्पर — IS : 427-1965

दि नेशनल टाइल वर्क्स, नई दिल्ली

रंग-रोगन अपसारक, घोलकों वाला, अज्वलनशील — IS : 430-1964

प्लास्टीपील केमिकल कारपोरेशन (महाराष्ट्र)

जूतों के उपल्ले का फुल क्रोम चमड़ा — IS : 578-1964

दि सुपर टैनरी, कानपुर

तल्ले का चमड़ा — IS : 579-1962

दि कोहनूर टैनरी, कानपुर

सामान्य कार्यों के लिए टखने तक के बूट — IS : 583-1969

राजरमन इंडस्ट्रीज, कानपुर

कार्बन टेट्राक्लोराइड तकनीकी — IS : 718-1970

दि मेट्टूर केमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि० (तमिलनाडु)

सील करने की मोम — IS : 868-1958

रोमर एण्ड कं० (इंडिया), लखनऊ (उ० प्र०)

18-लीटर वाले वर्गाकार टिन — IS : 916-1968

धुर टिन फैक्टरी, कलकत्ता
कुसुम प्रॉडक्टस लि०, हुगली (प० बंगाल)
सौराष्ट्र आयरन फैक्टरी एण्ड स्टील वर्क्स प्रा० लि०, भावनगर
वेस्टर्न इंडिया वेजीटेबल प्राडक्टस लि० (जिला जलगांव)

रंजकों में बनी फाउंटेनपेन की स्याहियाँ, नीली — IS : 1221-1957

रीगल प्रॉडक्टस प्रा० लि०, मद्रास

दोहरे सिलिंडर वाली रोटरी मशीनों की डुप्लीकेटिंग स्याही — IS : 1222-1969

दि भारत कार्बन रिबन मैन्यू० कं० लि०, फरीदाबाद

रबड़ उद्योग के लिए हल्के मैंगनीशियम कार्बोनेट — IS : 1420-1959

तूतीकोरन साल्ट रिफाइनरीज लि०, तूतीकोरन

1) खनिकों के चमड़े के सुरक्षा बूटों और जूतों के लिए इस्पात की टोपियाँ — IS : 1989-1967

2) खनिकों के लिए रबड़-कैनवस के सुरक्षा बूटों के लिए इस्पात की टोपियाँ — IS : 3976-1967

सेफटी प्रॉडक्टस, कलकत्ता

रेड ऑक्साइड जस्ता-क्रोम रंग-रोगन — IS : 2074-1962

कपाड़िया पेंट एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, मद्रास

साइकिल के टायर (हल्की ड्यूटी और भारी ड्यूटी) — IS : 2414-1969

फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि० हावड़ा (प० बंगाल)

श्रृंगार प्रसाधन उद्योग के लिए मैंगनीशियम कार्बोनेट — IS : 2528-1965

तूतीकोरन साल्ट रिफाइनरीज लि०, तूतीकोरन

इस्पात के ड्रम
ग्रेड BI_2 (जस्ता चढ़ें) — IS : 2552-1963

भोरुका उद्योग 24-परगना.
विजय इंडस्ट्रीज, कलकत्ता

बिजली के कार्यों के लिए वार्निश किया सूती कपड़ा और टेप (टाइप 1 और 2 सभी नापों के) — IS : 3352-1965

बसन्त प्राण इलेक्ट्रिक कं० प्रा० लि०, हावड़ा

हाथ से लिखने के लिए कार्बन पेपर, टाइप ए, बी और सी — IS : 3450-1968

दि भारत कार्बन एण्ड रिबन मैन्यू० कं० लि० फरीदाबाद (हरियाणा)

गलतियां सुधारने के द्रव — IS : 4175-1967

योगीराज केमिकल लेबोरेटरीज, लुधियाना

चीड़ का तेल — IS: 5757-1970

दुजोड़वाल इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद (हरियाणा)

सिविल इञ्जीनियरी

चाय की पेटियों की प्लाईवुड के तख्ते — IS : 10-1964

अवध प्लाइवुड इंडस्ट्रीज, गोंडा (उ०प्र०)
शिवसागर फोरेस्ट प्रॉडक्टस, शिवसागर (असम)
दि स्टैण्डर्ड फर्नीचर कं०, कलकत्ता
दि स्टैण्डर्ड फर्नीचर कं०, चलाकुडी (केरल राज्य)

चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड — IS : 10-1964

धातु के फिटिंग

एसोसियेटेड इंडस्ट्रीज, कलकत्ता 27
कोस्टल इंजीनियरिंग कं०, कोचीन 5
कोचीन टिन फैक्टरी, कोचीन 5
दाउद इंडस्ट्रीज, कोचीन 2 (केरल)
मेटल वेयर्स एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, 24 परगना
एन. प्रसाद एण्ड कं०, कलकत्ता 7
निर्मल ट्रेडिंग कम्पनी, हावड़ा
शेख आबेदअली, कलकत्ता 17
सुदर्शन इंडस्ट्रीज, तिनसुखिया (असम)
सुरत मेटल सेल्स एजेन्सी, हावड़ा (पं० बंगाल)

चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड — IS : 10-1964

पट्टियाँ

असम फारेस्ट प्रॉडक्टस प्रा० लि०, मकुम (असम)
असम टिम्बर ट्रीटिंगस वर्क्स, मारघेरिटा (असम)
कमर्शल टिम्बर इंडस्ट्रीज, जिला अम्बाला (हरियाणा)
जे. एण्ड बी. सॉ मिल्स, कोटाय्यम 6 (केरल)
जतीन्द्र टिम्बर इंडस्ट्रीज, जिला अम्बाला
कैलाश सॉ मिल्स, पठानकोट (पंजाब)
काननडेवन हिल्स प्रोड्यूस कं० लि०, केरल राज्य
मृत्युंजय पार्क लैण्ड्स इंडस्ट्रीज, कोटाय्यम् (केरल)
शारदा प्लाइवुड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, जेपुर (असम)

स्टैण्डर्ड फर्नीचर कं०, कालीकट 3 (केरल)
सुरमा वैली सॉ मिल्स प्रा० लि०, कछार (असम)
टिम्बर ट्रेडर्स, जिला अम्बाला (हरयाणा)
ट्रांवनकोर टिम्बर एण्ड प्रॉडक्ट्स, कोटायम 1 (केरल)
वेनियर मिल्स प्रा० लि०, तिनसुखिया (असम)

नलीदार चटखनियाँ (एनोडीकृत), टाइप 5 — IS : 204-1966

एल्युमिनियम उद्योग, कलकत्ता 7

कढवाँ पद्धति वाले एल्युमिनियम कब्जे — IS : 205-1966

एल्युमिनियम उद्योग, कलकत्ता 7

साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट — IS : 269-1967

मैसूर सीमेंट लि०, टुम्कुर जिला (मैसूर राज्य)

साधारण कार्यों के लिए प्लाइवुड — IS : 303-1960

दि भारत प्लाइवुड टिम्बर प्रॉडक्टस प्रा० लि०, बालियापाट्म (केरल)

सीमेंट कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित व रहित) 100 मिमी और 150 मिमी साइज, श्रेणी NP_2 — IS : 458-1961

भिलाई सीमेंट पाइप मैन्यु० कं०, भिलाई 1 (म० प्र०)

सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार साँचे — IS : 516-1959

एसोसियेटेड इंस्ट्रूमेण्टस मैन्यु० (भारत) प्रा० लि०, नई दिल्ली 1

लवण कांचाभ स्टोनवेयर पाइप, ग्रेड 'ए' और 'एस' 100 मिमी, 200 मिमी 230 मिमी, 250 मिमी और 300 मिमी व्यास वाले — IS : 651-1965

परफेक्ट पॉटरी कम्पनी (मध्य भारत) लि०, रतलाम (म०प्र०)

लवण कांचाभ स्टोनवेयर पाइप, केवल 100 मिमी व्यास वाले — IS : 651-1965

दि कोस्टल सिरैमिक एण्ड क्ले वर्क्स (प्रा०) लि०, फेरोक (केरल)

मूत्रालयों और डब्ल्यू सी के लिए ढलवां लोहे की ऊंचाई पर लगने वाली नीचे की चौड़ी प्लश की टंकियाँ, केवल 10 लीटर समाई वाली — IS : 774-1964

एलाइट कास्टिंग कं०, आगरा

मूत्रालयों और डब्ल्यू सी के लिए ऊंचाई पर लगने वाली ढलवां लोहे की, नीचे की चौड़ी प्लश की टंकियाँ, केवल 12·5 लीटर समाई वाली — IS : 774-1964

दि हिन्द आयरन फाउंडरी, बटाला (पंजाब)
कालानी आयरन मेटल वर्क्स, गाजियाबाद

लखनऊ फाउंडरी कारपोरेशन, लखनऊ (उ०प्र०)
प्रभात आयरन फाउंडरी मेटल इंडस्ट्रीज, रूरकेला 4
सिघंल आयरन फाउंडरी, जिला मथुरा (उ०प्र०)

कांचाभ अर्दनवेयर टाइल — IS : 777-1961

दि परशुराम पॉटरी वर्क्स कं० लि०, अमरपाड़ा (गुजरात राज्य)

शुष्क डायल अनुमानित टाइप 'ए' 15 मिमी साइज के घरेलू पानी के मीटर — IS : 779-1968

एन. बी. इंडस्ट्रीज, इन्दौर

जलकल विभाग में उपयोग के लिए स्लूस वाल्व क्षेणी 1, 150 मिमी साइज तक के — IS : 780-1967

अन्नपूर्णा मेटल वर्क्स, कलकत्ता 39
केजरीवाल आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, हावड़ा (प० बंगाल)

आग बुझाने वाले हाइड्रैन्ट — IS : 908-1965

दि बंगाल यूनाइटेड कं० प्रा० लि०, हावड़ा

लकड़ी के पैनल लगे और काँच लगे किवाड़ — IS : 1003 (भाग 1)-1966

कुट्टी फ्लश डोर एण्ड फर्नीचर कं० प्रा० लि०, मद्रास 49

इस्पात की खिड़कियां और रोशनदान — IS : 1038-1968

ए जी इ डब्ल्यू स्टील मैन्यूफैक्चरर्स प्रा० लि०, अहमदाबाद 2 (गुजरात राज्य)

इस्पात की खिड़कियाँ केवल 10 एच एस 12 साइज — IS : 1038-1968

ढांडा मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, हैदराबाद 3 (आ०प्र०)

वेल्डित इस्पात सेक्शन : रोशनदानों के फ्रेमों की छड़ें एफ 7बी

चालिहा रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, कलकत्ता 40

पोर्टलैण्ड पोत्सोलाना सीमेंट — IS : 1489-1962

श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०, सिक्का (गुजरात)

लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस मध्य भाग वाले) ऊपर प्लाइवुड के पैनेल लगे — IS : 2202 (भाग 1)-1966

भारत प्लाइवुड एण्ड टिम्बर प्रॉडक्टस प्रा० लि०, बलियापाटम् (केरल)
गोयल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, फरीदाबाद (हरियाणा)
नार्दर्न इंडिया प्लाइवुड, फरीदाबाद

ऊपर लकड़ी के पैनेल लगे लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस मध्य भाग वाले) ग्रेड बी एन — IS : 2202 (भाग 1)-1966

पुरुषोत्तम गोकुलदास प्लाइवुड कं०, पी० ओ० पप्पीनिसेरी (केरल)

लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस, छेददार, खोखले प्रकार के) भाग 1 ऊपर प्लाइवुड के तख्ते लगे — IS : 2191 (भाग 1)-1966 और IS : 2202 (भाग 1)-1966

असम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०, पी० ओ० मार्घेरिटा (असम)
नेशनल सॉ एण्ड प्लाइवुड वर्क्स, तिनसुकिया (असम)

जलरोक बनाने वाले सीमेंट का समेकित मसाला — IS : 2645-1964

केमिको सीमेंट वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कलकत्ता 41
दि नेशनल टाइल वर्क्स, नई दिल्ली

नल से ठंडा पानी भरने के लिए अल्प घनत्व वाले पॉलीथीन पाइप, — IS : 3076-1968

उड़ीसा प्लास्टिक, बालासोर (उड़ीसा)

नल से बर्तनों में पानी भरने के अल्प घनत्व वाले पोलीइथाईलीन पाइप, केवल 6·0 किग्रा ब/सेमी² तक के — IS : 3076-1968

चण्डीगढ़ स्पन पाइप कं०, चण्डीगढ़

सिलेट की पेंसिल (बत्तियां) — IS : 3084-1965

लॉयन पेन्सिल प्रा० लि०, बम्बई 68 एन बी

डोरक्लोज़र (द्रव नियंत्रित) — IS : 3564-1966

ए. आर. नाग चौधरी एण्ड कं०, बरूईपुर
बी. ए. एस. मेटल वर्क्स, नई दिल्ली
दीवान इंडस्ट्रीज (पंजीकृत), दिल्ली
मरीमह इंडस्ट्रीज, दिल्ली 6
सिग्मा इंजी० वर्क्स, दिल्ली 35

दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों के लकड़ी के चौखट — IS : 4021-1967

कुट्टी फ्लश डोर एण्ड फर्नीचर कं० प्रा० लि०, मद्रास 49

खण्ड 8.4.2 के अनुसार सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार सांचे — IS : 4031-1968

एसोसियेटेड इस्ट्रुमेन्टस मैन्युफैक्चरर्स (भारत) प्रा० लि०, नई दिल्ली

सामान्य कार्यों के लिए वेल्डकृत इस्पात के तार की महीन जाली — IS : 4948-1968

मल्टीवेल्ड वायर कं० प्रा० लि०, बम्बई 59

टोंटी से बर्तनों में पानी भरने के लिए अनम्यकृत पी वी सी के पाइप, 160 मिमी तक साइज़ों के — IS : 4985-1968

वेविन इंडिया लि०, मद्रास 58

उपभोक्ता उत्पाद

क्रिकेट और हॉकी के गेंद — IS : 416-1963

मेसर्स कुमार बॉल्स मैन्यु० कं०, जलन्धर

घरेलू प्रेशर कुकर (दबाकर बनाए गए) — IS : 2347-1966

टी. टी. (प्रा०) लि०, बंगलौर 6

अधोत्वच् सुइयाँ — IS : 3317-1965

शाह मेडिकल एण्ड सर्जिकल कं० लि०, बड़ौदा

रक्तचापमापी, पारेवाले — IS : 3390-1965

शाह मेडिकल एण्ड सर्जिकल कं० लि०, बड़ौदा

पायरोजन रहित आसुत पानी के लिए भभके — IS : 3830-1966

आई. बी. आई. प्रा० लि०, बम्बई 59

द्रवित पेट्रोलियम गैस से चलने वाले घरेलू गैस स्टोव — IS : 4246-1967

हैदराबाद ऐल्विन मेटल वर्क्स लि०, हैदराबाद 18
श्री राम इंजी० एण्ड मैन्यु० इंडस्ट्रीज, बड़ौदा

विद्युत तकनीकी

तीन फेज़ी प्रेरण मोटर — IS : 325-1961

एच. यू. एफ. लालजीभाई जीवराम गज्जर, फोर्ज़ एण्ड ब्लोअर कं०, परिसर, अहमदाबाद 2
मंजु इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, मालूमीचमपट्टी, कोयम्बटूर
गेडसे स्टाल प्राइवेट लि०, कोयम्बटूर
रश्मि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कोयम्बटूर

1) **तीन फेज़ी प्रेरण मोटर — IS : 325-1961**

2) **एक फेज़ी छोटे ए सी और युनिवर्सल बिजली के मोटर — IS : 996-1964**

ऐल्फा डाइनिमिक प्रॉडक्टस प्रा० लि०, ऊधना, जिला सूरत (गुजरात)

ट्रांसफार्मरों और स्विचगियरों के लिए रोधन तेल — IS : 335-1963

युनिवर्सल पेट्रोलियम कम्पनी, हावड़ा (प० बंगाल)

शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिंचे लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक — IS : 398-1961

प्रेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मद्रास प्रा० लि०, मद्रास 26
डिको केबल ऑफ सनतनगर, श्रीनगर 5

इलेक्ट्रिकल केबल एण्ड कंडक्टर्स प्रा० लि०, कलकत्ता 8
ज्योति वायर इंडस्ट्रीज, बम्बई 79
मेट-कैब इंडस्ट्रीज, बम्बई 70
वेस्टर्न इंसुलेटेड केबल लि०, पूना 13
आर्यन इंजीनियरिंग एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, पटना 13

रबड़ रोधित केबल — IS : 434 (भाग 1 और 2) 1964

वेस्टर्न इंसुलेटेड केबल लिमिटेड, पूना 13

IS : 434 (भाग 1)-1964

एशियन केबल कारपोरेशन लिमिटेड, थाना (महाराष्ट्र)

कोयले की खानों में उपयोग के लिए रबड़ रोधित लचकीले ट्रेलिंग केबल — IS : 691-1966

फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि०, हुगली

बिना पी वी सी खोल वाले सादे तांबे के चालकों वाले केबल इकहरे कोर, 250/440 वोल्ट — IS : 694 (भाग 2)-1964

डेल्टन केबल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, फरीदाबाद

पी वी सी रोधित खोल वाले और बिना खोल वाले एल्युमिनियम चालकों वाले केबल इकहरे कोर, 250/440 वोल्ट — IS : 694 (भाग 2)-1964

मेन्टर केबल कारपोरेशन, नई दिल्ली 5

1) पी वी सी रोधित, पी वी सी खोल वाले, एल्युमिनियम चालक चपटे दुहरे, 250/440 वोल्ट;
2) पी वी सी एल्युमिनियम चालकों वाले केबल, इकहरे कोर (बिना खोल वाले) 250/440 वोल्ट; और
3) पी वी सी एल्युमिनियम चालकों वाले केबल, इकहरे कोर (पी वी सी खोल वाले) 650/1100 वोल्ट — IS : 694 (भाग 2)-1964

इंडियन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

पी वी सी रोधित एल्युमिनियम चालकों वाले केबल (बिना खोल वाले) इकहरे कोर, 250/440 और 650/1100 वोल्ट — IS : 694 (भाग 2)-1964

एवरशाइन इलेक्ट्रिकल वर्क्स (इं.) नई दिल्ली 15

पी वी सी रोधित लचकीली डोरियाँ :

क) गोलाकार दुहरी, तीन और चार कोर (पी वी सी खोल वाली); और
ख) दुहरी मरोड़ी (बिना खोल वाली) — IS : 694 (भाग 1 और 2)-1964

वेस्टर्न इंसुलेटेड केबल लिमिटेड, पूना 13

एल्युमिनियम चालकों वाले पी वी सी रोधित बिना खोल वाले केबल, इकहरी कोर 250/440 और 650/1 100 वोल्ट — IS : 694(भाग 2)-1964

पी. राकेश इलेक्ट्रिकल वर्क्स, नई दिल्ली

ताँबा के चालकों वाले पी वी सी रोधित केबल, इकहरी कोर बिना खोल वाले, 650/1100 वोल्टता वाले — IS : 694 (भाग 1)-1964

मोदी केबल इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद (गुजरात)

एल्युमिनियम चालकों वाले पी वी सी रोधित केबल इकहरी कोर वाले, बिना खोल वाले — 650/1100 वोल्ट — IS : 694 (भाग 2)-1964

युनिवर्सल केबल लि०, सतना (म० प्र०)

पी वी सी रोधित (भारी ड्यूटी) बिजली के केबल 1100 तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए — IS : 1554 (भाग 1)-1964

यूनीक इण्डस्ट्रीज, जिला कैरा (गुजरात)
वेस्टर्न इंसुलेटेड केबल लिमिटेड, पूना 13

पोलीथीन रोधित और पी वी सी खोल वाले केबल इकहरे कोर और केवल चपटे दुहरे — IS : 1596-1962

वेस्टर्न इंसुलेटेड केबल लिमिटेड, पूना 13

पोलीथीन रोधित और पी वी सी खोल वाले केबल — IS : 1596-1962

यूनीक इंडस्ट्रीज, जिला कैरा (गुजरात)

एक आपरेटर वाले आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर — IS : 1851-1966

धारवाड़ इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लि०, पोस्ट बाक्स सं० 5, धारवाड़ (मैसूर राज्य)

एक आपरेटर वाले हाथ से वेल्डिंग के लिए अधिकतम सततधारा 200 अम्पीयर 'ए' श्रेणी के इन्सुलेशन लगे आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर — IS : 1851-1966

ओस्को इन्जीनियरिंग सर्विस 24 परगना (पं० बंगाल)

प्रोपेलर वाले ए सी के वायु निष्कासन पंखे — IS : 2312-1967

सोम इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, कानपुर

मोटर गाड़ियों के लिए पी वी सी रोधित, इकहरी कोर हल्की ड्यूटी वाले केबल — IS : 2465-1963

इण्डियन केबल इण्डस्ट्रीज, पूना 18

खनिकों के कैप लैम्पों के लिए लचकीले केबल — IS : 2593-1964

नेशनल इन्सुलेटेड केबल कं० ऑफ इण्डिया लि०, 24 परगना

एल्युमिनियम चालकों वाले पोलीइथाइलीन रोधित, टेप लगे/टेपरहित ब्रेडेड और सहमिलित ऋतुसह केबल चपटे दुहरी कोर वाले, 650/1 100 वोल्ट ग्रेड — IS : 3035 (भाग 2)-1965

यूनिवर्सल केबल मैन्यू कं०, फरीदाबाद

तापनम्य ऋतुसह रोधित केबल, पी वी सी रोधित और पी वी सी खोल वाले, इकहरी कोर, 250/440 वोल्ट — IS : 3035 (भाग 1)-1965

यूनीक इण्डस्ट्रीज, कैरा (गुजरात)

केवल एल्युमिनियम के चालकों वाले पोलीइथाइलीन रोधित और पोलीइथाइन खोल वाले इकहरी कोर, 250/440 वोल्ट ग्रेड — IS : 3035 (भाग 3)-1967

वेस्टर्न इन्सुलेटेड केबल लि०, पूना 13

बिजली के बहुधर्मी सुवाह्य द्योतक यन्त्र — IS : 3107-1965

मोटवानी मैन्युफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, ज्ञान बाग (महाराष्ट्र)

गैस चालित रिले — IS : 5637-1966

इण्डियन ऑयल फिल्टरेशन कम्पनी, कलकत्ता 57

घरेलू और अन्य कार्यों के लिए स्विच — IS : 3854-1966

बेकलाइट प्रोडक्ट्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, कलेत्तुमकर (केरल राज्य)

मशीनी इंजीनियरी

चूड़ियाँ काटने के निम्नलिखित प्रकार के टैप:

क) मोटी चूड़ी काटने के घिस कर बनाए हाथ वाले टैप

ख) मोटी चूड़ी काटने के घिस कर बनाए मशीनी टैप, टाइप 'ए' और 'सी', और

ग) महीन चूड़ी काटने के घिस कर बनाए मशीनी टैप — IS : 1988-1962

एडिसन एंड कं० लि० मद्रास 2

समानान्तर चाभियाँ (की) — IS : 2048-1962

इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स, बम्बई 25

गाल्वनीकृत रोक तार की लड़ें — IS : 2141-1968

चालिहा रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, कलकत्ता 40

सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात के तार के रस्से — IS : 2266-1963

युनाइटेड वायर रोप्स लि०, थाना

3-जॉ वाले स्वकेन्द्रीकारी खरादों के चक टाइप 'ए' केवल 200 मिमी सा इज़ तक — IS : 2876-1964

जैनसन मैकेनिकल वर्क्स, लुधियाना

अल्पदाब द्रवणीय पेट्रोलियम गैसों के भंडारण और परिवहन के लिए वेल्डकृत कार्बन इस्पात के गैस सिलेण्डर 26·9 लीटर और 33·3 लीटर समाई वाले — IS : 3196-1968

मार्टिन बर्न इंडस्ट्रियल यूनिट सं० 2, कलकत्ता 23
गैनन डंकरले एंड कं० लि०, बम्बई 74
हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लि०, दिल्ली

1) एल पी जी सिलेण्डर — IS : 3196-1968
2) घरेलू गैस सिलेण्डरों के वाल्व — IS : 3224-1966

वनाज इंजीनियर्स प्रा० लि०, बम्बई 25 डी डी
वनाज इंजीनियर्स प्रा० लि०, पूना 4

संपीड़ित गैस सिलिण्डरों (एलपी जी) के लिए वाल्व फिटिंग — IS : 3224-1966

इंडियन ऑक्सीजन लि०, कलकत्ता 53
मार्टिन बर्न इंडस्ट्रियल यूनिट सं० 2, कलकत्ता 23

नियंत्रण और रबिंग रस्से — IS : 3623-1966

फोर्ट विलियम कं० लि०, कोन नगर (पं० बंगाल)

विद्यार्थियों वाले सूक्ष्मदर्शी — IS : 3686-1966

लेबोरेटरी इक्विपमेन्ट ट्रेडर्स, अम्बाला छावनी (हरियाणा)

बहाव कप, केवल 2 और 6 नापवाले — IS : 3944-1966

एसोसियेटेड इंस्ट्रूमेन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स (भारत) प्रा० लि०, नई दिल्ली

4 000 किलोग्राम सामर्थ्य वाले स्वचल गाड़ियों के लिए सुवाह्य द्रवचालित जैक, तली उठाने वाले — IS : 4552-1968

वानकोस एंड कं०, पटना 13

घूमने वाले शैफ्टों के तेल सील यूनिट 59×125×12 मिमी 'बी' टाइप — IS : 5129-1969

रावल इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़ (हरयाणा)

संरचना और धातु

बर्तनों के लिए पिटवाँ एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु — IS : 21-1969

हाइलैंड मेटल इंडस्ट्रीज, थाना (महाराष्ट्र)
जे. जे. लुकमानजी कापरवेयर फैक्टरी, बम्बई 58
एल्युमिनियम एंड एलाय इंडस्ट्रीज, कलकत्ता 55
किंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स बम्बई 8

क) पिटवाँ एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु के बर्तन IS : 21-1959

ख) पिटवाँ एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु के बर्तन, ग्रेड एस आई सी, एनोडीकृत — IS : 1868-1961

महावीर मेटल वर्क्स प्रा० लि०, फरीदाबाद (हरयाणा)

संरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS : 226-1969

सेन्ट्रल इंडिया आयरन एण्ड स्टील कं०, इन्दौर

क) संरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS : 226-1969

ख) संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS : 1977-1969

बृज इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, कटक (उड़ीसा)
इंडियन रोलिंग मिल्स, कानपुर
रामकृष्ण कुलवन्तराय स्टील प्रा० लि०, मद्रास 19
रतन रि-रोलिंग प्रा० लि०, हावड़ा
श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता 30
सतना स्टील रि-रोलिंग एण्ड फाउंडरी मिल, सतना
वेस्टर्न रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, बम्बई 78

वेल्लित पीतल की पट्टी, चद्दर, पत्ती और पन्नी — IS : 410-1967

कृष्णा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जगाधरी (हरयाणा)

चुम्बकीय परिपथों के लिए अन-ओरियंटेड विद्युत इस्पात की चद्दरें — IS : 648-1970

टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, जमशेदपुर

सामान्य प्रवेश वाले मृदु इस्पात की मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए ढके इलेक्ट्रोड — IS : 814-1967

रॉक वेल्ड इलेक्ट्रोड इंडिया लि०, मद्रास 58

ढलवाँ लोहे के बरसाती पानी के पाइप : केवल 100 मिमी साइज के — IS : 1230-1968

राष्ट्रीय इंजीनियरिंग वर्क्स (रजि०), बटाला

मृदु इस्पात के मोड़ (काले) — IS : 1239 (भाग 2)-1969

इन्टरनेशनल पाइप वर्क्स, हावड़ा

जल, गैस और गंदे पानी के लिए अपकेन्द्रीय ढलवाँ (स्पन) लोहे के दाब पाइप — IS : 1536-1967

गेडे आयरन एण्ड स्टील कं लि०, जिला हजारीबाग (बिहार)

बालू ढले लोहे के मल पाइप (100 मिमी सभी साइज़) — IS : 1729-1964

अमीचंद प्यारेलाल, जलंधर

बालू ढले लोहे के मल पाइप (150 मिमी सभी साइज़) — IS : 1729-1964

प्रभात आयरन फाउंड्री एण्ड मेटल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० रूरकेला (उड़ीसा)।

कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की विकृत छड़ें — IS : 1786-1966

आंध्र स्टील कारपोरेशन लि०, विशाखापतनम् (आंध्र प्रदेश)
बीको इन्जीनियरिंग कं० लि०, बटाला (पंजाब)
हिन्दुस्तान स्टील लि०, बंगलौर 1
हिन्दुस्तान स्टील लि०, नई दिल्ली
हिन्दुस्तान स्टील लि०, बम्बई 77
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, जमशेदपुर

कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की सादी छड़ें — IS : 1786-1966

के. आर. स्टील यूनियन प्रा० लि०, जिला नादिया, (प० बंगाल)

संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS : 1977-1969

के. टी. रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, अम्बरनाथ

वस्त्रादि

मनीला के रस्से — IS : 1084-1969

डेल्टा रोप्स वर्क्स प्रा० लि०, हावड़ा

सूती करघों के लिए सूती हील्ड — IS : 1739-1968

न्यू इण्डिया इंडस्ट्रीज लि०, बड़ौदा 5

1) भारतीय हेसियन — IS : 2818-1964
2) हेसियन बोरे — IS : 3790-1966

श्री अम्बिका जूट मिल्स लि०, हावड़ा

क) 1) भारतीय हेसियन — IS : 2818-1964
2) हेसियन बोरे — IS : 3790-1966

ख) पटसन के सैकिंग और सैकिंग कपड़े

1) ए-ट्विल पटसन बोरे — IS : 1943-1964
2) बी-ट्विल पटसन बोरे — IS : 2566-1965
3) भारी सी पटसन बोरे — IS : 2874-1964
4) मक्का भरने के पटसन बोरे — IS : 2875-1964

5) बी-ट्विल कपड़ा — IS : 3667-1966
6) लिवरपूल ट्विल (एल-ट्विल) — IS : 3668-1966
7) मक्का के पटसन बोरे का कपड़ा — IS : 3750-1968
8) भारी सी कपड़ा — IS : 3751-1966
9) लिवरपूल ट्विल (एल ट्विल) बोरे — IS : 3794-1967

बाली जूट कं० लि०, (मिल संख्या 2) कलकत्ता 1

बी-ट्विल पटसन बोरे — IS : 2566-1965

बिरला जूट मैन्यू० कं० लि०, 24 परगना, (प० बंगाल)
प्रेमचंद जूट मिल्स, लेस्सी, हावड़ा

1) बी ट्विल पटसन बोरे — IS : 2566-1965
2) बी-ट्विल कपड़ा — IS : 3667-1966

बाली जूट कं० लि०, (मिल सं० 1), हावड़ा
बाली जूट कं० लि०, (मिल सं 2), कलकत्ता 1

रूई की गाँठें लपेटने के लिए पटसन बोरे का कपड़ा — IS : 4436-1967

बाली जूट कं० लि०, हावड़ा 1
चम्पदानी जूट कं० लि०, जिला हुगली (प० बंगाल)
गगलभाई जूट मिल्स, हावड़ा (प० बंगाल)
हुगली मिल्स कं० लि०, कलकत्ता 43
खरदा कं० लि०, टीटागढ़ (प० बंगाल)
मेघना मिल्स कं० लि०, जगतदल (प० बंगाल)

धातु के हील्ड फ्रेम (1) लकड़ी के बगली रोक सहित (2) इस्पात के बगली रोक सहित — IS : 4465-1967

कान्टीनेन्टल इंडस्ट्रीज़, अहमदाबाद 21

ऊन बाँधने के पटसन के नए बोरे — IS : 4856-1968

ऐंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं० लि०, (लोअर मिल्स), 24 परगना (प० बंगाल)
आकलैंड जूट कं०, जगतदल, 24 परगना (प० बंगाल)
चम्पदानी जूट कं० लि०, जिला हुगली (प० बंगाल)
डलहौज़ी जूट कं० लि०, जिला हुगली (प० बंगाल)
किन्नीसन जूट मिल्स कं० लि०, 24 परगना (प० बंगाल)
लैन्सडाउन कं० लि०, कलकत्ता 48
नफर चन्द्र जूट मिल्स लि०, 24 परगना (प० बंगाल)
नार्थब्रुक जूट कं० लि०, जिला हुगली (प० बंगाल)
यूनियन जूट कं० लि०, कान्वेन्ट लेन, कलकत्ता 15

31 मार्च 1971 को

व्यय

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या	खर्च की मद	रकम रु०
	1.	**वेतन**	
1 698 077		1.1 अफसर	2 076 830
1 904 127		1.2 कर्मचारी	1 827 982
	2.	**भत्ता**	
714 618		2.1 अफसर	1 018 750
1 785 710		2.2 कर्मचारी	2 346 029
137 654	3.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अन्य चिकित्सा-व्यय	164 842
	4.	**भविष्य-निधि**	
224 727		4.1 अंशदायी भविष्य-निधि में दी रकम	225 304
175 186		4.2 अंशदायी भविष्य-निधि पर ब्याज	207 745
26 946		4.3 सामान्य भविष्य-निधि पर ब्याज	622
209 644	5.	पेशन निधि	247 165
19 978	6.	कर्मचारी-कल्याण	25 623
	7.	**दौरा भत्ता**	
52 505		7.1 विदेश	79 651
263 282		7.2 अफसर और कर्मचारी	297 210
20 701		7.3 समिति सदस्य	26 339
	8.	**अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के चन्दे**	
157 618		8.1 आई. एस. ओ.	183 566
77 368		8.2 आई. ई. सी.	88 986
	9.	**छपाई, प्रकाशन, इत्यादि**	
398 232		9.1 मानक	567 740
274 157		9.2 बुलेटिन	336 090
57 165		9.3 गणना-साधन	21 699
131 585		9.4 दूसरे प्रकाशन	86 377
414	10.	अनुसंधान और परामर्श	4 116
70 612	11.	परीक्षण फीस	84 473
88 778	12.	प्रयोगशाला के उपकरण और स्टोर का सामान	118 907
8 489 084		नीत शेष	10 036 046

ग

समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

आय

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या	आय की मद	रकम रु०
1 729 214	1.	सदस्यता का चन्दा (1970)	1 858 943
	2.	**बिक्री**	
926 604		2.1 भारतीय मानक	1 147 465
49 583		2.2 गणना-साधन	52 422
171 612		2.3 विदेशी प्रकाशन (कमीशन)	212 830
148 822	3.	बुलेटिन के विज्ञापन	203 874
2 215 778	4.	प्रमाणन मुहर	2 848 302
18 952	5.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का अंशदान	19 426
4 491	6.	सम्मेलन (प्रतिनिधियों की फीस)	15 361
—	7.	प्रशिक्षण-कार्यक्रम	2 340
119 208	8.	विविध	85 804
	9.	**सरकारी अनुदान**	
4 802 000		9.1 औद्योगिक विकास मंत्रालय के द्वारा	5 500 000
195 000		9.2 विदेशी व्यापार (पण्य विकास निधि) द्वारा	167 916
10 381 264		नीत शेष	12 114 683

(जारी)

व्यय

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या	खर्च की मद	रकम रु०
8 489 084		आनीत शेष	10 036 046
	13.	**प्रचार**	
15 927		13.1 प्रदर्शनियाँ	14 983
46 308		13.2 विज्ञापन	74 399
9 812		13.3 विविध	28 234
8 819	14.	सम्मेलन	20 935
709	15.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 105
19 863	16.	पुस्तकालय	35 175
	17.	**दफ्तर का खर्च**	
205 690		17.1 स्टेशनरी	248 840
227 082		17.2 डाक-व्यय	233 381
111 341		17.3 टेलीफोन	171 608
16 945		17.4 भर्ती	11 133
18 047		17.5 जलपान	18 708
23 646		17.6 वर्दियाँ	21 822
28 338		17.7 सवारी और ढुलाई	39 497
52 211		17.8 विविध	70 821
28 742	18.	फर्नीचर और सामान (रख-रखाव)	29 107
	19.	**इमारतें**	
288 864		19.1 किराया और कर	329 036
171 555		19.2 बिजली और पानी	160 010
76 060		19.3 रख-रखाव	96 559
44 985	20.	स्थानीय (रख-रखाव)	54 891
8 014	21.	लेखा-जांच की फीस और कानूनी कार्यवाही	26 786
500	22.	कर्मचारी-प्रशिक्षण	450
263 208	23.	निर्यात के लिए जूट के माल का किस्म नियंत्रण	191 207
197 537	24.	मूल्य-ह्रास	210 667
10 353 287			12 125 400
27 977		व्यय से आय की अधिकता	—
10 381 264		योग	12 125 400

ग (जारी)

समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

आय

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या	आय की मद	रकम रु०
10 381 264		आनीत शेष	12 114 683
10 381 264			12 114 683
—		घाटा	10 717
10 381 264		योग	12 125 400

देयताएं

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
	1.	पूंजी-लेखा		
		क) पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार	2 299 144	
		ख) शाखा कार्यालयों के लिए भूमि का मूल्य : जमा	136 641	
			2 435 785	
		ग) अनुलग्न आय-व्यय से लिया घटाया हुआ शेष : नामे 10 717		
		घ) पिछले वर्ष के अनुदान का न खर्च किया घटाया हुआ शेष: नामे 9 513	20 230	
2 299 144				2 415 555
	2.	रिजर्व और निधि		
		2.1 कि. ला. मुद्गिल पारितोषिक निधि		
		क) पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार	14 609	
		ख) वर्ष की अवधि में प्राप्ति : जमा	1 305	
			15 914	
14 609		ग) वर्ष की अवधि में व्यय : नामे	2 120	13 794
		2.2 ग्रेचुइटी निधि		
		क) पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार	150 860	
		ख) वर्ष की अवधि में प्राप्ति : जमा	99 442	
			250 302	
150 860		ग) वर्ष की अवधि में व्यय : नामे	21 602	228 700
		2.3 संस्था की दूसरी इमारत और प्रयोगशाला निधि		
		क) सरकारी अनुदान		
		1) पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार	2 233 510	
2 233 510		2) वर्ष की अवधि में प्राप्ति : जमा	267 000	2 500 510
		ख) दान आदि		
		1) पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार	345 143	
345 143		2) वर्ष की अवधि में प्राप्ति : जमा	21 465	366 608
1 315 844		ग) दूसरी इमारत से प्राप्त किराया		1 315 844
6 359 110		नीत शेष		6 841 011

ग (जारी)

समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा

परिसम्पत्ति

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
	1.	**अचल परिसम्पत्तियां**		
	1.1	**भा. मा. संस्था की इमारत (मानक भवन)**		
		क) लागत मूल्य के अनुसार	2 081 849	
		ख) मूल्य ह्रास की कटौती		
		1) 31-3-70 तक (—)	835 422	
		2) इस वर्ष के लिए मूल्य ह्रास कटौती (—)	52 202	
1 246 427				1 194 225
	1.2	**भा. मा. संस्था की दूसरी इमारत (मानकालय)**		
		क) 31-3-70 तक चल रहे कार्य के निमित	2 537 647	
2 537 647		ख) इस वर्ष में हुआ कार्य	125 351	2 662 998
	1.3	**शाखा कार्यालयों के लिए भूमि** (मूल्य पर)		136 641
	1.4	**प्रयोगशाला उपकरण**		
		क) 31-3-70 तक लागत मूल्य के अनुसार	922 240	
		ख) इस वर्ष की बढ़ती	178 917	
			1 101 157	
		ग) **मूल्य ह्रास की कटौती**		
		1) 31-3-70 तक (—)	292 935	
629 305		2) वर्ष में कटौती (—)	80 822	727 400
	1.5	**फर्नीचर और दफ्तर का सामान**		
		क) 31-3-70 तक लागत मूल्य के अनुसार	861 601	
		ख) इस वर्ष की बढ़ती	109 916	
			971 517	
		ग) **मूल्य ह्रास में कटौती**		
		1) 31-3-70 तक (—)	490 295	
371 306		2) इस वर्ष में कटौती (—)	64 293	416 929
4 784 685		नीत शेष		5 138 193

(जारी)

31 मार्च 1971 को

देयताएं

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
6 359 110		आनीत शेष		6 841 011
		2.4 प्रयोगशाला विस्तार निधि		300 000
		2.5 जेराक्स कापिंग इक्विपमेन्ट निधि		150 000
		2.6 शाखा कार्यालयों के लिए भूमि (शेष)		8 359
4 378 207		2.7 अंशदायी भविष्य-निधि		4 844 204
719 036		2.8 सामान्य भविष्य-निधि		901 393
804 112		2.9 पेंशन निधि		1 064 450
	3.	**ऋण**		
		भारत सरकार द्वारा वाहन अग्रिम		
		क) पिछले वर्ष के पक्के चिट्ठे के अनुसार	300 000	
		ख) वर्ष की अवधि में प्राप्ति : जमा	188 000	
			488 000	
300 000		ग) पिछले वर्ष में धन की वापसी : नामे	87 500	400 500
	4.	**चालू देयताएं**		
1 054 666		4.1 अग्रिम चन्दा (1971)		1 180 560
		4.2 **फुटकर उधार-भुगतान**		
		क) देश में	228 172	
		ख) विदेश में	225 132	
374 921		ग) बयाना	17 929	471 233
113 551		4.3 भूमि (निलम्बित-लेखा)		203 802
14 103 603		नीत शेष		16 365 512

समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा

परिसम्पत्ति

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
4 784 685		आनीत शेष		5 138 193
	1.6	**मोटर गाड़ियाँ**		
		क) 31-3-70 तक लागत मूल्य के अनुसार	136 945	
		ख) **मूल्य ह्रास की कटौती**		
		1) 31-3-70 तक (—)	66 894	
70 052		2) इस वर्ष में कटौती (—)	13 350	56 701
	1.7	**पुस्तकालय की किताबें**		
		क) लागत मूल्य के अनुसार	54 605	
54 606		ख) इस वर्ष में बढ़ती	19 647	74 252
	2.	**विनियोजन, लागत के अनुसार**		
	2.1	बैंकों में जमा राशि	803 129	
	2.2	आई. एस. आई. कर्मचारी उपभोक्ता स्टोर के शेयर	6 000	
	2.3	जय इंजीनियरिंग वर्क्स के शेयर (कि. ला. मुद्गिल पारितोषिक		
119 364		निधि खाता)	11 400	820 529
	2.4	**अंशदायी भविष्य-निधि**		
		क) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्रों में विनियोजन	4 027 000	
		ख) सदस्यों को दिया गया (अग्रिम)/ भा. मा. संस्था	376 616	
4 378 207		ग) बैंक शेष	440 588	4 844 204
	2.5	**सामान्य भविष्य-निधि**		
		क) सुरक्षा प्रमाण-पत्रों में विनियोजन	745 000	
		ख) सदस्यों को दिया गया अग्रिम	140 485	
719 036		ग) बैंक शेष	15 908	901 393
804 112	2.6	पेंशन निधि		1 064 450
	3.	**चालू परिसम्पत्तियाँ**		
264 832	3.1	छपाई कागज का स्टाक (लागत मूल्य पर)		164 363
11 194 894		नीत शेष		13 064 085

(जारी)

परिशिष्ट

31 मार्च 1971 को

देयताएं

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
14 103 603		आनीत शेष		16 365 512
14 103 603		योग		16 365 512

मैंने भारतीय मानक संस्था के इस लेखे और आय-व्यय लेखा की जांच की है और इस सम्बन्ध में मुझे जिस जानकारी अथवा व्याख्या की जरूरत हुई, प्राप्त हुई। अपने लेखा-परीक्षण के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में यह लेखा और आय-व्यय लेखा समुचित ढंग से तैयार किया गया है और मेरी श्रेष्ठतम जानकारी और मुझे दी गई व्याख्याओं तथा संस्था की पुस्तकों में दिखाए तथ्यों के अनुसार यह संस्था का सच्चा और समुचित स्वरूप प्रस्तुत करता है।

ह०
(टी० नरसिंहम्)
एकाउन्टेन्ट जनरल
वाणिज्य, निर्माण एवं विविध,
नई दिल्ली

ग (जारी)

समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा

परिसम्पत्ति

पिछला वर्ष रु०	क्रम संख्या		रु०	रकम रु०
11 194 894		आनीत शेष		13 064 085
	3.2	**फुटकर पावना**		
		क) प्रकाशनों की बिक्री	427 766	
		ख) बुलेटिन विज्ञापन	121 141	
454 036		ग) अन्य	11 209	560 116
	4.	**ऋण और अग्रिम-धन**		
	4.1	क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	322 372	
		ख) खरीद इत्यादि के लिए दिया गया अग्रिम	77 124	
432 960		ग) त्यौहार के लिए दिया गया अग्रिम	11 020	410 516
47 567	4.2	प्रतिभूति के लिए जमा धन		48 458
75 140	4.3	पहले से भुगतान के लिए खर्च		49 586
11 850	4.4	वित्त मन्त्रालय द्वारा देय (कोलम्बो योजना प्रशिक्षार्थियों का खाता)		35 974
27 942	4.5	विदेश मन्त्रालय द्वारा देय (आई. टी. ई. सी. प्रशिक्षार्थियों का खाता)		33 086
195 000	4.6	पणन विकास निधि (विदेश व्यापार मन्त्रालय)		143 405
—	4 7	बाढ़ अग्रिम		1 077
	5.	**नकदी और बैंक शेष**		
1639 404	5.1	**बैंक में**		1993 269
13 135	5.2	**अपने पास (अग्रदाय सहित)**		13 320
11 675	5.3	अपने पास डाक टिकिट		12 620
14 103 603		योग		16 365 512

(आंकड़ों को रुपयों तक पूर्णांकों में बदल दिया गया है।)

ह०
(एस. के. सेन)
महानिदेशक
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली

ह०
(बी. एल. भाटिया)
निदेशक (लेखा विभाग)
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली

परिशिष्ट घ

भारतीय मानक संस्था के प्रमुख अधिकारी

(31 मार्च 1971 तक की स्थिति)

महापरिषद	
सभापति	श्री मोइनुल हक चौधरी औद्योगिक विकास और आंतरिक विकास मंत्री, भारत सरकार
उपसभापति	श्री जहाँगीर जे. गांधी श्री केशब महेन्द्र
कार्य समिति (ई सी)	
अध्यक्ष	श्री जहाँगीर जे. गांधी
वित्त समिति (एफ सी)	
अध्यक्ष	श्री केशब महेन्द्र
कृषि तथा खाद्य उत्पाद विभाग परिषद (कृ खा वि प)	
अध्यक्ष	डा. बी. पी. पाल
उपाध्यक्ष	श्री ए. सी. खन्ना
रसायन विभाग परिषद (र वि प)	
अध्यक्ष	डा. जे. एस. बदामी
उपाध्यक्ष	श्री ए. सीतारमय्या
सिविल इंजीनियरी विभाग परिषद (सि इं वि प)	
अध्यक्ष	डा. के. एल. राव
उपाध्यक्ष	श्री वाई. के. मूर्ति श्री सी. पी. मलिक
उपभोक्ता उत्पाद विभाग परिषद (उ उ वि प)	
अध्यक्ष	कर्नल आर. डी. अय्यर
उपाध्यक्ष	ब्रिग्रे. भूपेन्द्र सिंह
विद्युत तकनीकी विभाग परिषद (वि त वि प)	
अध्यक्ष	श्री एस. स्वयंभू
उपाध्यक्ष	श्री जे. एस. झावेरी

समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबन्दी विभाग परिषद (स नौ पै वि प)	
अध्यक्ष	श्री सी. पी. श्रीवास्तव
मशीनी इंजीनियरी विभाग परिषद (म इं वि प)	
अध्यक्ष	डा. बी. डी. कालेलकर
उपाध्यक्ष	श्री अभिजीत सेन
संरचना और धातु विभाग परिषद (सं धा वि प)	
अध्यक्ष	श्री जहाँगीर जे. गाँधी
उपाध्यक्ष	श्री ओ. एस. मूर्ति
वस्त्रादि विभाग परिषद (व वि प)	
अध्यक्ष	श्री हर्षवदन मंगलदास
उपाध्यक्ष	श्री डी. एन. शराफ़
प्रमाणन मुहर सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री प्रभु. वी. मेहता
भारतीय मानक प्रतिपालन सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	महानिदेशक, संभरण एवं पूर्ति, नई दिल्ली
औद्योगिक सुरक्षा सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री एन. एस. मांकीकर
महिला सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्रीमती लीलावती मुंशी
बम्बई शाखा कार्यालय सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री प्रभु. वी. मेहता
कलकत्ता शाखा कार्यालय सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री के. एन. मुखर्जी
कानपुर शाखा कार्यालय सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री डी. इंदर सिंह
मद्रास शाखा कार्यालय सलाहकार समिति	
अध्यक्ष	श्री डी. सी. कोठारी

कर्मचारी

महानिदेशक:	श्री एस. के. सेन
उपमहानिदेशक:	श्री बी. एस. कृष्णामाचार
	डा. ए. के. गुप्ता
कृषि तथा खाद्य उत्पाद विभाग	
उपनिदेशक/प्रमुख	डा. हरि भगवान
रसायन विभाग	
निदेशक	श्री डी. दास गुप्ता
सिविल इंजीनियरी विभाग	
निदेशक	श्री डी. अजित सिम्ह
उपभोक्ता उत्पाद विभाग	
निदेशक	श्री ए. बी. राव
विद्युत तकनीकी विभाग	
निदेशक	श्री वाई. एस. वेंकटेश्वरन्
समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबन्दी विभाग	
विशिष्ट सेवा अधिकारी	श्री के. एस. सुब्रह्मण्यम्
मशीनी इंजीनियरी विभाग	
निदेशक	श्री एम. वी. पाटनकर
संरचना और धातु विभाग	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री आर. के. श्रीवास्तव
वस्त्रादि विभाग	
निदेशक	श्री एस. एम. चक्रवर्ती
लेखा विभाग	
निदेशक	श्री बी. एल. भाटिया
प्रशासन विभाग	
सचिव	श्री पी. चटर्जी
प्रमाणन मुहर विभाग	
निदेशक	श्री ए. एस. चीमा
प्रतिपालन विभाग	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री एस. आर. कुप्पन्ना
प्रयोगशाला	
उपनिदेशक/प्रमुख	डा. एस. घोष

पुस्तकालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री वी. पी. विज
प्रकाशन विभाग	
निदेशक	श्री राम डी. तनेजा
जनसम्पर्क विभाग	
निदेशक	श्री कँवलजीत सिंह
प्रचार विभाग	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री मनोहरलाल
सांख्यिकी विभाग	
निदेशक	डा. बी. एन. सिंह
बंगलोरशाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री आर. आई. मिड्ढा
बम्बईशाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री एस. श्रीनिवासन्
कलकत्ताशाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री ए. पी. बनर्जी
हैदराबादशाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री एस. पी. रामन्
कानपुरशाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री एम. एस. सक्सेना
मद्रासशाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री जी. एल. गुलाटी

भारतीय मानक संस्था

भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन

भारतीय मानक ही क्यों ?

सन् 1946 के पूर्व देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी राष्ट्रीय मानक संगठन भारत में नहीं था। इंस्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) ब्रिटिश मानक संस्था की भारतीय मानक समिति के रूप में काम कर रहा था। उन दिनों सामान्य रूप से ब्रिटेन और सं. रा. अ. के राष्ट्रीय मानक निकायों के मानक ही यहाँ ग्रहण किए जाते थे।

फिर भी ये विदेशी मानक भारत के विकासमान उद्योगों की आवश्यकताओं को विभिन्न कारणों से, जैसे भारत में उपलब्ध सामग्रियों की विविधता, उत्पादन के लिए प्रयुक्त विधियों की विभिन्नता, तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियों में विशाल अंतर पूरा न कर सके। इस प्रकार भारत में केन्द्रीय मानक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी।

प्रारम्भ

भारतीय मानक संस्था जिसे सामान्य रूप से आई एस आई के नाम से जाना जाता है सितम्बर 1946 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर स्थापित की गई थी, और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानक तैयार करने और मानकीकरण को प्रोत्साहन देने का कार्य सौंपा गया था।

भारतीय उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत अपनी उस माँग की पूर्ति के रूप में किया जो दिसम्बर 1940 में लखनऊ में हुए 12वें उद्योग सम्मेलन के अवसर पर सर्वप्रथम और बाद में औद्योगिक अनुसंधान आयोजना समिति द्वारा 1945 में प्रस्तुत की गई थी।

संस्था की महापरिषद की उद्घाटन बैठक जिसे भा. मा. संस्था का जन्म माना जा सकता है जनवरी 1947 में हमारी स्वतन्त्रता के वर्ष में हुई।

उद्देश्य

संस्था के उद्देश्यों के अधीन निम्नलिखित बातें आती हैं — उत्पादों की बिक्री की वस्तुओं, सामग्रियों तथा प्रक्रमों से सम्बन्धित मानकों का निर्धारण और राष्ट्रीय तथा

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से उनके अधिग्रहण को बढ़ावा देना; उद्योग और वाणिज्य में मानकीकरण; किस्म-नियंत्रण तथा सरलीकरण को बढ़ावा देना; सामग्रियों, उत्पादों में प्रयुक्त साधनों, प्रक्रमों और पद्धतियों की समुन्नति के लिए उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करना; उत्पादकों, बिक्री की वस्तुओं, इत्यादि पर प्रमाणन मुहर लगवाने की व्यवस्था; और मानकीकरण के सम्बन्ध में सभी पहलुओं के विषय में सांख्यिकी तथा अन्य जानकारी का प्रसार।

संगठन ढाँचा

भारतीय मानक संस्था एक स्वायत्त निकाय है और इस पर सर्वोपरि नियंत्रण महापरिषद का है। भारत सरकार के औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार के मंत्री इसके पदेन सभापति हैं। महापरिषद में उद्योग, केन्द्र और राज्य सरकारों, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी संगठनों, चन्दा देने वाले सदस्यों, और संस्था के विभागपरिषदों के प्रतिनिधि होते हैं।

संस्था का दैनन्दिन प्रशासन कार्य समिति द्वारा सम्पन्न होता है। वित्तीय विषयों में उसे वित्तसमिति से सलाह मिलती रहती है।

भारतीय मानक क्या हैं ?

भारतीय मानक वे छपे प्रलेख हैं जिनमें निर्धारित किस्म का माल तैयार करने के विषय में आवश्यक अपेक्षाएं जैसे सामग्री, संरचना, माप, कार्यप्रदता, फिनिश, परीक्षण पद्धतियाँ, इत्यादि दी रहती हैं। किसी भी तैयार माल के मानक किस्म के होने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इन दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ये भारतीय मानक सामग्रियों, अर्द्ध तैयार माल और तैयार वस्तुओं के विषय में होते हैं और मशीनी, विद्युत, संरचना और धातुकर्मिता, समुद्री, नौभार वहन तथा पैकेजबंदी, भवन-निर्माण, रसायन, वस्त्रादि, खाद्य और कृषि जैसे व्यापक क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं। ये मानक सामग्रियों की विशिष्टियों, रीतिसंहिताओं, परीक्षण-पद्धतियों और शब्दावलियों के रूप में होते हैं।

भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी संख्या में तकनीकी समितियाँ होती हैं। ये समितियाँ संस्था की नौ विभाग परिषदों अर्थात् कृषि और खाद्य उत्पाद, रसायन, सिविल इंजीनियरी, उपभोक्ता उत्पाद, विद्युत तकनीकी, समुद्री, नौभार वहन और पैकेजबंदी, मशीनी, इंजीनियरी, संरचना और धातु, और वस्त्रादि विभाग परिषदों द्वारा नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों में विभिन्न हितों जैसे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, शिल्पियों, और सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के अनुसंधान और परीक्षण संगठनों से विशेषज्ञ प्रतिनिधि रूप में लिए जाते हैं। ये विशेषज्ञ मानार्थ हैसियत से काम करते हैं तथा सर्वसम्मति राय से राष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं।

मानक तैयार करने की प्रक्रिया

एक भारतीय मानक तैयार होने में कई अवस्थाएँ होती हैं । कोई भी अधिकृत निकाय, व्यापार अथवा औद्योगिक संघ, सरकारी विभाग, या भा. मा. संस्था का चंदादायी अथवा समिति सदस्य मानक स्थापित करने का प्रस्ताव भेज सकता है। आवश्यक जाँच पड़ताल के बाद यदि पाया जाता है कि मानक की आवयश्कता है तो उस विषय का अनुमोदन हो जाता है, और वह विषय किसी वर्तमान तकनीकी समिति को सौंप दिया जाता है या उसके लिए नई समिति स्थापित की जाती है। यह समिति एक मसौदा तैयार करती है जो देश और विदेश में सम्बद्ध हितों को सम्मतियों के लिए भेजा जाता है। इन सम्मतियों पर फिर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और मसौदे में इन सम्मतियों के प्रकाश में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद उसे मानक के रूप में अनुमोदित करके उसके अवग्रहण के लिए तत्सम्बन्धी विभाग परिषद को प्रस्तुत किया जाता है ।

भारतीय मानकों का प्रतिपालन

ये भारतीय मानक माल के उत्पादन और सेवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में, व्यापार समझौतों के आधार के रूप में, शिल्पियों के लिए किस्म और कार्यप्रदता की परख के लिए साधन के रूप में, तथा डिजाइनकर्ताओं और भवन निर्माताओं की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधानों के रूप में काम देते हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और अनेक स्थानीय निकायों ने नीति निर्धारित कर रखी है कि वे भारतीय मानकों के अनुरूप तैयार माल ही खरीदेंगे । इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उद्यमों और विक्रय संगठनों ने अपने उत्पादन और खरीदारी के कार्यक्रम में भी भारतीय मानकों को अपनाया है।

भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना

भा. मा. संस्था को भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 (1961 में संशोधित) के अधीन उन निर्माताओं को अपने माल पर भा. मा. संस्था की मुहर लगाने का लाइसेंस देने का अधिकार प्राप्त है जो अपना माल भारतीय मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं । आई एस आई मुहर संस्था के मोनोग्राम के नमूने पर तैयार की गई है जिसके ऊपर की ओर तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या दी होती है और वस्तु का यदि कोई ग्रेड हो तो उसका पदनाम नीचे दिया होता है।

भारतीय मानक संस्था प्रमाणन मुहर योजना का लक्ष्य खरीदार को यह विश्वास दिलाना है कि भा. मा. संस्था की मुहर लगे माल का उत्पादन नियंत्रित स्थितियों में हुआ तथा भारतीय मानकों के उसके अनुरूप होने के सम्बन्ध में उसका परीक्षण तथा निरीक्षण किया जा चुका है।

अच्छी किस्म के माल के उत्पादन के लिए पर्यवेक्षकीय नियंत्रण — यदि कोई निर्माता अपने माल पर संस्था की प्रमाणन मुहर लगाने का लाइसेंस लेने की अर्जी देना चाहता है तो उसे इस बात के पर्याप्त प्रमाण देने होते हैं कि उसके द्वारा तैयार किया गया माल तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के अनुरूप है। निर्माता की अर्जी प्राप्त हो जाने के पश्चात् संस्था उस फैक्टरी का इस बात के लिए निरीक्षण करने की व्यवस्था करती है कि उसके पास माल की किस्म बनाए रखने के विषय में आवश्यक सुविधाएँ हैं अथवा नहीं, और वह माल के नमूनों का स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से यह देखने के लिए परीक्षण कराती है कि क्या वह निर्माता तत्सम्बन्धी भारतीय मानक में दिए गए उपबंधों के अनुरूप माल तैयार करने में सक्षम है । इस प्रकार पूरी तरह जाँच और नमूनों के परीक्षण के बाद संस्था आवेदक को लाइसेंस मंजूर कर देती है।

हर लाइसेंस के आवश्यक अंग के रूप में परीक्षण और निरीक्षण की एक योजना दी जाती है जिसका पालन करना लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य होता है । लाइसेंस मंजूर होने के बाद संस्था के निरीक्षक लाइसेंसधारी की फैक्टरी का समय-समय पर तथा आकस्मिक रूप से भी निरीक्षण करते रहते हैं और उसके उत्पादन अभिलेखों की जाँच करके यह देखते रहते हैं कि लाइसेंस के साथ संलग्न योजना का उचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। संस्था तैयार होते हुए माल से अथवा खुले बाजार से बानगियाँ लेती रहती और अपने यहाँ तथा अन्य स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण कराती रहती है। लाइसेंस वैध रहने की अवधि में यदि यह पाया जाए कि उसका माल तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है तो संस्था उसका लाइसेंस स्थगित कर देती, अथवा रद्द कर देती है । संस्था की प्रमाणन मुहर के दुरुपयोग पर आवश्यक दंड देने की भी व्यवस्था भा. मा. संस्था प्रमाणन चिह्न अधिनियम में दी गई है।

भा. मा. संस्था प्रयोगशालाएं

संस्था ने मुख्यालय और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शाखा कार्यालयों में अपनी प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं जिनका उद्देश्य है प्रमाणित वस्तुओं में उचित रूप में किस्म-नियंत्रण लागू करने के कार्य में संस्था की सहायता करना। ये प्रयोगशालाएँ भारतीय मानक विशिष्टियों और इनके संशोधनों से सम्बन्धित अन्वेषण कार्य भी करती रहती हैं। इन्हीं अन्वेषणों के प्रकाश में ये प्रयोगशालाएँ संस्था की विभिन्न तकनीकी समितियों को नई, सरल, कम खर्च और कम समय लेने वाली विश्लेषण-तकनीकों के विषय में सुझाव देती रहती हैं। मुख्यालय की प्रयोगशालाएं भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप वस्तुओं के परीक्षण में प्रशिक्षण देने की सुविधा भी प्रदान करती हैं।

मानक इंजीनियर

मानक इंजीनियरों की कमी दूर करने तथा भारत की विकासशील योजनाओं के संदर्भ में संस्था की सेवाओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न

क्षेत्रों के तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है तथा मानक इंजीनियरी में उनको गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की समस्याएँ समान हैं, इस दृष्टि से एक सीमित संख्या में इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए यह प्रशिक्षण सुविधा इन देशों को भी प्रदान की जाती है।

कम्पनी मानकीकरण

देश में कम्पनी मानकीकरण को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय उद्योगों को अपने यहाँ संयंत्रगत मानक सम्बन्धी गतिविधियों के संगठन में सहायता देने की दृष्टि से भा. मा. संस्था औद्योगिक इकाइयों और संरचनाओं के तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम, सर्वेक्षण कार्यक्रम, प्रबन्ध तथा कम्पनी मानकीकरण सम्मेलन और फैक्टरियों के दर्शन, जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों से एक ओर मानकीकरण पद्धतियों और तकनीकों की विस्तृत शिक्षा मिलती है और दूसरी ओर मूलभूत सिद्धान्तों तथा रीतियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है।

ये कार्यक्रम देश भर की काफी बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर लागू हो चुके हैं और इन्हीं के परिणामस्वरूप इनमें से अनेक इकाइयों में संयंत्रगत मानक निर्धारण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है।

मानक पुस्तकालय

संस्था में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न देशों के अनेक अधिकरणों द्वारा जारी किए गए मानक और विशिष्टियाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उसमें तकनीकी, वैज्ञानिक, अनुसंधान सम्बन्धी तथा अन्य प्रकाशन भी हैं। विभिन्न देशों से प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएँ भी पुस्तकालय में आती हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय संस्था के तकनीकी कर्मचारियों और विशेषज्ञों के उपयोग के लिए ग्रन्थ-सूची तैयार करने के कार्य में भी सहायता देता है।

मानकों के प्रति जागरूकता

संस्था की ओर से उत्पादन और क्रय-कार्यक्रमों में भारतीय मानकों के बड़े पैमाने पर प्रतिपालन के लिए, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भा. मा. संस्था प्रमाणन मुहर योजना का प्रचार करने, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रचार तथा जन-सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर प्रदेश-स्तर पर सम्मेलन, मानकीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन — भारतीय मानक सम्मेलन देश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में आयोजित किए जाते हैं। इसी के लिए विभिन्न विषयों के उद्योगपरक सम्मेलन भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सम्पर्कों, भाषणों, वार्ताओं, बैठकों, साहित्य, फिल्म, रेडियो, प्रदर्शनियों, इत्यादि के द्वारा मानक आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाता है।

चंदादायी सदस्य

संस्था के कार्यों और उद्देश्यों में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठन तथा व्यक्ति जो भी मानकीकरण से प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, संस्था के नीचे बताई किसी भी कोटि के सदस्य बन सकते हैं : संरक्षक, दाता सदस्य, प्रतिधारक सदस्य, सहयोगी सदस्य तथा व्यक्तिगत सदस्य । अपनी अपनी सदस्यता की कोटि के अनुसार चंदादायी सदस्यों को संस्था की ओर से कुछ सुविधाएँ मिलती हैं जैसे अपनी रुचि के भा. मा. संस्था के प्रकाशनों की एक एक प्रति प्राप्त करना, भा. मा. संस्था के प्रकाशनों की खरीद पर छूट पाना, संस्था के तकनीकी पुस्तकालय का उपयोग, भारत और विदेशों में मानकीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा और मानकीकरण के लिए नए विषय प्रस्तावित कर सकना ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

जहाँ तक मानकीकरण का सम्बन्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हित को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्था मानकीकरण-कार्य में रत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् मानकीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई एस ओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी कमीशन (आई ई सी) से निकटतम सहयोग रखती है । संस्था इन संगठनों की प्रमुख प्रशासनिक समितियों में प्रतिनिधि रूप में सदस्य तो है ही इसके अतिरिक्त उसके पास अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समितियों, उपसमितियों और कर्मादलों के सचिवालय भी हैं । संस्था राष्ट्रमंडल सम्मेलन का भी एक सक्रिय सदस्य है । इस संघ के समय-समय पर सम्मेलन होते रहते हैं जिसमें पारस्परिक समस्याओं और मानकीकरण के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा की गई प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाता है । इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय संगठनों जैसे एशिया और सुदूरपूर्व का आर्थिक कमीशन (इकाफे), तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय मानक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क रखा जाता है ।

शाखा कार्यालय

भारतीय उद्योग, विभाग व्यापार और वाणिज्य के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखने तथा उनको कुशलता पूर्वक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से संस्था ने देश के विभिन्न भागों जैसे बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, हैदराबाद और बंगलोर में अपने शाखा कार्यालय खोल रखे हैं ।